राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 13

सोमवार,

17 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-357

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अरुण सिंह- (अनुपस्थित)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-358

श्री भरोसी लाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री घासीलाल मेघवाल।

लाखेरी सीमेन्ट उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर रोक

359. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिलान्तर्गत लाखेरी में सीमेन्ट उद्योग कार्यरत है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग में कोटा थर्मल की राख का उपयोग किया जाता है? यदि हां, तो राख को उद्योग में खाली करने की क्या व्यवस्था है? क्या ट्रकों द्वारा शहर के बीच राख खाली करने से प्रदूषण फैल रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : (1) जी, हां। बूंदी जिले के लाखेरी गांव में ए.सी.सी. सीमेन्ट की फैक्ट्री है।

(2) जी, हां। लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री में कोटा थर्मल की राख का उपयोग किया जाता है। कोटा थर्मल से राख बन्द डम्परों (ट्रकों) से सड़क मार्ग द्वारा लायी जाती है जिसे बन्द ट्रकों में लगे हुए जैक सिस्टम के द्वारा राख के भण्डारण हेतु निर्धारित ढके हुए शैड में खाली किया जाता है। राख खाली करते समय हवा में उड़ती है

(श्री भगराज चौधरी)

जिससे आंशिक प्रदूषण की संभावना हो सकती है। इस हेतु राख को ट्रकों से खाली करते समय इकाई ने पानी के छिड़काव की व्यवस्था कर रखी है।

शहर के बीच में ट्रकों द्वारा राख खाली नहीं की जाती है। राख आबादी क्षेत्र के बाहर इससे लगते हुए औद्योगिक परिसर में राख हेतु निर्धारित स्थान पर खाली की जाती है।

(3) उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित कर रखे हैं तथा नवीनतम मानिटरिंग के अनुसार सस्पैंडेड पर्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

इकाई ने फ्यूजिटिव एमिनेशन नियंत्रण के लिए नौ स्थानों पर डस्ट कलेक्टर लगा रखे हैं।

इकाई द्वारा औद्योगिक उच्छिष्ठ का निस्राव नहीं किया जाता है तथा घरेलू उच्छिष्ठ के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक व सोकपिट बना रखे हैं। फिर भी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इसकी मानिटरिंग समय-समय पर की जाती रही है और की जाती रहेगी।

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, लाखेरी में जो सीमेन्ट फैक्ट्री है वह शहर के मध्य में स्थित है और कोटा थर्मल से जो राख लायी जाती है उसको शहर के मध्य में ही फैक्ट्री के अन्दर खाली किया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों द्वारा वहां पर जांच की गयी है? नम्बर दो, क्या यह सही है कि यदि लाखेरी शहर का सर्वे करवाया जाए तो वहां पर आबादी क्षेत्र में 50 प्रतिशत लोग टी.बी. रोग से ग्रसित मिलेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि लाखेरी में शाम के वक्त सीमेन्ट फैक्ट्री की डस्ट इतनी फैली हुई होती है कि पांच मीटर दूर का आदमी वहां पर नजर नहीं आता है। वहां के लोगों का जीना दूभर हो रहा है। क्या सरकार इसके लिए कोई उपाय कर रही है?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के जवाब में ही मैंने निवेदन कर दिया था कि कोटा शहर के बाहर, आबादी क्षेत्र से बाहर काफी दूर लाखेरी सीमेन्ट का औद्योगिक परिसर बना हुआ है। उस परिसर में कोटा थर्मल की राख बन्द ट्रकों में भर कर लायी जाती है और खाली करते समय उसका पानी से छिड़काव किया जाता है जिससे खाली करते समय किसी प्रकार से राख के पार्टिकल्स हवा में नहीं मिलें, नहीं उड़ें। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की हुई है फिर भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स के हवा में मिलने की संभावना हो सकती है। ऐसा होने के बावजूद भी हवा के प्रदूषण के जो मानदण्ड मुकर्रर किए हुए हैं उसी सीमा के अन्तर्गत सस्पैंडेड पार्टिकल्स रहते हैं इसलिए माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि राख को ट्रकों से खाली करते समय हवा में उड़ने से प्रदूषण फैलने की कोई संभावना

(श्री भगराज चौधरी)

हो, ऐसी बात सामने नहीं आयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12, 13 मार्च को, 01 नवम्बर, 1999 को और 4.9.98 को समय-समय पर इस बिन्दु के सम्बन्ध में मौके पर जांच करवायी गयी। जांच के दौरान राख के किसी प्रकार के कण नियंत्रित सीमा से बाहर हवा में मिलते हुए नजर नहीं आये इसलिए राख को खाली करते समय किसी प्रकार से हवा में प्रदूषण फैलने की संभावना दिखाई नहीं दी। फिर भी समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा बराबर मानिटरिंग की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह राख जो कोटा से आती है क्या आपने इसकी रासायनिक जांच करवायी है कि उसमें वे तत्त्व मौजूद हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए घातक हो सकते हैं, वे किस मात्रा में हैं? आपने फरमाया कि वे नियंत्रण रेखा में है। घातक तत्व नियंत्रण रेखा में नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आपने जांच करवायी है? उसमें क्या स्थिति है? सरकार इस सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे प्रदूषण नहीं फैले?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राख में जो तत्व पाये जाते हैं उसका सम्बन्ध है, बारीकी से एनालिसिस नहीं किया गया है। मुख्य प्रश्न यह था कि जो भी राख कोटा थर्मल से लाखेरी सीमेन्ट उद्योग में लायी जाती है उसके रास्ते से गुजरते समय और ट्रकों से खाली करते समय हवा में उड़ने की संभावना को देखते हुए उससे प्रदूषण फैल सकता है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पूर्व में कई बार मानिटरिंग किया गया और मानिटरिंग के दौरान हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं राख के, वे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, निर्धारित जो मानक है उस सीमा से कम पाये गये हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 12.3 और 13.3 को इस सम्बन्ध में मौके पर जांच की गयी तो उससे जो 150 एमजी.एनएम. की मात्रा निर्धारित की हुई है कि इस सीमा तक सस्पैंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, केवल 37.36 एमजी.एनएम. ही पाये गये। फिर 11.99 को भी इसकी जांच की गयी, उस दौरान भी केवल मात्र 141.76 एमजी.एनएम. पाये गये, जो कि निर्धारित मात्रा से बहुत कम है। दिनांक 4.9.98 को इस प्रकार की जांच की गयी उस समय भी 150 एमजी.एनएम. के विरुद्ध केवल मात्र 57.32 एमजी.एनएम. की मात्रा ही पायी गयी जो कि निर्धारित मात्रा से बहुत कम है। इसलिए किसी प्रकार से राख के हवा में उड़कर प्रदूषण फैलाने की संभावना नहीं है।

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह फैक्ट्री आबादी क्षेत्र के बाहर है। यह जो सीमेंट फैक्ट्री है यह बिलकुल आबादी के बीच में है। इसके चारों ओर लाखेरी की बस्तियां बसी हुई हैं, उनके बीच में यह फैक्ट्री मौजूद है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रदूषण फैलने की कोई सम्भावना नहीं है। ट्रक-खाली होकर जाते हैं तब वहां आप मकानों के ऊपर देखोगे तो गरमी में रात में जो लोग सोते हैं उनके शरीर पर पूरी काली राख छा जाती है। मकानों पर ऐसी स्थिति भी नहीं रहती कि वहां पर लोग बैठ सकें। सारे कपड़े काले हो जाते हैं। यही स्थिति कोटा शहर की है। कोटा शहर का दादाबाड़ी महावीर नगर का एरिया है। चूंकि कोटा से जुड़ा हुआ है, थर्मल है__

श्री अध्यक्ष : रेलेवेंट नहीं है। कोटा की बात कहीं नहीं है, लाखेरी की बात कीजिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कोटा शहर को इस प्रदूषण से बचाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है, थोड़ा अवगत करवाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोटा का नहीं है, लाखेरी की बात कीजिये।

श्री मदन दिलावर : थर्मल कोटा में था।

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य, कोटा का प्रश्न नहीं था।

श्री अध्यक्ष : कोटा का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप सदन में प्रदूषण क्यों फैला रहे हैं। प्रश्न और कहीं का है और कहीं आप पूछ रहे हैं इसको। (व्यवधान) सदन में क्यों प्रदूषण फैला रहे हो आप?

श्री मदन दिलावर : इसके कारण से कोटा शहर के लोगों को चर्म की बीमारी होने लग गयी है, उनके श्वास की बीमारी होने लग गयी है। पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण सब बहुत परेशान हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री ज्ञानदेव आहूजा।

स्थगित प्रश्न

(3 अप्रैल, 2000)

शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों का नियमन

187. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) (**डा. रतनलाल जाट** (बनेड़ा) के स्थान पर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल कितनी कच्ची बस्तियों का नियमन करके अब तक कुल कितने व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) उक्त कच्ची बस्तियों के सर्वे के अनुसार कुल कितने व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

(3) नगरपालिका क्षेत्रों में कृषि भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति, खातेदारों एवं प्रापर्टी डीलर्स द्वारा आबंटित किये गये प्लाटों/मकानों का नियमितीकरण कब तक हो जाएगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) राज्य के शहरी क्षेत्रों में आंशिक रूप से 534 कच्ची बस्तियों का नियमन कर अब तक कुल 12,713 पट्टे वितरित किये गये हैं।

(2) उपरोक्त 534 कच्ची बस्तियों के लिए किये गये सर्वे के अनुसार करीब 30,000 व्यक्तियों को पट्टे देने का आकलन था किन्तु उनमें से बहुत से व्यक्ति रास्तों में कुछ नालों पर और कुछ वन विभाग की भूमि पर हैं इसलिए उनका नियमन नहीं किया जा रहा है। पूरा विश्लेषण होने के बाद ही निश्चित संख्या की स्थिति का उल्लेख किया जा सकेगा।

(3) नगरपालिका क्षेत्रों में कृषि भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समितियों, खातेदारों, प्रापर्टी डीलर्स द्वारा आबंटित किये गये प्लाटों एवं मकानों के नियमितीकरण का कार्य 2001 तक पूरा होने की सम्भावना है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जब यह घोषणा की थी कच्ची बस्तियों का नियमन करने की, तो तुरन्त प्रभावी तरीके से की थी। अब नालों का, रास्तों का हवाला देकर, बहाना बनाकर उनको नियमन करने से रोका जा रहा है। इसकी कार्यवाही कब तक कर देंगे, इसके बारे में कोई समयावधि नहीं दी है। इसकी समयावधि दें। 2001 का जो हवाला दिया गया है यह बहुत दूर है इसको जरा शीघ्रता से करें, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय मंत्रीजी, मेरा एक प्रश्न है। इन माननीय सदस्य को क्या कोई कमेटी में रखा है आपने ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : इन्होंने किसी कमेटी में रखा है क्या माननीय सदस्यों को, ये उपस्थित रहे हैं क्या उस कमेटी के अन्दर ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप बीच में नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दिया है कि कृषि भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समितियों, खातेदारों, प्रापर्टी डीलर्स के द्वारा काटे गये प्लाटों व मकानों का नियमितीकरण 2001 तक हो जाएगा। मैंने कच्ची बस्ती का 2001 का नहीं किया है। आप शायद कन्फ्यूज हो रहे हैं। मेरे जवाब को अच्छी तरह से पढ़िये। कच्ची बस्ती के लिए कोई तारीख तय नहीं की है मैंने मेरे जवाब में सिर्फ नियमितीकरण, कृषि भूमि से अकृषि कार्यों के लिए जिन प्लाटों का उपयोग कर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लिया गया है उनके नियमितीकरण की 2001 की तारीख दी।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बी.जे.पी. के राज में 1990 से 1997 तक कच्ची बस्ती के कितने लोगों को इन्होंने पट्टा दिया है? मुझे मालूम है कि 1990 से पहले कांग्रेस शासन के अन्दर जितनी कच्ची बस्तियों का नियमन हुआ उसके बाद 1990 से 1997 तक इनकी सरकार ने कोई नियमन नहीं किया। आपने नयी सरकार आने के बाद कम से कम 534 कच्ची बस्तियों को बसाने के पट्टे दिये हैं। उस सात साल के पीरियड में कितने दिये हैं, यह जरा बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा है, सन् 1990 से लेकर 1998 तक कोई भी कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया गया है और न ही एक भी पट्टा वितरित किया गया है। (व्यवधान) 1998, सितम्बर में जब तत्कालीन सरकार अपने बिस्तर बांध रही थी तो आखिर में उन्होंने एक आदेश दिया कि कच्ची बस्तियों का नियमन कर दिया जाएगा, यह जानकारी रखते हुए कि एक महीने के बाद विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री जनार्दन गहलोत।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जे.डी.ए. के द्वारा जो नियमन किया गया है वह संख्या कितनी है?

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, उसके लिए कोई कमेटी बनाई है क्या।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री जनार्दन गहलोत।

श्री रामस्वरूप : नियमन की कोई कमेटी बनायी है क्या जिसमें विधायक रखे हैं आपने? ये उपस्थित रहे क्या उसमें?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री जनार्दन।

कैला देवी मेले के अवसर पर परिवहन निगम की बसों में वृद्धि

360. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष कैला देवी मेले के अवसर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को यात्रियों से किराये के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) जयपुर, महुवा, हिण्डौन व गंगापुर सिटी से यात्रियों की सुविधा के लिए करौली जाने बावत कितनी बसें उपलब्ध हैं?

(3) क्या उक्त बसों की कमी को देखते हुए सरकार बसें बढ़ाने का विचार रखती है?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) गत वर्ष कैला देवी मेले के अवसर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को यात्रियों से किराये के रूप में 1,81,82,310.00 रुपयों की राशि प्राप्त हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कोटा में कितनी बस्तियों का नियमन किया? (व्यवधान) जो डवलप्ड बस्तियां हैं उनमें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन मैंने काल कर लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे चुके हैं मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें सवाल पूछना है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह प्रश्न आम जनता से जुड़ा हुआ है।

श्री रामस्वरूप : आप लोग खुद वहां कमेटियों के अन्दर उपस्थित नहीं हुए इसके कारण पट्टे नहीं दिये जा सके और अब आप प्रश्न उठा रहे हो यहां। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, बताओ, उपस्थित हुए क्या कमेटियों में माननीय सदस्य? यह तो बता दो कम से कम आप।

श्री मदन दिलावर : कोटा शहर में कितनी बस्तियों का नियमन किया गया और उन बस्तियों का नाम क्या....(व्यवधान) यह राजस्थान के गरीब लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य कमेटी में हैं? यदि हैं तो कमेटी में ये कभी उपस्थित हुए क्या? जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान) बार-बार बीच में खड़े हो जाते हो। + + +

श्री मदन दिलावर : आज कोटा शहर के हजारों लोगों का क्या करना चाहते हैं, माननीय मंत्रीजी? उनमें कितने लोगों को पट्टे दिये गये? कहां-कहां पट्टे दिये गये? कितनी बस्तियों का नियमन किया गया? यह माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आपने कच्ची बस्ती के नियमन के लिए कोई सर्वे अभियान चलाया था? अगर हां, तो इस सर्वे अभियान के अन्तर्गत आपने कितनी कच्ची बस्तियों को चिह्नित किया था? उसमें कितने पट्टे जारी करना आपने तय किया था और उनमें से कितनी कच्ची बस्तियों को आपने पट्टे जारी किये? आपने अपने उत्तर में आंशिक रूप से कुछ कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी करने की बात कही है तो क्या यह सही है कि बाकी जो लोग कच्ची बस्ती में हैं इनके अलावा भी, उनको पट्टे नहीं मिलेंगे या उनको आप बेदखल करने की योजना रखते हैं? नम्बर दो, क्या यह सही है....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जनार्दन गहलोत : पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, जब मेरा क्वेश्चन आपने आसन से पुकार लिया और मंत्रीजी ने जवाब....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे कृपापूर्वक माननीय अध्यक्षजी ने प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए अलाउ किया है। मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप यह भी बताएं कि क्या एशियन डवलपमेंट बैंक से जो एग्रीमेंट आपने किया है उसमें आपने यह तय किया है कि कच्ची बस्तियों का नियमन जयपुर में नहीं किया जाएगा?

श्री रामस्वरूप : ये कमेटी में गये कि नहीं गये?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, 2,113 कच्ची बस्तियों का सर्वे किया गया और उनमें 2,37,474 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया। सर्वे में उनका नाम दिया गया। लेकिन नियमन योग्य जो बस्तियां थीं वे 1,112 थीं। उनमें जितने सर्वेधारी आ रहे थे उनकी संख्या थी 1,04,688। यानी कि इन 1,04,688 व्यक्तियों को पट्टे दिये जाने चाहिए थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाकी को नहीं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : निकाल लीजिए, इसका मतलब यही होगा कि बाकी को नहीं मिलेंगे। अब उसका कारण क्या रहा? सिर्फ 12,000 पट्टे ही क्यों वितरित हुए? उसके मुख्य कारण मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह थी कि वन भूमि की जमीन थी। वन भूमि की जमीन पर पट्टे हम इसलिए वितरित नहीं कर सकते थे जब तक कि भारत सरकार से उसकी इजाजत नहीं ली जाए, लैण्ड एक्सचेंज नहीं हो जाए।

दूसरी बात यह थी, दूसरा कारण यह रहा कि प्राइवेट लैण्ड्स पर कच्ची बस्तियां बसी हुई थीं जैसे कठपुतली नगर। ऐसी कई बस्तियां थी उनका प्रतिशत भी करीब-करीब 8 परसेंट था जिस पर सरकार पट्टे नहीं दे सकती थी।

तीसरा कारण यह रहा कि करीब 6 परसेंट ऐसी कच्ची बस्तियां थीं जो रेलवे लाइन की सीमा में आती थीं, सड़क सीमा में आती थीं, कब्रिस्तान पर बसी हुई थीं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसी हुई थीं, देवस्थान में बसी हुई थीं, स्कूलों में बसी हुई थीं, अस्पतालों में बसी हुई थीं या किसी दूसरे विभाग की जमीन पर बसी हुई थीं, जहां पर स्वायत्तशासी संस्थाएं पट्टे नहीं दे सकती थीं। और सबसे बड़ा कारण यह रहा कि लोक सभा के चुनाव घोषित हो गये, चुनाव संहिता चालू हो गई। उसके तुरन्त बाद नगरपालिका के चुनाव घोषित हो गये, आचार संहिता चालू हो गई। उसके तुरन्त बाद कर्मचारियों की हड़ताल हो गई। कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान ही पंचायतों के चुनाव हो गये, कर्मचारी कोई अवेलेबल नहीं रहा। आफिसर जितने भी थे वे पंचायतों के इलेक्शन में लग गये। इनके अलावा यह भी एक मुख्य कारण रहा, अध्यक्ष महोदय, कि निर्वाचित

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

प्रतिनिधि जो नगरपालिकाओं के बोर्डों में बैठते थे जिनको यह काम सौंपा गया था उन्होंने भी कोई विशेष रुचि नहीं ली। मैं यह समझता हूं कि उन्होंने विशेष रुचि इसलिए नहीं ली कि वे यह समझते थे कि कांग्रेस गवर्नमैंट का प्रोग्राम है, अगर कच्ची बस्तियों में पट्टे बाटेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। फायदा हमें तो हो गया, नगरपालिका में हमने अच्छी खासी धुनाई कर दी बी.जे.पी. की।

दूसरा जवाब मैं आपको देता हूं, आप यह कहते हैं कि यह काम स्लो क्यों चला।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्वेश्चन का जवाब नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह क्वेश्चन का जवाब है, साहब और काहे का जवाब दे रहा हूं मैं? आपको एतराज है क्या? आप भी प्रश्न कर लें, उसका भी जवाब दे दूंगा। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, लोक सभा में तो हो गई आपकी धुनाई पूरी, यह मान लो ना आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हो गई, यहां आपकी धुनाई हो गई। यहां की बात करो, अपन दूर की बात क्यों करें।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपने स्वयं ने रुचि नहीं ली नियमितीकरण के लिए। जिन कच्ची बस्तियों का नियमितीकरण होगा उसके लिए एक कमेटी बना रखी है जो जिला कलक्टर की अध्यक्षता में है और जिसके सदस्य आप भी हैं। आप चूरू से पधारते ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मीटिंग कलक्टर ने बुलाई हो तो मैं इस्तीफा दे दूं। बात करते हो बिना मतलब की।

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य कमेटी में गये या नहीं गये? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चूरू शहर में जिन कच्ची बस्तियों का सर्वे हुआ और जिनका नियमितीकरण किया जाना था वहां पर 2 बैठकें हुई और दोनों बैठकों में आप पधारे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बैठक नहीं हुई। आप बिलकुल गलत कह रहे हैं। एक बैठक नहीं हुई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 6-12-99 को एक बैठक हुई उसमें आप इत्तला के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इसका मतलब आपकी रुचि नहीं थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक बार भी नहीं बुलाया हम लोगों को कभी किसी कमेटी की मीटिंग में।

श्री रामस्वरूप : आप कमेटी में जाते नहीं और यहां कहते हैं कि आपने नियमन नहीं किया। (व्यवधान) आप कमेटी में जाते नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो एक ही जानना चाहता हूं, आपने अपने उत्तर में यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहा कि 2000 कुछ कच्ची बस्तियों में से 500 कुछ कच्ची बस्तियों को तो आपने चिह्नित कर लिया कि नियमितीकरण योग्य हैं। उनमें भी आंशिक रूप से आपने पट्टे जारी कर दिये। इसका मतलब शेष रही कच्ची बस्तियों का नियमितीकरण आप नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे तो क्या उनको आप उनके स्थान से हटाएंगे?

नम्बर दो, एशियन डवलपमैंट बैंक के साथ जो एग्रीमैंट आपने किया उसमें आपने कहा कि नगर नियोजन का प्रारूप बनाएंगे। क्या उसमें आपने यह नहीं माना है कि कच्ची बस्ती खतरनाक हैं, उनका भविष्य में नियमितीकरण नहीं किया जाएगा? दो बातें बता दें आप, संख्या वाली बता दें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : संख्या वाली मैं बता देता हूं आपको 2,117 जिन कच्ची बस्तियों को सर्वे हुआ है उनमें नियमन योग्य बस्तियां सिर्फ 1,112 मानी गई। जो नहीं मानी गई उनके लिए हमने 21 अक्टूबर, 1999 को एक परिपत्र जारी किया। उस परिपत्र में उन बस्तियों को भी शामिल करने, उन बस्तियों के भी नियमितीकरण का कार्य चालू करने के लिए ये निर्देश दिये कि अगर मान लीजिए कोई कच्ची बस्ती नाले पर आती है तो वहां पर एक कमेटी बना दी गई तीन इंजीनियर्स की पी.डब्ल्यू.डी. के, यू.आई.टी. के और म्युनिसिपैलिटी के इंजीनियर्स यह तय करें कि अगर इस नाले को चैनेलाइज करके कुछ लैण्ड रिक्लेम की जा सकती है और रिक्लेम करके बाकी लोगों को उसी जगह बसाया जा सकता है तो ऐसा काम कर लेना चाहिए। कच्चे व पक्के मकानों का एक डिस्प्यूट था। लोग यह कहते थे कि कच्ची बस्ती में सिर्फ कच्चे मकान हो नियमित किये जाने चाहिए। इस सर्कुलर में हमने यह कहा कि किसी कच्ची बस्ती में अगर पक्के मकान भी हैं तो उनको भी पट्टे दे दिये जाने चाहिए।

दूसरी बात इसमें लिखी थी व्यावसायिक। किसी कच्ची बस्ती में कोई दुकान लगा ली गई है, आंशिक रूप से मकान के आगे तो उसको भी रैगुलराइज करने के लिए हमने इसमें लिखा। चौथी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि सर्वे में मालिक का नाम आ गया लेकिन हमने मालिक को इस परिपत्र के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि मालिक किराया लेता था और किरायेदार वास्तविक नीडी था। तो उस किरायेदार को पट्टा देने के लिए हमने इसमें लिखा है। पांचवां जो पाइंट इसमें लिखा वह लिखा कि पति और पत्नी दोनों का नाम पट्टे में शामिल होना चाहिए। उसके बाद और भी कई ऐसे निर्देश दिये जिससे कि यह उम्मीद की जाती है कि 2,113 कुल कच्ची बस्तियां हैं उनमें करीब-करीब 90 परसेंट कच्ची बस्तियां नियमित हो जाएंगी।

दूसरा सवाल आपका यह था कि ए.डी.बी. के प्रोजैक्ट में कच्ची बस्तियों के बाबत यह कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है। कच्ची बस्तियों को बिलकुल माना गया है। राजस्थान में एक उदाहरण नहीं है कि हमने

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

किसी कच्ची बस्ती को बाई फोर्स खाली करवाया है। अभी-अभी जो केस हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में भी बाकायदा उनको राजी करके और उनको अल्टरनेट लैण्ड देकर, बाकायदा व्हीकल्स लगाकर उनका सामान वहां पहुंचवाया है। उन्होंने कहा, हमारे लिये बिजली का इन्तजाम करो, उनके पहुंचने के पहले-पहले बिजली का इन्तजाम किया है। उन्होंने कहा, पानी का इन्तजाम करो, हमने ट्यूब वैल लगाकर उनके पहुंचने के पहले पानी का इन्तजाम किया है। कोई एक कच्ची बस्ती का उदाहरण दे दें जिसको कि हमने डिस्पोज आफ किया हो या जिसको हमने छेड़ा हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय सीमा बता दें, कब तक कर देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका सहयोग रहा, आप नियमितीकरण की बैठकें बराबर करते रहे तो यह काम जल्दी निपट जाएगा।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में आरोग्य नगर में लोगों को बसाया है। कोटा रजनबाड़ी रोड पर 5-5 हजार रुपये उन गरीब लोगों से लेकर बसाया है और 5 लाख रुपये की सूचना सचिव...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जनार्दन गहलोत।

श्री मदन दिलावर : 5 लाख रुपये गरीब लोगों से...(व्यवधान) बटोरे गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अभी माननीय मंत्री महोदय ने ए.डी.बी. से जो एग्रीमैंट किया है उसका संदर्भ दिया है। मैंने कल मुख्य मंत्रीजी को पत्र भी लिखा है कि इसकी डिबेट हो उसके पहले पहले ए.डी.बी. के साथ आपका क्या एग्रीमैंट हुआ उस एग्रीमैंट की कापी उपलब्ध करवाई जाए। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी भी हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी हैं और उन्होंने इस प्रश्न के सम्बन्ध में उसका सन्दर्भ भी दिया है, वह कापी हमें उपलब्ध करवा दें ताकि आज की डिबेट में उसका....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप समय फरमा दें मैं लेकर घर पहुंच जाउंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज ही चाहिए। दे दो कापी पड़ी है आपके पास। कापी आपके पास पड़ी है मुझे दे दो।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) गत वर्ष कैला देवी मेले के अवसर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को यात्रियों से किराये के रूप में, 1,81,82,310.00 रुपयों की राशि प्राप्त हुई।

(2) यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर, महुवा, हिण्डौन एवं गंगापुर सिटी से करौली तक होकर जाने वाली निगम की बस सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

1.	जयपुर-करौली वाया महुवा-हिण्डौन	5 बसें
2.	जयपुर-करौली वाया गंगापुर सिटी	4 बसें
3.	महुवा-करौली वाया हिण्डौन	8 बसें
4.	हिण्डौन-करौली	48 बसें
5.	गंगापुर सिटी-करौली	20 बसें

(3) वर्तमान में भाग संख्या-2 में वर्णित मार्गों पर बसों का पर्याप्त संचालन है।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैला देवी मेले के अवसर पर पिछली बार राजस्थान रोडवेज को 1,81,72,310.00 रुपये की आमदनी हुई है और मैं सोचता हूं इस वर्ष भी मेले के अन्दर इनकी आमदनी दो करोड़ से कम नहीं है। जब इतनी राजस्व उस इलाके से आपको मिलती है उसके बावजूद आपकी जो बसें चल रही हैं वे इस प्रकार खराब हालत में हैं। व्यवस्था कंडम है, टायर फटे पड़े हैं, बार-बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कई बसों के शीशे टूटे पड़े हैं, मतलब इतनी चरमरायी हालत की बसें उस इलाके में चल रही हैं। पहली बात तो मुझे आपसे यह कहनी है।

दूसरी बात आपने कहा है कि हिण्डौन और करौली से 48 बसें चलती हैं। लेकिन आज हिण्डौन और करौली के बीच में सात बजे के बाद एक भी बस उपलब्ध नहीं है। कैसे आदमी जाएगा? सात बजे बाद आपका डिपो वहां से कोई बस नहीं चला रहा। मासलपुर से दिल्ली की बस चली थी वह आपने बंद कर दी। मासलपुर में पान पैदा होता है, सीधी बस से पूरी सवारियां उपलब्ध होती थीं लेकिन वह बस बंद कर दी गयी।

माननीय यातायात मंत्रीजी, आप जो संख्या बता रहे हो, संख्या की दृष्टि से तो आपने फिगर ठीक दे दी लेकिन उसमें हालत इतनी खराब है ब्रेक डाउन इतनी रहती हैं कि जहां 20 चला रहे हैं वहां 10 की ही पूरी पूर्ति नहीं होती। रिकार्ड में 20 हैं लेकिन वहां पूर्ती 10 की भी नहीं होती। आपने एक कमेटी के अन्दर इस बात का फैसला किया था। आप देखिये, दौसा से महुवा के बीच में, महुआ से लेकर हिण्डौन के बीच में जगह-जगह जुगाड़ चल रहे हैं जो कि नाजायज रूप से चल रहे हैं। सरकार उसको रोकने के लिए क्या कर रही है? ओवर लोड प्राइवेट जीपें चल रही हैं। आपकी बसों की अगर पूर्ति होती तो इतनी बड़ी संख्या में जीपें नहीं चल रही होतीं। इसलिए अब आप तो बसें बढ़ाइयें ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि करौली जिला बन चुका, आपकी आज करौली से नादौती कोई बस नहीं है। सीधी सेवा करौली से टोडाभीम कोई बस नहीं है। कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर तो सीधी बसें जाने की आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री जनार्दन गहलोत)

ये सारी बातें खास तौर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिला हैडक्वार्टर से तहसील हैडक्वार्टर की बसें नहीं है। क्या आप इन बसों को बढ़ाने की और अच्छी बस लगाने की कोई नीयत रखते हैं वहां की सुविधा के लिए, क्योंकि यह इलाका आपको राजस्व देता है, घाटे में नहीं है रेवदर की जैसे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय जनार्दनजी गहलोत साहब का मैं सम्मान करता हूं जिन्होंने कहा कि हमें 1,81,00,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी एक महीने में। कैला देवी मेले में जो राशि प्राप्त हुई है उसमें लाभ 97.5 लाख का हुआ है, बाकी ओवर हैड चार्जेज में खर्च हुआ है। इस साल हमें 1,30,00,000 रुपये की आय होने की पूरी उम्मीद है जो इन्होंने अपनी समस्या रखी कि बसें नाकारा हैं या खराब हैं या पूरा संचालन नहीं हो रहा है, मैं इसे अवश्य दिखवा लूंगा। हमने 500 बसें इस साल खरीदी हैं, उसके रिप्लेसमैंट कराने की जल्दी से हिदायत दे रहा हूं। जल्दी से जल्दी जो भी नाकार बस हैं वे रिप्लेस हो जाएंगी।

इसके साथ जो आपने फरमाया करौली से नादौती और टोडाभीम मार्ग पर बस चलाने के लिए, यह भी मैं सुनिश्चित करूंगा कि अगर आपके वहां वायबल है और टोडाभीम और नादौती जाने वाले पैसेंजर्स ज्यादा मिलेंगे तो बस चलाने में हमें कोई असुविधा नहीं है बशर्ते कि वह पंचम अध्याय का रूप न ले। अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम, नादौती में इतने यात्री हैं आपके लिए। वहां प्राइवेट बसें चल रही हैं, अवैध साधन चल रहे हैं, लेकिन आपकी रोडवेज नहीं चल रही। दो रोडवेज चलीं, दोनों ही बंद कर दीं आपने। मेहरबानी करके आप दोनों रोडवेजों को चला दो। यात्रियों की तो कमी नहीं है, इतने लोग जिला हैडक्वार्टर पर जाते हैं, मेले में जाते हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपके क्षेत्र में जाने वालों के लिए बस जरूर चालू करवा देंगे। आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी बसें...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय मंत्रीजी, इसमें सपोटरा और जोड़ लीजिये। जिला हैडक्वार्टर से मैंने कहा, सभी तहसील हैडक्वार्टर की बात उसमें सपोटरा की ही परेशानियां हैं। करौली से सपोटरा और सपोटरा से करौली आने में कठिनाई है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे यहां नाकारा मत लगाना। मेरे तो नयी बसें जो आप दे रहे हैं वे लगाना। माननीय सदस्य कह रहे हैं नाकारा लगाएंगे, टोडाभीम, नादौती में नयी बसें लगाना।

श्री छोगाराम बाकोलिया : पूरी समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहो।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने फरमाया है कि जुगाड़ और ओवर लोडेड बसें वहां

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

अधिकतर चलती हैं। मैं पूर्णतया सुनिश्चित करूंगा कि जो जुगाड़ और ओवर लोड बसें, जीपें, चल रही हैं उन पर कारगर कदम उठा करके जीपों को रूकवाया जाए ताकि वे अननैसेसरी कलैन्डेस्टाइन आपरेशन नहीं करें।

दूसरा निवेदन है कि वे रेवदर से चिंतित हैं कि वहां नुकसान हो रहा है। अभी एक महीने पहले एक मार्च को तो हमने शुरू किया और केवल मात्र 5,000 रुपये के किराये पर एक भवन लिया है। वहां एक करोड़ की और दूसरी जो नाजायज बात करके कहते हैं कि घाटा हो रहा है, एक महीने में, मान्यवर, कोई एक करोड़ का घाटा नहीं है। (व्यवधान) ये स्वयं कहें या कोई भी कहे...(व्यवधान) एक महीने में कोई एक करोड़ का चूना नहीं लगाया है, यह माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं। (व्यवधान) केवल मात्र पांच हजार रुपये...(व्यवधान) सुनिये... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह रेवदर की बात कहां आ गयी? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय को ध्यान नहीं है, आप...(व्यवधान) कर रहे हो सवा लाख रुपया। कितनी...(व्यवधान) है वह भी बता देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैला देवी मेले की बात चल रही है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मिसलीडिंग आफ द हाउस में विश्वास नहीं करता हूं। एक...(व्यवधान) खोलने से पचास लाख का प्रोफिट होगा। केवल मात्र एक डिपो मैनेजर लगा और बाकी की बसें वहां से ट्रांसफर करके लगायी हैं, स्टाफ भी ट्रांसफर करके लगाया है। कहां से एक्स्ट्रा एक्सपैंडीचर आ गया? यह आपका कैलकुलेशन मेरे खयाल से बिलकुल तथ्य से परे हैं (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं सारी बात रख दूं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, यह सप्लीमेंटरी तो आप पूर्व में पूछ चुके हैं। (व्यवधान) करें सब...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वे रेवदर का जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रेवदर का यहां पर आपका प्रश्न नहीं है, यहां तो कैला देवी का मामला है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने...(व्यवधान) अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रेवदर में तो रोडवेज का डिपो खोल दिया जबकि आज भी राजस्थान में कई जिले सवाईमाधोपुर और ऐसे हैं जहां आज तक रोडवेज का डिपो नहीं है। जिला हैडक्वार्टर पर है और इन्होंने अपने यहां रेवदर के अन्दर सारी जगह की तोड़-मरोड़ करके खोल दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका इससे सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न सिर्फ यहां...(व्यवधान) पहले आप

(श्री अध्यक्ष)

कई अनुपूरक सूचना पूछ चुके हैं।... (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) श्री खेमराज कटारा। नैक्स्ट क्वेश्चन...(व्यवधान) बैठिये, दिलावरजी (व्यवधान) बैठिये आप।

खनन क्षेत्र के शेष एरिया पर अतिक्रमण

361. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) खनन पट्टों के आबंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को कितने प्रतिशत आबंटन करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या सरकार खनन आबंटन में आरक्षण करने का विचार रखती है?

(2) क्या दो खानों के बीच गैप एरिया पर अतिक्रमण हो रहे हैं? क्या इनके आबंटन की सरकार के पास कोई नीति है? यदि नहीं, तो उक्त नीति कब तक लागू हो जाएगी?

(3) गैप एरिया में हो रहे अवैध खनन को रोकने की सरकार के पास क्या योजना है?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) खनन पट्टों के आबंटन में मार्बल नीति व ग्रेनाइट नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये 20 प्रतिशत प्लाट (राजकीय भूमि में) नयी बाउंड्रियों के डेलिनिएशन के समय आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। क्वारी लाइसेंस स्वीकृत करने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वयं खनन कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्य व्यक्तियों के लिये 20 प्रतिशत प्लाट आरक्षित किये जाने का प्रावधान है।

(2) गैप क्षेत्रों में अतिक्रमण के कोई मामले वर्तमान में विभाग की जानकारी में नहीं हैं। गैप क्षेत्रों के आबंटन की राज्य सरकार की नीति दिनांक 27.2.88 से प्रभावी है।

(3) गैप एरिया में होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) एक्ट, 1957 की धारा 21 तथा अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 में पर्याप्त प्रावधान हैं तथा विभागीय अधिकारियों को अवैध खनन रोकने के मामलों में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश हैं।

श्री खेमराज कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लिये 10 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण है, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अभी मौजूदा पट्टेधारी हैं? क्या वे सभी अभी मौजूदा स्थिति में खुद खनन कार्य कर रहे हैं। दूसरा मंत्रीजी ने बताया है कि 27.2.88 से गैप एरिया आबंटन की नीति लागू है। कितने खननधारियों को अभी तक गैप एरिया माइन्स अलॉट हुई है? अगर

(श्री खेमराज कटारा)

इस समय में एक भी गैप एरिया आवंटन नहीं हुआ है तो कितनी राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है? तीसरा, मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि गैप एरिया में होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए खनन एवं खनिज विकास विनियमन एक्ट, 1957 की धारा 21 के तहत इसको रोकने का प्रावधान है। उन्होंने भ्रमित करने वाले उत्तर दिये हैं एक तरफ उन्होंने कहा है कि हमारी जानकारी में नहीं है, दूसरी तरफ कहा है कि 27.2.88 से इसकी नीति बना रखी है। यह भ्रमित करने वाला जवाब है। इसलिए मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व हानि को रोकने के लिए इसका कोई डिटेल सर्वे कराएंगे और अपने आबंटित इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में जो पट्टेधारी लोग काम कर रहे हैं, चोरी के रूप में खनन कार्य कर रहे हैं उसको रोकने का कोई प्रावधान या कोई ठोस कदम सरकार उठाएगी?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल तो यह पूछा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कितने अप्रधान खनिज मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 295 एस.सी. के लोगों को और 303 एस.टी. के लोगों को माइंस लीज दी गयी हैं और अनुसूचित जाति के 3815 और अनुसूचित जनजाति के 1441 लोगों को क्वारी लाइसेंस दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक गैप एरिया के आवंटन का सवाल है, 27.2.88 की नीति में स्पष्ट है कि दो तरह के गैप एरिया हैं। एक तो हमारे सैण्ड स्टोन क्षेत्र में आते हैं और एक मार्बल क्षेत्र में गैप एरिया आते हैं। मार्बल क्षेत्र में हमने एक लिमिटेशन रखी हुई है कि एक हैक्टेयर से नीचे का कोई गेप एरिया है तो उसकी जो दो पड़ोसी हैं उनमें नीलामी होगी और एक हैक्टेयर से ऊपर यदि कोई गैप एरिया है तो उसमें ओपन ऑक्शन होगा जिसमें उस एरिये का कोई भी आकर बोली लगा सकता है। यह मार्बल नीति में और ग्रेनाइट नीति में है। सैण्ड स्टोन में 25 परसेंट, 50 परसेंट से नीचे की यदि कोई लैण्ड गैप एरिया है तो उसमें दोनों पड़ौसियों के बीच में नीलामी होगी और 50 से ऊपर कोई गैप एरिया है तो ओपन ऑक्शन होगा कि कोई भी आकर बोली लगा सकता है। यह हमारी जो 27.2.88 की पालिसी बनी हुई है उसमें साफ प्रावधान है।

जहां तक राजस्व घाटे का सवाल है, करीब 265 हमारे गैप एरिया हैं और उन गैप एरियाज में हमारे सामने कुछ परेशानियां हैं। गैप एरिया में कुछ लोग कोर्ट में चले गये हैं क्योंकि आपसी मनमुटाव है या फिर वन क्षेत्र में कुछ गैप एरिया पड़ गया है। या फिर गैप एरिया तो है और दो पड़ोसियों के बीच में है लेकिन उसमें खनिज उपलब्ध नहीं है, जहां सैण्ड स्टोन है वहां सैण्ड स्टोन अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध नहीं है या जहां मार्बल और ग्रेनाइट है वहां वह उपलब्ध नहीं है। इस वजह से भी बोलीदाता नहीं आते हैं। जहां बोलीदाता आये वहां आपस के झगड़े में

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

लोग कोर्ट केस में चले गये। इस वजह से मैं यह नहीं कह सकता हूं कि राजस्व हानि हुई है। राजस्व हानि का कोई सवाल नहीं है।

गैप एरिया के लिए मैंने एक कमेटी बनाई है जिसमें सीनियर जियोलोजिस्ट होगा, वहां का एमई.होगा, एस.एमई. होगा। ये सारे लोग जितने हमारे गैप एरिया हैं उन सबका वैरीफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे कि उसमें कितना, किस तरह का मिनरल है। सैण्ड स्टोन में भी जाएंगे और मार्बल में भी जाएंगे, सारे एरिया को एग्जामिन करेंगे। हम जल्दी ही करीब 265-70 गैप एरिया हैं जो अभी बाकी पड़े हैं, उनको आबंटित करने की कार्यवाही करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं उनको भी सुलझा लें। (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया है कि अनुसूचित जाति के 295 और अनुसूचित जनजाति के 303 व्यक्तियों को माइंस आबंटित की हैं। मेरा सवाल यह है कि जिन व्यक्तियों के नाम पर माइंस हैं क्या वे स्वयं उसमें खनन कर रहे हैं या वे बेनामी चल रही हैं?

दूसरा सवाल यह है कि गैप एरिया वह एरिया है जो दो माइंस के बीच उसमें लोग अपनी नाप का जो इलाका है, जहां उनकी बाउन्ड्री है उसको छोड़कर अवैध खनन कर रहे हैं। उसको रोकने का क्या उपाय कर रहे हैं? ये मेरे दो मुख्य सवाल हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि बेनामी का तो कोई मापदंड नहीं है। अब नाम किसी के है और काम कोई कर रहा है तो उसकी सहमति के बिना तो कोई काम कर नहीं सकता है। बहुत सी एग्रीकल्चर लैण्ड ऐसी हैं जिसमें नाम तो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और कास्त सवर्ण जाति का व्यक्ति कर रहा है। लेकिन वह उसकी सहमति से ही कर रहा है। जहां मनमुटाव आएगा, झगड़ा आएगा, नैचुरल ही वह हमारे विभाग के पास आएगा निपटाने के लिए। उसमें मैं नहीं कह सकता कि बेनामी कितने मामले चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वह आपसी सहमति का सवाल है।

जहां तक अवैध खनन रोकने का सवाल है, मैंने पहले भी कहा था और डिमांड के समय भी कहा था कि भारत सरकार का एम.एम.आर.डी. एक्ट, 1957 जो बना हुआ है उसके 21 (1) में साफ प्रावधान है कि यदि कोई इल्लीगल माइनिंग करता है तो उसमें छापा लगेगा। हमने 2,400 मामले पिछली बार पकड़े हैं और 150 लाख की रेवेन्यू हमने अवैध खनन की अर्जित की है। इस प्रकार से एम.एम.आर.डी.एक्ट, 1957 के तहत यह साफ व्यवस्था है कि यदि अवैध खनन पाया जाता है तो दो वर्ष की सजा और 25 हजार जुर्माना किया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे अप्रधान खनिज हैं, एम.एम.आर.सी.एक्ट, 1986 की धारा 48 में साफ प्रावधान है कि अवैध खनन करने

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

वालों को हम सजा देंगे। वह मैंने इनको दे दिया है...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) श्रीमती शान्ति पहाड़िया। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : हाथ खड़ा कर रखा था...(व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : इस कोटे में कोई महिलाओं का भी प्रावधान रखा है क्या, यह मैं पूछना चाहती हूं। अगर रखा है तो कितना रिजर्वेशन है? या कोई कोटा अलग से दिया जाएगा?

श्री रघुवीर सिंह : एक साथ जवाब दे देंगे सभी का।

श्री अध्यक्ष : बाद में बात करना।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति आएगा या महिलाएं आएंगी तो उनको रोकेंगे थोड़े ही, जो प्रावधान रखा है उसी से देंगे... (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : मैं तो महिलाओं के लिए कह रही हूं कि महिलाओं के लिए भी रखा जाएगा इस तरह...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : महिलाओं के लिए आपने कितना कोटा निर्धारित किया है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : महिलाओं में अलग से कोई आरक्षण नहीं है। ... (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि सपोटरा तहसील में कितने एस.सी. और कितने एस.टी. को इन्होंने खान आबंटित की है और कितनी वैद्य और कितनी अवैद्य खान चल रही हैं, जरा बताने का कष्ट करें।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले तो जो 10 तारीख को डिमांड आयी थी उस दिन पूछते तो अच्छा रहता क्योंकि उस दिन पूरी तैयारी थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अलग है। श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह कहा है कि 20 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा एस.सी. और एस.टी. के लोगों के लिए है। मंत्रीजी तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मंत्रीजी तो सुन ही नहीं रहे हैं कौन जवाब देगा?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री रामस्वरूप : एस.सी., एस.टी. का मामला है, ध्यान से सुनें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रीन मार्बल पर पूछना चाहूंगा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तीन जिलों में कुल कितनी खानें हैं और एस.सी., एस.टी. के लोगों की कितनी खानें हैं? आपने यह बताया है कि 295 एस.सी. की हैं और 303 एस.टी. की हैं। अब इसमें कौनसी ग्रीन मार्बल की हैं, कौनसी व्हाइट मार्बल की हैं, या कौनसी मैसेनरी स्टोन की हैं, कोई आइडेंटीफाइड नहीं है। व्हाइट और पिंक ग्रीन तीन तरह के मार्बल उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निकलते हैं, इनमें कितनी खानें एस.टी., एस.सी. के लोगों की हैं, वह आप बता दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरे पास बायफरकेशन तो है नहीं, अलग-अलग लेकिन टोटल मैंने आपको बता दिया। आप बाद में बता देना, मैं बता दूंगा।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नीतिगत बात पूछना चाहता था। आपने कहा कि—

श्री जगत सिंह दायमा : तीन सप्लीमेंट्री सवाल आये हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : मेरा इसके अंदर कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : तीन आये हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : मेरा खुद का प्रश्न था। आपको फैसला करना है या आसन को करना है?

श्री जगत सिंह दायमा : हम भी करेंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पट्टे देने का प्रश्न है, सरकार की जो भी नीति है उससे हम सहमत हैं लेकिन प्रश्न यह है कि कई इलाके सरेण्डर हो जाते हैं। जैसा पहले नीति के अंदर था, 20 हैक्टेयर आ जाता है, उसके बाद नीतिगत रूप से एरिया छोड़ना पड़ता था। छोड़ने के बाद उस एरिया की कोई नीलामी नहीं होने से अवैध खनन कार्य हो रहे हैं। मैं मेरे इलाके के कई उदाहरण दे सकता हूं जहां एरिया सरेण्डर हो गया है और वहां लोग नाजायज तौर पर खनन कार्य कर रहे हैं। इससे राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए एक प्रश्न तो यह है कि आप उन पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

माननीय देवपुराजी जब माइंस मिनिस्टर थे उसके पहले की बात है, तब नियम दूसरा था लेकिन 1995 में आपने नियम बना दिया कि पट्टाधारी को अगर काश्तकार की जमीन है तो उससे एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी, अगर सिवाय चक जमीन है तो भी एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी। इस नीति का नतीजा यह हुआ कि आप जिसको पट्टा देते हैं वह आदमी और दूसरा आदमी उसमें माइनिंग करता है तो सीधे नाजायज काम करना पड़ता है, क्योंकि काश्तकार एन.ओ.सी. देगा नहीं। इसका मतलब आपने जिसको पट्टा दे रखा है, एन.ओ.सी. काश्तकार उसको देगा नहीं और काम उस एरिये में उसके नाम से वह करेगा। इसको

(श्री जनार्दन गहलोत)

रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इस नीति का नतीजा यह है कि जमीन का जो मालिक बैठा है उसकी एन.ओ.सी. आवश्यक हो गई है और एन.ओ.सी. दिए बिना वह आपको काम करने नहीं देगा। आपने पट्टा दे रखा है तो एन.ओ.सी. उसके नाम से, डबल पैसे कमा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लिया।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि पट्टाधारियों के अलावा भी जो लोग अवैध खनन कार्य कर रहे हैं उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी पूछा था और अब भी पूछ रही हूं कि अवैध खनन से नहरों में क्रेक्स आ रहे हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है, साथ ही वन क्षेत्र की भूमि नष्ट हो रही है, इसे कब तक रोक दिया जाएगा?

श्री रामस्वरूप : करौली जिले में सबसे ज्यादा खनन कार्य हो रहा है अवैध रूप से, क्या मंत्रीजी उसको रोकेंगे?

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के अन्तर्गत जो पट्टे दिए जाते हैं उनमें माइनर मिनरल के लिए तो बता दिया कि एस.सी., एस.टी. के लिए रिजर्वेशन होता है, क्या मेजर मिनरल के अंदर भी पट्टे देने में एस.सी., एस.टी. के लिए रिजर्वेशन है, यह बताने का कष्ट करें। मेजर मिनरल सोप स्टोन, व्हाइट क्ले, सिलिकॉन आदि के पट्टे दिए जाते हैं उनमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेजर मिनरल में अभी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद : मेजर में नहीं है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं।

श्री दुर्गाप्रसाद : ठीक, नहीं है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : गरीब लोगों के लिए मेजर के लिए भी करें।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, बाड़ी में 40 प्रतिशत लोग एस.सी., एस.टी के रहते हैं, वहां कितने लोगों को अब तक पट्टे दिए हैं, यह जानना चाहता हूं। अगर नहीं दिए हैं तो क्या भविष्य में सरकार की कोई योजना है या इसी तरह बंधुआ मजदूर बनकर काम करते रहेंगे?

श्री हीरालाल इन्दौरा : बाड़ी का प्रश्न जब लगाएंगे तब आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बाड़ी का प्रश्न अलग है, आप अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि

362. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगत सिंह दायमा)

(1) जनवरी, 1997 से फरवरी, 2000 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों पर अत्याचार की कुल कितनी घटनाएं घटीं/हुई? उनका स्वरूप क्या था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि के दौरान उक्त वर्गों पर अत्याचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस प्रकार के मामलों में न्याय दिलाने में पूरी तरह से असफल रही है?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जनवरी, 1997 से फरवरी, 2000 तक अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों पर अत्याचार के कुल 21,428 अभियोग दर्ज हुए। दर्ज अभियोगों का शीर्षकवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1997 से फरवरी, 2000 के दौरान इस तरह के अपराधों में वृद्धि न होकर उत्तरोत्तर कमी हुई है। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि इस तरह के अपराधों में न्याय दिलाने में राज्य सरकार असफल रही है। वर्ष 1997 में दर्ज कुल अभियोग 6,998 हुए हैं, अनुसंधान के उपरान्त इनमें से 3,237 अपराधों में चालान हुआ एवं 3,689 अपराधों में एफ.आर. अदमवकू दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 1998 में कुल 6,859 अपराध दर्ज हुए, जिनमें अनुसंधान के उपरान्त 2,916 अपराधों में चालान एवं 3,464 अपराधों में एफ.आर. अदमवकू दिया गया। वर्ष 1999 में कुल 6,838 अपराध दर्ज हुए, जिनमें से अनुसंधान के उपरान्त 2,945 अपराधों में चालान एवं 3,348 अपराधों में एफ.आर. अदमवकू दिया गया। इसी प्रकार माह जनवरी-फरवरी, 2000 में कुल अपराध 733 दर्ज हुए, जिनमें अनुसंधान के उपरान्त 58 अपराधों में चालान एवं 103 अपराध अदमवकू दिया गया है। शेष 572 अपराध माह के अंत में अन्वेषणाधीन रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने में पूर्णतया सफल रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इस मनुवादी युग में एक तो आम महिला जिसके साथ अत्याचार होते हैं विशेषकर बलात्कार जैसे मामलों में, बड़ी मुश्किल से वह साहस करती है कि जाकर थाने में अपराधियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराए। एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने के बावजूद ऐसे जघन्य अपराधों में हत्या के मामले 62 हुए 97 में, जिसमें से चालान 47 का, अदम पैरवी में एफ.आर. लगी 13 में, पैंडिंग 2 रहे।

अध्यक्ष महोदय, यह एक नई चीज लाएं हैं, चालानी प्रतिशत, शत प्रतिशत। हत्या 62 में हुई और इनका चालानी

(श्री जगत सिंह दायमा)

प्रतिशत आता है शत-प्रतिशत। पता नहीं यह वर्ड कहां से ढूंढ लाए हैं। बलात्कार काण्ड, 1997 में 199, 1998 में 165 और 1999 में 175, इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जो पैंडिंग रखे हैं और जो प्रतिशत दिखाया है, टोटल इनके ऊपर जो केस दर्ज हुए हैं, उनमें सिर्फ 40 प्रतिशत में आपने चालान किए हैं और 60 प्रतिशत में चालान नहीं हुए हैं। मैं मुख्यतया यह कहना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी कि यह बड़ा गरीब तबका है और मनुवादी व्यवस्था में खड़ा भी नहीं हो पाया है, बड़ी मुश्किल से अपने साक्ष्य जुटाता है, आपके राज के प्रतिशत और बीजेपी. के राज के प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। सिर्फ 40 प्रतिशत में चालान हो रहे हैं। इसका मतलब कि एससी. के लोग, एसटी. के लोग झूठे हैं? उन पर ये केस गलत लगाए गए हैं? माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, 1997 से लेकर अब तक क्या आप ऐसे मामलों की एफ.आर. को दुबारा खुलवाएंगे, रीओपन करेंगे, रीइन्वेस्टीगेशन करेंगे? यह मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं, बताइए।

(12.00 बजे मध्याह्न)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछ लूं थोड़ा-सा। जवाब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने जो जवाब दिया इस जवाब से अपने आप स्पष्ट है कि 1997 में भारतीय दण्ड संहिताओं में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं एससी.एसटी. के उनमें पैंडिंग 48 थे और एससी/एसटी. एट्रोसिटी एक्ट के 10 थे। लेकिन 1998-99 और 2000 का आप अवलोकन करें, 1998 में अन्य धाराओं के जो मामले हैं वे 380 पैंडिंग हैं और एससी/एसटी. एट्रोसिटी एक्ट में जो हुए वे 47 हैं। 1999 की स्थिति आप देखिए जब आप राज में आये, अन्य भारतीय दण्ड संहिताओं में जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें 345 पैंडिंग हैं और एससी./एसटी. एट्रोसिटी के मामले दलित वर्ग को घोड़ी से उतारने, अपमानित करने, मारपीट करने के 147 केस पैंडिंग हैं और 2000 तो अभी शुरू हुआ है, दो महीने के अंदर स्थिति यह है कि अन्य भारतीय दण्ड संहिताओं के 397 केस पैंडिंग हैं और एससी./एसटी. एट्रोसिटी एक्ट के 109 मामले आपके पास पैंडिंग हैं। मैं अध्यक्ष महोदय के जरिये आपसे यह जानना चाहता हूं, इतनी भारी वृद्धि इन पैंडिंग केसों में हो रही है इसमें आप कब तक कार्यवाही करेंगे और इस दलित समाज के लोगों को न्याय दिला देंगे, कृपया बता दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जो अपराध दर्ज हुए हैं उनमें जो चालान किये गये हैं और जो एफ.आर. अदमवकू दी गई हैं और जो एफ.आर. अदम सबूत दी गई हैं उनका विवरण सदन के पटल पर रखा है। इनके हिसाब से 62

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

में से 47 का चालान किया गया, 13 एफ.आर. अदमवकू और 2 एफ.आर. अदम सबूत दी गई हैं। इसके मेन कारण क्या होते हैं कि जो शिकायत दर्ज कराता है उसके ऊपर इंवेस्टिगेशन के दौरान किसी तरह का प्रभाव पड़ता है और वह अपने बयान से मुकर जाता है या बयान से इधर-उधर हो जाता है, उसकी वजह से हम पूरी तरह से इंवेस्टिगेशन करके चालान नहीं दे पा रहे हैं।

वर्ष 2000 के जो मामले पैंडिंग हैं उनके संबंध में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनका शीघ्रातिशीघ्र अनुसंधान करके चालान पेश करके....

मोहम्मद माहिर आज़ाद : 99 के बहुत ज्यादा हैं। 99 के 345 तो अन्य संहिताओं के और 147 एट्रोसिटी एक्ट के-हैं। आपके आंकड़ों के हिसाब से बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो पूरा आ जाने देते।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा सवाल है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, राजस्थान के एस.सी., एस.टी. का सवाल है, माननीय मंत्रीजी का जवाब पूरा जा रहा था, आपने जवाब नहीं आने दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। एस.सी., एस.टी. के मामले में भी....

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब तो पूरा करने देते। प्रश्न दूसरा नहीं पुकार रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दिया है। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा तो हमेशा होता रहा है, अध्यक्ष महोदय। प्रश्न आपने पुकार लिया और मंत्रीजी ने उत्तर नहीं दिया तब तक चला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी का उत्तर तो पूरा होने देते कम से कम, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान के दलित समाज में इसका गलत मैसेज जाएगा।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है। माहिर आजाद, इन्होंने उत्तर दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : दलित समाज में गलत मैसेज जाएगा कि आपने पूरा उत्तर सुने बिना ही इसको स्थगित कर दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : सदन में जब एस.सी. और एस.टी. के....

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका जवाब पूरा हो जाने दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब तो पूरा हो जाने दें। जवाब पूरा होने दें।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब पूरा हो जाने दें, साहब।

श्री अध्यक्ष : जवाब हो गया। दे दिया जवाब उन्होने। आप, दायमाजी, बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जब ए.सी.आर. के मामले....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री जगत सिंह दायमा : जब दुबारा से इनका रिइंवैस्टिगेशन हो सकता है तो इनके मामले में रिइंवैस्टिगेशन नहीं हो सकता? इनकी जांच नहीं हो सकती दुबारा से?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, अब आप कहोगे तो मैं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष : दायमा जी, बैठिए, बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : अब अगर एस.सी., एस.टी. के लिए भी इस तरह की व्यवस्था है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपसे।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

भरतपुर चम्बल लिफ्ट योजना से विधान सभा क्षेत्र डीग में पेयजल आपूर्ति

357. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष सरकार ने भरतपुर चम्बल लिफ्ट पेयजल योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा है? उक्त योजना को कब तक पूर्ण करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना से विधान सभा क्षेत्र डीग (भरतपुर) को पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त योजना पर कब से कार्य शुरू करने का विचार है?

उत्तर

(1) भरतपुर चम्बल लिफ्ट पेयजल योजना धौलपुर व भरतपुर जिले के 999 गांव व 5 कस्बों के लिए पिछले वर्ष 166.50 करोड़ लागत की स्वीकृति हुई थी। इस योजना पर इस वर्ष में 15 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है। जिसके तहत धौलपुर से भरतपुर तक पाइप लाइन व फिल्टर प्लांट का कार्य प्रस्तावित है। यह लिफ्ट योजना विभिन्न चरणों में प्रस्तावित है। प्रथम चरण के प्रथम भाग को वर्ष

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

2004-2005 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी, हां। इस योजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग में डीग विधान सभा क्षेत्र के सभी 135 गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के प्रथम भाग के पूर्ण होने पर द्वितीय भाग का कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की निर्माणाधीन कृषि उपज मण्डी

358. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में नई कृषि उपज मण्डी का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त मण्डी के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

(2) उक्त मण्डी निर्माण के लिए कितनी भूमि किस-किस काश्तकार की अवाप्त की गई? क्या सभी काश्तकारों को मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो कितने काश्तकार शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कृषि उपज मण्डी में कितनी दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है?

(4) क्या सरकार उक्त कृषि उपज मण्डी में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को दुकानों का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत?

उत्तर

(1) जी, हां। मुख्य मण्डी यार्ड हिण्डौन के लिए मण्डी परियोजना के निर्माण हेतु 536.66 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है।

(2) भूमि अवाप्ति तथा मुआवजे का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) दुकानों का प्रस्तावित निर्माण का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर नगर निगम के वार्ड सं.-17 की खराब रोड लाइटें

434. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के वार्ड नं.-17 की नन्दपुरी-सी कालोनी के निवासियों द्वारा खराब रोड लाइटें चालू कराने हेतु शिकायतें की हैं? यदि हां, तो कब-कब और कुल कितनी बार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सहदेव शर्मा)

(2) क्या उक्त कालोनी की खराब रोड लाइटें अब चालू कर दी गई हैं? क्या लम्बे अन्तराल के बाद भी अब उक्त लाइटों को चालू नहीं किया गया? अब कब तक ठीक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थान की रोड लाइटों को ठीक कराने सम्बन्धी बार-बार दर्ज शिकायतों के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है।

(4) क्या सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायतों का विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। आयुक्त, नगर निगम ने उक्त लाइटों को चालू करवाये जाने की जानकारी दी है।

(3) जी, नहीं।

(4) भाग संख्या-3 के उत्तर के पश्चात् दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका सादड़ी व रानी द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

435. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी की नगरपालिका सादड़ी व रानी के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये गये और उन पर कितनी राशि व्यय की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिकाओं में गत पांच वर्षों में कितने भू-खण्ड किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि लेकर दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी की नगरपालिका सादड़ी एवं रानी के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत किये गये कार्यों और उन पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(2) नगरपालिका रानी एवं सादड़ी में गत पांच वर्षों में किसी भी व्यक्ति को कोई भू-खण्ड नहीं दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

स्टेच्यू सर्किल से नवीन विधान सभा भवन तक की सड़क मरम्मत

436. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री हीरालाल सहरिया)

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत सड़कों की खुदाई की जाकर जगह-जगह गड्ढे कर दिये जाते हैं एवं उनकी मरम्मत सही ढंग से नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य कर्मियों की हड़ताल के दौरान जयपुर शहर में सड़कों पर गड्ढे खोदकर जगह-जगह बल्लियां लगाई गई थी? यदि हां, तो उनको अभी तक क्यों नहीं भरा गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि स्टेच्यू सर्किल से नवीन विधान सभा भवन तक सड़क में अनेक जगह गड्ढे हो रहे हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त गड्ढों को अब तक नहीं भरवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार उक्त गड्ढों को कब तक भरवा देगी?

उत्तर

(1) जी, हां। विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के कारण सड़कों पर गड्ढे खोदे जाकर बल्लियां इत्यादि लगाई जाती है। इसके कारण जो गड्ढे होते हैं, उनकी मरम्मत सही ढंग से करवाई जाती है।

(2) जी, हां। राज्य कर्मियों की हड़ताल के दौरान जयपुर शहर में सड़कों पर गड्ढे खोदकर जगह-जगह बल्लियां लगाई गई थी। उन गड्ढों को भरवाये जाने के प्रयास किये गये हैं। शेष को शीघ्र ही भरवा दिया जावेगा।

(3) भाग संख्या-2 में इस बिन्दु का उत्तर भी निहित है।

बरकत नगर जयपुर स्थित सैक्टर रोड पर अतिक्रमण

437. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बरकत नगर, जयपुर स्थित "सैक्टर रोड" जो टोंक रेलवे फाटक से महेश नगर 80 फीट रेलवे फाटक तक है, प्रस्तावित मानचित्र में कितने फीट चौड़ी है? ब्लू प्रिंट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त सड़क की चौड़ाई कम है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या सरकार इस पर स्थित अतिक्रमण को हटाकर पुनः यथा प्रस्तावित चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बरकत नगर जयपुर में टोंक रेल्वे फाटक से महेश नगर 80 फीट रेलवे फाटक तक की सैक्टर सड़क सैक्टर 26 के प्लान के अनुसार 40-0 चौड़ी प्रस्तावित है। फोटो कापी संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सड़क मौके पर 24-0 ही उपलब्ध हो रही है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) यातायात के दबाव तथा सड़क की उपलब्ध चौड़ाई को ध्यान में रखकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जयपुर शहर में की जा रही है। इस क्षेत्र में कार्यवाही करने के समय सड़क की उपलब्धता व अन्य आवश्यक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा सकेगी।

(मानचित्र की छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गोपालपुरा मोड से नारायण निवास (जयपुर) तक की सड़क पर अतिक्रमण

438. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गोपालपुरा मोड़, जयपुर के नारायण निवास के पास की सड़क पर बीच में अतिक्रमण कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है? क्या सरकार इसको तुड़वा कर पक्की सड़क एवं दोनों तरफ नालियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। माननीय सदस्य के द्वारा जिस अतिक्रमण के संबंध में सूचना चाही है वह कृष्णा विहार कालोनी के भू.सं. 82 का भाग है। उक्त कृष्णा विहार योजना जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक रूप से स्वीकृत योजना है। उक्त कृष्णा विहार योजना एवं सड़क की स्थिति का परीक्षण करवाकर सभी तथ्यों पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा। सड़क एवं दोनों तरफ नालियां बनाना प्राधिकरण के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आवासन मण्डल में उच्च योग्यता प्राप्त डिग्रीधारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

439. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल में पी.एच.डी., सी.ए. जैसी अन्य कौन-कौन सी उच्च योग्यता की डिग्रियां प्राप्त करने पर कर्मचारियों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दिये जाने का प्रावधान है? सुनिश्चित डिग्रियों का निर्धारण किस प्रकार एवं किस औचित्य के तहत किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि मण्डल में पी.एच.डी. की डिग्री जिसका कि मण्डल के कार्यों में कोई विशेष उपयोग नहीं है, पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दिये जाने का प्रावधान है जबकि मण्डल के कार्यों को निष्पादित करने में सहायक एवं इसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की विशिष्ट प्रकृति में उपयोगी डिग्री एल.एल.एम. पर कर्मचारियों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है?

(3) क्या सरकार वित्त निगम के अनुरूप आवासन मण्डल में भी अपने कर्मचारियों को एम.बी.ए., सी.सी.आई.आई.बी.,

(श्री हबीबुर्रहमान)

सी.ए., आई.सी.डब्ल्यू.एम.ई. एवं एल.एल.एम. आदि डिग्रियां धारित करने पर उक्त लाभ देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) मण्डल के किन-किन कर्मचारियों ने प्रश्न के भाग संख्या-3 में अंकित डिग्रियों में से कोई डिग्री प्राप्त कर रखी है? डिग्रीवार कर्मचारियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त डिग्रियां प्राप्त कर्मचारियों को प्रस्तावानुसार लाभ दिये जाने पर मण्डल पर क्या वित्तीय भार पड़ेगा तथा राज कार्य के कुशल निष्पादन एवं उसके कार्यों की विशिष्ट प्रकृति में उपयोगी डिग्रियों पर क्या राज्य सरकार आवासन मण्डल में उक्त डिग्री/डिग्रियों पर कर्मचारियों को लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में किसी कर्मचारी को पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि या वेतन वृद्धि दी जावे इसके निर्णय के लिए राजस्थान आवासन मण्डल को अधिकृत किया गया है। अभी निर्णय होना बाकी है। कार्यालय आदेश क्रमांक 374 दिनांक 14.10.93 के अन्तर्गत सी.ए., आई.सी. डब्ल्यू.ए., योग्यताधारी कार्मिकों को दो वार्षिक अग्रिम वेतन वृद्धियां दिए जाने का प्रावधान है। जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। जहां तक एम.ई. डिग्रीधारी अभियंताओं (परियोजना अभियंता, वरिष्ठ) को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दिए जाने का प्रश्न है। यह राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स, 1998 के प्रावधान के अनुरूप दी जाती है। सुनिश्चित डिग्रियों का निर्धारण बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में विचारोपरान्त किया जाता है।

(2) जैसा कि प्रश्न संख्या-1 में यह उल्लेख किया गया है कि पी.एच.डी. की डिग्री वालों को दो वेतन वृद्धि दिए जाने के स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं अपितु उन्हें कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि अथवा राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन वृद्धि दी जावे? इसके संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है।

जी, हां। वर्तमान में एल.एल.एम. डिग्रीधारी को किसी प्रकार का लाभ दिए जाने का मण्डल में प्रावधान नहीं है और न ही इस बारे में नीतिगत निर्णय मण्डल द्वारा लिया गया है।

(3) जहां तक आवासन मण्डल का प्रश्न है, मण्डल में बी.ए., आई.सी.डब्ल्यू. योग्यताधारी कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान पूर्व में निर्धारित कर रखा है। इसके अतिरिक्त अन्य डिग्री-धारियों को विशेष लाभ दिए जाने के बारे में कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं।

(4) प्रश्न के भाग संख्या-3 में अंकित डिग्रियों में से मण्डल के जिन कर्मचारियों ने डिग्री प्राप्त कर रखी है उनकी डिग्रीवार सूची संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) जी, नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है भविष्य में प्रस्ताव प्राप्त होने पर आर्थिक भार का आकलन अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगा। किन्तु वर्तमान में मण्डल के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण की महल आवास योजना के सफल आवेदन-कर्ताओं को भू-खण्डों का आवंटन

440. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने करधनी आवासीय योजना तृतीय चरण के तहत महल नामक योजना बनाकर भू-खण्ड आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये थे? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि भू-खण्डों हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों में 45 वर्ग मीटर के भू-खण्डों की लाटरी निकाली गई थी? यदि हां, तो सफल आवेदनकर्ताओं की सूची नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। करधनी आवासीय योजना तृतीय चरण महल योजना का शुभारम्भ 25 फरवरी, 1997 को किया गया एवं आवेदन-पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1997 थी।

(2) जी, हां। 45 व.मी. के सफल आवेदनकर्ताओं की सूची नाम व पते सहित संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गोविन्दगढ़ कस्बे में पेयजल टंकी के निर्माण में अनियमितता

441. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गत पांच वर्षों में कुल कितनी जलदाय योजनाएं स्वीकृत हुए एवं कितने हैण्ड पम्प लगाये गये तथा वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के गोविन्दगढ़ कस्बे की जलदाय योजना सफल हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रकरण में हुई गड़बड़ी की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में 95 प्रतिशत हैण्ड पम्प सरकारी नियमों के अनुरूप नहीं लगे हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि गोविन्दगढ़ कस्बे में हैण्ड पम्प व पेयजल टंकी निर्माण का कार्य एक ही ठेकेदार को देने के कारण भारी अनियमितता हुई है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गत पांच वर्षों में एक शहरी (गोविन्दगढ़) एवं 6 ग्रामीण पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई है। योजनावार वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। गत पांच वर्षों में कुल, 447 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 300 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं व शेष 147 का निर्माण प्रगति पर है।

(2) जी, हां। गोविन्दगढ़ कस्बे की स्वीकृत योजना के अभी निर्मित एक नलकूप पर विद्युत संबंध के अलावा सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं, एवं कस्बे को पेयजल वितरित किया जा रहा है। सभी कार्य स्वीकृतियों के अनुरूप है।

(3) जी, नहीं। उक्त क्षेत्र में सभी हैण्ड पम्प सरकारी नियमों के अनुरूप लगाये गये हैं।

(4) जी, नहीं। कस्बा गोविन्दगढ़ में हैण्ड पम्प एवं पेयजल टंकी का निर्माण कार्य दो अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में पेयजल

442. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध करवा रही है? यदि हां, तो किस योजना से और कब से इसे लागू किया गया?

(2) गत अट्ठारह महीनों में इस पर कितनी राशि व्यय की गई? उक्त योजना के अन्तर्गत कहां-कहां पेयजल उपलब्ध हो रहा है?

उत्तर

(1) राजीव गांधी पेयजल मिशन ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 1991 में कार्यरूप में आया।

(2) गत 18 माह (अक्टूबर, 98 से मार्च, 2000) तक ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., डीडीपी व सबमिशन मद में कुल रु. 220.80 करोड़ राशि व्यय की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य के सभी 32 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कार्य किया गया।

जिला धौलपुर के उपखण्ड बाड़ी व सरमथुरा में पेयजल संकट

443. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के उपखण्ड बाड़ी व, सरमथुरा कस्बे में गर्मी के दिनों में जनता को पानी उपलब्ध नहीं होता है? क्या ऐसी स्थिति में वहां के लोग कीचड़ युक्त पानी पीने को मजबूर होते हैं? सरकार अब उक्त

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)
समस्या के निस्तारण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या धौलपुर जिले के उपखण्ड बाड़ी व सरमथुरा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट के कारण ग्रामीण पलायन कर जाते हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बाड़ी कस्बे व सरमथुरा गांव में पेयजल योजना कार्यरत है एवं पेयजल की गुणवता विभागीय मानदण्डों के अनुरूप है। दोनों स्थानों पर वर्तमान में जल वितरण निर्धारित नार्म से कम हो रहा है। इसलिए बाड़ी कस्बे की 158.27 लाख रुपये की पुनर्गठित योजना स्वीकृत की है, जिसका कार्य प्रगति में है। सरमथुरा गांव की पेयजल योजना के संवर्धन हेतु नजदीक के स्रोत पार्वती बांध से योजना प्रस्तावित है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

(2) बाड़ी कस्बा एवं सरमथुरा गांव से ग्रामीणों का कथित पलायन पेयजल के कारणों से होने की कोई सूचना नहीं है।

आनासागर झील अजमेर स्थित टापू पर पेयजल आपूर्ति

444. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या घरेलू, व्यावसायिक, सार्वजनिक उपयोग हेतु पेयजल कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो ऐसे नीति/नियमों/प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पेयजल कनेक्शन लेने हेतु आवेदनकर्ता को किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना होता है और किन प्रपत्रों को भरना/जमा कराना होता है?

(3) क्या यह सही है कि आनासागर झील अजमेर स्थित टापू पर पेयजल कनेक्शन दिया गया है? यदि हां, तो कब, किस श्रेणी के अन्तर्गत किस नाम से? विवरण सदन की मेज पर रखें। पेयजल कनेक्शन लेने हेतु लगाई गई पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पत्रावली किस दिनांक को लगाई गई, डिमाण्ड नोटिस किसके द्वारा, किस दिनांक को जारी किया गया और डिमाण्ड नोटिस कब जमा कराया गया तथा कनेक्शन किस दिनांक को जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) घरेलू, व्यावसायिक, सार्वजनिक उपयोग हेतु पेयजल कनेक्शन दिये जाने के बारे में दिशा निर्देश जन स्वा. अभि. विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 1 जुलाई, 1967 में जारी किया है। (नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है)।

(2) पेयजल कनेक्शन लेने हेतु जन स्वा. अभि. विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 1 जुलाई, 1967 में वर्णित पार्ट II पैरा 8

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

व 9 के अनुसार इच्छुक व्यक्ति/संस्था को विभाग में निर्धारित आवेदन पत्र, फीस जमा कराके प्राप्त करना होता है, जिसमें पानी के उपयोग का विवरण, आवेदनकर्ता यदि मालिक नहीं है तो परिसर जहां पेयजल कनेक्शन किया जाना होता है के मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होता है। सामान्यतया आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न किये जाते हैं : —

(अ) भवन/भू-खण्ड के स्वामित्व के प्रमाण इकरारनामा या किराये पर रहने का प्रमाण/राजकीय आवास का आवंटन पत्र या

(ब) कच्ची बस्ती के मामले में सर्वे का पत्र/राशनकार्ड/विद्युत बिल/गृहकर की रसीद /सहमति पत्र

(स) करार पत्र

(3) जी, नहीं। आनासागर झील स्थित टापू पर पेयजल का कोई संबंध विभाग द्वारा नहीं दिया गया टापू पर स्थित राजस्थान रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक जल सम्बन्धी हेतु आवेदन किया था, जो कि झील के किनारे स्थित उनके कार्यालय में दिया हुआ है। जल संबंध दिनांक 29.12.98 को गैर घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत दिया गया। जल संबंध पत्रावली की सत्यापित प्रति संलग्न है।

(4) उक्त फाइल दिनांक 18.9.98 को विभाग में लगाई। डिमाण्ड नोटिस सहायक अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग राजस्व उपखण्ड तृतीय अजमेर द्वारा दिनांक 18.9.98 को जारी किया और डिमाण्ड नोटिस दिनांक 18.9.98 को जमा कराया गया तथा कनेक्शन दिनांक 29.12.98 को जोड़ा गया।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लक्ष्मण डूंगरी (जयपुर) से जल वितरण करने वाली क्षतिग्रस्त पाइप लाइन

445. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में लक्ष्मण डूंगरी से सप्लाई होने वाली पानी की बड़ी लाइन परकोटे के पहले बदनपुरा में कई जगह लीकेज है? क्या इससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है? यदि हां, तो इससे प्रतिदिन कितना गैलन पीने का पानी व्यर्थ जा रहा है और उक्त लाइन कब से लीकेज है?

(2) अब तक बांस बदनपुरा मंगलम विद्यापीठ सैकण्डरी स्कूल के आस-पास लीकेज को बन्द नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पाइप लाइन वर्षों से खराब है? यदि हां, तो इसको कब तक बदल दिया जायेगा अथवा ठीक कर दिया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त लीकेज से बदनपुरा क्षेत्र की सभी कालोनियों में बदबूदार व पानी कम दबाव से सप्लाई किया जा रहा है? यदि हां, तो इसको कितने दिनों में ठीक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। लक्ष्मण डूंगरी से परकोटे के अन्दर पानी लाने वाली बड़ी पाइप लाइन में बांस बदनपुरा में लीकेज समस्या है, लीकेज के कारण सड़क को भी आंशिक रूप से क्षति होती है। लीकेज से व्यर्थ जाने वाले पानी की निश्चित मात्रा नापना सम्भव नहीं है। लाइन लीकेज की समस्या लगभग डेढ़ वर्ष से है।

(2) मंगलम विद्यापीठ सीनियर सैकण्डरी स्कूल के आस-पास लीकेज को बन्द करने के प्रयास सफल नहीं हो सके हैं, क्योंकि यहां भूजल स्तर काफी ऊपर है एवं साथ ही सड़क पर लगातार हैवी ट्रेफिक से भी बाधा होती है।

(3) उक्त पाइप लाइन में लगभग डेढ़ वर्ष से लीकेज की समस्या है, चिन्हित स्थानों पर लीकेज रोकने हेतु पाइप लाइन बदलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं कार्य पूरा करना इसी वित्तीय वर्ष में लक्षित है।

(4) प्रश्न में वर्णित किसी भी कालोनी में बदबूदार पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। गर्मियों में कम दबाव की समस्या रहती है।

खनिज अभियन्ता द्वारा राजसमन्द में अनियमित खनन पट्टों का आवंटन

446. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1991-92 में खनिज अभियन्ता के द्वारा राजसमन्द में कितने खनन पट्टे अपने राजसमन्द नियुक्ति के दौरान जारी किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियन्ता ने खनन् क्षेत्र निर्जरना एवं कोटड़ी में अपने रिश्तेदारों और भाई के लिए कितने खनन पट्टे स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में पदस्थापित रहे खनिज अभियन्ता जहां-जहां पर भी पदस्थापित रहे अवैध खनन को प्रोत्साहन दिया है?

(4) क्या सरकार उक्त खनिज अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में वर्ष 1991-92 में खनिज अभियन्ता के द्वारा मारबल के 227, मारबल खण्डे के 3, ग्रेनाईट के 2 तथा मेसनरी स्टोन के लिये 3 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) उक्त खनिज अभियन्ता द्वारा एक खनन पट्टा संख्या 176/92 निझरना क्षेत्र में श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री विद्यासागर हिन्दू के पक्ष में दिनांक 25.4.92 को स्वीकृत किया गया था जो द्वारकाधीश मन्दिर मण्डल की खाते की भूमि में अनापत्ति

(राज्य मंत्री, खनिज)

प्रमाण पत्र प्राप्त करके स्वीकृत किया गया है, श्री महेन्द्र कुमार तत्कालीन खनिज अभियन्ता के भाई है।

(3) जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में नर व नारी बलि के प्रकरण

447. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

राज्य में नवम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक नर व नारी बलि के कितने मामले प्रकाश में आए? उक्त प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? बलि के शिकार लोगों तथा मुल्जिमों के नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

राजस्थान राज्य में नवम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक नर बलि का एक मामला जिला दौसा का प्रकाश में आया है। अभियुक्त ने हेमराज नामक बालक का अपहरण कर दिनांक 30.4.99 से 3.5.99 के बीच मउखेडा के पास चामुण्डा माता के चबूतरे पर तांत्रिक क्रिया के लिए हत्या कर बलि दी थी। पूर्व में इस घटना का अभि.सं. 55/99 थाना रैणी जिला अलवर में दर्ज होकर अनुसंधान किया गया। अन्वेषण के दौरान यह घटना जिला दौसा के क्षेत्र में घटित होना पाया जाने पर इलाका गैर में एफ.आर. अदम वकू दी जाकर पत्रावली जिला दौसा को प्रेषित की गई। जिला दौसा में इस घटना का अपराध संख्या 518/99 धारा 364, 302, 201 भा.दं.स. थाना बान्दीकुई पर पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जाकर अभियुक्त मिश्रीलाल के विरुद्ध दिनांक 6.8.99 को ए.सी.जे.एम. कोर्ट, बांदीकुई में चालान पेश किया जा चुका है। बलि के शिकार व्यक्ति का नाम हेमराज पुत्र लक्ष्मण आयु 7-8 वर्ष जाति बैरवा निवासी नीमड़ी का बास तन बडियाल थाना रैणी जिला अलवर है। अभियुक्त का नाम-पता मिश्रीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति धोबी आयु 32 वर्ष निवासी मउखेडा थाना बांदीकुई जिला दौसा है।

राज्य में आदर्श पुलिस स्टेशनों की स्थापना

448. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानदण्डों के अनुरूप पुलिस में मानसिकता में परिवर्तन के लिए आदर्श पुलिस स्टेशन विभिन्न जिलों में स्थापित करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) राज्य में कौन-कौन से आदर्श पुलिस स्टेशन कायम किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित यू.एन.डी.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत स्थापित मानदण्डों के अनुरूप एवं यू.एन.डी.पी. पाइलेट प्रोजेक्ट के अनुरूप कार्य करने के लिए पुलिस विभाग ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक थाना चिन्हित किया है। पुलिस कर्मियों को अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील, सक्रिय एवं जनमित्र बनाने हेतु राजस्थान में कोटा जिले में गुमानपुरा एवं भीलवाड़ा में प्रतापनगर व माण्डलगढ़ थानों को पाइलेट पुलिस थाने के रूप में चिन्हित कर कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इससे प्रोत्साहित होकर 1 जनवरी, 2000 से राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक थाने का चयन कर यह प्रोजेक्ट लागू किया गया है।

(2) यू.एन.डी.पी. पाइलेट प्रोजेक्ट के अनुरूप ही कार्य करने के लिए राज्य में स्थानीय स्तर पर भी निम्नांकित थानों का चयन किया गया है : —

क्र.सं.	जिला	थाना
1.	जयपुर शहर (दक्षिण)	विधायकपुरी
2.	जयपुर शहर (उत्तर)	माणक चौक
3.	जयपुर ग्रामीण	बगरू
4.	दौसा	कोतवाली
5.	सीकर	रानोली
6.	टोंक	महन्दवास
7.	झुन्झुनूं	खेतड़ी
8.	अलवर	थानागाजी
9.	भरतपुर	बयाना
10.	धौलपुर	मनिया
11.	करौली	श्रीमहावीरजी
12.	सवाईमाधोपुर	मानटाऊन
13.	अजमेर	नसीराबाद सदर
14.	नागौर	खीन्वसर
15.	जोधपुर शहर	बासनी
16.	जोधपुर ग्रामीण	डागियावास
17.	जैसलमेर	मोहनगढ़
18.	पाली	फालना
19.	सिरोही	शिवगंज
20.	जालौर	आहोर
21.	बाड़मेर	बायतू
22.	बीकानेर	कोतवाली
23.	चूरू	डूंगरपुर
24.	गंगानगर	जवाहर नगर
25.	हनुमानगढ़	संगरिया
26.	उदयपुर	प्रतापनगर
27.	डूंगरपुर	चितरी
28.	बांसवाड़ा	कालिंजरा
29.	चित्तौड़गढ़	चन्देरिया
30.	राजसमंद	नाथद्वारा
31.	कोटा ग्रामीण	रामगंज मण्डी
32.	बूंदी	तालेड़ा
33.	झालावाड़	भवानी मण्डी
34.	बारां	बारां सदर

पुलिस थाना सुजानगढ़ में दर्ज मारपीट प्रकरण

449. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या पुलिस थाना सुजानगढ़ में 14 वर्षीय बालक श्री वीरेन्द्र सिंह के साथ दिनांक 26 जनवरी, 2000 को मारपीट किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है? यदि हां, तो उक्त में वर्णित कितने व्यक्ति कब-कब गिरफ्तार हुए?

(2) क्या यह सही है कि श्री वीरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल होने के कारण लगभग एक माह तक सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती रहा तथा पुलिस ने आज तक मुस्तगीस का बयान दर्ज नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि स्थानीय पुलिस ने मिलीभगत करके अभियुक्त गण के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नहीं की तथा अभी तक अभियुक्त पुलिस की गिरफ्तारी से बचे हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 26 जनवरी, 2000 को थाना सुजानगढ़, जिला चूरू में श्री. वीरेन्द्र सिंह के साथ हुई मारपीट के संबंध में अभियोग संख्या 18/2000 धारा 147, 148, 149, 341, 307 भा.द.स. पंजीबद्ध किया गया है। इस अभियोग में नामजद तीन अभियुक्तों क्रमशः राजू पुत्र भंवर लाल उम्र 18 वर्ष, नानू राम पुत्र मांगीलाल उम्र 18 वर्ष पैमाराम पुत्र रामकरण को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्त राजू व नानूराम को दिनांक 26.1.2000 को गिरफ्तार किया गया तथा तीसरे अभियुक्त पैमाराम को दिनांक 30.3.2000 को गिरफ्तार किया गया है।

(2) जी, हां। यह सही है कि श्री वीरेन्द्र सिंह दिनांक 26.1.2000 से 14.2.2000 तक गम्भीर रूप से घायल होने के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती रहा था। लेकिन यह सही नहीं है कि वीरेन्द्र सिंह के बयान पुलिस ने आज तक लेखबद्ध नहीं किए। दिनांक 11.2.2000 को थाना सुजानगढ़ के उप निरीक्षक ने न्यूरोलोजी-II वार्ड एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में भर्ती श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्योपाल सिंह के बयान लेखबद्ध करने की स्वीकृति हेतु वार्ड के डाक्टर से लिखित में निवेदन किया था लेकिन डाक्टर द्वारा मजरूब बयान देने की स्थिति में नहीं है, का सर्टिफिकेट (नाट फिट फॉर स्टेटमेंट) देने के कारण बयान लेखबद्ध नहीं किए जा सके। इसके पश्चात् दिनांक 26.3.2000 को मजरूब वीरेन्द्र सिंह के बयान उसके ननिहाल जाकर लेखबद्ध किये जा चुके हैं।

(3) जी, नहीं। यह सही नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद तीनों अभियुक्तों राजू, नानूराम व पैमाराम को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अनुसंधान अभी जारी है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अपराधों के दर्ज प्रकरण

450. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जनवरी, 1999 से 15 मार्च, 2000 तक कुल कितने - कितने मामलों में चोरी/ डकैती / अपहरण / लूटपाट / हत्या / संगीन अपराध / गुण्डा एक्ट के तहत दर्ज हुए, उनमें से कितने लोग पकड़े गये एवं कितनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई एवं कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के थानों में आये दिन बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार उक्त अपराधों को रोकने हेतु पुलिस बल बढ़ाने व उनको अस्त्र-शस्त्र एवं सुदृढ़ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 1 जनवरी, 1999 से 15 मार्च, 2000 तक चोरी, डकैती, अपहरण, लूट-पाट, हत्या, संगीन अपराध, गुण्डा एक्ट के तहत दर्ज अभियोगों का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) इस क्षेत्र में अपराधों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आसूचना का संकलन कर प्रभावी गश्त नाकाबन्दी की जा रही है। जिससे उक्त विधान सभा क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अपराधों के प्रभावी नियंत्रण हेतु टोडाभीम में दो वर्ष पूर्व वृत्ताधिकारी का कार्यालय खोला जा चुका है। पुलिस थाना टोडाभीम पर 1 उप निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी, के पदों की बढोतरी की जा चुकी है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्थित थाने नादौती, गढमोरा एवं टोडाभीम में आवश्यकतानुसार अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध करवाये हुए हैं। वर्तमान में उक्त पुलिस थानों को अतिरिक्त अस्त्र-शस्त्र आवंटित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

तहसील नदबई में पशु चोरी के दर्ज प्रकरण

451. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील नदबई (भरतपुर) में पशु एवं इंजिनों की चोरियां लंबे समय से चली आ रही है ? क्या चोर नदवई में दलित/बेसहारा किसानों से फिरौती लेकर पशु वापिस देते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम गादोली के उप प्रधान के बरसोडी करने वाले जाटव और लुलहारा के जाटव तथा अलीपुर गांव के लक्ष्मण के पशु फिरौती होकर वापस आये हैं ? क्या यह भी सही कि सापुर के पुलिस कर्मी की भैंस भी बिना फिरौती के

(श्री भरोसी लाल)

वापस नहीं आई? क्या गुरदा गांव के किसान के 6 माह में पशु व इंजिन भी फिरौती होकर वापस आये हैं?

(3) क्या यह सही है कि बसीया की डकैती को चोरी में परिवर्तित कर दिया गया और गांव टोहिला थाना नदबई के एक हरिजन की चोरी की जांच कई वर्षों से पुलिस की निष्क्रियता से लंबित है?

(4) क्या यह सही है कि सीया हरिजन की पत्नी के साथ मंगल, कल्लू आदि चोरों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर गांव में मार पीटते बेहोश किया? क्या उक्त व्यक्ति चोरों की रिपोर्ट दर्ज कराने से नाराज होकर मारपीट करते हैं? क्या उक्त घटना का मुकदमा एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने मुल्जिमों से मिलकर उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी है?

(5) क्या यह सही है कि भरतू, रामखिलाड़ी, यादराम आदि मुल्जिमों ने टोहला गांव में मंगल/कल्लू आदि चोरों की साजिश से एक दलित खटीक को घर से मारते पीटते हुए अपने कमरे में ले जाकर पेशाब पिलाया है? क्या उक्त असामाजिक तत्व पशु चोरों की रिपोर्ट दर्ज कराने पर जुल्म सहन करते हैं?

(6) क्या सरकार उक्त घटनाओं की जांच कराकर दोषियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील नदबई के अन्तर्गत थाना नदबई का ही क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में वर्ष 1995 से मार्च, 2000 तक इंजिन चोरी के कुल 6 अभियोग पंजीबद्ध हुए, जिनमें बाद अनुसंधान 4 अभियोग अदमपता माल-मुलजिमान एवं एक अभियोग अदमवकू एवं एक अभियोग में चालान हुआ। इसी प्रकार उक्त अवधि में पशु चोरी के 24 अभियोग पंजीबद्ध हुए, जिनमें से बाद अनुसंधान 12 अभियोगों में चालान, 3 अभियोग अदमपता माल-मुलजिमान, 8 अभियोगों में अदमवकू में निस्तारण किया गया एवं एक अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है।

नदबई क्षेत्र में दलित/बेसहारा किसानों से फिरौती लेकर पशु वापस करने का तथ्य सही नहीं है।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है। तहसील नदबई क्षेत्र में गादोली नाम का गांव है परन्तु वर्तमान में उप प्रधान करीली गांव का है। उसके यहां लुलहारा गांव का कोई जाटव बरसोड़ी पर नहीं रहता है। लुलहारा के जाटव एवं अलीपुर के लक्ष्मण के पशु चोरी होने अथवा फिरौती होकर वापिस आने संबंधी कोई प्रकरण थाना नदबई पर पंजीबद्ध नहीं हुआ है। गांव शाहपुर के पुलिसकर्मी ज़यसिंह जाट की भैंस चोरी होने पर अभियोग संख्या 424/98 धारा 379, 215 भादंस. में थाना नदबई पर पंजीबद्ध हुआ था, अनुसंधान के उपरांत फिरौती की बात सत्य नहीं पाई

(गृह मंत्री)

गई। मामला गलतफहमी का पाया जाने पर प्रकरण में एफ.आर. दी गई। गुरदा गांव थाना बयाना के क्षेत्र में है। वहां के किसी किसान के पशु एवं इंजिन चोरी होने का कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। जब चोरी का कोई प्रकरण ही पंजीबद्ध नहीं हुआ है तब फिरौती का भी कोई आधार नहीं है।

(3) सीया की ओर से डकैती की कोई रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं करवाई गई। सीया हरिजन निवासी टोहिला ने 3.9.96 को थाना नदबई पर स्वयं की भेड़ों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुराने का प्रकरण संख्या 379 भादंसं पंजीबद्ध करवाया था। अनुसंधान के दौरान माल-मुलजिमान की तलाश के अथक प्रयास स्थानीय पुलिस द्वारा किये गये। किन्तु कोई भी सुराग नहीं मिलने पर प्रकरण में नतीजा एफ.आर. अदमपता में दिया गया। तत्पश्चात् इस प्रकरण का अनुसंधान एवं तलाश माल-मुलजिमान विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ, भरतपुर द्वारा भी करवाया गया किन्तु अब तक कोई सुराग नहीं चल पाया है।

(4) सीया हरिजन की पत्नी के साथ भर्ती उर्फ भत्तो जाट एवं यादराम जाट निवासी टोहिला द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट सीया हरिजन ने दिनांक 13.2.98 को थाना नदबई पर की थी, जिस पर अभियोग संख्या 59/98 अंतर्गत धारा 341, 323 भा.द.स. व धारा 3 एससी/एसटी एक्ट थाना नदबई पर पंजीबद्ध करवाया था। वृत्ताधिकारी वृत्त भरतपुर द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान से प्रकरण झूठा पाया गया। अतः एफ.आर.नं. 132 दिनांक 31.7.98 अदमवकू झूठ दी गई है। प्रश्न में अंकित व्यक्तियों द्वारा मारपीट संबंधी कोई प्रकरण थाना नदबई पर पंजीबद्ध नहीं है।

(5) अशोक पुत्र दीपचंद खटीक, निवासी टोहिला ने प्रहलाद, लाखन, रामखिलाड़ी, यादराम जाति जाट के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने एवं पिशाब पिलाने की कोशिश करने का अभियोग संख्या 90/2000 अंतर्गत धारा 323/452/342 भादंसं एवं धारा 3 एससी/एसटी एक्ट थाना नदबई पर दिनांक 7.3.2000 को पंजीबद्ध कराया है। उप अधीक्षक पुलिस, हरिजन अत्याचार प्रकोष्ठ, भरतपुर द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से घर में घुसकर मारपीट करने एवं पिशाब पिलाने की बात सही नहीं पाई गई। अनुसंधान के उपरांत प्रहलाद, लाखन, रामखिलाड़ी, यादराम जाति जाट निवासी टोहिला के विरुद्ध धारा 341घ/323 भादंसं का अपराध साबित पाया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक 31.3.2000 को किया गया है।

(6) उक्त घटनाओं के संबंध में पंजीबद्ध कराये गये प्रत्येक प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही की जा चुकी है। अतः और जांच कराने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

जिला कोटा में महिलाओं व बालिकाओं के साथ अत्याचार के दर्ज प्रकरण

452. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिसम्बर, 1999 से मार्च, 2000 तक जिला कोटा में महिलाओं व बालिकाओं के साथ कितने बलात्कार व बलात्कार कर हत्या करने के मामले दर्ज हुए? उक्त प्रकरण किस-किस पुलिस स्टेशन में कब-कब दर्ज हुए?

(2) कोटा में कितनी महिलाओं, बच्चियों का अपहरण किया गया तथा अपहरण के बाद कौन-कौन बरामद हो गई? अपहरण कहां से कब व क्यों किया गया?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक जिला कोटा (कोटा नगर/कोटा ग्रामीण) में महिलाओं व बालिकाओं के साथ बलात्कार के कुल 16 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। बलात्कार कर हत्या करने का कोई अभियोग पंजीबद्ध होना प्रकाश में नहीं आया। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला कोटा (कोटा नगर/ग्रामीण) में उक्त अवधि में महिलाओं एवं बच्चियों के अपहरण की कुल 40 घटनाएं दर्ज हुई है। इनमें से कुल 31 अपहृत महिलाओं/बच्चियों को बरामद किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पुलिस थाना सुजानगढ़ में दर्ज प्रकरण

453. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सुजागढ़ (चूरू) की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 124 दिनांक 17.7.95 के मामले में अनुसंधान कर लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस जांच अधिकारी द्वारा कौन-कौनसी तिथि को किस-किस के बयानों के आधार पर किया गया? विवरण सहित अनुसंधान रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, बीकानेर जोन, बीकानेर द्वारा बनाई गई अनुसंधान रिपोर्ट को अनदेखा कर पुलिस जांच अधिकारी ने अपने हिसाब से ही गलत जांच कर जांच रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो अब तक इस मुकदमे का न्यायालय में चालान क्यों नहीं हुआ? अब चालान कब तक कर दिया जावेगा?

(3) क्या उक्त मामले में चिकित्सा विभाग की सलाह/निर्णय अनुसार पीड़ित महिला का मेडिकल बोर्ड द्वारा चैकअप (मेडिकल) करवाया गया था? यदि हां, तो

(श्री मंगलाराम गोदारा)

उसका क्या परिणाम रहा और नहीं, तो अब कब तक मेडिकल बोर्ड द्वारा चैकअप करवाकर चालान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही है कि पुलिस थाना सुजानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 124 दिनांक 17.7.95 धारा 308, 312, 467, 468, 120 बी भादंसं का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग में नतीजा एफ.आर. नं. 94ए दि. 24.8.99 को कता कर एफ.आर. न्यायालय में पेश की जा चुकी है। इस प्रकरण में सर्व प्रथम दिनांक 17.7.95 से 14.8.95 तक श्री भंवरलाल स.उ.नि. द्वारा श्री हरीश चन्द्र, श्रीमती ललिता देवी, मोहन लाल प्रजापत, डा. सत्यनारायण बजाज, श्रीमती प्रेरणा राठौड़ से अनुसंधान कर बयान लिये।

तत्पश्चात् श्री मगन सिंह, उप निरीक्षक तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ द्वारा दिनांक 16.8.95 से 13.10.95 तक अनुसंधान किया जिन्होंने डा. श्रीमती रश्मी राजवंशी, डा. श्रीमती स्वीटी फौजदार, डा. वी.पी. व्यास, श्रीमती डा. कल्पना जैन, डा. के.एल. अरोड़ा से अनुसंधान कर बयान लिये।

श्री विनोद बांगड़ तत्कालीन अति. पु. अधीक्षक, चूरू द्वारा दि. 31.10.95 से 31.12.95 तक श्री हरीश चन्द्र, मुस्मात ललिता, श्री मोहनलाल, श्री सत्यनारायण, डा. वी.पी. व्यास, श्रीमती रश्मी राजवंशी, डा. प्रेरणा राठौड़ से अनुसंधान किया। जिन्होंने अपने पूर्व बयानों की ताईद की तथा श्रीमती ललिता देवी की एम.टी.पी. के संबंध में होने व न होने की अनभिज्ञता जाहिर की थी। उन्होंने रिकार्ड नहीं मिलने व निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना नहीं होने पर दिनांक 31.12.95 को अभियोग में नतीजा एफ.आर. अदम सबूत में देने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर श्री मगन सिंह उप निरीक्षक तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ द्वारा एफ.आर.नं. 94 दिनांक 31.12.95 को अदम सबूत में दिया गया।

तत्पश्तात् मुकदमे में अनुसंधान को री-ओपन करने बाबत फैसला लिया जाकर दिनांक 3.1.96 को पुनः पत्रावली पर अनुसंधान श्री विनोद बांगड़ अति. पुलिस अधीक्षक, चूरू द्वारा किया गया। उनके द्वारा मुकदमे में अनुसंधान 3.1.96 से 21.6.96 तक किया तथा डा. के.एल.अरोड़ा से तफतीश की, जिसमें अपने पूर्व बयानों की ताईद की जिसने मूल कागजात निदेशक, चिकित्सा जयपुर को भिजवाना बताया।

उक्त पत्रावली दिनांक 25.6.96 को अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध एवं सतर्कता, राज., जयपुर के आदेश क्रमांक 389-90 दिनांक 27.3.96 के अनुसार अन्तिम निर्णय से पूर्व अनुमति एवं मार्गदर्शन एवं आदेश हेतु भेजी गई, जो दिनांक 20.8.98 को पत्रावली मैरिट के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु प्राप्त हुई।

(गृह मंत्री)

दिनांक 28.12.98 से 24.8.99 तक श्री हुक्माराम पुलिस निरीक्षक द्वारा अनुसंधान किया गया जिन्होंने अपनी तफ्तीश से उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर मुकदमा एफ.आर.अदमवकू (कानून भूल) माना जाकर मुकदमा में नतीजा एफ.आर.नं. 94 ए दिनांक 24.8.99 को कता कर पत्रावली दिनांक 25.8.99 को न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है, जो अभी तक न्यायालय से स्वीकृत होकर प्राप्त नहीं हुई।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर की रिपोर्ट को अनदेखी की गई है। उन्होंने अपने बयान दिनांक 13.10.95 में महिला डाक्टर्स के चिकित्सा पत्रों (प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स) के आधार पर श्रीमती ललिता की एम.टी.पी. होना बताया था तथा डाक्टर प्रकाश राठी को एम.टी.पी. करने के लिए अधिकृत न होने के कारण तथा डा. सरोज कुमार छाबड़ा को राजकीय सेवा में होते हुए प्राइवेट नर्सिंग होम में मुस्मात ललिता को रैफर करने के कारण दोषी माना है। स्त्री रोग विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में श्रीमती ललिता की एम.टी.पी. होने की पुष्टि नहीं की है तथा उसके गर्भाशय की स्थिति नार्मल होनी मानी है। संयुक्त निदेशक स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है और न ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई राय अंकित की है।

मुकदमा में अनुसंधान के दौरान चालान योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से एफ.आर. दी जाकर न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

(3) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 26.7.95 को ललिता देवी का मेडिकल परीक्षण वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पताल सुजानगढ़ से करवाया गया जिसमें राय हेतु अग्रिम परीक्षण एस.एम.एस. मेडिकल कालेज जयपुर से कराने बाबत राय दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 13.6.96 को अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चूरू द्वारा पुनः मेडिकल परीक्षण मेडिकल कालेज बीकानेर से कराया गया। जिसमें एम.टी.पी. किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं अंकित की गई है।

पुलिस थाना पुरानी टोंक अपराध में दर्ज प्रकरण

454. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना पुरानी टोंक जिला टोंक में शराब पीकर गाली-गलौच तथा अनधिकृत रूप से घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में एक पुलिसकर्मी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/96 दर्ज हुई है? यदि हां, तो उसका नाम मय बैल्ट नंबर तथा वह उस समय कहां पर कार्यरत था?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध दिनांक 27 मार्च, 1997 को ड्यूटी पर उपस्थित रहने के बावजूद वहां से आकर शराब पीकर

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

गाली-गलौच तथा अश्लील हरकतें करने के आरोप में थाना पुरानी टोंक में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/97 धारा 448, 336, 509 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई? यदि हां, तो उस समय उक्त पुलिसकर्मी की ड्यूटी कहां पर थी?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 27 मार्च, 1997 को उक्त पुलिसकर्मी को शराब पीकर उत्पाद मचाते हुए पकड़कर थानाधिकारी पुरानी टोंक ने रात्रि 10.30 बजे मेडिकल ज्यूरिस्ट सआदत अस्पताल टोंक से नशा शराब का मेडिकल मुआयना करवाया गया था? यदि हां, तो उस दिन उक्त पुलिसकर्मी कहां पर कार्यरत था? मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पुलिसकर्मी की ड्यूटी दिनांक 20 मार्च, 1998 को कब से कब तक कहां पर लगा रखी थी? उपस्थिति पंजिका तथा ड्यूटी रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त दिन भी इसके विरुद्ध दिन के 12.40 बजे पर शराब पीकर मारपीट करने आदि के आरोप में थाना पुरानी टोंक में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/98 धारा 341, 323, 379 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है? यदि हां, तो प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होते ही इसकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती है? यदि नहीं, तो उक्त पुलिसकर्मी किसकी अनुमति से अपना कार्यस्थल छोड़कर उक्त प्रकार की घटनाएं करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(6) क्या यह भी सही है कि ड्यूटी पर उपस्थित रहते हुए शराब पीकर मारपीट, अश्लील हरकतें करना सेवा नियमों के विपरीत है? यदि हां, तो मुकदमा संख्या 392/92 थाना पुरानी टोंक एवं शराब का मेडिकल मुआयना हो जाने के उपरान्त अब तक इसके विरुद्ध किस-किस प्रकार की विभागीय कार्यवाही कब-कब व क्या-क्या की गई? यदि नहीं, तो कब तक किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 113/96 दिनांक 20.7.96 को श्रीमती प्रेम देवी पत्नि रामस्वरूप गुर्जर नि. पुरानी टोंक की रिपोर्ट पर श्री बालूराम (पुलिस कांस्टे.) तथा उसकी पत्नी कन्या व बालूराम की भाभी नानकी के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में धारा 448, 336, 504 भादंसं के अन्तर्गत थाना पुरानी टोंक पर दर्ज किया गया। उक्त घटना के समय श्री बालूराम कांस्टे. नं. 324 का पदस्थापित पुलिस लाइन टोंक में था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी, हां। दिनांक 27.3.97 को श्रीमती प्रेमदेवी की रिपोर्ट पर कांस्टे. बालूराम नं. 324 के विरुद्ध अभियोग सं. 38/97 धारा 448, 336, 509 भादंसं पुलिस थाना पुरानी टोंक में दर्ज हुआ।

(गृह मंत्री)

उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में शराब पीने के बारे में अंकित नहीं है। दिनांक 27.3.97 को उक्त कांस्टे. की ड्यूटी वायरलैस पर थी।

(3) यह सही नहीं है। दिनांक 27.3.97 को उक्त पुलिस कर्मी द्वारा शराब पीकर उत्पात करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई रिपोर्ट कहीं भी नहीं दी गई, ना ही उक्त पुलिसकर्मी का नशा शराब का मेडिकल मुआयना कराया गया। उस दिन कांस्टे. की ड्यूटी पुलिस लाइन टोंक में थी।

(4) दिनांक 20 मार्च, 98 को कांस्टे. बालूराम नं. 324 का पदस्थापन पुलिस लाइन टोंक में था, जहां से रोज. आम की रपट सं. 1155 के द्वारा उक्त पुलिस कर्मी को अन्य कर्मचारियों के साथ कारागृह के बंदियों को सआदत अस्पताल टोंक में इलाज के लिए रवाना किया था, जहां से कांस्टे. बालूराम 11 बजे दिन में गैर हाजिर हो गया, जिसकी पुलिस लाइन टोंक के रोजनामचा आम में रपट सं. 1180 अंकित की गई। रोज. आम की नकल प्रति परिशिष्ट "ब" संलग्न है। श्री रामस्वरूप गुर्जर की रिपोर्ट पर दिनांक 20.3.98 को उक्त कांस्टे. के विरुद्ध अ.सं. 48/98 धारा 341, 323, 379 भादंसं थाना पुरानी टोंक पर दर्ज हुआ इस प्र.सू.रि. में भी शराब पीकर झगड़ा करने का अंकन नहीं है एवं कांस्टे. का शराब बावत कोई मेडीकल मुआयना भी नहीं हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(5) यह सही नहीं है। यदि पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहता है तो उसकी गैरहाजरी दर्ज की जाती है।

(6) जी, हां। किन्तु अभियोग संख्या 392/92 धारा 420 भादंसं थाना कोतवाली टोंक किसी भी पुलिस कर्मी के विरुद्ध दर्ज नहीं है। यह प्रकरण श्री मन्नालाल पुत्र श्री प्रताप माली निवासी सोलंगपुरा के विरुद्ध दर्ज है, जिसमें बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदम सबूत में दिया गया है।

कांस्टे. बालूराम के विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या 113/96, 38/97 एवं 48/98 में बाद अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश कर दिये गये हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरणों का न्यायालय द्वारा निस्तारणोपरान्त ही निर्णय का अवलोकन कर कांस्टे. के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त कांस्टे. के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना दूदू (जयपुर) में दर्ज प्रकरण सं. 94/99

455. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना दूदू (जयपुर) में दिनांक 26 मार्च, 1999 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/99 दर्ज हुई थी? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं

(श्री बाबूलाल नागर)

मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त मृतक का क्या नाम था तथा उसके परिवार में कौन-कौन व्यक्ति किस ग्राम के हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुर्घटना स्थल के पास एक दुर्घटना ग्रस्त ट्रक संख्या यू.पी. 78 बी 2994 भी, बरामद हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में उक्त व्यक्ति की मृत्यु उक्त ट्रक से हुई थी? मृतक की पहचान कब तथा किसने की और परिजनों को किस प्रकार जानकारी दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के परिवार जनों ने उक्त मृत्यु में हत्या किये जाने की शंका व्यक्त कर जांच अधिकारी को जांच करने हेतु निवेदन किया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण की अभी तक कोई जांच नहीं कराई गई है और जांच में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब भी उक्त प्रकरण की जांच करवाकर उक्त हत्या/दुर्घटना का पता लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या पुलिस का मानना है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु उक्त ट्रक से हुई है? यदि हां, तो ट्रक मालिक से मृतक के परिजनों को कब तक सहायता राशि दिलाई जायेगी?

(7) क्या सरकार उक्त प्रकरण में मृतक के परिजनों को मुआवजा/सहायता राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब? क्या उक्त प्रकरण में सहायता राशि बीमा द्वारा भी दी जानी है?

(8) अब उक्त प्रकरण में मृतक के परिजनों को किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 26 मार्च, 1999 को समय 2.15 ए.एम. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 94/99 अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भा.दं.सं. थाना दूदू जिला जयपुर ग्रामीण पर पंजीबद्ध हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में संलग्न हैं। उक्त मृतक का नाम सत्यनारायण पुत्र श्री छीतरमल शर्मा निवासी ग्राम मंडौती थाना रेनवाल था। मृतक के परिवार में उसके अतिरिक्त वर्तमान में माता श्रीमती गीता देवी एवं 7 भाई क्रमशः 1. सीताराम, 2. रामगोपाल, 3. गोविन्दनारायण, 4. बनवारीलाल, 5. हरीश शर्मा, 6. श्यामलाल, 7. कमल किशोर एवं अविवाहित बहनें क्रमश 1. कौशल्या, 2. सीता, 3. इन्द्रा, 4. उर्मिला, सभी ग्राम मंडोती थाना रेनवाल जिला जयपुर में रह रहे हैं। सात विवाहित बहनें क्रमशः 1. श्रीमती भंवरी देवी, 2. श्रीमती भगवती देवी, 3. श्रीमती सन्तोष देवी, ग्राम भैंसलाना थाना रेलवाल, 4. श्रीमती प्रेम ग्राम

(गृह मंत्री)

आसलपुर थाना जोबनेर, 5. श्रीमती बिमला ग्राम पवार थाना कालवाड़, 6. श्रीमती लिलावती ग्राम लूनवा थाना नांवा जिला नागौर अपने-अपने ससुराल में रहती है।

(2) जी, हां। यह सही है कि दुर्घटना स्थल के पास एक ट्रक संख्या : यू.पी.-78 बी 2994 टी पूर्व से दुर्घटनाग्रस्त खड़ा था, जिसे इस प्रकरण में जप्त नहीं किया गया क्योंकि इस प्रकरण के मृतक की मृत्यु उक्त ट्रक से होना नहीं पाया गया है।

मृतक की पहचान मृतक के बड़े भाई श्री सीताराम पुत्र श्री छीतरमल शर्मा उम्र 40 साल ग्राम मंडोती ने दिनांक 26.3.99 को प्रातः 9 ए.एम. पर मुर्दाघर दूदू पर की।

पुलिस द्वारा मृतक की जेब में मिले पहचान पत्र में अंकित पते पर मृतक के परिवारजनों को सूचित करने हेतु वितन्तु संदेश के जरिये थाना रेनवाल को सूचना कराई गई थी।

(3) जी, हां। यह सही है कि मृतक के बड़े भाई की सीताराम ने उक्त मृत्यु में हत्या किये जाने की आशंका का परिवाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण द्वारा उक्त प्रकरण में थानाधिकारी थाना दूदू से जांच करवाई। थानाधिकारी द्वारा की गई जांच की प्रति परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(4) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

(5) जांच हो चुकी है। प्रकरण से संबंधित अभियोग सं. 94/99 में बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदमपता मुलजिमान व वाहन में दी जाकर दिनांक 28.6.99 को संबंधित न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

(6) अनुसंधान से श्री सत्यनारायण की मृत्यु ट्रक नं. यू.पी. 78-बी 2994 टी. से होना नहीं पाया गया। ट्रक से मृत्यु नहीं पाये जाने से ट्रक मालिक से सहायता राशि का प्रश्न नहीं उठता।

(7) इसका उत्तर बिन्दू सं. 6 में निहित है।

(8) इसका उत्तर बिन्दू सं. 6 में निहित है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर में वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि

456. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में वाहन दुर्घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है? यदि नहीं, तो गत एक वर्ष का माहवार तुलनात्मक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दुर्घटनाओं में वृद्धि का एक कारण वाहनों का अधिकतम गति निर्धारित नहीं होना है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु मिनी बसें, दुपहिया वाहन एवं अन्य वाहनों की गति निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री सांवर लाल)

(3) गत एक वर्ष में निर्धारित गति से अधिक तेज चलने वाले वाहनों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कितने वाहनों के विरुद्ध एवं क्या?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में वर्ष 1999 में वाहन दुर्घटनाओं के संबंध में पंजीबद्ध अभियोगों में आंशिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1999 का माहवार तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में वाहन दुर्घटनाओं का एक कारण वाहनों का अधिकतम गति निर्धारित नहीं होना भी है। हालांकि जयपुर शहर के कुछ मार्गों हेतु लाइट वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। मिनी बसों की गति सीमा निर्धारित किये जाने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजस्थान जयपुर को पुलिस अधिक्षक यातायात जयपुर शहर ने पत्र लिखा है, जो विचाराधीन है।

(3) जिन मार्गों पर गति निर्धारित की गई है उन मार्गों पर वर्ष 1999 में कुल 1038 एवं एक जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2000 तक कुल 235 वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इनके अतिरिक्त जयपुर शहर के अन्य स्थानों पर उक्त अवधि में क्रमशः 2933 एवं 778 वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इस प्रकार वर्ष 1999 में कुल 3971 एवं जनवरी 2000 से 31 मार्च, 2000 तक कुल 1013 के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

गोडावन पक्षी का संरक्षण

457. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य पक्षी गोडावन अवैध शिकार एवं बढ़ते जैविक दवाब के कारण लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है?

(2) क्या वर्ष 1999 की गणना में इनकी संख्या घटकर 15 हो गई है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गोडावन को राज्यपक्षी घोषित होने के उपरान्त भी इनको पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल रहा है और उक्त पक्षी का अवैध शिकार हो रहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अवैध शिकारियों के विरुद्ध कितने फौजदारी मुकदमे दर्ज किये हैं और उन मुकदमों की प्रगति क्या है? क्या उन अपराधियों को सजा मिली है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि राज्य पक्षी गोडावन अवैध शिकार के कारण लुप्त होने के कगार पर पहुंच गये हैं। हां, यह सही है कि इनके आश्रय स्थलों (हैबीटाट) पर बढ़ते जैविक दबाव व पर्यावरण प्रदूषण के कारण इन पक्षियों के अस्तित्व को खतरा है।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1999 में की गयी गणना के अनुसार गोडावन की राज्य में अनुमानित संख्या [illegible] के लगभग है।

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

(3) यह सही नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा गोडावन को राज्य पक्षी घोषित करने के बावजूद भी इनको पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। गोडावण पक्षी का शिकार करने की किसी घटना की जानकारी गत कुछ वर्षों से विभाग को नहीं मिली है। इसलिए इस संबंध में विभाग द्वारा किसी शिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

तहसील लाडनूं/डीडवाना में खुदरा विक्रेताओं के चयन हेतु समितियों का गठन

458. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील स्तर पर खुदरा विक्रेताओं के चयन के लिए कोई समितियां बनाई गई हैं? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य होते हैं और इस समिति के गठन में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या उक्त संबंध में कोई आदेश जारी कर रखे हैं वे उक्त आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील लाडनूं और डीडवाना जिला नागौर में इस प्रकार की समितियों का गठन कब किया गया तथा उन के कौन-कौन सदस्य हैं?

उत्तर

(1) खुदरा विक्रेताओं के चयन के लिए आवंटन सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान है। इन समितियों में जो-जो सदस्य होते हैं एवं जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके संबंध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील लाडनूं व डीडवाना जिला नागौर की आवंटन सलाहकार समितियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

मारवाड़ जंक्शन में न्यायालय भवन का निर्माण

459. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) मारवाड़ जंक्शन में न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कब से कार्यरत है और वह किस भवन में कब से चल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त न्यायालय वर्तमान में जर्जर किराये के भवन में चलाया जा रहा है? क्या उक्त भवन में कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है?

(3) क्या सरकार मारवाड़ जंक्शन में न्यायालय हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मारवाड़ जंक्शन में न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय दिनांक 1.2.92 से कार्यरत है। यह न्यायालय पंचायत समिति के दो आवासीय मकानों में दिनांक 28.1.92 से चल रहा है। भवन किराये पर है।

(2) दोनों भवन काफी पुराने बने हुए हैं तथा बारिश के दिनों में ज्यादा असुरक्षित रहते हैं। पीठासीन अधिकारी व कर्मचारियों के बैठने को समुचित व्यवस्था नहीं है।

(3) मारवाड़ जंक्शन में सम्बन्धित न्यायालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ था किन्तु वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाकर आगामी बी.एफ.सी. में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

ग्राम सेवा सहकारी समिति मूंगथला (सिरोही) के व्यवस्थापक के निलम्बन की जांच

460. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति मूंगथला (सिरोही) के तत्कालीन व्यवस्थापक का सितम्बर, 1988 के उपस्थिति प्रमाण-पत्र को प्रमाणित करने के लिए विभाग द्वारा पर्यवेक्षक एवं शाखा व्यवस्थापक को क्रमशः आरोप पत्र एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस तारीख को? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? आरोप पत्र एवं कारण बताओ नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने उक्त व्यवस्थापक को लंबी अवधि तक निलंबित रखे जाने के बारे में वर्ष 1997 में संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया था? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री एन.आर.खंगार एवं श्री आर.सी. माथुर को उत्तरदायी ठहराया गया था? यदि हां, तो राज्य सहकारी बैंक ने इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या उक्त दोनों को कोई कारण बताओ नोटिस/आरोप पत्र जारी किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब? दोनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्थापक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिए अभी तक कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान है कि आरोपों की बिना जांच कराये ही किसी कर्मचारी को निलम्बित कर दिया जाए? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्थापक को निलम्बित और बर्खास्त क्यों किया गया? आरोपों की जांच नहीं कराने के लिए कौन

(डा. किरोड़ी लाल)

दोषी है? क्या उसके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। सिरोही सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा ऋण पर्यवेक्षक व शाखा व्यवस्थापक के विरुद्ध आरोप पत्र व कारण बताओ नोटिस निम्न दिनांकों को जारी किये गये : —

नाम	पदनाम	कारण बताओ नोटिस की दिनांक	आरोप पत्र की दिनांक
श्री अमीर खान	ऋण पर्यवेक्षक	22.12.97	25.2.98
श्री गुलाम अली अकबर	शाखा व्यस्थापक	22.12.97	23.8.99

ऋण पर्यवेक्षक को दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं शाखा व्यवस्थापक को लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया है। कारण बताओ नोटिस एवं आरोप पत्र की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) जी, हां।

जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां।

श्री एन. आर. खंगार का स्थानान्तरण व्यवस्थापक के निलम्बन के दो माह की अवधि में ही हो जाने के कारण श्री खंगार को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर ने दोषी नहीं माना है। श्री आर.सी. माथुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोप पत्र दिनांक 24.3.2000 को जारी किया गया है। प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जी, हां। याचिका संख्या 1690/95 द्वारा श्री छोटेलाल लखारा का वाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण जांच अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.2.99 के द्वारा श्री छोटेलाल लखारा के सेवा बर्खास्तगी को वैध ठहराया गया है। अतः अब जांच अधिकारी की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है।

(5) जी, नहीं। श्री छोटेलाल लखारा व्यवस्थापक को कादरला एवं मूंगथला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में गबन का दोषी पाये जाने पर सेवा से दिनांक 27.7.90 को बर्खास्त किया गया। जिसके विरुद्ध श्री लखारा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1690/95 दायर की गयी। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.2.99 में श्री लखारा की बर्खास्तगी को

(सहकारिता मंत्री)

वैध ठहराया गया है। उसके पश्चात् जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर का अनियमितता प्रकरण

461. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक सीकर के कार्यालय में वर्तमान में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब-कब से पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई गबन, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस के द्वारा एवं किस-किस के विरुद्ध व किन-किन प्रकरणों में? उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में उक्त कर्मियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण मय शिकायतों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पदस्थापित स्टाफ में से कुछ अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित भी रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व कब-कब, किस-किस प्रकरण में उनके बहाल करने के क्या कारण थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर के कार्यालय में स्वीकृत पदों एवं उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की वांछित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का वांछित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। निलम्बित रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का पूर्ण विवरण मय बहाल करने के कारणों सहित परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी, हां। बैंक द्वारा की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-3 में उल्लेखित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण

462. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अंतर्गत किसी सहकारी संस्था का ऑडिट होने के उपरान्त धारा 70 में भी जांच करवाई जा सकती है? यदि हां, तो धारा 68 में ऑडिट के आधार पर संस्था में गबन एवं धन के दुरुपयोग में दर्ज मामले की कोई महत्ता रहती है?

(2) धारा 68 में हुई वैधानिक ऑडिट एवं धारा 70 में हुई जांच के परिणामों में भिन्नता आने पर धारा 74 में दर्ज गबन एवं दुरुपयोग के मामले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

(3) क्या सहकारी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में धारा 68 की ऑडिट में गबन एवं दुरुपयोग प्रकाश में आने के पश्चात् भी गबनकर्ताओं को बचाने एवं मामला लम्बा करने के उद्देश्य से धारा 70 में जानबूझकर जांच करवाई जा रही है?

(4) सहकारी विभाग में किस-किस मामले में धारा 68 की ऑडिट के उपरान्त भी धारा 70 की जांच करवाई जा रही है तथा जांच कब से लम्बित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। धारा 68 के अन्तर्गत संस्था में ऑडिट हो जाने के बाद धारा 70 में भी जांच कराये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है, तथा ऐसी जांच से ऑडिट के आधार पर दर्ज मामलों की विधिक महत्ता बाधित नहीं होती है।

(2) धारा 68 में हुई वैधानिक ऑडिट एवं धारा 70 में हुई जांच के परिणामों में भिन्नता आने पर भी धारा 74 में दर्ज मामलों का निपटारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 एवं राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार ही होता है।

(3) जी, नहीं।

(4) सूचना परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पेयजल समस्या समाधान

463. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में अकाल की स्थिति के कारण पेयजल की समस्या किन-किन गांवों/ढाणियों एवं मजरों में है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त गांवों में आने वाली पानी की समस्या के निवारण हेतु कोई आपातकालीन योजना तैयार की है? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब और कहां से होने वाली है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 33 ग्रामों को पेयजल की समस्या हेतु जन

(अकाल राहत मंत्री)

स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है। इन 33 ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। चिन्हित किये गये उक्त 33 ग्रामों हेतु ग्रीष्म आपातकालीन योजना जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार की गई है जिसके अनुसार उक्त 33 ग्रामों में 40 हैण्ड पम्प अतिरिक्त रूप से अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 24.2.2000 को स्वीकृत किये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अकाल राहत के तहत एनीकट्स निर्माण

464. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत के तहत कौन-कौन से एनीकट्स स्वीकृत हुए थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से एनीकट्स पूर्ण हो गये व कौन-कौन से अपूर्ण थे और उनकी क्या स्थिति है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने अपूर्ण एनीकट्स को पूर्ण कराने हेतु राशि प्रावधान रखा है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत के तहत 28 एनिकट स्वीकृत किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) उक्त 28 एनिकट में से 17 एनिकट पूर्ण हो गये हैं तथा 9 एनिकट अपूर्ण रहे हैं। 2 एनिकट चालू नहीं किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"अ")

(3) राहत कार्यों की समाप्ति के बाद अपूर्ण राहत कार्यों को अन्य विभागीय मदों से पूर्ण करवाने के निर्देश जिला कलक्टर्स को दिये हुए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

आनासागर झील अजमेर स्थित रेस्तरां हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

465. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या अजमेर में आनासागर झील में निर्मित टापू पर रेस्तरां चलाए जाने के संबंध में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पर्यटन स्थल, उद्यान, झीलों में होटल, रेस्तरां संचालित किए जाने के संबंध में पर्यावरण संबंधी कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित भाटी)

(3) अजमेर, पुष्कर, उदयपुर, जयपुर सहित कितने शहरों में नदी/झील में या किनारे पर यात्री होटल एवं रेस्तरां संचालित हैं जिन्होंने पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या खण्ड तीन में वर्णित होटल रेस्तरां के संबंध में विभाग को कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया।

(2) मण्डल ने उदयपुर में झीलों के किनारे होटलों की अधिक संख्या को देखते हुए होटल की स्थापना संबंधी नीति बनाई है जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर है। शेष स्थानों के लिये आवश्यकतानुसार नीति बनाई जावेगी।

(3) इस प्रकार के 41 होटल/रेस्तरां ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से केवल संचालन सम्बन्धी सम्मति (Consent to Operate) प्राप्त कर रखी है जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) होटल विशेष के नाम के अभाव में शिकायत प्राप्त होने अथवा उस पर किसी कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल अवधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्तियों पर व्यय

466. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में अनेक बार विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी?

(2) यदि हां, तो कुल कितनी विज्ञप्तियां कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई और उन पर कुल कितना व्यय सरकार को वहन करना पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) तीन विज्ञप्तियां आठ समाचार पत्रों के 24 संस्करणों में प्रकाशित करायी गयी। इस पर कुल रुपये 5,53,933.00 का व्यय हुआ। इनका विस्तृत विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जयपुर शहर सीमा में वाहनों में वृद्धि

467. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर सीमा क्षेत्र में चलाने हेतु कुल कितने वाहनों को पॅरमिट किस-किस रूट पर दिये हुए हैं?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) क्या यह सही है कि जितनी बसों को परमिट दिये गये हैं वे सभी निर्धारित रूट पर निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं जिससे यात्रियों को असुविधा होती है ?

(3) क्या सरकार उक्त शहर में और अधिक बसों को परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) लोगों को असुविधा नहीं हो इसके लिए और परमिट कब तक जारी किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर सीमा क्षेत्र में 1840 निजी वाहनों (मिनी बस) को 20 मार्गों पर स्टेज कैरिज पर परमिट तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 35 मार्गों पर 180 बसें चलाने के परमिट दिये हुए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। जयपुर शहर सीमा क्षेत्र में चलने वाली नगरीय बसों का संचालन निर्धारित रूट पर ही किया जाता है तथा इनका संचालन रोटेशन से किया जाता है।

(3) जी, हां। स्टेज कैरिज परमिट दिये जाने की कोई सीमा संख्या निर्धारित नहीं है। नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर परमिट स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार किसी भी मार्ग विशेष पर आवेदन करने पर कितनी भी संख्या में परमिट स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(4) नगरीय सेवा के वर्तमान मार्गों पर संचालित वाहनों से लोगों को होने वाली असुविधा तथा शहर के तीव्र गति से हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए नये मार्ग खोलने और परमिट जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नया गांव (अजमेर) का प्रस्तावित बस स्टैण्ड

468. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद से मांगलियावास सड़क के बीच नया गांव बस स्टेण्ड बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नया गांव स्टॉप नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को 5 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टॉप का किराया अधिक देना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार कब तक नया गांव का बस स्टॉप स्थापित करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। नया गांव बस स्टेण्ड को निगम का नियमित बस स्टैण्ड घोषित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्तमान में

(यातायात मंत्री)

यात्रियों की सुविधार्थ यह प्रार्थना बस स्टॉप घोषित है।

(2) जी, नहीं। ब्यावर से नसीराबाद वाया मांगलियावास मार्ग पर नया गांव भीमपुरा से बिठूर स्टैण्डों के मध्य मुख्य मार्ग से हटकर स्थित हैं। इस ग्राम के यात्रियों से ब्यावर से नसीराबाद जाते समय बिठूर गांव का किराया चार्ज किया जाकर नया गांव प्रार्थना बस स्टॉप पर उतारा जाता है एवं नसीराबाद से ब्यावर जाते समय भीमपुरा का किराया चार्ज किया जाकर नया गांव उतारा जाता है। इस मार्ग के यात्रियों से निगम के निर्धारित किराया स्टेज के अनुरूप ही लिया जा रहा है।

पथ परिवहन निगम की रात्रिकालीन बसों में विकलांगों को सुविधाएं

469. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की दिन की बसों में विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर किराये की सुविधा उपलब्ध है, जबकि रात्रिकालीन बसों में नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम की अन्य राज्यों में जाने वाली बसों में विकलांगों को रियायती दरों पर किराये की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में उक्त सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विकलांगों को रियायती दरों पर उक्त सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की दिन की बसों में विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर किराये की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विकलांग रियायती यात्रा विनियमों में रात्रिकालीन बसों में यह सुविधा देय नहीं है।

(2) रियायती यात्रा विनियमों में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की अन्य राज्यों में जाने वाली बसों में विकलांगों को यह सुविधा दिये जाने का प्रावधान केवल राज्य सीमा तक यात्रा पर है तदुपरांत नियमानुसार किराया देय है।

(3) जी, नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय घाटे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निगम की अन्य राज्यों में जाने वाली बसों में राज्य सीमा पश्चात् विकलांगों को रियायती दरों पर किराये की सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार की फिलहाल विचार नहीं है।

झालावाड़ से रटलाई मार्ग पर निगम की बसों का संचालन

470. श्री मोहन लाल राठौर (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ से रटलाई मार्ग पर राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चलना प्रस्तावित है ?

(2) क्या उक्त रूट पर निगम की सभी बसें नियमित चल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब इस रूट पर सभी बसें नियमित चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ से रटलाई मार्ग पर पृथक से कोई बस चलाया जाना प्रस्तावित नहीं है। पूर्व में इस भाग पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग पर निगम द्वारा अतिरिक्त बस सेवा मई, 1999 से चलाई गई थी लेकिन अत्यधिक बस सेवा मई, 1999 से चलाई गई थीं लेकिन अत्यधिक कम यात्रीभार उपलब्ध होने के कारण इस बस सेवा का संचालन माह मार्च, 2000 से बन्द कर दिया गया। उक्त बस सेवा को इस अवधि में औसत यात्रीभार 47 प्रतिशत प्राप्त हुआ। यह बस सेवा अत्यधिक बरसात के कारण माह जुलाई, 1999 से अक्टूबर, 1999 में भी बन्द रही।

वर्तमान में यात्रियों की सुविधार्थ झालावाड़ से भालता वाया रटलाई मार्ग पर निगम की दैनिक 4 बसें निम्न समयानुसार संचालित है : —

झालावाड़ से भालता वाया रटलाई	भालता से झालावाड़ वाया रटलाई
1100	0630
1630	1400

(2) उक्त भाग पर पृथक से कोई बस संचालित न होने से बस के नियमित/अनियमित संचालन का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपितु झालावाड़ से भालता वाया रटलाई मार्ग की बसें नियमित रूप से चल रही है। यदा-कदा वाहनों में तकनीकी खराबी हो जाने या चालक/परिचालकों के अनुपस्थित रहने के कारण अवश्य विलम्ब/निरस्तीकरण हो जाती है।

(3) वर्तमान में झालावाड़ से रटलाई मार्ग पर पृथक से नियमित बस सेवा संचालन का कोई विचार नहीं है।

यातायात विभाग उदयपुर के सेवानिवृत्त अधिकारी को वेतन भुगतान

471. श्री मांगी लाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि यातायात विभाग उदयपुर के कार्यालय में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी के वेतन का भुगतान किया जाना शेष है ? उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी का वेतन निर्धारण कब तक होगा ?

उत्तर

जी, हां। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर के पद से सेवानिवृत्त श्री अर्जुन सिंह राठौड़ के वेतन का भुगतान किया जाना शेष है। उक्त अधिकारी का विभिन्न अवधियों में अनुपस्थित रहने तथा अवकाश प्रार्थना-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण अवकाश का निर्णय नहीं हो पाने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है। श्री राठौड़ द्वारा अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण का निस्तारण कर वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। तदुपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जायेगा।

पुलिस थाना देसूरी (पाली) में दर्ज प्रकरण संख्या 58/98

472. **श्री लालाराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम फालना डिपो में परिचालक श्री छैलसिंह को कई वर्षों से आमेट-नाकोड़ा रूट पर लगा रखा है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परिचालक ने एक ही रूट में रहकर काफी राशि अर्जित कर अपने गांव गोलिया (बाड़मेर) में राजकीय राशि से भवन बनाया है?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना देसूरी (पाली) में मुकदमा नं. 58/98 दिनांक 3.6.99 में अपहृत दो लड़कियों की बरामदगी उक्त परिचालक के निवास में होने पर उक्त परिचालक को निलम्बित किया गया था? निलम्बन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे परिचालक की चल-अचल सम्पत्ति की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो से कराने का विचार रखती है? क्या सरकार उक्त परिचालक का जिले के बाहर स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि श्री छैलसिंह परिचालक वर्ष 1995 से लगभग आमेट-नाकोडा मार्ग पर ड्यूटी देते रहे हैं। उक्त परिचालक को इस मार्ग से हटाकर अन्य मार्ग पर चलाये जाने हेतु मुख्य प्रबन्धक, फालना को निर्देशित कर दिया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में निगम को कोई परिवाद अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी, हां। निलम्बन आदेश संख्या - एफ - 3 / मु / याता / पी - 2 / 98/ 1513 दिनांक 7.11.98 सदन के पटल पर रख दिया गया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बाली के निर्णय आदेश दिनांक 13.1.99 द्वारा परिचालक को दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक एफ - 3 / मु / याता / पी - 2 / 99 / 80 दिनांक 21.1.99 द्वारा निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

(यातायात मंत्री)

(4) जी, नहीं। परिचालक के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्पत्ति अर्जित करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक अन्यत्र स्थानान्तरण का प्रश्न है, राज्य शासन ने स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

गेंताबारां से गुडला मार्ग पर निगम की बसों का संचालन

473. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम की बारां डिपो की बसें गेंता-बारां से गुडला चलाई जाती हैं व लम्बे अर्से से बन्द है? यदि हां, तो क्यों? लम्बे समय तक बस नहीं चलाने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(2) क्या सरकार उक्त मार्गों पर पुनः बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(अ) बारां-गेंता वाहन सेवाएं अप्रैल, 86 से मार्च, 1994 तक संचालित हुई व उक्त सेवाओं की आय अत्यधिक कम औसतन 5.27 रु. प्रति कि.मी. व यात्रीभार मात्र 24% प्राप्त होने पर संचालन लागत से भी कम आय प्राप्त होने के कारण बन्द की गई थी।

(ब) बारां-गुढला सेवा का संचालन अप्रैल, 88 से मार्च, 91 तक किया गया था इस अवधि में परिवहन विभाग द्वारा किसी भी प्राइवेट आपरेटर को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया था। निगम वाहन की आय अत्यधिक कम अर्थात् संचालन लागत से भी कम प्राप्त होने के कारण बंद कर दी गई।

(2) भाग 1 के खण्ड (अ) व (ब) के आधार पर उक्त मार्गों पर बस सेवा आरम्भ करने का विचार नहीं है।

जिला जैसलमेर में कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य

474. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कितनी कृषि उपज मण्डियां हैं?

(2) क्या मण्डियां बनाकर दुकानें व्यापारियों को आवंटित हो चुकी है?

(3) क्या सुथारवाड़ा मण्डी का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है?

(4) क्या सांकडा ब्लॉक में कोई कृषि मंडी है?

(5) क्या जैसलमेर नगर के पास कृषि मण्डी का निर्माण होकर दुकानें आवंटित हुई हैं?

(6) क्या उक्त जिले में कृषि विपणन की विशेष योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्तर्गत जैसलमेर मुख्य मण्डी एवं उसके अन्तर्गत पोकरण घोषित गौण मण्डी है तथा नाचना, रामगढ़, मोहनगढ़, सुथारवाला एवं सुल्ताना प्रस्तावित मण्डियां है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) सांकड़ा ब्लाक में पोकरण जैसलमेर मण्डी की गौण मण्डी है।

(5) कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर में दुकानें निर्मित हो चुकी है। आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) जी, हां। इन्दिरा गांधी नहर योजना के तहत रामगढ़, मोहनगढ़ एवं नाचना को विकसित किया जा रहा है। सुथारवाला मण्डी को विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 31 मार्च, 2000)

मानसी वाकल योजना की क्रियान्विति

226. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि मानसी वाकल योजना लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक इसके निर्माण हेतु क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने काम का प्रारम्भ भूमि पूजन से किया था? यदि हां, तो कब?

(3) क्या भूमि पूजन के समय इस योजना की सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई थी? यदि नहीं, तो कार्यक्रम रखने का औचित्य क्या था?

(4) क्या सरकार उक्त योजना पर अब कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि मानसी वाकल योजना अगस्त, 1989 में स्वीकृत हुई थी। प्रथम चरण में गौराणा के पास बांध बनाया जाना है। उक्त योजना का व्यय राज्य सरकार एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा वहन किया जाना है। बांध के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति का अवार्ड सन् 1993 में जारी किया जा चुका है, परन्तु बांध की डूब में आने वाले ग्रामवासियों के विरोध के कारण अभी बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(2) जी, हां। भूमि पूजन 20.6.1989 को हुआ था।

(3) जी, नहीं। स्वीकृति सिंचाई विभाग में प्रक्रिया के अंतिम चरणों में थी। स्वीकृति सिंचाई विभाग में जुलाई/अगस्त, 1989 में हुई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी, हां। सरकार उक्त योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु प्रयत्नशील है। इस हेतु हाल ही में राज्य के तीन मंत्रीगण द्वारा स्थानीय नागरिकों की संघर्ष समिति से वार्ता कर उन्हें पुनर्वास संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु हिदायत दी गई है। समिति से पुनर्वास संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है : —

(1) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से बांगड़ चिकित्सालय, पाली में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले चयनित परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री केसाराम चौधरी एवं श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से वर्ष 1999 में पाली जिले में ग्राम सेवकों की भर्ती हेतु ली गई परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रमुख प्रस्तावकर्ताओं श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्री केसाराम चौधरी, सदस्य को अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999 में पाली जिले में ग्राम सेवकों के लिए परीक्षा ली गयी थी, उसमें भारी अनियमितताएं हुई। परीक्षा पत्र बनाने का आदेश जिस संस्था को दिया गया उस संस्था को प्रश्न-पत्र बनाने का कोई अधिकार नहीं था। उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से परीक्षा रखायी गयी और परीक्षाओं में जो पेपर थे वे भी गलत तरीके से बनाये गये। इस तरह से जो चार हजार परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। सरकार खुद मानती है कि अंक तालिकाओं में और उत्तर तालिकाओं के अंकों में भिन्नता पायी गई है। ऐसा भी

(12.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अधिकारियों द्वारा किया गया कि जहां कापी के अंदर 7 नम्बर थे उसके 70 नम्बर बना दिये गये। इस तरह से इस परीक्षा में भारी अनियमितताएं हुई हैं। भारी अनियमितताएं होने के बाद उस परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया जिससे चार हजार परीक्षार्थियों के भविष्य पर भारी असर पड़ा है और वे परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे हैं। क्या सरकार इस परीक्षा को वापस कराएगी अथवा उसका रिजल्ट घोषित करेगी? कलक्टर ने तो रिपोर्ट दे दी, उनकी रिपोर्ट के बाद सरकार उनकी वापस परीक्षा कराएगी अथवा उस परीक्षा को रद्द करेगी? इसमें जो अधिकारी

(श्री केसाराम चौधरी)

दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी, इसकी भी जानकारी दी जाए। इसमें बहुत ही गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों के साथ खिलवाड़ हुआ है। चार हजार परीक्षार्थी जिनकी परीक्षा का कितना खर्चा आया, एक साल से उसके रिजल्ट के इंतजार में घर पर बैठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस स्थगन के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर इस संबंध में कार्यवाही करने की आशा करता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295... माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी है।

श्री हीरासिंह चौहान : मामला गंभीर है, मैं बहुत संक्षेप में दो मिनट में अपनी बात को कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई गंभीरता है ही नहीं, आप बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : I will complete all the facts within two minutes.

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए पहले। बिराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा नाम है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। मुझे मालूम नहीं क्या आपका नाम है? लेकिन अध्यक्ष जी ने एक माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी है।

श्री हीरासिंह चौहान : मुझे भी इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दी। (व्यवधान) आप बिराजें तो सही।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बैठ जाऊंगा, मुझे अलाउ कीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनें तो सही। आप सुने तो अलाउ करूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : यह हमारे जिले का गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए, एक मिनट।

श्री हीरासिंह चौहान : कम से कम चार हजार लड़कों को परीक्षा में बैठाया।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात तो सुनिए आप, आपको दूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : पांच महीने से उसका रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं रोक रहा, आप बैठिए।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बोलने दूंगा, एक मिनट में कहें तो।

श्री हीरासिंह चौहान : Please allow me.

श्री उपाध्यक्ष : I will allow you. Please sit down. I will allow you. पहले आप बैठिए फिर मैं अलाउ करूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : फिर अलाउ कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : हां, करूंगा, पहले आप बैठिए, आर्डर, कुछ तरीका समझिए आप। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि अंकतालिका में भिन्नता है। सरकार उसकी जांच करवा रही है, सरकार जांच करके जो कुछ भी निर्णय होगा वह लेगी। उसमें क्या बोलना है आपको? जब सरकार स्वीकार कर चुकी, उसमें क्या बोलना है।

श्री केसाराम चौधरी : प्रश्नपत्र ही गलत छपे हैं, अधिकारी लोग दोषी हैं उसमें।

श्री हीरासिंह चौहान : एक-दो सवाल पूछ लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोलो।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों की कमी होने के कारण से परीक्षा का आयोजन किया गया। तत्कालीन जिला कलक्टर, पाली उन सारी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए जयपुर ले आये। जयपुर लाने के बाद जो लड़के पास होने वाले थे उनको तो पास नहीं किया पर जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ भी नहीं था उनके अंक बढ़ाये गये। सरकार ने इसको माना है कि यह सारा घोटाला हो गया। घोटाला होने के बाद सरकार इसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है, यह सरकार का विषय है। मैं तो माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 10 पंचायत समितियां हैं, जहां पर स्वीकृत पद कहीं पर 22 हैं, कहीं पर 23 हैं। वहां पर आज कहीं 8 ग्राम सेवक काम कर रहे हैं, कहीं 5 ग्राम सेवक काम कर रहे हैं, कहीं 10 ग्राम सेवक काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीर गड़बड़ी है, उन पर दोषारोपण करें, उनको दण्डित करें। जिला कलक्टर की देखरेख में यह परीक्षा हुई, जिला कलक्टर ही उत्तर पुस्तिकाओं को पाली से जयपुर लेकर आये और जयपुर लाकर उनके अंकों में हेराफेरी की। सबसे पहले तो गम्भीरता से इसकी जांच की जाए।

दूसरा निवेदन यह है कि अंक तालिका में गड़बड़ी हो गयी, अब दूसरी परीक्षा को कब आयोजित किया जा रहा है? मेरी मांग है कि तत्काल रूप से परीक्षा का आयोजन किया जाए, जो वहां पर कमियां हैं उन कमियों की पूर्ति की जाए और इस काम के लिए जिसने भी अपराध किया है उसको सख्त से सख्त सजा से आरोपित किया जाए, उसका चालान भी किया जाय। यह कम से कम चार हजार लड़कों के साथ खिलवाड़ हुआ है, कम मामला नहीं है। उन्होंने कई महीनों तक तैयारी की, फिर

(श्री हीरासिंह चौहान)

उत्तर पुस्तिकाओं में अपने प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके बाद रिजल्ट जीरो रहा, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य.....

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव मैंने 5 तारीख को दिया था और आपने 12 तारीख के रोज आसन से वह व्यवस्था दी थी कि 17 तारीख को इस पर मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे। या तो उनसे वक्तव्य दिलवाइये या फिर मुझे बोलने का मौका दीजिये। 5 तारीख से लेकर आज 17 तारीख बीत गयी है, इतने महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव पर आसन की कोई व्यवस्था नहीं है और आज के बिजनस में भी आपने एनलिस्ट नहीं किया है उसे।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रस्ताव पर सरकार ने जानकारी प्राप्त की है, उस पर अनुसंधान हो रहा है, कार्यवाही हो रही है। जो पुलिस की डिमाण्ड आ रही है उस पर जवाब मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, आप पुलिस की डिमाण्ड के साथ क्लब नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आ ही रहा है, जवाब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, यह गलत है। देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को आप डिमाण्ड के साथ क्लब नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से कर देंगे, आप कहेंगे तो अलग से कर देंगे लेकिन सरकार उसकी जांच करवा रही है और वह मैटर अण्डर इंवैस्टीगेशन है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी मांग सुनिये। सरकार जांच क्या करवा रही है?

श्री उपाध्यक्ष : उसका इंवैस्टीगेशन करवा रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आप मेरी मांग तो सुनिये। इसका मतलब आपने स्थगन प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मांग यह है कि इसका ट्रांसफर कर दिया जाए सी.आई.डी. को। आपकी यह मांग है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका मतलब आपने स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो मांग है आपकी कि सी.आई.डी. को ट्रांसफर कर दिया जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो इसका क्या अनुसंधान कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : यही मांग है, और क्या मांग है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका क्या अनुसंधान होगा?

श्री उपाध्यक्ष : यही मांग है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका क्या अनुसंधान है?

श्री उपाध्यक्ष : और क्या मांग है आपकी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या सरकार अनुसंधान करेगी इसका ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मांग क्या है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मांग तो मुझे बोलने का मौका देंगे तब बताऊंगी।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ रहा हूं मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका मतलब मैं बोल लूं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपकी मांग क्या है, एक सैंटेंस में बता दो न, आपकी मांग क्या है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक सैंटेंस में कैसे बताऊंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर क्या कह रहे है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी डिमाण्ड क्या है। आप एक सैंटेंस में बता दो आपकी क्या मांग है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : या तो मुझे बोलने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर तो बोलने का मौका वहां है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, मैं लिखकर दे चुकी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव सामने ही नहीं है तो बोलने का मौका कैसे देंगे ? आप खड़ी हुई हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी डिमाण्ड क्या है, वह आप बता दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो मुझे बोलने का मौका देंगे तब बताऊंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलना नहीं, आप यह बता दो कि मेरी यह डिमाण्ड है। सीधी-सी बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे कैसे बोलूंगी, जब आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना ही बोलकर अन्त में तो यह कहोगी कि मेरी यह डिमाण्ड है तो आप पहले ही कह दो न क्या डिमाण्ड है आपकी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्थगन प्रस्ताव एक मिनट में बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बुलवा रहा हूं आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कह रही हैं कि मेरी एक डिमाण्ड है, आपकी क्या डिमाण्ड है ? गृह मंत्री जी बैठे हैं, ये एक्सीड कर देंगे आपकी डिमाण्ड तो ठीक है और वे नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। आप बता दो आपकी डिमाण्ड।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तो है ही नहीं हाउस में। (व्यवधान) माननीय सदस्या, स्थगन प्रस्ताव तो अण्डर कंसिडरेशन है ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव हो तो चर्चा करूं न। वही नहीं है ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्थगन प्रस्ताव पर अभी व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है अभी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन ने व्यवस्था दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आज अण्डर-कंसिडरेशन नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आपने व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो आपसे कह रहे हैं न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका मतलब यह है कि यह आसन रोजाना व्यवस्था बदलेगा?

श्री उपाध्यक्ष : परिस्थिति आयी तो बदल देगा, उसमें क्या है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आसन नियमों से चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज सरकार स्थिति में नहीं है जवाब देने में तो कल दे देगी, परसों दे देगी, इसमें क्या बात है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन नियमों से चलेगा, आपाधापी से नहीं चलेगा। यह नियमों से चलेगा सदन।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नियमों से ही चल रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था दी हुई है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : नियम से तो आप भी नहीं बोल रही हैं तो भी बोलने दे रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियम सिखाएंगे मुझे आज।

श्री उपाध्यक्ष : नियम से तो आप भी नहीं बोल रही हैं तो भी बोलने दे रहा हूं। आप तो अपनी डिमाण्ड बताओ न क्या डिमाण्ड है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं नियम से बोल रही हूं क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पर आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : बता दो न डिमाण्ड, कह रहा हूं आपको। कह रहा हूं आप डिमाण्ड बता दो, आप क्या चाहती हो, बता दो। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या व्यवस्था हुई, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के साथ हम सब लोगों ने स्थगन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दिया है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, पिछले 20 दिनों से झुंझुनूं में लगातार धरना चल रहा है, झुंझुनूं बन्द हो गया, 35 निर्दोष लोग जेल के सींखचों के पीछे बैठे हैं, 14-14 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर रखा है, मरे हुए आदमी का नाम है एफ.आई.आर. में।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप क्या चाहते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने व्यवस्था दी थी, इसी सर्वोच्च आसन ने व्यवस्था दी थी कि 17 तारीख को मंत्रीजी का वक्तव्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें, 17 तारीख को पहले पुलिस की डिमाण्ड थी इसलिए 17 तारीख को कहा, बाई चांस डिमाण्ड चेंज हो गयी। यही बात थी और क्या बात थी? (व्यवधान) बिलकुल यही बात थी। आप समझिये बात को। (व्यवधान) नहीं, नहीं आप इसको मिक्स अप मत कीजिये, यह बिलकुल क्लीयर बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : कह रहा हूं न मैं, 17 तारीख को पहले पुलिस की डिमाण्ड फिक्स थी, परिस्थितिवश 17 तारीख को पुलिस की डिमाण्ड चेंज हो गयी इसलिए 20 तारीख को आ जाएगा। फर्क तो यही है, और क्या फर्क है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसको आप डिमाण्ड से नहीं जोड़ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : उस रोज डिमाण्ड से ही जोड़ा गया था, आप भूल रही हैं। बिलकुल यही बात है।

श्री सांवर लाल : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल यही बात है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नहीं, गलत बात है।

श्री मदन दिलावर : इसको डिमाण्ड से नहीं जोड़ा गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप इसको मिक्स अप मत कीजिये प्लीज। सरकार चाहे तो मुझे एतराज नहीं है। (व्यवधान) मैं तो आपको बात पूछ रहा हूं, आपकी डिमाण्ड बता दो आपकी डिमाण्ड क्या है। अगर गवर्नमेंट एक्सीड करेगी तो कर देगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे कैसे डिमाण्ड बता दूं, मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो बताऊंगी।

श्री उपाध्यक्ष : फिर स्थगन प्रस्ताव पर तो मैं नहीं बुलवाऊंगा, स्थगन प्रस्ताव है ही नहीं सामने बोलने के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कहां जाएं?

श्री उपाध्यक्ष : कहीं मत जाओ, आप हाउस में ही रहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, कहीं तो मंच हो, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको मिक्स अप मत कीजिये, आप कृपा कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने व्यवस्था दी और आप ही कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, व्यवस्था दी, कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप व्यवस्था से मुकर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कह रहा हूं ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी आशा नहीं थी आपसे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत कीजिये। बहुत क्लीयर बात है, आसन ने 17 तारीख की व्यवस्था दी थी।

श्री मदन दिलावर : यह सर्वोच्च सदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, आपका क्या लेना-देना है?

श्री मदन दिलावर : और इस आसन से सुनाया गया एक-एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, आप बैठो।

श्री मदन दिलावर : आप यह कह कर इस सदन को आश्वस्त कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इनको कह रहे हो कि खड़े हो, यह कोई बात हुई? कमाल है। (व्यवधान) आप समझिये बात को, बहुत क्लीयर बात है। 17 तारीख की व्यवस्था दी गयी थी।

श्री मदन दिलावर : मेरे भी हस्ताक्षर हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दस्तखत हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उन सारे लोगों को जेल के सीखचों में ठूंस कर आप सदन में बता रहे हैं सरकार स्थिति में नहीं है, यह सरकार कैसी स्थिति में है, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार क्या सो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार सैंकड़ों लोगों को जेल के सींखचों में ठूंस कर आतंक फैलाना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या लेना-देना है?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : आप बहुत अच्छे उपाध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से यह व्यवस्था देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आप बैठो। आप प्लीज इस बात को समझिये, यह बहुत क्लीयर बात है, इसको आप डाइल्यूट करने की या मिसगाइड करने की कोशिश मत कीजिये। उस रोज 17 तारीख की व्यवस्था दी गयी थी आसन से क्योंकि 17 तारीख को पुलिस की डिमाण्ड थी। उस रोज यह बात हुई थी कि 17 तारीख

(श्री उपाध्यक्ष)

की डिमाण्ड है जिसमें उत्तर आ जाएगा। (व्यवधान) एक मिनट आप बैठो और 17 तारीख की पुलिस की डिमाण्ड तब्दील होकर परिस्थितिवश 20 तारीख को हो गयी, इसमें सरकार ने सोचा होगा 20 तारीख को करेंगे। उसके बाद भी आप यह कह रहे हैं कि मेरी डिमाण्ड है तो मैं कह रहा हूं आपकी डिमाण्ड क्या है, आप बता दो। सरकार मान जाएगी तो मान जाएगी। स्थगन प्रस्ताव पर आप नहीं बोल सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने वैसे खुद ने ही निर्देश दिया कि अगर सरकार उत्तर देना चाहे तो दे सकती है। सरकार से पूछ लो कि वह उत्तर दे रही है या नहीं दे रही है। अब नहीं दे रही है तो एक घंटे बाद दे देगी।

श्री उपाध्यक्ष : आज देगी ही नहीं, 20 तारीख को देगी। आज कहां देगी सरकार?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार बैठी है न।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार बैठी है तो दिख नहीं रही है क्या आपको?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, दिख रही है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्या बात है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय आज जवाब दे दें तो इसमें आपत्ति क्या है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि काफी ऐसे मामले हैं जिनको सदन में उछालकर हम किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। यह बात सही है कि स्थगन प्रस्ताव आया था और स्थगन प्रस्ताव पर सरकार का अपना मंतव्य या जो भी जानकारी हो आसन को देने की बात थी। लेकिन आज फर्क नहीं पड़ता, सरकार को गम्भीरता से सोच लेने दीजिये, मेरे ख्याल में अभी तक इंवैस्टिगेशन एजेंसी के खिलाफ किसी को एतराज है नहीं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में इस मामले को उछालकर इसका जो महत्व है उसको कम करने की चेस्टा न की जाए। मेरा तो इतना ही निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं बन्द हो गया, झुंझुनूं में हड़ताल हो गयी, 35-35 आदमी निरपराध हैं और औरतों का धरना चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा उस पर माननीय गृह मंत्रीजी खड़े हुए हैं जवाब देने के लिए। आप बैठो न, काहे के लिए बोल रहे हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बीरबल हत्याकाण्ड की जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच चल रही है। पुलिस ने 9 नामजद मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

और अनुसंधान के दौरान कुछ नाम और सामने आये हैं। केवल चार व्यक्ति उनमें से गिरफ्तार किये गये हैं। अब तक अनुसंधान अधिकारी के सामने किसी ने यह प्रतिवेदन नहीं किया है कि हमको गलत फंसाया गया है या हमको गलत तरीके से इस प्रकरण में फंसाया जा रहा है। यह सही है, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि नामजद रिपोर्ट में एक आदमी का नाम गलत था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। मैं स्वीकार करने में तथ्य को नहीं छिपाऊंगा। एक ही व्यक्ति ऐसा आया जिसकी मृत्यु हो चुकी और एक लड़का 17-18 साल का है जिसने कोर्ट से जमानत करवा रखी है, बाकी लोग पुलिस दायरे के बाहर घूम रहे हैं। अगर उनमें से कोई दावा करता है कि मेरा नाम गलत लिखा गया है तो मैं डी.आई.जी. रेंज, जयपुर को आदेश देता हूं कि वे सत्यापन करें। लेकिन कोई प्रतिवेदन तो करे कि हमको गलत फंसाया जा रहा है। केवल राजनीतिक दृष्टि से इसको उछालने से इंवैस्टिगेशन पर असर पड़ेगा और मुल्जिम बचेंगे। मैं तो माननीय नेता महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे मामले को अगर न उछाला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूंगी कि जो 34 व्यक्तियों के नाम हैं, क्या उनमें सोनू पुत्र रामकुमार बेनीवाल 13 साल का बच्चा नहीं है? हालांकि उसे पकड़ा नहीं गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब क्या रह गया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों, प्रश्न तो पूछूंगी ही।

श्री उपाध्यक्ष : किसको प्रश्न पूछ रही हैं आप? किसमें प्रश्न पूछ रही हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बात तो पूछूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या-क्या प्रश्न पूछ रही हो? प्रश्न पूछने का प्रश्न ही नहीं है इस पर। प्रश्न पूछने का इसमें सवाल ही नहीं है, किसमें प्रश्न पूछ रही हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब इन्होंने कहा कि किसी की शिकायत नहीं आई और गलत आदमी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है तो प्रश्न तो पूछेंगे ही। आप हमें अलाउ करें।

श्री उपाध्यक्ष : कोई वक्तव्य नहीं दिया। किस बात के प्रश्न?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया, जो स्थिति थी वह बतायी है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जानकारी दी है, कोई वक्तव्य नहीं दिया। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी खुद कह रहे हैं कि जो आदमी जिंदा नहीं है उसका नाम है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो अच्छी बात है। सही बात को स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करो आप। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 12 साल के बच्चे का नाम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सही बात स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान) आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, यह इस बात को इंगित करता है कि—

श्री मदन दिलावर : सारे के सारे मनगढ़ंत नाम हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये, प्लीज। बात खतम हो गयी, फिर अब क्या है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं नाम बताऊंगी उनको। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, यह इस बात को इंगित करता है कि जो अनुसंधान चल रहा है, उसमें अगर कोई गलत आदमी है तो उसका नाम काट दिया गया है। यह इस बात को साबित करता है कि अनुसंधान निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ... ऐसे और फर्जी नाम हैं, फर्जी तरीके से नाम हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बता रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। फिर वही बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है कि_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जो मंत्री जी ने कहा उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मंत्रीजी ने कहा कि जो आदमी बाहर घूम रहे हैं उनके नाम हैं। गलत हैं तो कोई उनके पास प्रतिवेदन तो करे जिस पर वे विचार करें। कोई आदमी आकर कहे तो सही कि मेरा नाम गलत है। सुओ मोटों ही कह दें कि मुल्जिम नहीं है, ऐसे कैसे होगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया था लोगों ने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह मरा हुआ आदमी जिंदा होता तो क्या होता? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अकाल की स्थिति को देखते हुए वन क्षेत्र में पशुओं की चराई शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से राज्य में कार्यरत अनुदानित एवं गैर

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा शिक्षकों एवं अभिभावकों का कथित शोषण करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा में सायरा एवं देवला में उप तहसील कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से देसूरी में सहायक कलक्टर न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामस्वरूप, सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों को नियमानुसार पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति के ग्राम दुर्जनपुरा के सरपंच पद का कार्य अन्य को सम्भलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती यासमीन अबरार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में विद्युत आपूर्ति अनियमित होने के सम्बन्ध में।

(8) डा. करणसिंह यादव, सदस्य की ओर से नगरपालिका क्षेत्र बहरोड़ का अतिक्रमण सर्वे किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमीन खान, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राइजप खण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्राम एवं ढाणियों में पीने के पानी के संकट के सम्बन्ध में।

(10) श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, दौसा में पदस्थापित अधिकांश लेक्चरर्स के दौसा से बाहर के होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री भंवरू खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अकालग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रमजान खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गोपाराम मेघवाल। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। प्लीज बिराजें। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) श्री गोपाराम मेघवाल।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारी और कोई मांग नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में आज की तारीख में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : होगा तो व्यवस्था देगी सरकार। सरकार व्यवस्था देगी आपको। डोंट वरी। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सी.आई.डी. (सी.बी.) से इसकी जांच करवा ली जाए। उसमें कौन सी आपत्ति है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वहां लोकल पुलिस से न्याय की बिलकुल उम्मीद नहीं है। 13-13, 14-14 साल के बच्चों को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, आ रहा है। फिर आ रहा है और बोल लेना। आपको बोलने की अपरचुनिटी मिलेगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यक्तियों का नाम लिख दिया। एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दिया जो जोनल मजिस्ट्रेट था। (व्यवधान) सरकारी ड्यूटी पर था। ऐसे-ऐसे लोगों के नाम लिख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल। श्री जीतमल खांट। श्री मांगीलाल गरासिया। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। प्लीज बिराजिये। माननीय सदस्य, बैठिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिराजिये प्लीज। बहुत हो गया। श्री मांगीलाल गरासिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सायरा एवं देवला में उप तहसील कार्यालय खोलने की स्वीकृति

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप तहसील सायरा एवं देवला में स्थापित करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उप तहसील सायरा एवं देवला में स्थापित करने हेतु जिला कलेक्टर, उदयपुर से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज रखे हैं, परन्तु अभी तक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है। मेरा आग्रह है कि उपरोक्तानुसार उप तहसील कार्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति फरमावें ताकि वहां की जनता को सुविधा उपलब्ध हो सके। (व्यवधान)

आज की तारीख में लोगों को 40-40 किलोमीटर से आना-जाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर अनुगृहीत करावें। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मांग के लिए आदेश दिया था वह मांग निवेदन करने दी जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मांग भी नहीं कही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री आत्माराम मेघवाल। आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि इसकी डी.आई.जी. से जांच करवा लेंगे। ज्यादा अच्छा हो....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कहा। कहां कहा सी.आई.डी. की जांच के लिए?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि डी.आई.जी. से जांच...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि डी.आई.जी. रेंज को अगर कोई प्रतिवेदन आएगा तो उसके सत्यापन के लिए मैं आदेश दे दूंगा। कोई प्रतिवेदन ही नहीं आया। अभी हमने केवल नामजद मुल्जिमों में से केवल 9 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है। अनुसंधान के दौरान कुछ नाम और आये तो चार आदमी गिरफ्तार किये हैं। अगर कोई यह कहता है कि मैं घटना के वक्त मौजूद नहीं था, इस घटना में मेरा हाथ नहीं है और वह कोई प्रतिवेदन करता है तो इसका सत्यापन डी.आई.जी. रेंज-II जयपुर से करवा दूंगा। यह कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं कि आप डी.आई.जी. से इसकी जांच करवाने की बात कर रहे हैं, अगर कोई प्रतिवेदन उनको वहां दिया जाए। अच्छा हो कि इस काम्प्लीकेटेड मैटर में इन्वैस्टिगेशन सी.आई.डी. क्राइम को दे दी जाए। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी तक तो मुझे काम्प्लीकेटेड मैटर नजर नहीं आया, जब यह महसूस होगा तो मैं उस पर भी विचार कर सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं काम्प्लीकेटेड इसलिए है कि रोज वहां पर धरने, प्रदर्शन हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ... कई मामले डी.आई.जी. रेंज को देते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य सरकार का कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं है। अभी तक कोई मामला काम्प्लीकेटेड नहीं है। जिसका पति मरा है उससे मेरा डेली सम्पर्क है, बातचीत हो रही है और इन्वैस्टिगेशन को वह सही दिशा में मान रही है। उसके स्टेटमैंट भी मेरे पास पड़े हैं। इसलिए अभी काम्प्लीकेटेड नहीं है। विपक्ष के माननीय नेता महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वह स्थिति आएगी तो सरकार कोई भी कार्यवाही करने में नहीं हिचकेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम्प्लीकेटेड इससे ज्यादा कैसे नहीं हो सकता कि एक मरा हुआ आदमी है उसका नाम एफ.आई.आर. में लिखा है। एक का लिखा है। मरा हुआ आदमी अगर एफ.आई.आर. में है तो काम्प्लीकेशन में तो कोई कमी नहीं रही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुनने को तैयार नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसका नाम स्थानीय पुलिस ने ही निकाल दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निकाल दिया, वह नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुझे भी सुनिये। नामजद एफ.आई.आर. में होने का मतलब यह नहीं है कि जो घटना से सम्बन्धित नहीं था उसके लिए कोई हमारे

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अनुसंधान अधिकारी गलत कार्यवाही कर रहे हों। ऐसी कोई शिकायत आज तक नहीं आयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें अच्छा हो कि सारे डिस्प्यूट का समाधान हो जाए। आपकी ही पुलिस है, सी.आई.डी. क्राइम से इन्वैस्टिगेशन करवा दीजिये। दिक्कत क्या है इसमें? बहुत सीधा-सा मामला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेहरासी में भी देख चुके हो आप। मेहरासी में भी मर्डर हुआ था, चुनाव के दिन हत्या हुई थी। उसको तो आपने दे दिया सी.आई.डी. क्राइम को और इसमें आपको तकलीफ हो रही है। एक व्यक्ति लॉ ऑफ लैंड से ऊंचा हो गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अनुसंधान अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही कर रहे हैं और ऐसी हालत में हम फाइलों को ट्रांसफर करते रहेंगे तो मुल्जिम नहीं पकड़े जाएंगे, न्याय जिन लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप देखिये, एक सप्ताह के अन्दर देखिये। आप मुझे वह सबूत बताएं जिससे यह महसूस हो कि यह अनुसंधान निष्पक्ष नहीं हो रहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक मिनट में आप मेरी बात सुन लीजिये। तीन व्यक्ति जयसिंह पुत्र हनुमाना राम, नेमीचंद पुत्र लखमी चंद, सुरेश पुत्र मघाराम नाम के कोई व्यक्ति दुर्जनपुरा में नहीं हैं, ये सब मनगढ़ंत हैं। गृह मंत्रीजी, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक व्यक्ति को लॉ ऑफ द लैंड से भी ऊंचा कर दिया कि वे जैसा चाहे वैसा करेंगे। वे सांसद हैं वहां के। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरकार किसी व्यक्ति के इशारे पर नहीं चलती है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ... आपने लॉ ऑफ द लैंड से ऊंचा कर दिया वहां के सांसद को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने क्या किया? जयसिंह पुत्र किसी और को ही पकड़ लिया, नेमीचन्द पुत्र किसी और को ही पकड़ लिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या हुआ, माननीय सदस्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके बोलने की अनुमति दे रहे हो तो मुझे बता दीजिये, मैं भी तैयारी करके आऊंगा। ऐसे ऑफ हैण्ड पूछा और ऑफ हैण्ड कह दिया मैंने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.आई.डी. को दे दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं नाम देती हूं आपको। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसा अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, ऐसा अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : स्टेटमेंट का आदेश आज के एजेंडा में नहीं था, 20 तारीख को...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सी.आई.डी. को दें, मेरी मांग है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जरूरी है क्या सी.आई.डी. को देना? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी मांग है कि आप सी.आई.डी. क्राइम को सौंप दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री आत्माराम मेघवाल। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ कि धन्ना लाल की जगह पन्ना लाल को पकड़ ले गये और पन्ना लाल की जगह धन्ना लाल को पकड़ कर ले गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उस मरे हुए आदमी का नाम है तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति का।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ना, बात खतम हो गई ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...तो उसमें जवाब क्यों नहीं दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष : आ गया ना जवाब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो यह सरकार जवाब तो दें इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आ गया, मना कर दिया उन्होंने। (व्यवधान) आप फोर्स थोड़े ही कर सकते हो कि उनको देना ही पड़ेगा। आ गया जवाब।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मसले की ओर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया, उन्होंने साफ कह दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ना कोई मंत्री का जवाब आया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आपका स्थगन प्रस्ताव अभी पैंडिंग है उसके बाद में भी आपको अवसर दे दिया। आपका स्थगन प्रस्ताव जब आएगा तब आप उस पर और बोल लेना। इतना स्पष्ट जवाब दिया है, फिर क्या प्रॉब्लम है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : पेंडिंग है वह। मैं कहां कह रहा हूं कि वह डिस्पोज आफ हो गया है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...तो आप मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने तो देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आज नहीं है ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने व्यवस्था दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर वही बात कर रही हैं। व्यवस्था के लिए तो मैंने कहा था कि 17 तारीख को पुलिस की डिमाण्ड है इसलिए उस समय जवाब आ जाएगा। बाई-चांस वह 20 तारीख को हो गई तो यह 20 तारीख को आ जाएगा। इसमें क्या है। इससे पहले सरकार देना चाहेगी तो सरकार दे देगी, आपका स्थगन प्रस्ताव तो रहेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को डिमाण्ड के साथ कैसे जोड़ रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को डिमाण्ड के साथ कैसे जोड़ रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम है, ये काहे पर बोल रहे हैं? काहे पर बोल रहे हैं ये? आप यूं ही खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल जवाब आने तक ही यह सवाल....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप मेहरबानी करके बात समझने की कोशिश करिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिलाएं वहां भूख हड़ताल कर रही हैं, झुंझुनूं में आक्रोश है।

श्री उपाध्यक्ष : आक्रोश है तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। उसमें क्या बात है। सरकार आक्रोश की व्यवस्था करेगी। श्री रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...और आप कह रहे हैं कि सरकार के प्रति आक्रोश है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और सरकार सो रही है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी सरकार नहीं सो रही है, हमारी सरकार जाग रही है। आप नियमों से चलने दो सदन को। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आखिर में गरीबों के साथ क्यों अत्याचार करना चाहती है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को समझ रहे हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे भी इसमें दस्तखत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा निवेदन यह है कि वहां महिलाएं गर्मी के अन्दर

(मोहम्मद माहिर आजाद)
धरने पर बैठी हैं, न्याय मांग रही हैं, सरकार को उनके साथ न्याय करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बिराजिए। (व्यवधान) आप नीचे बैठिये। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, अभी यह पैंडिंग है। सुनिये, प्लीज सिट डाउन। स्थगन प्रस्ताव अभी पैंडिंग है। यह पैंडिंग है उसके बाद भी माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने स्पष्टीकरण चाहा है। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, सरकार ने यह मान लिया कि अगर कोई गड़बड़ होगी और ये सैटिसफाई नहीं होंगे तो अनुसंधान को ट्रांसफर कर देंगे। but he is satisfied.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीन महीने हो गये, कब हो गये सैटिसफाइड ?

श्री उपाध्यक्ष : जब उनको पता पड़ेगा कि हम सैटिसफाइड होंगे तब होंगे, और कब होंगे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह संवेदनशील सरकार है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक भी इस सरकार को यह पता ही नहीं कि वहां झुंझनूं में क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और उसके बाद भी आपका स्थगन प्रस्ताव अभी पैंडिंग है। जब टेक-अप हो तब आप बोल लेना। आउट आफ वे आपको इतना मौका दिया बोलने का, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सरकार तो पारदर्शिता की बात करती है और...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...और सरकार को अभी तक मालूम ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। श्री रामस्वरूप मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा इसमें तो यह निवेदन है, आपने कहा कि माननीय गृह मंत्रीजी 17 तारीख को इस पर अपना स्टेटमेंट देंगे...

श्री मदन दिलावर : इसी को पारदर्शी और जवाबदेही सरकार बताते हैं? (व्यवधान) और यह + + + को अभी तक पता ही नहीं पड़ा कि वहां क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से स्वर्गवासी लोगों को फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमे पेश किये गये...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलें, आप बोलें। आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : ...निर्दोष लोगों को जेल के सींखचों के पीछे डाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सरकार पहले 17 तारीख को देने वाली थी स्टेटमैंट...

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं कोई बात को। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, उस मरे हुए आदमी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो क्या गारंटी है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...17 तारीख को स्टेटमैंट देगी सरकार, अब सरकार का स्टेटमैंट कब आएगा? सरकार का स्टेटमैंट कब आएगा इस पर?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। श्री रामस्वरूप जी, बोलें, आप बोलें। आप बोलें। (व्यवधान) आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं कोई बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, पहले 17 तारीख को स्टेटमैंट देने के लिए कहा था। यह कहा था कि 17 तारीख को आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तीन दफा तो यह बता चुका हूं आपको, आप वही बात रिपीट कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं,...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...या सरकार नहीं समझ पा रही है या फिर बहुत ज्यादा समझ रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टिगेशन आफिसर को ऊपर भेजा जाए, मरे हुए आदमी को भी पकड़कर लाए। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को ऊपर भेजा जाए, वह मरे हुए आदमी को पकड़कर लाए। तीन महीने से सरकार की आंख नहीं खुल रही।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे-बैठे? रामस्वरूप जी। बैठिये प्लीज।

श्री रामस्वरूप : आपको भेज रहे हैं जल्दी, बिराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सरकार तीन महीने में निर्णय तक नहीं पहुंच पाई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महिला बोल रही हैं, माननीय सदस्या। हम लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन महिला माननीय सदस्या....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नहीं दिख रही है क्या? महिला खड़ी हो गई तो महिला के मुकाबले मूंछे खड़ी हो गई इसलिए प्रोब्लम

(श्री उपाध्यक्ष)

हो रही है। आप बैठ जाओ ना। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं मूंछ नहीं दिखा रहा हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो, बैठो प्लीज। माननीय रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...तो जवाब तो दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपका स्थगन प्रस्ताव है नहीं, आपका स्थगन प्रस्ताव अंडर कंसीडरेशन है ना। आपका प्रस्ताव जब आयेगा तो आप उस पर बोल लेना।

श्री रामस्वरूप : उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीन व्यक्ति नामजद हैं, वे तो पकड़े नहीं जा सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी सीनियर सदस्या हैं, आप समझ ही नहीं रही हैं। आपका स्थगन प्रस्ताव पैंडिग है, उस पर आएगा। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो बोल लेना ना। यह तो बीच में आप ने उठा लिया, अनुमति दे दी। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कोई प्रश्न किया और सरकार ने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े गम्भीर विषय को उठाया है, बड़ी गम्भीरता से अपनी बात कह रही है...

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? 17 तारीख को जवाब देना चाहिए था, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है?

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को, फिर वही बात हो गई। सरकार जवाब दे देगी। आपके कहने से देगी क्या जवाब?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, उन्होंने अपने जवाब में कहा कि सुधादेवी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान में...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन लोगों की आशाओं को यहां पर परिलक्षित करता है। (व्यवधान) और इस सदन के अन्दर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें, बोलें।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, साहब, मैं बोलता ही रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह इस तरह नहीं चलेगा। यह नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। जब आप समझने को ही तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्या। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मरे हुए आदमी का अपहरण में नाम, 14 साल के बच्चे का अपहरण में नाम...(व्यवधान)... और वहां आन्दोलन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने को ही तैयार नहीं हैं तो मैं क्या करूं। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) आप बोलें, बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह संरक्षण था सरकार को, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...गरीब महिला के साथ अत्याचार हो रहा है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...आप इसकी सी.आई.डी. से जांच करा दीजिये।

श्री सांवर लाल : ...यह सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है कि नहीं, यह बता दीजिये। यह सरकार सदन के प्रति जवाबदेह है या नहीं, यह बता दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान) सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। महिला माननीय सदस्या कोई बात कह रही है और...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं हो। रामस्वरूप जी का अंकित हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों को नियमानुसार पदोन्नति

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में कार्मिक मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में उच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा 1979 की रिट याचिका संख्या निर्णय दिनांक 1.3.2000 की अनुपालना में राज्य सरकार ने दिनांक 11.2.2000 को परिपत्र आदेश जारी किये हैं। क्या सरकार के सामने उक्त पदोन्नति के आदेशों को वापस

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

लेने एवं रोकने हेतु कोई मांग पत्र पेश हुआ है? यदि हां, तो कब इसकी जानकारी माननीय मंत्रीजी सदन की मेज पर रखेंगे? इसके साथ ही क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पदोन्नति के मामले में कोई आदेश जारी किये हैं? इसकी जानकारी माननीय मंत्रीजी सदन को अवगत कराएं। इस पदोन्नति के आदेशों को वापस लेने एवं रोकने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संघों, महासंघों व अभ्यर्थियों द्वारा सरकार के सामने लगातार ज्ञापन दिये जा रहे हैं। इसके संबंध में एक प्रतिनिधि मण्डल इस सदन के समक्ष निवेदन करने के लिए मेरे पास भी आया एवं एक ज्ञापन उन्होंने इस आशय के साथ मुझे दिया कि आपकी बहुत अच्छी सरकार है और यह सरकार हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेगी। अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में यह सदन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और नियमानुसार पदोन्नति देने का कष्ट करेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री रमेश खींची : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराजिये प्लीज। माननीय सदस्य, बिराजिये, आप बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। वे बोल रहे हैं न पहले। इनको खतम कर लेने दो। माननीय मंत्रीजी, उनको बोलने दीजिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी ने एक स्पष्टीकरण दिया, यह कोई आज विषय नहीं लिया गया था, आज डिमाण्ड होती तो उसके ऊपर ये पूरा वक्तव्य दे देते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बारह तारीख को व्यवस्था हुई थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी इनकी कोई तैयारी नहीं थी। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही स्टेटमैंट दिया जाना अच्छा लगता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये वर्तमान सदस्या हैं, वे भूतपूर्व सदस्या थीं, उनके हसबैंड का मर्डर हुआ। उनके मर्डर होने की तफतीश चल रही है और गृह मंत्रीजी ने यह कह दिया कि निष्पक्ष चल रही है, अगर किसी प्रकार

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

का किसी को कोई शक है तो वे उनको लिखित में दें। उसके बावजूद भी—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्हीं की नजर में निष्पक्ष न? सुधादेवी की नजर में ही निष्पक्ष है न, बाकी की में तो नहीं है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यह चाहती हैं कि तफ्तीश खतम हो जाए, मुल्जिमों को छोड़ दिया जाए और जो कत्ल हुआ है उसके बारे में कार्यवाही नहीं की जाए, यह सम्भव नहीं होगा किसी हालत में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं मुल्जिमों को छोड़ने की बात नहीं करती हूं।.

मोहम्मद माहिर आजाद : बेकसूर लोगों को फांसी पर चढ़ा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस केस को पोलिट्रिक्स में मत डालिये। यह मर्डर केस है, इसमें राजनीति मत लाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी ने—

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, अनुसंधान निष्पक्ष तरीके से चल रहा है और नामजद व्यक्तियों में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस बात को कहे कि मेरा नाम गलत लिखा गया है, इसकी फिर निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हूं। आप क्या चाहते हैं इसमें? क्यों पोलिटिकल कलर देना चाहते हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कह लेने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रीजी ने इस संबंध में कुछ बात कही है और गृह मंत्रीजी भी कह रहे हैं। गृह मंत्रीजी बार-बार कह गये कि जो लोग यह समझते हैं कि हम निरपराध हैं वे जाकर कहें। उनको डर इस बात का है कि हम जाकर जिस दिन कहेंगे हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस कारण से कोई आदमी एप्रोच नहीं करता। यहां क्वेश्चन सीधा-सा है, क्यों आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर बैठे हैं? इन्वैस्टिगेशन आज आपकी पुलिस वहां पर झुंझनूं में कर रही है, फिर इन्वैस्टिगेशन यदि आप सी.आई.डी. (क्राइम) को दे दें तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी। आप यह मत समझिये, अब जनता में जिस प्रकार का विरोध चल रहा है, आज की इन्वैस्टिगेशन में लोगों का विश्वास नहीं रहा। अगर आप सी.आई.डी. को दे देते हैं तो लोगों को एप्रोच करनी है, सी.आई.डी. के पास एप्रोच करने जाएंगे। इसमें प्रतिष्ठा कहां रह गई? लोग यह नहीं कहते हैं कि मुल्जिमों को बरी कर दिया जाए, केवल इतना-सा ही कहते हैं कि इसमें निरपराध आदमियों का नाम लिया गया है, मरे हुए लोगों का नाम लिया गया है। तीन आदमी ऐसे बताये हैं जो हैं ही नहीं। उनके नाम लिये गये हैं तो मोटे रूप से संदेह तो है ही। अब संदेह है तो उस संदेह का स्पष्टीकरण करने के लिए लोकल पुलिस की जगह आप सी.आई.डी. (क्राइम) को दे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दीजिये, क्यों इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर बैठे हैं? तो मैं समझता हूं—

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न—

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मर्डर केस है और फर्क इतना ही है कि वे आज हमारे सदन की सदस्य नहीं हैं, भूतपूर्व सदस्य हैं, उनके हसबैंड का मर्डर हुआ है। जब भूतपूर्व सदस्या यह कह रही हैं कि जो तफतीश हो रही है उसमें मुझे विश्वास है और तफतीश ठीक डाइरेक्शन में हो रही है—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसे तो होगा ही विश्वास।

श्री अशोक गहलोत : तो कम से कम उसकी भावना का आदर भी करना पड़ता है। जब वह कह रही हैं कि उसके हसबैंड का मर्डर किया, स्थानीय पुलिस तफतीश कर रही है, वह निष्पक्ष कर रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो कम से कम उसकी भावना को भी देखना पड़ता है। उसके बावजूद भी गृह मंत्रीजी कह चुके हैं कि अगर संदेह होगा, कोई निष्पक्षता में आंच आ रही हो तो मैं डी.आई.ज़ी. के लेवल पर उसकी तफ्तीश शुरू करवा दूंगा, केस को बदला देंगे। अब सी.आई.डी. (क्राइम) में ही देना है, इसके मायने यह हुए कि माननीय सदस्या जो आज हमारे सदन की मैम्बर नहीं हैं, भूतपूर्व सदस्या हैं, उसके दिमाग में यह आएगा कि चूंकि जनरली सी.आई.डी. (सी.बी.) में उसी केस को भेजा जाता है, आप तो लम्बे समय से देख चुके हैं, तो लोगों का आज तक यह है कि उस केस को वहां पर ठण्डे बस्ते में डाल दो। तो मैं समझता हूं यह अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिए अच्छा रहेगा जो माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है। मैं यह कहना चाहूंगा सदन के पटल पर माननीय सदस्यों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि मर्डर केस के अंदर कोई निर्दोष लोग नहीं फंसने चाहिए। यह न आपकी मंशा रहेगी, न हमारी मंशा रहेगी। इस पाइंट को देखते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जब एफ.आई.आर. लॉज कराई गई उसमें जो नाम दिये गये, माननीय सदस्या जो झुंझुनूं से आती हैं वे मुझसे मिल चुकी थीं। उन्होंने भी यह बात कही कि एक ऐसा नाम लिख दिया गया जो आज जिंदा भी नहीं है। उसकी तफतीश हो गई। निर्दोष लोग कुछ हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा, किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा, यह मैं आपको निश्चित तौर पर आश्वासन देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। अब क्या हुआ? अब क्या बचा? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, बैठें। उपाध्यक्ष महोदय, सी.आई.डी. (क्राइम) में—

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सदन के नेता का बयान आ गया, अब क्या कहेंगे? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बयान आ गया है तो आ गया, ऐसी क्या बात है?

श्री हरिसिंह : उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। यह परम्परा बनी हुई है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बैठें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमेशा की परम्परा यह रही है, सदन का नेता जब अपना स्पष्टीकरण देता है फिर उसके बाद में क्या क्वैरीज होती हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वैरी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : लीडर ऑफ अपोजीशन तो पूछ सकते हैं, यह भी परम्परा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जब नेता खड़े होते हैं और कोई स्पष्टीकरण देते हैं, उसकी एक अहमियत होती है सदन में। ऐसे नहीं। नहीं, आप परम्पराओं को न तोड़ें। अच्छा नहीं लगता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठे रहो न, बोलने दो न उनको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रतिपक्ष के नेता ने पहले कहा तब तो सदन के नेता खड़े हुए, प्रतिपक्ष के नेता महोदय की क्वैरीज करने पर सदन के नेता खड़े हुए। यह गलत परम्परा मत डालिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, गलत परम्परा नहीं है। मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि इस पुलिस में, सी.आई.डी. (क्राइम) में आपका विश्वास है या नहीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई बात हुई?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात क्या हुई, यही है बात। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका विश्वास ही नहीं है तो क्या बनी।

एक माननीय सदस्य : आपकी सी.आई.डी. (क्राइम) में आपका विश्वास था कि नहीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर विश्वास है तो दे दीजिये उसको इनवैस्टिगेशन।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका भी विश्वास है और हमारा भी विश्वास है।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि भूतपूर्व माननीय सदस्या श्रीमती सुधादेवी, जब वे कह रही हैं, मर्डर तो उसके हसबैंड का हुआ है और वे कह रही हैं कि निष्पक्ष जांच हो रही है उसके बाद में कम से कम हमें यह तो देखना चाहिए कि एक सदस्या थीं, माननीय सदस्या थीं इस सदन की। आज वे सदन में नहीं हैं और कह रही हैं कि उसकी जांच हो रही है, निष्पक्ष हो रही है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो विवाद है। मुख्य मंत्रीजी, विवाद यही है।

श्री अशोक गहलोत : उसके बाद में हम यहां बैठे-बैठे कहें कि सी.आई.डी. (सी.बी.) में ट्रांसफर कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, विवाद यही है। जो आप कह रहे हैं, वही विवाद है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो कहेगी। विवाद तो यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विवाद इस बात का है कि जिसका मर्डर हुआ है और जिनकी वाइफ यह कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक चल रही है, जिन लोगों के नाम लिखे गये हैं वे उनसे बिना पूछे नहीं लिखे गये हैं। विवाद ही इसी बात का है कि नाम गलत लिखाये गये। और गलत लिखाये गये उनको बचाना चाहते हैं तो कोई भी आदमी संतुष्ट होगा कि यह आदमी फंस जाए तो इनवेस्टिगेशन ठीक होगी, वह आदमी अगर फंसे नहीं तो इनवेस्टिगेशन ठीक नहीं होगी। कोई नहीं चाहता कि मर्डर का चालान न हो। किसी की नीयत नहीं है। वास्तव में जिन लोगों ने कत्ल किया है, अपराधी हैं वे जेल जाने चाहिए, सजा होनी चाहिए। इसमें हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन निरपराध आदमी फंस जाए और आप यह आर्ग्यूमेंट दें कि महिला जिसके पति की हत्या हुई है, वह इस बात को मान रही है, तो उनकी सलाह से ही तो नाम लिखे गये हैं। उनकी सलाह से ही नाम लिखे गये हैं तो न मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस आधार पर मैं समझता हूं फिर भी आप विचार कर लें। आखिर झुंझुनूं में एक महीने से आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन बेकार नहीं चल रहे हैं। महिलाएं धरने पर बैठी हैं, कभी कलेक्ट्री के सामने डिमोंस्ट्रेशन होता है। झुंझुनूं बंद हो गया। उससे ज्यादा अच्छा होता कि आप तुरंत ही इस मामले को सी.आई.डी. (क्राइम) को दे देते, अब तक इनवेस्टिगेशन हो जाती। मामले का चालान होना है, चालान हो जाता। जो निरपराध हैं उनको गिरफ्तार नहीं करना है, वे खुले घूमते और जो अपराधी हैं वे पकड़े जाते। इसमें जिद्द कौन-सी है, मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस दोनों एक ही है, वह सी.आई.डी. (क्राइम) में हो चाहे यहां हो, यह पुलिस राजस्थान की है। इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करें तो ज्यादा अच्छा है कि...

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : जो परिवादी है उसको कोई शिकायत नहीं है। आप लोग दोषियों को बचाने के लिए यह बात कर रहे हैं। जो परिवादी है उसकी कोई शिकायत नहीं है। ...(व्यवधान) जो कम्पलेनेंट है वह एग्रीव्ड ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : निर्दोषों को बचाने की बात कर रहे हैं...

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज जो एफ.आई.आर. लॉज करा रहा है, जो कम्पलेनेंट है वह एग्रीव्ड नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार आई.ओ. नहीं बदलेगा। आपकी मन की इच्छा के मुताबिक यह

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

फोरम नहीं है कि आप आई.ओ. चेंज करवा लें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जबरदस्ती में बीच में टांग अड़ा करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। वे उस जानकारी के लिए नहीं कह रहे हैं, वे तो....

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसे हर जगह 10 माननीय सदस्य आकर कहेंगे कि इसका आई.ओ. बदलना चाहिए, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्लेटफार्म नहीं है जहां आई.ओ. बदलने के लिए लॉबिंग की जाए, प्रैशर ग्रुप बनाया जाए। अगर अमुक व्यक्ति अपराधी हैं तो हैं वे सी.आई.डी. (सी.बी.) में जाने से बचेंगे नहीं और यदि नहीं हैं तो फंसेंगे नहीं। यह फोरम का मिसयूज मत कीजिये कृपा करके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये कृपया। माननीय रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मसले के बारे में निवेदन कर रहा हूं और माननीय सदस्य बार-बार इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमको मालूम है कि इनका अलटीरियर मोटिव क्या है इसके पीछे। इस चीज के पीछे असली भावना क्या है वह हमें मालूम है, पूरे राजस्थान को मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि उच्च न्यायालय की...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया आपका तो, पढ़ लिया पहले, अब रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? रामस्वरूप जी, प्लीज, हो गया आपका।

श्री रामस्वरूप : बस एक मिनट, लास्ट रह गया है मेरा। संविधान पीठ द्वारा 79 की रिट याचिका संख्या निर्णय दिनांक 1.3.2000 की अनुपालना में राज्य सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, विराजिये।

श्री रामस्वरूप : अतः सदन का ध्यान (व्यवधान) कार्मिक मंत्री जी बिराजमान हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अधिकारियों की पदोन्नति का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप, हो गया न आपका। आप तो मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे चुके उसके बाद क्या बचा है? श्री मदन दिलावर।

श्री रामस्वरूप : कार्मिक मंत्रीजी से निवेदन कर रहा था, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये प्लीज।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

दुर्जनपुरा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति इटावा की निर्वाचित सरपंच के स्थान पर किसी अन्य महिला का कार्यरत होना

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा में सुल्तान बाई (सुरताबाई) सरपंच निर्वाचित हुई हैं। मेरी जानकारी में यह आया है कि सुरताबाई/सुल्तान बाई जो रामनारायण बैरवा की पत्नी थी, का स्वर्गवास दिनांक 16.8.1996 को जल जाने के कारण हो गया था। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा के सचिव द्वारा जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण क्रम संख्या 448 पर दर्ज है तथा उसके मरने का कारण आग से झुलस कर मरना बताया है। निर्वाचक नामावली 1998 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (एस.सी.) भाग संख्या 134 की मतदाता सूची क्रम संख्या 235 पर सुरता बाई पत्नी रामनारायण पहचान पत्र संख्या 0399057 पर दर्ज है। परन्तु रामनारायण बैरवा ने श्रीमती द्रोपदी बाई पत्नी श्री फूलचन्द बैरवा निवासी कोटड़ा दार के साथ षड्यंत्र करके तथा द्रोपदी बाई ने अपने आपको रामनारायण बैरवा की पत्नी सुरतान बाई बताते हुए चुनाव लड़ा व निर्वाचित हुई। निर्वाचित मृतक महिला सुरतान बाई पत्नी रामनारायण हुई परन्तु ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा में आज सरपंच पद पर द्रौपदी बाई कार्य कर रही है।

अतः यह गम्भीर मामला है, इसकी सम्पूर्ण जांच कर या तो मृतका सुल्तान बाई को चार्ज सम्भलाया जाए तथा द्रोपदी के खिलाफ 420 आई.पी.सी. की धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। यदि मृतका को चार्ज नहीं सम्भलवाया जा सके तो पुनः चुनाव करवाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में भी शिक्षा विभाग ने मरे हुए लोगों को...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती यासमीन अबरार।

श्री मदन दिलावर : केन्द्राधीक्षक बनाया। मरे हुए लोग किस प्रकार से परीक्षा लेने के लिए जाए? रावी निवासी कमरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। आप 295 को समझते हो? यह अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किसको बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अनियमित एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिलकुल नहीं है तथा मेरे क्षेत्र एवं जिले के विद्युत विभाग के अधिकारियों का रवैया विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जनता के प्रति पूरी तरह उपेक्षापूर्ण है। गांव में डी.पी. जले महीनों गुजर जाते हैं परन्तु उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती है। इतना ही नहीं, डी.पी. जलने के वर्षों बाद तक बिजली के बिल जारी रहते हैं तथा भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने के लिए नोटिस पहुंचते रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव सेलू इसका ज्वलंत उदाहरण है। एक बार डी.पी. जलने के महीनों तक डी.पी. नहीं बदली जाती है तथा उत्तर में पूरे गांव से शत-प्रतिशत बकाया वसूली न होने का जवाब दिया जाता है। यदि 50% अथवा 75% लोगों का भुगतान जमा है तो उन्हें भी बिजली मिलने से वंचित किया जाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेढ़-दो वर्ष पूर्व जिन गांवों में तारों की चोरी हो गई थी, चुनाव के समय हमने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि नई सरकार बनने के बाद उनके गांव की रोशनी पुनः होगी। आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में महसरा, मखोली, बहतेड़, फलावटा सहित 25 गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं परन्तु किसी भी स्तर के किसी भी अधिकारी अथवा सरकारी मशीनरी को इस ओर देखने और सोचने का समय नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 4 दर्जन गांव ऐसे हैं जिन्होंने कई वर्षों से घरों में एवं खेतों में बिजली के लिए फाइलें लगाई हुई हैं परन्तु बिना रिश्वत के उन फाइलों की ओर कोई देखने वाला नहीं है। ग्रामीण दफ्तरों के चक्कर लगा-लगा कर थक चुके हैं तथा बड़ी निराशा की दृष्टि से अंधेरों को निहार रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जिनका मात्र कागजों में विद्युतीकरण किया हुआ है लेकिन गांव के लोग आज भी बिजली का उजाला देखने के लिए तरस रहे हैं। बौंली पंचायत समिति का सांखला, सवाईमाधोपुर पंचायत समिति का रईता खुर्द तथा लगभग एक दर्जन गांव इसी श्रेणी में हैं। जब भी वह या हम उन गांवों में विद्युतीकरण की बात कहते हैं तो उत्तर मिलता है कि इस गांव में अमुक सन् में विद्युतीकरण कर दिया गया है। इसी उत्तर के बाद उस गांव में विद्युतीकरण का अध्याय समाप्त।

फसल के समय सरकार की 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की घोषणा के बावजूद मेरे विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 8 घंटे छोड़ 8 मिनट भी बिजली प्राप्त नहीं हुई है। उस गांव का कृषक जब अधिकारियों को इस घोषणा के क्रियान्वयन की बात कहता है तो वे उससे बिलकुल अनभिज्ञ बन जाते हैं तथा इस घोषणा की खिल्ली उड़ाते हैं।

(श्रीमती यासमीन अबरार)

मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहर सवाईमाधोपुर, मानटाउन एवं सीमेन्ट फैक्ट्री क्षेत्र में इस गर्मी में ठीक विद्युत सप्लाई ना होने के कारण लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। पीने के पानी की सभी नलकूप मोटरें एवं सप्लाई संबंधित सभी मशीनें विद्युत से चलने के कारण उन्हें पीने का पानी भी सही तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां के बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसई. को जन प्रतिनिधि जब इन समस्याओं को हल करने का आग्रह करते हैं तो उत्तर मिलता है कि मैंने तो मंत्री को कह दिया है, मुझे यहां से रिटायरमैंट दे दो। तो क्या जब तक वह पद पर है तथा सरकार से वेतन ले रहा है उस अधिकारी का दायित्व नहीं बनता कि वह अपने दायित्व का निर्वहन करे?

अतः मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में यह मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गरीब किसान, मजदूर व शहरी व्यक्ति की पीड़ा को समझ कर तत्काल वहां पर्याप्त समय विद्युत आपूर्ति, चोरी किये गये तारों को पुनः लगाना, जली हुई डी.पी. को तुरन्त बदलना, वर्षों से लंबित विद्युत आपूर्ति की फाइलों का तत्काल निस्तारण तथा मात्र कागजों में विद्युतीकरण वाले गांवों का तत्काल विद्युतीकरण करना तथा जिन गांवों में बिजली नहीं है उनको भी विद्युत से जोड़ना आदि कामों को प्राथमिकता पर कर वहां की जनता को सुविधा एवं न्याय प्रदान करें तथा इसमें जनता के प्रति उपेक्षा बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

बहरोड नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण सर्वे

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण के सर्वे के संबंध में अलवर-बहरोड के मध्य बिन्दु से 45 फीट की दूरी पर जो अतिक्रमण चिन्हित किया गया है उसमें पुराने बस स्टैण्ड के आस-पास से बिजली घर चौराहे तक 80 प्रतिशत दुकानें व इनके ऊपर बने निवास अतिक्रमण में चिन्हित किये गये हैं जो पुराने बहरोड कस्बे का हिस्सा हैं। उपरोक्त सड़क सन् 1938 में तत्कालीन अलवर रियासत में अलवर से बहरोड़ तहसील तक बनाई गयी थी जो वर्तमान में राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में है।

तहसील बहरोड के राजस्व विभाग के रिकार्ड अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 8 गट्ठे अर्थात् 66 फीट के करीब दर्शायी गयी थी। सन् 1922-1942 के सैटलमैंट एवं सन् 1980 के मास्टर प्लान व अन्य तहसील रिकार्ड में भी इस सड़क की चौड़ाई 8 गढ्डे यानी 66 फीट ही दर्शायी गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का यह कथन है कि सन् 1990 से पूर्व इस सड़क की चौड़ाई 40-40 फीट थी जो बाद में 45-45 फीट की कर दी गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वैध तरीके से अधिग्रहण

(डा. करण सिंह यादव)

कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की व किसी भी व्यक्ति को जिसकी भूमि इस जमीन पर थी, कोई नोटिस या मुआवजा नहीं दिया गया।

उप जिलाधीश, बहरोड़ एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित किये गये दुकानों एवं ऊपर की मंजिलों के मकानों को जिनकी संख्या लगभग 150 से अधिक है, अगर तोड़ा गया तो करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय क्षति होगी और सैकड़ों लोगों को भारी हानि होगी और राज्य सरकार को इसमें कोई फायदा नहीं होगा। सरकार द्वारा बहरोड़ के मास्टर प्लान में एक बाई-पास रोड भी प्रस्तावित है। एक बार यह बाई-पास रोड बन जाएगी तो वर्तमान सड़क की कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं रहेगी।

अधिकतर दुकानदारों ने अपनी आवासीय एवं खातेदारी की भूमि पर या कानून के अनुसार जमीन क्रय कर स्वीकृति द्वारा दुकानों एवं इनके ऊपर परिसर का निर्माण किया है जो वैध निर्माण है। जिन भवनों को अतिक्रमण चिन्हित किया गया है वे उनके स्वामियों के स्वामित्व व खातेदारी की भूमि में हैं, कोई भी चिन्हित भवन मालिक अतिक्रमी नहीं है।

(13.00 बजे)

अतः निवेदन है कि बहरोड़ नगर पालिका क्षेत्र में भी जिले की अन्य नगर पालिकाओं की तरह अलवर-बहरोड़ मार्ग पर सड़क की चौड़ाई 66 फीट की सीमा का निर्धारण किया जाए ताकि करोड़ों की राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं सैकड़ों व्यक्तियों की रोजी-रोटी नष्ट न हो। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे जिलाधीश अलवर को इस मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दें।

दौसा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याता

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान। (अनुपस्थित) श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दौसा राजकीय महाविद्यालय में जितने भी लैक्चरर के पद हैं उन पर कार्यरत अधिकतर लैक्चरर ऐसे हैं जो दौसा शहर से बाहर के रहने वाले हैं और दौसा शहर में रहने का मकान किराया प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग डेली अप-डाउन करते हैं जिसके कारण ये लोग कालेज में समय पर नहीं पहुंचते हैं और कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। इससे कालेज में ये लोग नियमित रूप से उपस्थित होकर क्लास भी नहीं लेते हैं तथा अप-डाउन के चक्कर में ही लगे रहते हैं। इससे छात्रों का भविष्य बिगड़ता जा रहा है। कालेज का स्तर गिरा हुआ है तथा इसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर को इनकी निगरानी रखने संबंधी निर्देश भी दिये गये हैं परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

नहीं की गई है। इससे यहां की जनता में भारी आक्रोश है। माननीय मंत्रीजी, इस विषय में समुचित व्यवस्था करवा कर छात्रों को अनुगृहीत करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरू खान। (अनुपस्थित) श्री रमजान खान। (अनुपस्थित)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कोटपूतली स्थित कार्यालयों का शाहपुरा स्थानान्तरण

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार दिन पूर्व माननीय परिवहन मंत्रीजी शाहपुरा पधारे थे और वहां उन्होंने एक बस स्टैण्ड का उद्घाटन करते हुए यह भाषण दिया कि सर्वे कराने के पश्चात् कोटपूतली जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है कि जो कार्यालय वहां चार वर्ष से अच्छी तरह चल रहा है उसके लिए कोटपूतली की जनता की भावना को ठेस पहुंचा कर मंत्री जी ने इस प्रकार का भाषण जनता में दिया। इससे कोटपूतली की जनता बहुत उद्वेलित है, उसमें बहुत आक्रोश है और वह आंदोलन के स्तर पर चल पड़ी है। वह किसी भी हालत में इस कार्यालय को शाहपुरा स्थानान्तरित नहीं होने देगी। उपाध्यक्ष महोदय, कार्यालयों को कोटपूतली से शाहपुरा स्थानान्तरण किये जाने की एक मुहिम है जो कि बहुत पहले से चल रही है। पूर्व में भी एक्स.इएन, आर.एस.इ.बी. कार्यालय को जो कि कोटपूतली में स्थापित किया जाना था, शाहपुरा ले जाया गया और अब जलदाय विभाग ने एक्स.इएन., पी.एच.इ.डी. को यहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते हुए इसमें भी बाधा पड़ रही है और कोशिश की जा रही है कि एक्स.इएन., पी.एच.इ.डी. कार्यालय भी शाहपुरा में स्थापित किया जाए। यह प्रक्रिया है जो सतत् रूप से चल रही है और इससे पूरे क्षेत्र के लोगों में बहुत आक्रोश छाया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कार्यवाही की जा रही है वह कोटपूतली की वरीयता को कम दिखाये जाने हेतु या उसकी वरिष्ठता को किसी भी प्रकार कम किये जाने हेतु की जा रही है। अभी बड़ी हास्यास्पद और अव्यावहारिक स्कीम बीच में लायी गई थी। माननीय राजस्व मंत्री मोटवानी जी के रोगग्रस्त होने के पश्चात् जिला अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दिये गये कि वे एक ऐसा प्रपोजल बनाए कि ग्रामीण कलक्टर के नाम से शाहपुरा में एक कार्यालय स्थापित किया जाए। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। हालांकि सर्वेक्षण में या फाइल पर इस प्रकार की कोई कार्यवाही तो नहीं हो पाई लेकिन यह एक अजीब-सी स्थिति है कि ग्रामीण कलक्टर का कार्यालय इंटीरियर में खोला जाए। अगर ऐसा हो

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

गया होता या अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ऐसी भी मांग आएगी कि ग्रामीण कलक्टर मांडल में, कुम्भलगढ़ में, बांदीकुई में या राजाखेड़ा में भी स्थापित किये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को अर्ज करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अव्यावहारिक राजनैतिक निर्णय न लिये जाएं। सरकार के लिए तो सभी जगह की जनता एक समान है इसलिए हरेक का ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल इसलिए कि कहीं पर विशेष राजनीतिक प्रेशर है वहां पर वरिष्ठ कार्यालय रखे जाएं, यह नितान्त अव्यावहारिक है।

इस सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि कोटपूतली की अहमियत आज से नहीं है स्टेट के जमाने से वहां पर निजामत रही है, जबकि शाहपुरा कुछ समय पहले तक तहसील का भी स्थान नहीं पा रहा था। कोटपूतली वरिष्ठता और उसकी वरीयता को कम कर शाहपुरा पर इस प्रकार से खास ध्यान दिया जा रहा है, यह बहुत ही गलत परम्परा होगी। निश्चित रूप से कोटपूतली की जनता इस क्षेत्र को जिला कार्यालय बनाने के लिए प्रयत्नशील है और वह संघर्ष करेगी। जब तक कोटपूतली जिला मुख्यालय नहीं बन जाता है, कोटपूतली की जनता चैन नहीं लेगी। यह प्रक्रिया इसीलिये हो रही है कि शाहपुरा को ऊपर लाया जाए और उसे जिला मुख्यालय के लिये स्थापित किया जाए। महोदय, किसी की वरीयता को कम करने में कितनी पीड़ा होती है इसका अंदाज इस बात से किया जा सकता है कि यदि माननीय मुख्य मंत्री महोदय किसी की वरीयता को नजर अंदाज कर खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या को वरिष्ठ मंत्री पद दे देते हैं तो निश्चित रूप से वरिष्ठ मंत्रियों को कितनी पीड़ा होगी। मैं कहना चाहूंगा कि इसी हिसाब से कोटपूतली की जनता की भावनाओं को देखा जाए, उनकी वरीयता को भी देखा जाए। इस प्रकार जो प्रयोग चलते रहते हैं कि किसी भी वरिष्ठ कार्यालय को कोटपतूली से हटाकर शाहपुरा लाया जाए या नये प्रस्तावित हो रहे कार्यालयों को वहां रखा जाए, यह निश्चित रूप से बहुत गलत परम्परा होगी, इससे कोटपूतली की जनता बहुत आहत होगी और वह निश्चित रूप से अपना आंदोलन जारी रखेगी।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि शाहपुरा के लिए हमारे मन में पूरा सम्मान है। माननीय राजस्व मंत्री जी जो कि विराट नगर से पधारी हैं, सब डिवीजन कोटपूतली का प्रतिनिधित्व करती हैं। मेरे खयाल से कई दशकों से वे सब डिवीजन कोटपूतली या विराट नगर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वे भी कोटपूतली के हकों के लिए पुरजोर तरीके से हिमायत करें और कोटपूतली को ही जिला मुख्यालय बनाने का प्रयत्न करें, ऐसा मैं और हमारे क्षेत्र की पूरी जनता आशा करते हैं। हमें शाहपुरा से कोई द्वेष नहीं है, हम उसका सम्मान करते हैं। मैं शाहपुरा गढ़ को नमन भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि चाहे जयपुर से मिनी

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

सचिवालय वहां रख दिया जाए किन्तु जिला मुख्यालय कोटपूतली ही रखा जाए। मैं इसी के लिये प्रयत्न करूंगा, मेरी जनता इसी के लिये प्रयत्न करेगी। मैं मुख्य मंत्रीजी से पुनः निवेदन करता हूं कि वे इस ओर अपना ध्यान रखें और किसी भी प्रकार से कोटपूतली की वरीयता को नजर अंदाज न करे। किसी अन्य जगह को इसके लिए प्रश्रय न दें, यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : किसको सुनाएं? एक मंत्रीजी तो वहां + + + यहां कोई मंत्रीजी हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहो।

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी वहां स्वायत्त शासन + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं या नहीं? आप अपनी बात करो।

हाड़ौती क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती क्षेत्र के बारे में पिछली बार भी कई बार सदन में इस बात को कह चुका हूं कि हाड़ौती क्षेत्र मोस्टली बीमारियों की भयंकर चपेट में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना चपेट में है कि निरन्तर लोगों का मरना जारी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पिछले वर्ष डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। अभी भी हम हाड़ौती की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि कोटा जिले के सीमलिया क्षेत्र में 200 से ज्यादा खसरा और चिकन पोक्स के मरीज हैं। वहां एक बच्ची मर गई लेकिन डाक्टरों का अता-पता नहीं। डाक्टर अप-डाउन करते हैं, वहां देखने वाला नहीं है। चिकित्सा की तरफ ध्यान देने वाला कहीं नहीं है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले का बतावर क्षेत्र जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, वहां पर डाक्टर बैठते हैं। वहां ऐसा कोई घर नहीं है, भूलचूक से कोई परिवार निकल जाए तो अलग बात है, सब परिवारों में खसरा और चिकन पोक्स की बीमारी भयंकर रूप से आई हुई है। डाक्टर कहते हैं कि हमें तो मरने के बाद ही पता चला कि यह बीमारी है। जहां हर घर में बीमारी है और डाक्टर को पता न चले और वहां एक व्यक्ति मर जाए उसके बाद डाक्टर कहें कि हमें तो इसी दिन पता चला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोगियों के प्रति, बीमारियों के प्रति, सरकार की लापरवाही से ज्यादा हम इसे क्या कह सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटरू में खसरा और चिकन पोक्स से बडोरा में, मोटपुर में, कोटा जिले के बूडाभीत में 150 लोग बीमार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, खसरा और चिकन पोक्स से, खेडलीगंज, अटरू तहसील का मुख्यालय अटरू, रिछणदा की तापड़िया, चरडाना, सांगोद, खानपुर क्षेत्र में पीलिया की भरमार

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छीपाबड़ौद में बंजारी गांव, सहजनपुर, कलमोदिया, छबड़ा में पाली, हानाहेडी, हरनावदा खयाजी, सब में मरीजों की भयंकर भरमार है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप गलत तथ्य मत बताइये। आप अटरू के रहने वाले हैं, सुनिये, सुनिये। हरनावदा खयाजी छबड़ा में नहीं, छीपाबड़ौद में है। (व्यवधान) जानकारी रखो जरा गौर से।

श्री मदन दिलावर : मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। ये मेरे से वरिष्ठ सदस्य हैं, यह सब जानते हैं। इनको क्या-क्या जानकारी है मैं नहीं बताऊंगा, इनको बहुत सारी जानकारियां हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चिकन पोक्स और पीलिया बाबत तो आपने कह दी और मेन्टल पेशेंट जो हैं उनकी भी संख्या आप गिनाओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेन्टल पेशेंट की भी संख्या गिना रहा हूं। 12 विमंदित लोगों को ट्रक में भरकर कोटा शहर की गोवड़िया बावड़ी में छोड़ा गया। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : सीमलिया के बारे में आपने जो भी जानकारी दी है, सरकार ने कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : इसलिए जो भी जानकारी दें, सही जानकारी दें। सीमलिया मेरे क्षेत्र में आता है, वहां पर कार्यवाही की गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विवाद का विषय नहीं है। आप बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बूंदी जिले में पीलिया का रोग है, चार लोग मर गये। यह सरकार कानों में रूई डालकर सो रही है। कोटा जहां से माननीय सदस्य श्रीमान् शांति धारीवाल जी आते हैं, वहां के रेतवाली क्षेत्र में आसोपा नाम के व्यक्ति के पानी भरते हुए बाल्टी में चार इंच लम्बा सांप का बच्चा, केंचुए का बच्चा निकला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने डाक्टर से पूछा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं मोस्टली बीमारियों पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या लेना-देना मोस्टली बीमारियों से? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का सदस्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका सांप से क्या लेना-देना? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वहां पर बीमारी फैल रही है। पानी में कीड़े जाने से बीमारी फैल रही है। ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। जिस इश्यू पर आप बोल रहे हैं, उस पर ही बोलें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सांप का बच्चा बाल्टी में, मैंने डाक्टर से पूछा कि यह क्या है? यदि गलती से शरीर के अंदर चला जाता तो उस व्यक्ति की आधे घंटे के अंदर मृत्यु निश्चित थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि आपको क्या-क्या पता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी पता है कि रेतवाली क्षेत्र, महावीर नगर थर्ड, कम्पीटीशन कालोनी, रंगविहार, लाडपुरा, कर्बला, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यहां कोई जनरल नालेज का टैस्ट थोड़े ही हो रहा है? (व्यवधान) आप तो अपनी बात कहो ना।

श्री मदन दिलावर : जनरल नालेज की बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काहे को उलझ रहे हो इस पर? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पीलिया से लोग मर रहे हैं, खसरा, चिकन पोक्स से मर रहे हैं, यहां पर सुनने वाला कोई नहीं है। कोई मंत्री के + + + कोई यहां बैठने वाला नहीं है। चिकित्सा मंत्रीजी नहीं हैं, + + +। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका एक आसन बचा है, आप ही एक उदारमना हैं, आपके सामने हम दिल खोलकर अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे पास आकर + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दर्जनों लोग हाड़ौती में इन बीमारियों के ग्रास बन गये हैं। पानी की स्थिति तो ऐसी है कि बूंदी में, हिंडोली क्षेत्र में 10-10 दिन से पानी नहीं मिलने के कारण चर्म रोग होने लग गया है। भयंकर चर्म रोग हो रहा है, लोग कुचरते-कुचरते परेशान हैं। किसको जाकर कहें? इतना भयंकर रोग हाड़ौती में कभी नहीं हुआ था। गंदा पानी पिलाने के कारण और पानी के अभाव में लोगों को टट्टियां लग गई हैं। पानी नहीं मिलने के कारण से इतना गड़बड़ हो गया है कि निमोनिया होने लग गया है। (व्यवधान) अंग्रेजी में बोलें तो लूज मोशन होने लग गये हैं। अंग्रेजी में बता रहे हैं, इसको लूज मोशन कहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, इस रोग की तरफ से चेतावनी दे रहा हूं कि रोगियों को नहीं सम्भाला गया तो आने वाले दिनों में सैकड़ों लोग मौत के ग्रास बनेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं सम्भली तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन किसी को मरने नहीं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

देगी। यह चेतावनी दे रहा हूं, कान खोलकर सुन लें। हाड़ौती से आने वाले माननीय सदस्य इस प्रकार से बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

चूरू जिले में आवंटित अस्वास्थ्यकर चीनी

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरल और अच्छे रसद मंत्रीजी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि तीन महीने के इन्तजार के पश्चात् चूरू जिले को चीनी आवंटित हुई। चीनी इस तरह की आवंटित हुई है मैं साथ लेकर आया हूं, कि उसको अगर पशु को भी खिला दें तो पशु भी उसको नहीं खाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सारी चीनी डीलर्स के माध्यम से जनता के पास पहुंची और डीलर्स ने वापस आकर यह कहा कि यह चीनी जनता नहीं ले सकती, चीनी अस्वास्थ्यकर है, तो जिला रसद अधिकारी ने आदेश जारी किया, फरमान जारी किया कि दो दिन के अंदर या तो जो चीनी आवंटित की गई है वह चीनी उठा लें वरना आपके लाइसेंस निलम्बित कर दिये जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो चूरू के अंदर पहले से ही तापमान आज की तारीख में भी 44 और 46 डिग्री के बीच में है और अगर इस तरह की चीनी का इस्तेमाल हो गया तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह की बीमारी फैलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। यह कहकर सरकार बच नहीं सकती कि यह सारी चीनी का वितरण कानफेड के द्वारा होता है। चीनी मिल जहां से राजस्थान के अंदर चीनी आती है वहां क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है। जांच की बात यह है कि सब स्टैण्डर्ड चीनी आ गई। चीनी आने के बाद यह चीनी वितरित हो, इससे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह की चीनी क्यों आई? रसद मंत्रीजी, आप संवेदनशील हैं, चूरू के अंदर तो यह बात सामने आ गई, राजस्थान में कितनी जगह पर इस तरह की चीनी मिलीभगत से षडयंत्रपूर्वक किस-किस को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब जनता में वितरित की जा रही है और इससे कितने लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक तरफ तो केन्द्र सरकार ने 1999 की जनगणना के आधार पर हमें चीनी का आवंटन चालू कर दिया, वह तो आप कर नहीं रहे और दूसरी तरफ आप इस तरह की चीनी लोगों को देकर, मैं समझता हूं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी मांग है आपसे कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएं, चीनी आवंटित हुई तो क्यों? चीनी सब-स्टैण्डर्ड की थी, उसकी शिकायत जिला कलक्टर को हुई, डी.एस.ओ. को हुई। उसके बाद डी.एस.ओ. ने किस स्तर पर यह फरमान जारी किया कि यही चीनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको बेचनी पड़ेगी? मैंने आपसे सुबह दूरभाष पर भी बात की थी, सबसे पहले टेलीफोन करके, मंत्री महोदय, इस चीज को रूकवाएं। मेरे पास लगातार टेलीफोन आये हैं वहां के डीलर कह रहे हैं कि हमें धमकी मिल रही है कि या तो इस चीनी को हम लें वरना हमारे लाइसेंस निलम्बित हो जाएंगे। अगर डीलर ने यह चीनी ले ली और डीलर के माध्यम से जनता के बीच पहुंच गई तो जिस तरह की महामारी फैलेगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है क्योंकि आपमें और आपके पड़ौस में बैठे कोटा से आने वाले माननीय मंत्रीजी में बहुत फर्क है। आप में संवेदना है। आप इन संवेदनाओं को देखते हुए इस पर जल्दी से जल्दी, सख्त से सख्त कार्यवाही करने का एलान करें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी डिमाण्ड पर बोलेंगे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...और जो भी दोषी है उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही करें कि राजस्थान में यह संदेश चला जाए कि रामकिशन वर्मा की निगाहों में अगर कोई अनियमितता आती है तो वह चाहे कोई हो, किसी दल का हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी हो, उसको बख्शता नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस सदन में कुछ न कुछ कहें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल।.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है, कुछ तो बोलें। कुछ तो श्रीमुख खोलें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो टेबल कर दूं, साहब?

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्रीजी संवेदनशील हैं, कुछ करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जनता का मामला है। निश्चित रूप से आप यह तो कह दो, रूकवा देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्रीजी कह दें कि रूकवा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेबल करना चाहता हूं। देखें तो सही, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चीनी को देखें तो सही।

श्री मदन दिलावर : कोई खाएगा तो मर जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसकी दुर्गंध से इसको खाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, यह देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : तो रख दिया ना। यहां रख दी ना टेबल पर आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह देखें, यह देखें, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों के जीवन के साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड)

किस तरह का खिलवाड़ है। (व्यवधान) कुछ तो करें।

राजस्थान में पेयजल संकट

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल। आर्डर प्लीज। दिलावरजी, विराजिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार राजस्थान में पेयजल का विशेष गम्भीर संकट चल रहा है और इस पेयजल के संकट के निवारण की व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर पा रही है इसलिए सैंकड़ों जानवर पेयजल के अभाव में मर रहे हैं, त्राहि-त्राहि मची हुई है। चाहे पश्चिमी राजस्थान लें, चाहे हमारा अजमेर जिला या राजस्थान का कोई भी जिला लें, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, आदमी दो-दो कोस तक पानी के लिए भटकता रहता है। कुए सूख रहे हैं, बावड़ियां सूख रही हैं, हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। नये हैण्ड पम्प के लिए एम.एल.ए., एम.पी. ने पैसा दिया, उन हैण्ड पम्पों को खोदने की और चालू करने की कोई व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा नहीं करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए लोग बहुत परेशान हैं। पीने का पानी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता में आना चाहिए। माननीय सहायता मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं सहायता राज्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत गम्भीर संकट है। पुराने जमाने की कहावत है :

"रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून।"

परन्तु आज तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रभावी योजना नहीं बनायी गयी है जिसकी वजह से लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक हो रहा है कि जिन गांवों में बीसलपुर का पानी जाने के लिए लाइनें डाल दी गयी हैं उन गांवों के अन्दर भी पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्रीजी अभी विराजमान हैं। एक गांव में पानी देना था, मैंने कहा, इस गांव में पानी क्यों नहीं जा रहा है? कि साहब, हमने बिजली की डिमाण्ड राशि जमा करा दी परन्तु बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए वहां पर नहीं जा रहा है। मैंने कहा, क्यों नहीं हो रहा है? कि साहब सामान ले जाने के लिये साधन नहीं हैं। ऊर्जा मंत्रीजी, आम आदमी, किसान होता है, अपने कनेक्शन के लिए जैसे तैसे, दुःख-सुख पाकर सामान ले जाने के लिए ट्रैक्टर लाता है, कोई गाड़ी की व्यवस्था करता है। परन्तु जो सहकारी महकमा है, उसके लिए भी सामान पहुंचाने की व्यवस्था नहीं होगी और समय पर आप बिजली नहीं देंगे तो लोगों की क्या हालत होगी? आपका महकमा अगर समय पर यह कार्यवाही नहीं करेगा तो लोगों को बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा और लोग मर भी सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे जो मामले आएं, उन पर आपको भी ध्यान देना चाहिए।

(श्री सांवर लाल)

टैंकर का जहां तक सवाल है, कई गांवों में तो टैंकर लग गये किन्तु कुछ गांव ऐसे हैं जहां टैंकर नहीं लगे हैं। जहां पर टैंकर लग गया वहां पर रोज के टैंकर तो चाहिए चार जबकि आधा टैंकर, एक टैंकर जा रहा है। जो टैंकर जाते हैं उनमें पानी सही है या नहीं है, कौन चैक करता है, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। जन-प्रतिनिधियों के सामने वे टैंकर खाली नहीं होते हैं इसलिए इसमें भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार पैसा भी लगाती है, उस पैसे का लाभ अगर जनता को नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से यह सरकार की बदनामी का सवाल है। इसलिए ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था कीजिए जिससे पानी जानवरों के लिए मिल सके, पशुओं के लिए मिल सके, आदमियों के लिए मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो फेमिन के काम चल रहे हैं, बहुत कम काम चल रहे हैं। लोगों में आपसी झगड़े हो रहे हैं। सहायता मंत्रीजी, पहले आप कहते थे कि भारत सरकार पैसे नहीं दे रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार तो दसवें वित्त आयोग के बाद हर तीसरे महीने आपको पैसे देती है। भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। आपने और पैसा मांगा, और भी पैसा आपको दिया है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर जब अकाल पड़ता है तो जनसंख्या समान रूप से प्रभावित होती है। इसमें भी भेदभाव हो रहा है। किसी ग्राम पंचायत में 300 श्रमिक लगा दिये, किसी में 30 श्रमिक लगे हुए हैं। माननीय सहायता मंत्रीजी, यह भेदभाव आप मत करें। अकाल के अन्दर सब लोगों को परेशानी होती है और सबके साथ समान रूप से आप व्यवहार अगर नहीं करेंगे तो आखिर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। भगवान के घर नहीं देंगे तो भारत सरकार के पास जवाब देना पड़ेगा। कम से कम आप यह तो व्यवस्था करें कि जितनी आप लेबर दें, प्रभावित लोगों को बराबर दें। आपने आज तक पेमेण्ट किया नहीं। आखिर इस भीषण गर्मी के अन्दर लोग मिट्टी डालते हैं, क्योंकि पक्का काम तो आपने चलाया नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, आप मैनेज कर नहीं सकते हैं। जो कच्चे काम हैं, जो अपनी गेंती और फावड़े लेकर जाते हैं, 50-50, 60-60 रुपये के लिए, कल्पना कीजिए उन लोगों की इस धूप के अन्दर। उनको आज तक फेमिन का एक पैसा नहीं मिला। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे अजमेर जिला हो, चाहे मेरे भिनाय विधान सभा क्षेत्र का, अखबार रंगे रहते हैं रोज अगर आप पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत तो आपका भी दिल पसीजता होगा कि आखिर मैं मंत्री हूं और राजस्थान की जनता किन अभावों के बीच में जूझ-जूझ कर लड़ रही है और जी रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष नहीं कहकर, सहायता मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कमेटियां बनाने से, कभी अफसरों की बना दी, कभी

(श्री सांवर लाल)

माननीय मंत्रीगण को भेज दिया, उससे तो काम चलेगा नहीं। व्यावहारिक धरातल पर आइये, भुगतान समय पर कराइये। चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कीजिये। अगर आपने शीघ्र कदम नहीं उठाया तो इन दो महीनों के अन्दर, राजस्थान के अन्दर पशुधन जो अपना महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसानों की जीविका का साधन है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसानों की जीविका का साधन है, वह पशुधन नष्ट हो रहा है और गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर लाना पड़ेगा। इसलिये मैं यही निवेदन करूंगा, इन सब पहलुओं पर, माननीय सहायता मंत्रीजी, कुछ तो स्थिति स्पष्ट करें, बताएं आप कि क्या करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्दजी जैन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर जिले में पेयजल का गम्भीर संकट

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं बाड़मेर जिले और साथ-साथ बाड़मेर नगर की पीने के पानी की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बाड़मेर जिले में अभी स्थिति यह है कि वहां पर 1800 गांव हैं और 1800 गांवों में से मैं कह सकता हूं कि 200 गांवों के अलावा दूसरे सभी गांवों की स्थिति बहुत ही खराब है। बाड़मेर नगर में भी अभी जो पानी का संकट है, वैसा मैं बराबर, लगातार देख रहा हूं। मैं पहले भी विधान सभा का सदस्य रहा हूं और पीने के पानी की योजना बनाने में मेरी सक्रिय भूमिका रही है। अभी जिस प्रकार की स्थिति है वैसा पीने के पानी का संकट बाड़मेर शहर में कभी भी पैदा नहीं हुआ। बाड़मेर शहर में कुछ क्षेत्रों में हफ्ते में दो दिन, कुछ क्षेत्रों में हफ्ते में तीन दिन और कुछ क्षेत्रों में हफ्ते में कभी-कभी एक बार पानी मिलता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पीने के पानी से सम्बन्धित ही नहीं हैं, तो वहां पानी का प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं है। वहां पर कोई पाइप लाइन कनेक्शन ही नहीं है। इस सम्बन्ध में स्थिति बहुत ही खराब है। अभी मैं विशेष तौर से जिस बात पर जोर दे रहा हूं, वह यह है कि बाड़मेर नगर और बाड़मेर जिले के 410 गांव और जैसलमेर जिले के 147 गांव, इनके बारे में मोहनगढ़ से बाड़मेर तक की योजना 1994 में बनाई गई थी। उसका सर्वेक्षण किया गया। वह प्रिलिमिनरी सर्वेक्षण था। मैं जब विधान सभा का सदस्य बना तो 20 अप्रैल, 1999 को जब पानी की समस्या पर बहस चल रही थी, मैंने मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था कि बाड़मेर शहर और बाड़मेर जिले के 410 गांव और जैसलमेर के 147 गांव हैं उनकी हालत बहुत ही बुरी है। बाड़मेर नगर की जो योजनाएं बनी हुई हैं, वह भाड़खा....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। आपने मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया, मंत्रीजी का स्टेटमैंट आ जाने दीजिए उसके बाद आप कोई और पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। पहले आप उनका स्टेटमैंट आ जाने दीजिये, 131 के तहत आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं-नहीं, ऐसा है मैं थोड़ी-सी जानकारी उनको दे दूं। इस योजना के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मौका देंगे न।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जवाब देने में इनको सुविधा रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप नियम से चलिए। आपने मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप उनका स्टेटमैंट सुन लीजिए उसके बाद क्वैरी कीजिये। I will allow you.

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं नियम कानून जानता हूं। नहीं, स्टेटमैंट तो मैं उनका सुनूंगा लेकिन दो मिनट में ही थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित कर देता हूं बाड़मेर नगर के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप डिटेल में जा रहे हैं फिर। पांच मिनट में तो कर दिया आपने।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं-नहीं, इसमें जो विशेष बात कहनी थी वह बात नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इतने सीनियर मैम्बर हैं, आप समझिये इस बात को। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अभी उनका स्टेटमैंट सुन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Let the statement come. उसके बाद आप वापस पूछ लेना।

श्री दिग्विजय सिंह : ध्यान ही आकर्षित किया है, पानी नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अभी दो मिनट में मैं अपनी बात कह देता हूं। मैं ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था है 131 में कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझे नहीं, व्यवस्था मैं दे रहा हूं न। (व्यवधान) आप क्या बता रहे हो? क्या सिखा रहे हो आप मुझको? बता दिया मैंने, कह दिया मैंने। आप जो कहना चाह रहे हैं वह मैंने कह दिया न। वे दो मिनट बोलना चाहते हैं तो बोल लें अब। आप क्या चाहते हो? आप जब बोलते हो तो बंद कर देता क्या मैं

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको? मान लो बोलना चाहते हैं दो मिनट तो आपको क्या तकलीफ है, बोल लेने दो। मैं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं इस चीज को।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, जहां तक नियम का सवाल है, इसका मतलब मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बोलेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बोलेंगे। बहुत ही जरूरी है।

श्री अमराराम (धोद) : तो जो समस्या हैं इसके बारे में (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। आप बैठिये, अब काहे को बहस कर रहे हो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री कहां हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री बैठे हैं न।

श्री वृद्धिचन्द जैन : भाड़खा नलकूप से जिसमें यह योजना बाड़मेर नगर से सम्बन्धित है, उस नलकूप से अभी स्थिति यह है कि करीब 51 ट्यूबवैल्स नाकारा हो गये हैं और उनकी एज 2 टू 3 ईयर्स है। सैंड निकलती है। लिग्नाइट होने के कारण वे ट्यूबवैल सक्सैसफुल नहीं हो रहे हैं। उसके कारण लगातार ट्यूबवैल खराब होते जाते हैं और फिर दूसरे ट्यूबवैल लगाते हैं, धड़ाधड़ खर्च किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में पुनर्गठित योजना भी बनायी गयी थी, उस पुनर्गठित योजना की 15 करोड़ की मंजूरी नहीं की गयी। साढ़े चार करोड़ की और योजना बनायी गयी थी, वह भी मंजूर नहीं की गयी। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मंत्री महोदय कि इस सम्बन्ध में बहुत ही विकट समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। अभी 25 लीटर प्रति व्यक्ति पानी बाड़मेर नगर में पहुंच रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में 15 लीटर प्रति व्यक्ति पहुंच रहा है और पानी की क्वालिटी ऐसी खराब हो गयी है कि 2800 टी.डी.एस. हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में व्याप्त पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री वृद्धिचन्द जैन ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बाड़मेर जिले के बाड़मेर शहर एवं तहसील बाड़मेर के 211 ग्राम, शिव के 88 ग्राम, बायतू के 105 ग्राम एवं चौहटन के सात ग्रामों सहित बाड़मेर जिले के कुल 411 ग्राम एवं तहसील जैसलमेर के 141 ग्राम, तहसील पोकरण के छह ग्रामों सहित जिला जैसलमेर के 147 ग्रामों की पेयजल व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है : —

बाड़मेर शहर : — बाड़मेर शहर की जनसंख्या 1991 की जनगणनानुसार 68625 है। भाड़खा के लगभग पांच किलोमीटर

(डा. जितेन्द्र सिंह)

क्षेत्र में स्थित भाड़खा, बोथिया में बने वर्तमान में चालू 19 नलकूप एवं एक डी.सी.बी. वैल से एम.ई.एस. पोलीटैक्निक इत्यादि एवं पाइप लाइन के निकट स्थित ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के पश्चात् औसतन लगभग 50 लाख लीटर प्रति दिन बाड़मेर शहर को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। भाड़खा, निम्बला एवं उसके आस-पास बने नलकूपों में भू-जल का स्तर विगत 15 वर्षों में लगभग तीन मीटर ही नीचे गया है। अतः पानी का स्तर बहुत नीचे नहीं गया है। नलकूपों की औसत आयु दो-तीन वर्ष नहीं है बल्कि औसत आयु लगभग छः वर्ष है। यह सही है कि भाड़खा क्षेत्र में बनाये गये नलकूपों में से 45 नलकूप विभिन्न तकनीकी कारणों से, विशेष भू-गर्भीय संरचना के कारण एवं भू-गर्भ में लिग्नाइट होने के कारण असफल हुए हैं। अतः भू-जल में कमी होने के कारण भाड़खा में नलकूप असफल नहीं हुए हैं तथा नलकूपों से पानी की उत्पादन क्षमता में भी गिरावट दर्ज नहीं की गई। वस्तुतः वर्तमान में नलकूपों में महीन सैंड के कारण सुरक्षित उत्पादन ही लिया जा रहा है। बाड़मेर शहर की वर्ष 2000 की जनसंख्या एक लाख की बजाय 88,000 होने की सम्भावना है। बाड़मेर शहर को उपलब्ध कराया जा रहा पेयजल विभाग के प्रचलित मानदंडों के अनुसार पीने योग्य है। भाड़खा नलकूपों से बाड़मेर शहर को वर्ष 1965 से निरन्तर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, अतः यह कहना उचित नहीं है कि भाड़खा स्रोत अविश्वसनीय है। भाड़खा में छः नये नलकूप बनाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 12/99 को जारी की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र : प्रस्ताव में वर्णित बाड़मेर जिले के 410 गांवों में से 400 गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। शेष तीन अलाभान्वित ग्रामों में से चैक हड़वा गैर आबाद है एवं दो गांवों में प्रजापतों की ढाणी एवं ग्राम आदर्श बस्ती बिशाला की जनसंख्या 1991 की जनगणनानुसार क्रमशः 108 एवं 100 है, को पानी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सात गांवों को छोड़कर शेष गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 363 हैण्ड पम्प स्थापित हैं जिनमें से 330 चालू हैं। समस्याग्रस्त सात ग्रामों में आवश्यकतानुसार परिवहन कर टैंकर से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

जिला जैसलमेर—ग्रामीण क्षेत्र:— प्रस्ताव में वर्णित जैसलमेर जिले के 147 ग्रामों में से 139 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना से लाभान्वित हैं जिन्हें विभिन्न स्थानों पर बनाये गये 25 नलकूपों द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। एक ग्राम हैण्ड पम्प योजना से छः ग्राम पी.एण्ड टी. योजना से तथा एक ग्राम टांका योजना से लाभान्वित है।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के उक्त ग्रामों में भविष्य में संतोषजनक एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाये रखने हेतु सतही

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जल स्रोत से योजना प्रस्तावित की जानी है। पूर्व में बनाये गये बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को रिव्यू करके विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाये जाने हेतु बाड़मेर व जैसलमेर के अधीक्षण अभियन्ताओं एवं दो अधिशाषी अभियन्ताओं को सम्मिलित करके एक समिति बनाई गई थी। वर्तमान में अधीक्षण अभियंता एवं टैक्निकल असिस्टैंट (मुख्य अभियंता), जोधपुर की अध्यक्षता में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल खण्ड प्रथम, जोधपुर के अधिशाषी अभियंता को भी उक्त समिति में अक्टूबर, 99 में सम्मिलित किया गया है। समिति की रिपोर्ट आने पर राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार वित्त की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योजना की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

इन्दिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल हेतु योजनाओं की तकनीकी जांच एवं आवश्यक अध्ययन के पश्चात् इस बारे में अन्य एजेंसी जैसे वायु-सेना, रीको, बी.एस.एफ. इत्यादि को वर्ष 2021 की मांग प्रस्तुत करने एवं समानुपातिक लागत वहन करने हेतु लिखा जा चुका है, जिसकी सहमति अपेक्षित है।

आगामी ग्रीष्म ऋतु में जलापूर्ति की समस्या की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए बाड़मेर जिले हेतु लगभग 674 लाख रुपये एवं जैसलमेर जिले हेतु लगभग 274 लाख रुपये की विभिन्न कार्यों की विभिन्न मदों में स्वीकृति जारी की गई है। इन योजनाओं के स्रोत एवं अन्य कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जाकर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखी जा सकेगी। अतः वर्तमान में बाड़मेर जिले में उपरोक्तानुसार पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 20 अप्रेल, 1999 को जो भाषण दिया गया था उस भाषण के अन्दर यह विश्वास दिलाया गया था कि हम छः माह के अन्दर विस्तृत सर्वेक्षण कराकर प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, परन्तु 12 महीने होने को आये हैं विस्तृत रिपोर्ट के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है और न प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई है। हम यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके इस नाइन्थ फाइव ईयर प्लान के लास्ट ईयर्स में इसको सम्मिलित किया जाए, अन्यथा पीने के पानी का संकट जो अभी पैदा हुआ है और ज्यादा संकट हो जाएगा। इसलिए इस सम्बन्ध में हमें पूरी जानकारी दें और इसको नाइन्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर ही सम्मिलित करें और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी तैयार करें ताकि पीने के पानी की माकूल व्यवस्था हो सके। जब तक यह योजना लागू नहीं होती है तब तक के लिए 15 करोड़ की पुनर्गठित योजना प्रस्तुत की गयी है और उसके बाद में साढ़े चार करोड़ की योजना प्रस्तुत की गयी है क्योंकि मोहनगढ़ में परमानैंट सोल्यूशन में टाइम लगेगा। आपने अभी कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया कि हम पुनर्गठित योजना

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बना रहे हैं या किस प्रकार की योजना बना रहे हैं। 630 लाख रुपये हैं इससे समस्या का हल नहीं हो सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आप क्या जवाब इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देवीलाल जी, बैठो एक मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, है। बाद में पूछोगे या साथ में पूछ रहे हो? पहले पूछ लो। पहले पूछना चाहते हो?

श्री हेमाराम चौधरी : जब भी आप मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इनका जवाब दे दें उसके बाद या पहले पूछना चाहते हो?

श्री हेमाराम चौधरी : जवाब देने के बाद पूछ लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका है न? बुलाऊंगा मैं आपको। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने 30 अप्रेल, 2000 को हाउस के अंदर इस बारे में पूछा था और माननीय मंत्रीजी ने उन्हें आश्वासन दिया था। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इन्हें अवगत कराना चाहूंगा कि उसी संदर्भ में 31.5.1999 को दो इंजीनियर बाड़मेर के, दो एसई. जोधपुर के और एक टैक्निकल असिस्टेंट, (चीफ इंजीनियर), जोधपुर में है, की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। लेकिन बीच के अंदर कुछ हड़ताल का समय भी आया। जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह प्रोजेक्ट था कि मोहनगढ़ में इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट से पानी लेकर बाड़मेर के गांवों को और जैसलमेर के गांवों को सप्लाई किया जाए। यह एक बहुत वृहत् योजना थी और इसके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा होना था। इसके प्रथम सउण्ड के अंदर एयर फोर्स बीच में आती है, एमई.एस. आती है और दूसरे जो अलग-अलग विभाग बीच में आते हैं उनसे इन लोगों ने क्वैरीज की हैं कि कितनी वाटर क्वांटिटी चाहिए एयरफोर्स को और एमई.एस. को और इस पूरे प्रोजेक्ट में उनका क्या शेयर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह उनसे डिमाण्ड की गयी थी जो उन्होंने अभी तक अपनी डिमाण्ड भेजी नहीं। अभी अक्टूबर के अंदर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जोधपुर के एसई. हैं उनको भी इस कमेटी में जोड़ दिया गया है और अतिशीघ्र उनसे मांग की गयी है कि वे अपनी डिमाण्ड्स और उनका जो इसके अंदर सहयोग रहेगा उसके बारे में अवगत कराएं इस कमेटी को। उसके बाद में इसके ऊपर आगे समुचित कार्यवाही की जाएगी। आफ कोर्स, लिफ्ट की उपलब्धता के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था परन्तु मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : लग गया न। बोल रहे हो आप।

श्री हेमाराम चौधरी : बोलने की आपने अनुमति दी है। आज की जो कार्य सूची है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसमें क्या करते? उसमें भी बोलते ही।

श्री हेमाराम चौधरी : उसमें मेरा नाम नहीं था, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। यह तो ठीक है बाद में मुझे मालूम पड़ा और यहां काफी प्रयास किया तो बड़ी मुश्किल से जाकर मुझे बोलने का अवसर मिला, मेरा नाम जुड़ा है। आसानी से कार्य सूची में जैसे वृद्धिचन्द जी का नाम आया वैसे मेरा नाम नहीं आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पीने के पानी की समस्या का समाधान करवाने के लिए हमें कितनी कसरत करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया कि बाड़मेर जिले में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछना चाहो, जानकारी लेना चाहो तो ले लो। वक्तव्य दे दिया जो दे दिया।

श्री हेमाराम चौधरी : प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भाड़खा एक सोर्स है, उस एक अकेले सोर्स के ऊपर 45 नलकूप खराब हो गये हैं, यह आपने अभी स्वीकार किया है। ऐसे उस बाड़मेर जिले में सैकड़ों सोर्स हैं। इस तरह नलकूप खराब होते जा रहे हैं, पानी का जल स्तर घटता जा रहा है और पानी पीने लायक नहीं है। उसमें टी.डी.एस. फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? यह तो हमारी मजबूरी है कि हम उस पानी को पी रहे हैं। यदि हम उस पानी को पीएंगे नहीं तो बिना पानी के तो जिंदा रहने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कैसा भी पानी हो, उसको पीना तो पड़ेगा और उसको पीने से हम जिंदा तो रहते हैं। आयु हमारी कम होती जा रही है वहां पर। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा तो मुझे भी कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करें। आप जो जानकारी चाहते हैं, वह पूछें।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अभी भाड़खा आपने एक सोर्स का ही उल्लेख किया, इस सोर्स का ही आप ले लो। क्या यहां निर्धारित नार्म्स के अनुसार पानी है? यहां निर्धारित नार्म्स के अनुसार पानी नहीं है लेकिन फिर भी आप हमको पिला रहे हो और हम भी खुशी से पी रहे हैं। वह इसलिए पी रहे हैं कि यदि यह पानी नहीं पीएंगे तो फिर आखिर पीएंगे क्या? क्या हम यह सोचें कि पीढ़ियों तक हम इसी पीने के पानी को पीते रहेंगे? या हम सरकार से यह उम्मीद करें कि कभी हमें भी स्वच्छ जल पीने को मिलेगा? जब जोधपुर जिले के सभी गांवों को हिमालय का पानी मिल सकता है तो बाड़मेर जिले ने ऐसा क्या अपराध किया है कि बाड़मेर जिले को हिमालय का पानी नहीं मिल सकता? आप धन की कमी बता रहे हैं,

(श्री हेमाराम चौधरी)

धन की कमी तो हमसे दूर होगी नहीं। यह धन की कमी को तो हम दूर कर नहीं सकते। इस कमी को दूर करेगी तो भी सरकार ही करेगी। यह योजना हजार-करोड़ रुपये के आसपास थी, आपने भरतपुर के लिए इस बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया है पेयजल योजना के समाधान के लिए? जयपुर के लिए कितना प्रावधान किया है? दूसरे जिलों के लिए कितना किया है? क्या आप इस मोहनगढ़ में इंदिरा गांधी कैनाल से पीने का पानी लाने के लिए एकमुश्त राशि की व्यवस्था नहीं कर सकते? आज बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं है। पैसे खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। आप उधर कम कर दो। लेकिन इस योजना के महत्व को समझें और महत्व को समझकर आप बाड़मेर जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने ही अभी बताया कि एयरफोर्स, एमई.एस. से हमने डिमाण्ड मांगी है कि आपको कितने पानी की आवश्यकता है। एयरफोर्स, एमई.एस. जो हमारे देश की रक्षा करती हैं उनको हम पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो फिर यह हमारे लिए बहुत बुरी बात है। किसी भी समय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, क्या आप इस योजना को लागू करेंगे? यह पूछ रहे हैं, जवाब दे दो।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मूल बात तो यही है न कि आप स्कीम को कब लागू कर सकते हैं, यही जानना चाहते हो न आप।

श्री हेमाराम चौधरी : हमारे वहां प्रति वर्ष मिलिट्री एक्सरसाइज करने आती है, हजारों की तादाद में जवान आते हैं, उनके लिए पानी अलग से चाहिए। वे भी पानी इसी पानी से पीते हैं। बिजली वहां बराबर मिलती नहीं है। पी.एच.ई.डी. वालों को जब कभी हम कहते हैं, जो मौजूद योजना है उसके बारे में भी एक ही जवाब मिलता है कि लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, के सिवाय उनके पास कोई दूसरा जवाब नहीं है। फिर आखिर इस पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा कैसे? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप इस योजना को लागू करना चाहते हैं या नहीं? आपने जवाब दिया कि 30 मई, 99 को एक कमेटी का गठन कर दिया और यह कमेटी रिपोर्ट देगी इस योजना के बारे में, कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या है, क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक साल कमेटी को बने हो गये इसके बाद में इन्होंने प्रगति इतनी ही की है कि जोधपुर से एक अधिकारी को लगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनका जवाब सुन लीजिए, बिराजो।

श्री हेमाराम चौधरी : यह जवाब क्या संतोषप्रद है? एक अधिकारी को हमने उस

(श्री हेमाराम चौधरी)

कमेटी के अंदर और डाल दिया, उससे क्या हुआ? आप दस अधिकारी उस कमेटी में और डाल दो, उससे क्या होगा? अगर आप काम करने वाले उसमें लगाते, काम करने वाला स्टाफ लगाते, कोई एसई. है, एक्सईएन. है, चीफ इंजीनियर है, अलग से आप उनको डैपूट करते, जिनका काम केवल इस योजना को बनाना और बनाकर रिपोर्ट करना, उसके लिए धन की व्यवस्था करना, बजट में कोई प्रावधान करना, इस प्रकार की आपकी मंशा हो तब तो बात समझ में आती है। केवल आप विधान सभा में आश्वासन देते रहो, उन आश्वासनों से तो कुछ होना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या से अधिक दिक्कत कोई मैं समझता हूं मनुष्य के लिए नहीं है। अगर इसको भी आप हल नहीं करो तो फिर हम दूसरी क्या समस्या रखें? इसलिए बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं और मंत्रीजी से यह अनुरोध करता हूं कि इस योजना पर आप कब तक काम शुरू कर देंगे, तब जाकर काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बाड़मेर जिले में योजनाएं बनायीं। आप धन की कमी की बात करते हो, मैं कहता हूं अरबों रुपये आप योजनाओं पर लगा चुके हो, सिर्फ पाइप लाइनें बिछी हैं और जी.एल.आर. बनी हैं। उन पाइप लाइन और जी.एल.आर. से पब्लिक को क्या फायदा हुआ? जो जी.एल.आर. बने हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनके अन्दर कबूतरों ने अपने घोंसले बना रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्रीजी, बोलिये। आप इनका जवाब सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या वहां कबूतरों के घोंसले बनाने के लिए आपने पैसा खर्च किया? जी.एल.आर. बनाये, पाइप लाइन लगायी, उन पाइप लाइन और जी.एल.आर. पर आज की तारीख में आप कुछ तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनका जवाब तो सुनिये।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर जिले में ऐसी कितनी पाइप लाइन कितने किलोमीटर तक लगी हुई है जिसमें एक बूंद पानी नहीं जा रहा है। कितने ऐसे जी.एल.आर. हैं जिसमें आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है, जिसमें कबूतरों के घोंसले बने हुए हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनो तो सही उनकी।

श्री हेमाराम चौधरी : आज उनको यह तो देखना चाहिए कि क्या वहां पानी जा सकता है तो ही लाइन डालें। पीछे पानी का प्रोडक्शन है तो ही लाइन डालें अन्यथा क्या फायदा? उपाध्यक्ष महोदय, पानी तो पीछे है नहीं और लाइनें डाल दीं, जी.एल.आर. बना दिये। लोग हमको गालियां देते हैं। हम सुन-सुन कर तंग आ गये। आखिर किस को कहें? इसलिए मंत्रीजी इसका सही जवाब दें।

डा. जितेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 1965 से लेकर 1999 तक जो मैंने ट्यूबवैल के बारे में बताया था कि बाड़मेर के 45 ट्यूबवैल आउट ऑफ आर्डर हुए, वे करीबन 30 वर्ष में आउट ऑफ आर्डर हुए। उसका मुख्य कारण यह है कि जो स्ट्रेटा है बाड़मेर का, वहां पर बेस के अन्दर लिग्नाइट है और वहां से फाइन डस्ट और ग्रेवल्स जाकर उसको चोक कर देते हैं। अमूमन एक ट्यूबवैल की छः वर्ष के लिए लाइफ है। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों ट्यूबवैल खराब होते जाते हैं उन ट्यूबवैल को रिप्लैस करके विभाग नये ट्यूबवैल की स्वीकृति देता जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय बाड़मेर से आने वाले सदस्य और श्री हेमारामजी ने कहा, यह निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि राजस्थान में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाय। यह जो कमेटी का निर्माण किया गया है इसके पीछे भी यही मंशा है कि शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाए। इसमें विलम्ब निश्चित रूप से हो रहा है लेकिन उसके कई अन्य कारण हैं। सरकार बाउंड है इस बात के लिए कि एयर फोर्स, रीको और सबको पानी दिया जाए। इसके लिए सरकार बाउंड है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा वित्त के ऊपर निर्भर करेगा क्योंकि बहुत बड़ी योजना है। मोहनगढ़ से बाड़मेर तक की योजना में करीब एक हजार करोड़ से ऊपर का एक्सपेंडीचर है तो सरकार की वित्त की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है और सरकार की प्रायोरिटी में यह डैफिनिटली है इसीलिए सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है और इसकी रिपोर्ट ले रही है। मैं आशा करता हूं कि कमेटी कि रिपोर्ट आएगी तो इसके बारे में वित्त की उपलब्धता पर सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर के लिए 1600 करोड़ रुपये एक साथ मिल सकते हैं, बाड़मेर के लिए हजार करोड़ रुपये नहीं मिल सकते?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इनको भरतपुर से क्या परेशानी हो रही है? इतने सालों से भरतपुर उपेक्षित था, आज भरतपुर के साथ न्याय हुआ है। आप अपनी मांग रखो, हम को कुछ दिया है उसमें क्यों विरोध कर रहे हो?

श्री हेमाराम चौधरी : हम यह विरोध नहीं करते। हमको भी तो मिल सकते हैं न। या यह कहते हो कि आपको नहीं मिलेंगे? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि हम को भी समकक्ष लाओ, यह थोड़े ही कह रहे हैं आपको बंद करो।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, बंद की नहीं कहते हैं। हमको भी तो मिल सकते हैं न। यह कितने वर्षों से कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो हम भी तो कर रहे हैं न। हमारे कमेटी बने एक साल हो गया, उस कमेटी की सालभर के अन्दर कितनी मीटिंग हुई हैं, उस पर क्या हुआ, यह बता दो। हुई एक-दो मीटिंग? एक साल में कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। एक बोलो न।

श्री हेमाराम चौधरी : आप उस कमेटी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारी समस्या का समाधान करेगी?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आखिर इस योजना को कब तक आप शुरू करोगे और कब तक कम्प्लीट करोगे और कब तक पानी पहुंचा दोगे, यह स्पष्ट कर दीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि कब तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर को जोड़ दिया जाएगा, माननीय सदस्य, मैं आपको इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि ज्यों ही यह रिपोर्ट हमारे पास आती है, सरकार की प्रायोरिटी है और सरकार निश्चित रूप से इसके अन्दर कार्यवाही शुरू कर देगी। ज्यों ही यह रिपोर्ट सरकार के पास आएगी, आप विश्वास रखें, यह प्रायोरिटी है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कब तक रिपोर्ट आएगी?

डा. जितेन्द्र सिंह : अतिशीघ्र।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी मांग संख्या-29 एवं 20 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, म्हारो तो ओर ही नहीं आयो है। मनै इजाजत दो, हुकूम।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सब्जैक्ट कोनी यो, बिराजो। (व्यवधान) आपको मोको आवै जद बोल लीजो। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, पानी क बारा म बोलवा दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। प्लीज बिराजें।

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, पानी की तो माया है, पानी के ऊपरै ही आप मनै टेम न दे रिया हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो यह दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, जवाब आ गया आपका। इससे बैटर जवाब आपको मिलेगा ही नहीं, आप बोले जाओ, क्या फायदा होगा इससे?

श्री हेमाराम चौधरी : यह बैटर जवाब है?

श्री उपाध्यक्ष : बस, इससे बैटर मिल ही नहीं सकता। उन्होंने कह दिया कि अतिशीघ्र आएगी।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो राज्य मंत्री हैं, जिनको जवाब देना चाहिए.....

श्री उपाध्यक्ष : अब राज्य मंत्री हैं, जैसे हैं वैसे हैं, मैं क्या करूं?

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्रीजी उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी आज हाजिर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हैं तो नहीं हैं। जरूरी नहीं है। इसमें मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। श्री शांति धारीवालजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी : इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मनै भी बात केवा द्यो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। देवीलालजी, बिराजो।

श्री देवीलाल बैरवा : हमारे क्षेत्र के मायनै पानी की बड़ी समस्या हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ऊभा है, बिराजो। मंत्रीजी ऊभा है, सामनै, बिराजो।

श्री देवीलाल बैरवा : मंत्रीजी तो ऊभा है पण या पानी की बात है। पानी कै तो जीव, जनम या जिंदगी ही ई पर निर्भर रेवै है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : अतिशीघ्र कह दिया...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : पानी तो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो और चाहे मिनख हो, पानी कै ऊपर तो सब की जिंदगी है और पानी कै ऊपर ही आप टाइम नहीं दे रिया। पानी की तो माया है, हुकूम।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री शांति धारीवालजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,79,11,04,000 (चार अरब उनासी करोड़ ग्यारह लाख चार हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29, मुख्य शीर्षक— नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि : —

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. पीलीबंगा मण्डी की सीवरेज योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

2. जैसलमेर नगर की कच्ची बस्तियों के नियमन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

3. टाउन प्लान की निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पालना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

4. सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के लिए विशेष अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

5. होटल रेजेन्सी औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी द्वारा ग्राम भिवाड़ी की सिवाय चक भूमि (गै. मु. जोहड़) पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में आसियाना द्वारा बिना भू-रूपान्तरण के आवासीय बहुमंजिले इमारत बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में अरावली कोरजिंग, पंकज कोरजिंग और वर्तमान में गणपति प्लाजा द्वारा बिना एन.सी.आर. की स्वीकृति के भूमि का उपयोग बदले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में आसीयाना प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना एन.सी.आर. की स्वीकृति के भूमि का उपयोग बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में हनुमान प्लाजा द्वारा बिना एन.सी.आर. की स्वीकृति के भूमि उपयोग बदले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

10. नगरपालिका, गंगापुर जिला-भीलवाड़ा को विभाग द्वारा समय-समय पर विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

11. नगरपालिकाओं को वापस चुंगी लगाने के अधिकार दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

12. नगर निगम, जयपुर द्वारा पूर्व में कर्मचारियों की अनियमित की गई नियुक्तियों के मामलों में कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

13. नगरपालिका, लाडनूं के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध आडिट आक्षेपों की राशि वसूल नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

14. नगरपालिका, नागौर के अध्यक्ष के विरुद्ध चल रही कार्यवाही में शिथिलता बरतने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

15. नगर निगम, जयपुर द्वारा सामान खरीदने के मामलों में किये भ्रष्टाचार के उपरान्त भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

16. नगर आयोजना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

17. राज्य की निर्वाचित नगर पालिकाओं के अधिकारों पर राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

18. राज्य में गुजर धरती, लूनकरण का हत्ता, पादरी की लाइन, जादूघर, गूजर टीला कच्ची बस्ती का नियमन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा),

श्री सांवर लाल (भिनाय),

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

19. राज्य सरकार द्वारा कोटा शहर में बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. कोटा एवं बारां का मास्टर प्लान के आधार पर विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

श्री मदन दिलावर (अटरू)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) एवं

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

21. राज्य में अतिक्रमण हटाने के नाम पर थड़ी होल्डर व गरीब लोगों को बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

22. नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

23. राज्य में नगर पालिकाओं को आर्थिक सुधार हेतु पुनः चुंगी वसूली के अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. नगरपालिका, परबतसर के निलम्बित चेयरमैन के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच में शीघ्र कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

25. परबतसर नगरपालिका के भवन में स्थित एक दल विशेष के कार्यालय को खाली कराये जाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री मोहन लाल चौहान)

26. नगरपालिका, परबतसर को विशेष अनुदान दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

27. बाड़मेर शहर के टाउन प्लान में व्याप्त कमियों को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

28. शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हुए आवासीय दबाव को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. जयपुर शहर के सौन्दर्यकरण योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

30. राज्य के विभिन्न शहरों में हो रही अव्यवस्थित बसावट को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

31. चूरू में अतिक्रमण के नाम पर विस्थापित को वैकल्पिक रोजगार मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नगर पालिका, चूरू व रतननगर को अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. चूरू नगरीय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. राज्य सरकार द्वारा चूरू शहर में बिना नगरपालिका को विश्वास में लिए बिना ही अवैधानिक तोड़फोड़ किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35. विभाग द्वारा चूरू नगरपालिका को मनोरंजन राशि उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

36. राज्य में कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. सीकर में रोडवेज बस डिपों के पास गन्दे पानी की निकासी हेतु विभाग द्वारा पहल नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. लोसल नगर पालिका सीकर में रैगर बस्ती के जल निकासी हेतु नाला बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. राज्य सरकार द्वारा आपरेशन पिंक से फुटपाथ व्यवसायियों को उजाड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-20 आवास की प्रस्तुति

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,93,10,000 (नवासी करोड़

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

तिरानवे लाख दस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्यां-20 पर कटौती प्रस्ताव

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. राज्य में आवासीय व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

2. आवासन मण्डल में आवास वितरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

3. राज्य में निर्धन लोगों के कच्चे मकान पक्के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

4. आवासन मण्डल की प्रताप नगर, जयपुर में निर्माणाधीन स्वच्छ जलाशय योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

5. सरकार की आवास नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

6. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिये मकानों की राशि का समायोजन तथा बकाया विवरण आवंटियों को मार्च, 2000 तक उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

7. हाऊसिंग बोर्ड को दिये जा रहे अनुदान के हो रहे दुरुपयोग पर चर्चा के लिए।

8. आवासन मण्डल में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखे जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

9. आवासन मण्डल द्वारा घटिया मकान बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

10. विधान सभा क्षेत्र करौली में आवास व्यवस्था के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

11. राज्य की आवास समस्या यथावत रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

12. विभाग द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों को आवासन मण्डल द्वारा विशेष योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

13. राज्य में व्याप्त आवासीय समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. आवासन बोर्ड द्वारा शुरू किये गये अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

15. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक प्रभावशून्य अवैधानिक निर्णय के आधार पर प्रभावशाली व्यक्तियों को मकान व भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

16. जयपुर स्थित मानसरोवर योजना में खसरा नम्बर 207, 208 हाल खसरा नम्बर 110 मिंन स्थित ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर में 15 प्रतिशत विकसित भूमि पट्टा खातेदारों के अलावा अन्य को पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

17. राजस्थान में बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान में आवास नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान आवासन मण्डल से आवंटियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यकलापों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

21. चूरू स्थित आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी में सड़क नाली व स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु मण्डल द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. चूरू में आवासन मण्डल के अधूरे पड़े मकानों का निर्माण पूर्ण कराने हेतु मण्डल द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-29 एवं 20 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-29 एवं 20 के संदर्भ में कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर आबादी के अनुपात में 22.88 प्रतिशत नागरिक नगरीय क्षेत्र में बसते हैं जिनकी रोजमर्रा की आवश्यक समस्याओं से उस क्षेत्र की पालिका या नगर परिषद को जूझना पड़ता है। इन कठिनाइयों से अपने आपको कुछ भयभीत पीड़ित और परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन

(श्री जनार्दन गहलोत)

नगरपालिकाओं की हालत पूरे राजस्थान में चरमरायी हुई है। हालत यह है कि कर्मचारियों की तनख्वाह ही मिलना मुश्किल है। वे नगरपालिकाएं या नगर परिषदें अपने क्षेत्र के नागरिकों के विकास का काम तो दूर रहा, न वो सड़कों का निर्माण कर सकते, न नालियों का निर्माण कर सकते। राजस्थान के अन्दर जब से भारतीय जनता पार्टी ने चुंगी को हटाया है, चुंगी के हटने के बाद नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब हो गयी है। और मैं

(14.00 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सोचता हूं कि आज एक दयनीय स्थिति है पूरे राजस्थान में। माननीय मंत्री महोदय चाहे बार-बार विभाग से चर्चा करें लेकिन बजट के अन्दर ऐसी कोई विशेष योजना नहीं बनी है जिसके अनुरूप कुछ पैसा राजस्थान सरकार ने देने की कोशिश की हो, अतः जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नगरपालिकाओं को मिल नहीं पा रहा। छोटी नगरपालिकाओं की हालत तो इतना गम्भीर रूप धारण कर चुकी है कि वहां अगर नगरपालिकाएं न रहें तो मैं सोचता हूं कि हम लोग ज्यादा सुखी रह सकते हैं क्योंकि कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलने पर हड़ताल करते रहते हैं। सफाई कर्मचारी इसलिए हड़ताल करते हैं कि उनको छः-छः महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के दबाव में आकर, बड़े आपरेटर्स के दबाव में आकर चुंगी का टैक्स समाप्त कर दिया। राजस्थान की सरकार जब आज कांग्रेस पार्टी की है तो मैं सोचता हूं कि इस पर पुनः चिन्तन करने का समय आ गया है और यह चिन्तन इसलिए आवश्यक है कि नगरपालिकाओं की स्थिति सुधारनी है। नगरपालिकाओं के अन्दर चुंगी लगायी जानी चाहिए आप अगर राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं का विकास चाहते हैं तो। माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, सबको अपने-अपने क्षेत्रों की जानकारी है। वहां की नगरपालिकाओं की जो स्थिति बन चुकी है, मैं सोचता हूं विधायकों से छिपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में, माननीय मंत्री महोदय, मंत्रिमण्डल के अन्दर इस मामले को आपको दुबारा ले जाना चाहिए ताकि इस पर चिन्तन हो। मैं सोचता हूं कि इस सम्बन्ध में आत्म विश्लेषण सभी माननीय सदस्य करेंगे। कोई आर्थिक स्रोत नगरपालिकाओं को और दिया जाए चाहे वह सिनेमाओं से मिलने वाला टैक्स हो, चाहे और कोई टैक्स हो। उनका कोई आधार बने और नगरपालिकाओं की पैसे की पूर्ति होती हो तो वह निकालना चाहिए, नहीं तो नगरपालिकाओं के अन्दर दुबारा से चुंगी लगायी जानी चाहिए। राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं से कोई सार्वजनिक विकास के काम नहीं हो रहे हैं और बन्द पड़े हैं। उनको चालू करवाया जाए। यह कोई मैं राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। जो हालात हैं उन हालात को गम्भीरता से

(श्री जनार्दन गहलोत)

लिए बिना अगर हम सोचें कि जो बात बी.जे.पी. ने कर दी उसको हम वापस नहीं ले सकते, तो मैं सोचता हूं कि यह सोच गलत होगा। इसलिए चुंगी को वापस लागू करना चाहिए ताकि नगरपालिकाओं की स्थिति सुधर सके।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत आपने एक लाख गुमटियां राजस्थान में लगाने का फैसला किया है। एक तरफ अतिक्रमण हटाने की बात थी, दूसरी तरफ जिन गरीब लोगों के पास पैसों का अभाव है उन्हें आज रोजगार मिल नहीं रहा, नौकरियों में कोई स्थान नहीं मिल रहा। हमारे काफी नौजवान आज बेरोजगार बैठे हैं। उन नौजवानों को कोई रोजगार मिल सकता है यह सोचकर मुख्य मंत्रीजी ने जो एक लाख गुमटियां बनाने का फैसला किया है इसके लिए मैं सरकार की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। उससे नौजवानों को रोजगार मिल पाएगा लेकिन मैं सोचता हूं कि जरा-सा पुनः मूल्यांकन कर लें साइज जो आपने बनायी है उस बारे में। थोड़ा-सा आपको री-थिंकिंग करना चाहिए, जो साइज रखा वह मेरे खयाल से थोड़ा कम है। अगर थोड़ा साइज बढ़ाया जाए और उनको भी आवासीय इलाकों के अन्दर मुख्य सड़कों से हटाकर लाएं तो मैं सोचता हूं कि इसका ज्यादा फायदा होगा। हर जगह नयी कालोनी बनती जा रही हैं, उनको अपने एरिये में पान की दुकान मिल जाए, वहीं जूते गांठने वाला मिल जाए, वहीं धोबी मिल जाए, वहीं सब्जी बेचने वाला मिल जाए और वहीं पर रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए सामान मिल जाए क्योंकि हर आदमी शहर नहीं जाता। कालोनियों के अन्दर गुमटियों को स्थाई स्थान पर बनाकर प्लेटफार्म बनाकर बैठाएंगे तो अतिक्रमण भी नहीं बढ़ेगा और रोजगार भी मिल जाएगा। अगर घर में कोई नहीं हो तो बच्चे भी सामान खरीद सकते हैं, औरतें भी खरीद सकती हैं। ऐसी स्थिति में उन कालोनियों के बीच में गुमटियों का प्रावधान इस ढंग से करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा मिल सके।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में 1990 से लेकर 1998 तक कच्ची बस्तियों का कोई नियमन नहीं हुआ। मुझे याद है सन् 1972 के अन्दर हरिदेवजी जोशी की सरकार थी और जयपुर शहर से मैं भी एम.एल.ए. था। उस समय कच्ची बस्तियों का अभियान चलाकर लोगों को मालिकाना हक दिलवाया गया था। उसके बाद 1990 से 1998 तक कच्ची बस्तियां बढ़ती गयीं लेकिन पिछली सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आपने हिम्मत की और हिम्मत करके 534 कच्ची बस्तियों का नियमन किया और आगे भी काफी करने की योजना आप बना रहे हैं, यह बहुत अच्छा काम किया है। पट्टा जिसको मिलेगा, मुझे मालूम है। मेरे घर पर एक सफाई करने वाली औरत आती थी, उसने कहा कि

(श्री जनार्दन गहलोत)

आज मुझे पट्टा मिलने वाला है और मैं दो घंटे के लिए जाना चाहती हूं। मैंने कहा कि तेरे को किस बात का पट्टा? बोली साहब, पहली बार हमको इस बात की खुशी है कि सरकार हमारा नाम पट्टे में जोड़ रही है। हमारा आदमी दारू पीकर उस मकान को बेच देता, मेरा नाम पट्टे पर होने से अब यह मकान नहीं बिकेगा। यह एक अच्छी बात आपने की है। आज गरीब तबके के अन्दर सबसे ज्यादा शोषण होता है तो वह महिला का होता है और महिलाओं का नाम पट्टे के ऊपर अंकित कर निश्चित रूप से आपने अच्छा काम किया है, यह सराहनीय है।

खास तौर से एक समस्या और है। कच्ची बस्तियों के अन्दर बार-बार हम सर्वे करते हैं लेकिन एक आदमी कहीं बैठता है कच्ची बस्ती में, उसके साथ दूसरा आदमी आकर बैठ जाता है, फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है और वह कच्ची बस्ती वाला फिर किरायेदार रख लेता है। मैं सोचता हूं इसका स्थाई हल आपको निकालना पड़ेगा ताकि दुबारा कच्ची बस्ती आगे नहीं बने। यह न हो कि एक तरफ नियमन होता जाए, दूसरी तरफ कच्ची बस्ती दुबारा वैसे ही बनती जाए। यह सही बात है कि कई जगह स्कूल के ऊपर, कालेजों के ऊपर, सरकारी जमीनों के ऊपर, प्राइवेट जमीनों पर और फोरेस्ट की लैण्ड के ऊपर लोग कच्ची बस्ती बनाकर बैठे हैं। यह एक बड़ा अभिशाप है। सांगानेर से जब आते हैं बड़ी अच्छी रोड लगती है। वी.आई.पी. लोग निकलते हैं। लेकिन जब रामबाग के चौराहे से निकलकर आते हैं और कठपुतली बस्ती सामने दिखती है, तो अभिशाप लगता है जयपुर शहर। जयपुर शहर के लिए अभिशाप लगता है। मैं सोचता हूं पूरे जयपुर की शान और शौकत उधर से निकलते ही खतम हो जाती है। वह जमीन प्राइवेट हो सकती है लेकिन मैं मानता हूं कि आपको और सरकार को इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। ऐसी कच्ची बस्तियों को आइडेन्टिफाई पहले करके उनको दूसरी जगह बसाएं तो जयपुर को जो आप सुन्दर बनाना चाहते हैं उसका आधार बन सके। इसके अन्दर यह भी पहले आइडेन्टिफाई हो जाना चाहिए कि जिनको हम हटा रहे हैं उनको जमीन मिल जाए, आर्थिक मदद मिल जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के अन्दर थड़ियां थीं। पूरे चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार और किशनपोल के अन्दर थड़ियां थीं जब मैं यहां विधायक था। मैंने यह योजना बनवायी थी और जयपुर की सारी थड़ियां उठाकर इन्दिरा बाजार बनाया गया। जयपुर के अन्दर सारे पुरुषार्थी बैठे थे, आज इन्दिरा बाजार बनाया हुआ मेरी देन है। वह मेरी योजना के तहत बना है लेकिन हमने किया है। हमने यह किया है कि उस जगह नाले के ऊपर जो लोग बैठे थे उन लोगों को ले जाकर एन.बी.सी. के सामने जो बरकत कालोनी बनी हुई है वहां बसाया। उस समय कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनवाकर उनको पूरी

(श्री जनार्दन गहलोत)

आवासीय सुविधा उपलब्ध करवायी। कई ऐसे गरीब लोग थे जिनकी मकान बनाने की हैसियत नहीं थी। उनको आर्थिक मदद दिलवायी सरकार से और वह कालोनी बनी। इसी प्रकार आज भी मैं चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी में भी कुछ करने की तमन्ना है, इस बात को पूरा राजस्थान जानता है। आपको लोग याद करेंगे लेकिन स्थाई स्वरूप देने के लिए आपको कुछ कड़वे निर्णय करने पड़ेंगे, जैसी हिम्मत आप दिखा रहे हैं इसको और बढ़ानी पड़ेगी। हम यह नहीं चाहते कि गरीब लोगों को आप उठा-उठाकर फेंक दें। उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा दें, पानी बिजली की सुविधा उपलब्ध करवा दें लेकिन जिन शहरों के अन्दर कच्ची बस्तियां आ रही हैं उन सारे लोगों को हटाएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों के नियमन के अन्दर राजस्थान सरकार ने सभी जगह सर्कुलर भेजे, सभी नगरपालिकाओं को लिखा, कलेक्टर्स को लिखा कि सर्वे करके रिकार्ड भिजवाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस की नगरपालिकाएं थीं वहां तो सर्वे हुआ है और वहां पर नियमन का रिकार्ड भी बना है तथा उनके कागज भी पहुंचे हैं लेकिन बी.जे.पी. की जहां नगरपालिकाएं हैं वहां पर आज तक पट्टे नहीं दिये गये। मैं अपने करौली क्षेत्र की बात बताऊं, एक पट्टा अभी तक नहीं दिया क्योंकि वहां पर नगरपालिका बी.जे.पी. की है। मैं सोचता हूं राजस्थान भर में यह हालत है। बी.जे.पी. के लोगों की इन कच्ची बस्तियों को नियमन करने की नीयत नहीं है इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिलाधीश महोदय को यह पाबंद करें कि जहां जहां सर्वे नहीं हुआ है वहां दुबारा सर्वे करवाएं। जिन्होंने पट्टे नहीं दिये हैं उनको पाबंद करवाएं कि कलक्टर अपनी अध्यक्षता में इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। मैं सोचता हूं कि अभी बी.जे.पी. की जहां-जहां नगरपालिकाएं हैं वहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि हरिदेव जी जोशी के जमाने में भूमि रूपान्तरण का फैसला हुआ था, मुझे याद है कि शिवचरण जी माथुर के मुख्य मंत्री काल में भूमि रूपान्तरण का फैसला हुआ, बरकत साहब के मुख्य मंत्री के समय में भूमि रूपान्तरण का फैसला हुआ। उसके बाद भैरोंसिंह जी की सरकार में भी भूमि रूपान्तरण का फैसला हुआ लेकिन मैंने पहली बार देखा कि फोरेस्ट डिपार्टमैंट बीच में आ रहा है, दूसरे विभाग बीच में आ रहे हैं तथा विभागों के आपस में टकराव की वजह से आज तक भूमि रूपान्तरण सही मायने में संभव हो ही नहीं पाया। यह क्रेडिट आज जाती है तो शांति धारीवाल जी को जाती है कि उन्होंने सारे विभागों का सामंजस्य करके भूमि रूपान्तरण के फैसले किये। लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं, कि सरकार की नीयत जो भी हो, सरकार करना कुछ भी चाहती हो उसको अमली जामा

(श्री जनार्दन गहलोत)

पहनाने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की है, कलक्टर की है। आपने इस बात का फैसला नहीं किया कि उसको इम्प्लीमैंट करने में अगर कोई अधिकारी कोताही करेगा तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे। आज हालत यह है कि सरकार अच्छे नियम बनाये, सरकार अच्छा फैसला करे लेकिन कहता हूं माफ कीजिएगा, आपसे ज्यादा चतुर तो अधिकारी हैं। मंशा सरकार की क्या है उसको घुमाने का माद्दा आई.ए.एस. अफसर में जो है वह शायद किसी में नहीं है क्योंकि सब यह मानते हैं कि आई.ए.एस. अफसर सबसे ज्यादा समझदार आदमी होता है। वह फोरेस्ट में भी एक्सपर्ट, वह माइन्स में भी एक्सपर्ट, इस सीट से उठकर माइन्स में चला जाए तो वहां एक्सपर्ट, फोरेस्ट में जाए तो वहां एक्सपर्ट, वही लोकल बाडीज में जाए तो वहां एक्सपर्ट। मुझे समझ में नहीं आता वे कहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। सारी ट्रेनिंग आई.ए.एस. के अन्दर ही होती है क्या? मैं देखता हूं जिसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, वह जाते समय जिस पोस्ट पर होता है जिस पोस्ट की ट्रेनिंग लेकर आया है उस पोस्ट पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको लगाया तक नहीं जाता। यह भैरोंसिंह जी के राज में मैं देखता रहा। भैरोंसिंह जी के राज में मैं देखता था कि अधिकारी जिसमें ट्रेनिंग लेकर आया वह अधिकारी वापस आया तो दूसरी जगह लगा होगा, उसका इस्तेमाल वहां नहीं किया। ऐसी स्थिति में कि राजस्थान की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस को मैन्डेट दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस मैन्डेट को आपने नहीं संभाला और सरकारी अधिकारियों के बलबूते पर अगर अपन फेल हुए तो माफ करना, जनता बख्शने वाली नहीं है। इसके लिए भी एक जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी कि इसको क्रियान्वित कैसे करें।

मुझे मालूम है कि कई भूमि रूपान्तरण के मामले राजस्थान के अन्दर पैंडिंग हैं, विचाराधीन हैं। लोग एप्लीकेशन देते हैं, पैसा लेकर खड़े हैं, तैयार हैं देने को लेकिन वे कागज कहां ढूंढें? उस बाबू को जब तक आप कुछ पत्थर नहीं रखोगे, वजन नहीं रखो उस कागज के ऊपर तब तक वह बाबू नहीं चलता। बाबू जो लाइन लिख देगा वह फाइल सी.एम. तक जाती है सीधी। उसी पर तो डिप्टी सैक्रेटरी बस करता जाता है, उसके बाद सैक्रेटरी करता जाता है और उसके बाद कमिश्नर कर देता है, फिर मंत्री कर देता है और फिर मुख्य मंत्री कर देता है। बाबू सबसे बड़ी चीज है इस राज के अन्दर। बाबू की कलम को बदलने वाला जमाना चला गया उसको वापस लाना पड़ेगा। वह जमाना कुम्भारामजी का जमाना था, वह नाथूरामजी का जमाना था, दामोदर व्यास का जमाना था, मथुरादास माथुर का जमाना था। आपके जो मंत्रिमण्डल में बैठे हैं उन्हें मथुरादास माथुर कुम्भाराम, नाथूराम बनना पड़ेगा जैसे शांतिजी कुछ हिम्मत दिखा रहे हैं। आपको वह बनना पड़ेगा। कानून क्या

(श्री जनार्दन गहलोत)

होता है? मैं सोचता हूं कानून वह होता है जनता ने जिनको चुनकर भेजा, चुनी हुई सरकार की जो मंशा है वह कानून है। इस कागज को घुमा दिया इधर, उस कागज को घुमा दिया उधर, क्या तरीका है? आज मैं बताऊं, पिछले राज के अन्दर जयपुर डवलपमैंट आथोरिटी में बड़े-बड़े भू-माफिया, बड़े-बड़े बिल्डर्स, भंवरलालजी तो हैं नहीं, अभी राठौड़ साहब बैठे हैं होते भंवरलालजी तो मैं पूछता, पिछले नौ साल के अन्दर कच्ची बस्ती का एक का पट्टा नहीं दिया गया लेकिन जयपुर शहर में बिल्डर्स को जितने नक्शे पास हुए शायद किसी राज में नहीं हुए। मैं गिनती करके दे सकता हूं। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, कोई उसके मुकाबले के अन्दर बिल्डर्स के हितों की रक्षा जितनी बी.जे.पी. के राज ने की, किसी राज ने नहीं की नौ साल के अन्दर चाहे वह मोहनलाल जी हो, जो हाउस में नहीं हैं मैं नहीं लेना चाहता नाम, चाहे वह रामदासजी हों लेकिन प्रश्न इस बात का है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो माननीय सदस्य इतनी बड़ी सरकार लेकर बैठे हो, जांच कराओ ना। बी.जे.पी. के कार्यकाल में अगर नक्शे पारित हो गये और गलत हैं तो जांच होनी चाहिए। आपने कच्ची बस्ती में घोषणा पत्र बांट-बांट कर वोट ले लिये, आपने कितने नियमन कर दिये? कहां ढाई लाख लोगों की बात कर रहे थे। आपके बस की बात नहीं है।

श्री महेश जोशी : हमने आपकी तरह फार्म ब्लैक नहीं करवाये। कच्ची बस्तियों में नियमन करवाने के लिए लाठियां चलवा दीं। (व्यवधान) फार्म ब्लैक करवा दिये, पैसे खा गये आप लोग।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सदस्य, सबसे बड़े भू-माफिया खुद बोल रहे हैं, सबसे बड़े भू-माफिया तो आप हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : राजेन्द्र जी सिटी से आते हैं इनको मालूम है। आप समझ नहीं पा रहे हो बिना मतलब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सबसे बड़े भू-माफिया तो....

श्री महेश जोशी : यह विषय आपका नहीं है, इनका है, राजेन्द्र जी का। (व्यवधान) आप उनसे पूछें।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि बिल्डर्स को सहूलियत दी गयी और वह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। जांच के दायरे की बात राजेन्द्र जी ने कही है, मालूम है, इसी सदन के अन्दर पिछली बार किसी इश्यू के ऊपर मैं और आप एक ही थे। उस समय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। लिस्ट बन रही है, जांच भी होगी, कोई छिप नहीं सकती।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक साल हो गया आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। न सी.बी.आई. को भेजी, और किसी को भेजी। आप ही ने उसे रोज लिस्ट दी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई उस पर।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह तो कोई तरीका नहीं है, माननीय सदस्यगण।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, आज हालत यह है कि मैं जयपुर डवलपमैंट अथोरिटी के ऊपर कोई प्रहार नहीं करना चाहता। मेरी कोई नीयत नहीं है लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आपको देखना पड़ेगा। किसी जमाने में यू.आई.टी. यहां जयपुर में थी, यू.आई.टी. में हम आराम में थे। महेश जी शायद मेरी बात से सहमत भी होंगे, यू.आई.टी. में जितना काम एम.एल.ए. अपने लेवल पर करा सकता था और वहां बैठकर फैसला करा देता था, आज जयपुर डवलपमैंट अथोरिटी बनाने के बाद वह नहीं हुआ। एक सफेद हाथी बन चुका है, आर्थिक भार उस पर इतना बन चुका है। अधिकारियों से पूछो तो कागज नहीं मिलेगा। दो-दो महीने, तीन-तीन महीने तो कमिश्नर साहब भी अगर ढूंढे ना कागज, वे करना चाहते हैं, उनकी नीयत साफ है, उसके बाद भी वह कागज नहीं पकड़ में आएगा। यह आज हालत है प्रैक्टिकली। आज अगर मंत्री जी दस बार लिख दें और कमिश्नर साहब 15 बार लिख दें तब भी वह कागज अगर पकड़ में आ जाए तो मैं सोचता हूं बहुत बड़ी बात होगी। वह खुशकिस्मत होगा जिसका कागज मिल गया। यह बड़ा ऐसा मामला है, इसका आप कैसे सरलीकरण करेंगे? जयपुर डवलपमैंट अथोरिटी तो विकास का एक अंग है उसके मामले कई दिनों तक निकले ही नहीं। उसके अन्दर भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह हो गया, मंत्री महोदय, आपका टाउन प्लानिंग डिपार्टमैंट क्या करता है? सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के विकास को अवरुद्ध अगर कोई चीज कर रही है तो आपका टाउन प्लानर कर रहा है जो कि एयर कंडीशंड कमरे में बैठा हुआ है। वह आपका कोटा का फैसला कर देगा, एयर कंडीशन में बैठा हुआ बीकानेर का फैसला कर देगा। उसको जानकारी नहीं है प्रैक्टिकली। किसी कागज को घुमाने के अन्दर एक्सपर्ट है टाउन प्लानर विभाग आपका। आपकी मंशा हो, मंत्री की हो, मुख्य मंत्री की हो, आपके कमिश्नर की हो, आपके कलक्टर की हो लेकिन टाउन प्लानर जिधर मोड़ देता है फिर आप देखते रहते हो। टाउन प्लानिंग डिपार्टमैंट में सही मायने में कैसे-कैसे अयोग्य आदमियों को तो आपने भर्ती कर रखा है। आप कहां से छांट-छांटकर लाते हैं। आपके लिखे हुए आदेशों की क्रियान्विती नहीं करता ऐसा टाउन प्लानर बैठा रखा है आपने। टाउन प्लानिंग का मतलब है प्लान बने। प्लान क्या वह तो अप्लान कर देता है। जो बिल्डर उनसे मिल ले वह प्लान में आ जाता है और जो बिल्डर उनसे नहीं मिले वह प्लान में नहीं। मैं इसके एग्जाम्पल आपको निकालकर दे सकता हूं कि टाउन प्लानर जिधर घुमा देता है उधर फाइल घूम जाती है। इसलिए यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, इस टाउन प्लानिंग डिपार्टमैंट को आप ठीक कीजिये, इसमें सुधार कीजिये। मास्टर प्लान कब बना था? मास्टर प्लान

(श्री जनार्दन गहलोत)

कभी बना उस मास्टर प्लान को आज अपन आधार बना रहे हैं। उसके बाद कितनी कालोनियां बस गई। जयपुर के अन्दर कृषि भूमि के ऊपर कितने मकान बन गये? किनकी गलतियां हैं? यहां पर जोनवाइज निर्धारित पैसा है कि इस जोन के अन्दर अगर नींव भर जाए तो इतना पैसा और प्लिंथ पर आ जाए तो इतना पैसा, छत डल जाए तो इतना पैसा। आपके इन्सपैक्टर और वह सारे लेकर आ जाते हैं। सारा जयपुर का और पूरे राजस्थान का विकास बिगाड़ा है, प्लान बिगाड़ा है वह आपकी इस मशीनरी ने बिगाड़ा है। आज किसका दोष है? राजस्थान की जनता का क्या दोष है जिस समय वह प्लान को बिगाड़ रही थी। आज हम प्लान की बात करें, आज प्लान को आप बनाएंगे तो उसी को बनाना पड़ेगा जो आज की स्थिति है। अगर उसको अपन ने आधार नहीं माना तो फिर वह प्लान आपका सक्सैसफुल होने वाला नहीं है। मुझे आपकी पकड़ में कमी नहीं लग रही लेकिन टाउन प्लानिंग के अन्दर मुझे कुछ कमी लग रही है। यह प्लान आपके काबू में नहीं आ रहा है, इसको सुधारिये। इसके ऊपर आपका डंडा अभी चला नहीं है, उसको चलाइये ताकि कम से कम आगे व्यवस्था बिगड़े नहीं।

खास तौर से भूमि रूपान्तरण का प्रश्न है उसको आप जिम्मेदारी से लें। आपने कानून तो बना दिया लेकिन आप यह भी निर्धारित कर दें कि किसी की एप्लीकेशन है और वह पैसा जमा कराने को तैयार है लेकिन एक महीने के अन्दर अगर सरकारी कन्वर्जन का कागज उसका नहीं निकलता है तो स्वतः ही मान लिया जाए कि उसका कन्वर्जन हो गया। ऐसा कानून बनाइये। बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। कागज चलेगा कैसे? वैसा आपने बना रखा है नगरपालिकाओं के अन्दर, 30 दिन तक नगरपालिका का ई.ओ. नक्शा पास नहीं करता है तो 30 दिन बाद वह नक्शा पासशुदा माना जाता है, ऐसा ही हक भूमि रूपान्तरण के अन्दर भी लगाना चाहिए। इतनी तारीख की एप्लीकेशन है, एक महीना नहीं तो दो महीने कर दें कि दो महीने के अन्दर उसकी एप्लीकेशन की क्रियान्विति नहीं हो तो स्वतः माना जाए, कानून उसमें कुछ नहीं कर सकेगा। इसका प्रावधान आप लाइये ताकि यह सारी बात इम्प्लीमैंट हो।

माननीय मंत्रीजी नगरपरिषद् जयपुर और अन्य परिषदों के अन्दर राजस्थान सरकार एक नयी बात ला रही है। मैंने पिछले दिनों कुछ ऐसा पढ़ा था कि हाउस टैक्स और लैण्ड बिल्डिंग टैक्स एक रुपया प्रति वर्ग गज लगाने की आपकी मंशा है। अगर यह मंशा है तो, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कहीं ऐसा नहीं हो कि गरीब आदमी के मकान पर भी एक रुपया और जयपुर के बड़े जौहरी पर भी वही एक रुपया। जो गरीब आदमी बैठा है उस जमीन की वैल्यू 5 रुपये गज की है और जो सी-स्कीम में बैठा है उसकी 20 हजार रुपये गज की वैल्यू है और जो झोटवाड़ा में बैठा है उसकी वैल्यू 50 रुपये

(श्री जनार्दन गहलोत)

गज की है उसके ऊपर भी एक रुपया। यह आधार ठीक नहीं है इस आधार को आपको बदलना पड़ेगा। आप उसकी रजिस्ट्री के आधार पर निर्धारित कीजिए ताकि मूल्यांकन हो सके कि इसकी रजिस्ट्री इतने रुपये गज पर थी। आज रजिस्ट्री कोई न तो कम करा सकता है न ज्यादा करा सकता है, आपका स्लैब बना हुआ है। स्लैप बना हुआ है कि इस रोड पर यह और इस रोड पर यह। वह स्लैब आलरेडी बना हुआ है उसमें कमी नहीं हो सकती। अगर कोई कम कराने जाएगा तो भी आपकी ड्यूटी तो उतनी ही लगेगी जो स्लैप सरकार का निर्धारित है। ऐसी स्थिति के अन्दर एक रुपया गज आप सबके ऊपर लगाएं, यह बिलकुल गलत बात है। आप इसका आधार रजिस्ट्री को बनाइये, उस एरिये का जो स्लैब है उसको आधार बनाइये ताकि पैसे वालों को ज्यादा लगे और गरीबों को कम लगे और अनुपात में आपके पास पैसा उतना ही पहुंच जाये। मैं सोचता हूं इस स्कीम में आपको पैसा ज्यादा मिल जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी ताजा-ताजा मामला चल रहा है पिंक आपरेशन। मैं सोचता हूं कि इसकी पूरे राजस्थान में ही शोहरत नहीं है, पूरे देश में ही शोहरत नहीं है बल्कि विश्व के कोने-कोने के अन्दर जयपुर के इस आपरेशन का लोगों को एप्रिसिएशन है। लेकिन अत्युत्साह के अन्दर आप आ जाएंगे तो यह आपरेशन खतम हो जाएगा। अब जो हालत बनी है अगर आप आगे इसको उसी ढंग से चलाते रहे तो उसके लिए कुछ नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है लेकिन उसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं आपके बीच में।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी अधिकारियों ने कोई चिंता की नहीं और लोगों ने बिल्डिंग बना लीं। एक आधार होना चाहिए। बिल्डिंग लाइन का आधार बना लें। सरकारी जमीन पर किसी का अतिक्रमण है तो मैं कहता हूं निश्चित तौर से उसको बेदखल किया जाए। लेकिन जिन्होंने चाहे सोसायटी से जमीन ली हो चाहे रजिस्ट्री करवाई हो, जो बिल्डिंग लाइन बन चुकी उसको भी तो देखिये। म्युनिसिपल सीमा के अन्दर, चुंगी से चुंगी बीच में, चारों तरफ की चुंगियां बीच में, आप पुराना अगर आधार मानेंगे कि हमारे रेवेन्यू रिकार्ड में इतनी सड़क थी, हमारे तो मास्टर प्लान में इतनी सड़क थी तो आप सो रहे थे क्या उस समय? जब यह बन रहा था तब तो आप सो रहे थे। अब बन गई है तो आप बिल्डिंग आधार बना लीजिये और उसके बाद जितना भी रास्ता रखें। उसके अन्दर भी एक बात ध्यान दीजिये। एक तरफ जमीन पड़ी है दुकानों वालों की और मकानों वालों की और सामने की जमीन खाली पड़ी है, अगर दो-दो फर्लांग की जमीन एक तरफ जहां कुछ है ही नहीं, सेन्टर लाइन आपके पी.डब्ल्यू.डी. वाले जो लाइन बना गये उस लाइन को थोड़ा-सा पांच फीट सरका दें ताकि यहां के लोगों को नुकसान नहीं हो।

(श्री जनार्दन गहलोत)

कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और जहां बिल्डिंग लाइन आ रही है उस बिल्डिंग लाइन को आधार बना कर आप छोड़ दीजिए। 160 की बात और 150 की बात, उस बिल्डिंग लाइन का आधार बना लीजिए। चुंगी चौकी के बाद आप पूरा आधार जितना मर्जी आये बनाते जाइये। आज स्टेट टाइम के कई मकान बने हुए हैं। कई पुराने टाइम के नई सिटीज में बन गये हैं इसलिए मैं सोचता हूं इस आधार को आप बनाएं। 15 तारीख के बाद कलेक्टर्स को जिलों में भी जो अभियान चलाना था उसमें इन बातों को ध्यान दें। यह जो अभियान चलाया गया है अतिक्रमण हटाने का, आज जयपुर शहर के अन्दर चाहे भैरोंसिंह जी के निर्देश से कालीचरण जी सभा करा रहे हों, आपको मालूम है कि नहीं, आजकल मोहल्ले-मोहल्ले में मीटिंग हो रही है। लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के निर्देश से सब जगह मीटिंग्स हो रही हैं और सही मायने में लोगों को उकसाने का एक योजनाबद्ध काम चल रहा है।

बिल्डिंग लाइन का आधार बना लें तो मैं सोचता हूं न तो उनको कोई आन्दोलन करने की जरूरत पड़ेगी न भैरोंसिंहजी को किसी बुलडोजर के आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। आप भैरोंसिंह जी को बुलडोजर के आगे जाने नहीं दोगे, मैं जानता हूं। इतना तो आप भी सम्मान उनका करते हो। दुकानें बन गई हों चाहे बिल्डिंग बन गई हों, नगर निगम सीमा में हो चाहे नगरपालिका कहीं पर हो, बिल्डिंग लाइन का एक आधार बना कर आप करें तो मैं सोचता हूं कि कोई नुकसान नहीं होगा और लोगों की एनक्रोचमेंट करने की जो आदत पड़ चुकी है उस पर भी अंकुश लगेगा। सरकारी जमीनों पर जो कब्जा करके बैठे हैं उनको आप हटवाइये, उसमें हमें कोई आपत्ती नहीं है। यह सुझाव मैं पूरे राजस्थान के लिए दे रहा हूं, केवल मात्र जयपुर शहर के लिए नहीं दे रहा हूं। पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं के अन्दर छोटे-छोटे रास्ते पहले से बने हुए हैं, आप उनको कैसे चौड़ा करेंगे? कई जगह राज मार्ग निकले हुए हैं शहरों के बीच में से जो आपके स्टेट हाई-वे हैं वे कई सिटीज में से गुजर रहे हैं। पहले जो मकान बन गये, अब स्टेट हाई-वे को आधार मानकर अगर आप उन बिल्डिंग्स को तोड़ेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाने वाला है। हालत ऐसी नहीं हो जाए, बुरा मत मानियेगा, स्वायत्त शासन मंत्रीजी, उधर जितने बड़ी संख्या में बैठे हैं अगर ज्यादा बड़ा आपरेशन आपने राजस्थान में किया तो हमारी स्थिति होगी जो सामने बैठे हैं भैरोंसिंह जी वाली। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सच तौर से जो बात मैं महसूस करता हूं वह मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं सोचता हूं इस आधार को आप मान कर चलें।

श्री सभापति : इन्होंने तो कोई आपरेशन नहीं किया था।

श्री जनार्दन गहलोत : यह बात तो सही है क्योंकि सही मायने में इनको उन लोगों के इण्टरैस्ट को वांच करना था। इनकी तो मजबूरी थी क्योंकि उस वर्ग के हितों की रक्षा इनको करनी थी और अतिक्रमण होते ही रहे। इसलिए यह कड़वा कदम आज की सरकार को लेना पड़ रहा है। (व्यवधान) ऐसा नहीं है, कई बार सैन्टीमैंट्स होते हैं। सभापति महोदय, बरकत साहब के जमाने के अन्दर लाल कोठी को तोड़ने के लिए बुलडोजर्स गये थे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस का एम.एल.ए. था यहां पर। मैं उन बुलडोजर्स के सामने गया हूं। मुझे चाहे लेटना पड़ा हो, वह स्थिति रूकी। आज लाल कोठी अच्छे-से बसी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि उसका हम प्रैक्टिकल दृष्टिकोण बनाएं। हम केवल मात्र नकारात्मक विरोध न करें। आज जयपुर शहर के अन्दर, मैं सवेरे पार्क में घूमने जाता हूं सौ-दो सौ आदमी मिलते हैं। लोग कह रहे हैं साहब आज तो शांत कैसे? भैरोंसिंह जी शांति में आ गये। आज कल आपरेशन स्लो चल रहा है, आपके मंत्री क्या भैरोंसिंह जी से डर गये? तो मैंने कहा, भैरोंसिंह जी से डरना पड़ेगा। पुराने आदमी हैं और उनकी इज्जत तो हम सभी करते हैं। लेकिन प्रश्न असेम्बली चल रही है इसलिये जरा सब्र करो। सब्र करो। लेकिन मैं, सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि उनमें से 99 प्रतिशत लोग एप्रीशियेट करते हैं इस आपरेशन को, इसमें कोई शंका नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से उधर बैठने वाले चाहे कुछ कहें, हम इधर कुछ कहें लेकिन जनरल बात तो इसका एप्रीसियेशन है। लेकिन इतना भी नुकसान नहीं हो बिल्डिंग लाइन का आधार बना लें तो। मैं समझता हूं गरीब आदमी एक मकान बनाता है। अपनी पूंजी को जोड़-जोड़ कर जिसके 20-30 लाख रुपये का मकान टूटता है उसका दिल जानता है उसकी तकलीफ, पीड़ा जो होगी। इसलिये मैं सोचता हूं कि वह आधार बनाकर आप इस अभियान को राजस्थान के अन्दर आगे बढ़ाइये, जयपुर में ही नहीं राजस्थान में आपको निश्चित तौर से कीर्तिमान हासिल होगा। इस सरकार की इच्छा शक्ति निश्चित तौर पर इस बात को सफल करने में होगी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मांग का समर्थन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जुगल काबरा।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, एक मिनट। विरोधी दल के सदस्य मुझे दिख गये। वे नहीं थे तो मैं भूल गया था, मैं बोलना नहीं चाहता था। हमारे कन्हैया लालजी सामने बैठे हैं, उस दिन एक मुद्दा आया था महेन्द्र मीणा का। महेन्द्र मीणा को जिस प्रकार राजनीतिक साजिश के रूप में विरोधी दल इस्तेमाल करना चाहते थे, मैं उस डाक्टर की रिपोर्ट साथ लेकर आया हूं। डाक्टर ने अपनी

(श्री जनार्दन गहलोत)

रिपोर्ट में लिखा है, अगर पूरी पढ़कर बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी....

श्री सभापति : हां, एक आपरेटिव पोर्शन पढ़ दो आप।

श्री जनार्दन गहलोत : इसमें डेट्स का हवाला दिया है, इस तारीख को वही ट्रीटमैंट के लिए आया, इस तारीख को ट्रीटमैंट पाया और आखिरी में ट्रीटमैंट के लिये भी वह....

श्री सभापति : कनक्लूजन लिख दो, क्या पढ़ना है?

श्री जनार्दन गहलोत : डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है, माननीय कन्हैया लालजी ने कहा था कि गहलोत साहब की बात सच्ची होगी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं अगर वह शराब पीता हो।

श्री कन्हैया लाल : हां, मैं आज भी तैयार हूं उस बात के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत : वह आपने कहा था कि जनार्दन सिंह गहलोत अगर....

श्री कन्हैया लाल : आज भी मैं इस बात के लिये, बिलकुल आज भी तैयार हूं मैं....(व्यवधान) चैलेंज देता हूं आपको।

श्री जनार्दन गहलोत : इन्होंने कहा था कि....(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी के किसी भी पांच सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करवा लीजिये। मेडिकल तो, आपका राज है, आप कुछ भी करवा सकते हैं आप मेडिकल से।

श्री जनार्दन गहलोत : ऐसा है इसकी जांच आप करवा लीजिये।

श्री कन्हैया लाल : आज भी मैं तैयार हूं इस बात के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत : इसकी जांच आप करवा लीजिये लेकिन कन्हैया लालजी, आपने जो बात कही है....

श्री कन्हैया लाल : कांग्रेस पार्टी के पांच सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिये और....(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : इसमें यह कहना है, डाक्टर की रिपोर्ट है कि बहुत ज्यादा शराब पीने का आदी था। अल्कोहल इन्डुयज साइकोसिस सी.बी. से वह पीड़ित था जिसमें आत्महत्या की टेंडेंसी हो जाती है। यह सारांश है जो डाक्टर की रिपोर्ट है उसका उसके भाई ने ए.डी.एम. के सामने बयान दिया है। मैंने उस दिन भी यह कहा था कि वहां जो थड़ी है वह पहले उठा ली थी, उसके भाई के बयान में साबित हो रही है। उसका भाई कह रहा है कि जब यह मालूम पड़ा कि 9/10 को अजमेर रोड के ऊपर एनक्रोचमैंट हटाया जाएगा, आठ तारीख को दोनों भाइयों ने थड़ी हटा ली। यह उसका बयान श्याम नगर थाने के अन्दर ए.डी.एम. की रिपोर्ट के अन्दर शामिल है। उसने कहा, हमने हटा ली थी। बाद में जे.डी.ए. ने उसको अलाटमैंट का लैटर भी दे दिया जबकि सही मायने में वह इसका हकदार नहीं था। सर्वे रिकार्ड में

(श्री जनार्दन गहलोत)

उसका नाम हटाने में नहीं था। फिर मैं यह सरकार की उदारता मानता हूं कि जो सर्वे में नहीं था उसके बाद भी उसको अस्थायी गुमटी के लिए चिट्ठी 4/3 को दे दी गयी। माननीय भंवर लालजी तो आ गये, बोल लिये। भंवर लालजी से तो सारी बात हो गयी अपनी। हमारे पुराने प्रेमी हैं...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, जितनी असत्य बातें इस सदन में कही गयीं, मैं सोचता हूं कन्हैया लालजी को मेरी चुनौती है, अगर वह शराब नहीं पीता। यह रिपोर्ट की अगर आपको जांच करानी है, करा लीजिये, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिये। इस्तीफा दे दीजिये।

श्री कन्हैया लाल : मैं तो कह रहा हूं, अभी भी मैं तैयार हूं इस बात के लिये। आपके कागजों को मैं नहीं मानता। आप कागजों में कुछ भी लिखवा सकते हैं।...(व्यवधान) मैं तैयार हूं, बिलकुल तैयार हूं।

श्री जनार्दन गहलोत : आपके कहने से क्या है, रिकार्ड बोल रहा है। आपका इस्तीफा...(व्यवधान) इस्तीफा नहीं दें तो सदन में ही यह माफी मांग लें, क्या बात है।

श्री कन्हैया लाल : जांच करा ली जाए। बिलकुल असत्य बोल रहे हैं आप। यह गलत कागज पेश कर रहे हो आप।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगलजी काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 तथा मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने खड़ा हुआ हूं।

यह सर्वविदित है कि पूरे देश में स्वायत्तशासी संस्थाओं को मजबूत, सबल तथा सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में भी इसी दिशा में कार्य योजनाएं लागू की गयी थीं। राजस्थान की जितनी नगरपालिकाएं, नगर परिषदें या नगर निगम हैं, उनके आय के स्रोत उनकी अपनी मर्जी से तय होते थे और वे यह प्रयास करते थे कि इन स्रोतों के माध्यम से कस्बों, नगरों और शहरों का समन्वित विकास किया जाए। किन्तु पिछले वर्षों में आय के स्रोत पिछली सरकार द्वारा समाप्त कर दिये जाने के बाद सारे स्वायत्तशासी निकाय बहुत ही जर्जर आर्थिक स्थिति में चले गये हैं।

चुंगी कर की समाप्ति का जो निर्णय किया गया, उस समय यह सोचा गया था कि शायद इसके दूरगामी लाभ होंगे। किन्तु पिछले दो साल के अनुभव से हम देख रहे हैं कि चुंगी समाप्ति में नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, और नगर निगमों पर अनावश्यक आर्थिक बोझा लाद दिया गया है। जो कर्मचारी चुंगी एकत्र करने के लिये लगाये गये थे वे सारे बेकार हो गये तथा उनका वेतन का बोझा नगर पालिकाओं पर और अन्य स्वायत्तशासी

(श्री जुगल काबरा)

निकायों पर पड़ने लगा जिसकी वजह से इन संस्थाओं पर आर्थिक बोझा अनावश्यक रूप से पड़ गया।

इसी तरह से ये संस्थाएं गृह कर की वसूली करती रहीं, किन्तु पूरे राजस्थान में गृह कर के अलग-अलग नियम होने के कारण समुचित रूप से इन संस्थाओं द्वारा गृह कर की वसूली नहीं हो सकी। कुछेक नगर निगम या पालिकाएं सक्षम रहीं, कामयाब रहीं गृह कर वसूली करने में। किन्तु पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत कम संख्या के अन्दर पालिकाएं तथा परिषदें गृह कर वसूल करने में कामयाब रहीं हैं और गृह कर वसूल करने वाले कर्मचारी भी नाकारा होकर इन संस्थाओं के ऊपर बोझा बने हुए हैं। इसलिए इसके बारे में भी चिंतन नितांत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में चिंतन करते हुए गृह कर सरलीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया है और श्री भटनागर साहब को यह जिम्मेदारी दी है कि वे इसके बारे में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। मैं आशा करता हूं कि यह रिपोर्ट शीघ्र ही राज्य सरकार को प्राप्त होगी जिससे पूरे राजस्थान के अन्दर गृह कर का सरलीकरण होकर गृहकर की वसूली हो सकेगी और स्वायत्तशासी निकाय अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर विकास के कामों के लिए आय के स्रोत जुटा पाएंगे।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गृहकर लागू करने में गरीब तबके के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को रियायत दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव रहेगा कि दो सौ वर्ग गज क्षेत्रफल के मकानों को इसमें रियायत दी जाए। बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं, होटलें, कामर्शियल कॉम्पलैक्स, बहुमंजिली इमारतों पर अगर अधिक गृह कर लगा दिया जाए तो उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा और इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपनी आमदनी बढ़ाने का भी जरिया मिल सकेगा।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में नगर पालिकाओं को चुंगी समाप्ति के बाद में उसकी एवज में राशि राज्य सरकार द्वारा तय की गयी और यह राशि विक्रय कर के माध्यम से सरचार्ज लगाकर वसूली गयी, किन्तु जो राशि पालिकाओं और परिषदों को दी जाती है वह इनके कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा जोधपुर नगर निगम का जोधपुर नगर निगम को राज्य सरकार द्वारा चुंगी की एवज में मात्र 22 करोड़ रुपये मिलते हैं जबकि कर्मचारियों का वेतन भत्ता 33 करोड़ रुपया होता है। 11 करोड़ रुपये का खर्चा इस नगर निगम को अपने संसाधनों से जुटाना होता है, तब हम विकास की बात कैसे सोच सकते हैं? इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसके बारे में जो वित्त आयोग बना है वह सही तरीके से चिंतन मनन करे और स्वायत्तशासी निकायों

(श्री जुगल काबरा)

को राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसके ऊपर पुनर्विचार करे। पुरानी लीक के आधार पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जितनी राशि एकत्रित करती थीं केवल उतना ही पुनर्भरण कर दिया जाए, उससे काम नहीं चलेगा। राज्य सरकार के ऊपर भी बोझ बढ़ा है क्योंकि प्रति वर्ष चुंगी के एवज में जो राशि दी जाती है उसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है, किन्तु विक्रय कर के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है इसलिए राज्य सरकार के हालात भी खस्ता होते जा रहे हैं। इसके बारे में राज्य सरकार को समुचित रूप से सोचकर कोई निर्णय करना होगा। स्वायत्तशासी निकाय शहरों, कस्बों और नगरों के विकास के प्रमुख माध्यम हैं, इनके माध्यम से ही इनका विकास होता है, नगरीय मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति की जाती है, जनता को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। यदि हमारे निकाय मजबूत नहीं होंगे तो हम कस्बों का समुचित विकास नहीं कर सकेंगे और आम जनता को जो सहूलियतें उपलब्ध करायी जानी चाहिए वे नहीं मिल पाएंगी।

मान्यवर, आज राजस्थान के किसी भी शहर या कस्बे में चले जाएं, सीवरेज की समस्या आपको सब जगह नजर आएगी, कचरा चारों तरफ फैला हुआ नजर आएगा, गंदगी का चारों तरफ साम्राज्य नजर आएगा। उसका एक बड़ा कारण पोलीथिन की थैलियां हैं। केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को लिखा है कि पोलीथिन थैलियों के उपयोग पर रोक लगायी जानी चाहिए और राज्य सरकार ने भी अपने परिपत्र के माध्यम से स्वायत्तशासी निकायों को लिखा है कि पोलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे विचार करें। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोलीथिन के उपयोग पर यदि रोक लगा दी जाए तो उसके कारण जो सीवरेज लाइन बंद हो जाती है, नालियों का पानी बाहर बहने लगता है और इसके साथ-साथ ही इन थैलियों को खाकर जो पशु मर जाते हैं उस पर रोक लगेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सभी जगह कूड़ा-करकट या कचरा जो पैदा होता है राज्य सरकार उसके निष्पादन की एक योजना बनाकर सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को भेजे तो यह कचरा निष्पादन का काम आसानी से संभव हो सकेगा। मेरी जानकारी में आया है कि कई बड़े नगरों में, महानगरों में और शहरों में कचरा निष्पादन के माध्यम से खाद बनाने का तथा ऊर्जा उत्पादन करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यदि तकनीकी जानकारी प्राप्त कर और आर्थिक संसाधन जुटाकर शहरी क्षेत्रों में, कस्बाई इलाकों में, नगरों में कचरा निष्पादन के लिए इस तरह के संयंत्र स्थापित कर दिये जाएं तो कचरे के कारण आप लोगों को जो समस्याएं पैदा होती हैं, प्रदूषण फैलता

(श्री जुगल काबरा)

है गंदगी से महामारी फैलती है इनके ऊपर रोक लग सकेगी।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से कच्ची बस्तियों का विकास हो रहा है, कच्ची बस्तियां बढ़ रही हैं उसके ऊपर भी हमें गम्भीरता से सोचना होगा। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा अन्य स्वायत्तशासी निकायों को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे अपने क्षेत्र का समन्वित विकास करें, सुनियोजित विकास करें, आवास की समुचित व्यवस्था करें किन्तु हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये हैं जिसके कारण हर शहर, कस्बे और नगर में कच्ची बस्तियों का विस्तार होता जा रहा है। चाहे वन भूमि हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे नाला हो, चाहे और कोई हो, कच्ची बस्तियां बस जाती हैं और उस समय उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, जिस व्यक्ति के क्षेत्र में, जिस अधिकारी के क्षेत्र में कच्ची बस्तियां बसती हैं उस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए, उसके जवाब के लिए उसे पाबंद किया जाना चाहिए ताकि कच्ची बस्तियों का फैलाव रूक सके। किन्तु दूसरी तरफ हमें नियोजन प्रबंध भी करना पड़ेगा। सही तरीके से नगरों के विकास के लिये सस्ती दर से भू-आवंटन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सस्ती दर की आवास व्यवस्था करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर हम गरीब लोगों को आवास की सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। कच्ची बस्तियां बसने का एक मात्र कारण रोजगार की कमी है। गांव के अंदर जैसी स्थिति रही है उसके कारण लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में और उन्हें सिर छुपाने के लिए कहीं न कहीं ठिकाना भी चाहिए। आज शहरों के अंदर मकान किराये पर मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कहीं भी झोंपड़ी डालकर गरीब आदमी रहना चाहता है, इस तरह से धीरे-धीरे वह संकुल कच्ची बस्ती का रूप धारण कर लेता है। इसे मिटाने के लिये यदि हमारी नगर नियोजन व्यवस्था इस बात का प्रबन्ध करे कि सस्ती दर के ऊपर भू-आबंटन किया जाए, सस्ती दर पर आवास आबंटित किये जाए तो मैं समझता हूं इस समस्या का समाधान हो सकता है और आने वाले दिनों में सही तरीके से हम शहरों का विकास कर सकते हैं। टेढ़े-मेढ़े पहाड़ी इलाकों में जो बस्तियां बस जाती हैं उनके विकास के लिए, पेयजल, बिजली तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि प्रारम्भ में ही सरकार इस बात का ध्यान रखे और प्रारम्भ से ही सब्सिडी देकर शहरों के अंदर सस्ती दर के ऊपर भूमि आबंटन कर दे तो मैं समझता हूं कि गरीब लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकेगी।

मान्यवर, नगर सुधार न्यास कई शहरों में बनाये गये, इस अवधारणा के साथ में कि नगरों का सुनियोजित विकास हो

(श्री जुगल काबरा)

सकेगा। यह आशा की गयी थी कि नई कालोनियां बनाकर यह संस्थाएं अपनी कालोनियों को नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को सुपुर्द कर देंगे। किन्तु पिछले 8-10 सालों में हम देखते आये हैं कि नगर सुधार न्यास सड़क बनाने या अन्य विकास के काम तो करते रहे किन्तु आवासीय सुविधाओं के लिये, नयी कालोनियों को विकसित करने में इन्होंने कहीं भी कोई काम नहीं किया। इससे शहरों का असंतुलित विकास हुआ और शहरों में असंतुलित तरीके से आबादी बसने लगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितनी भी प्रदेश में यू.आई.टी. हैं इनको समन्वित रूप से इस बात के निर्देश दिये जाएं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाएं और जो अच्छे परिवार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग अच्छी आवासीय कालोनियों में रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए सही तरीके से भूमि आबंटन की व्यवस्था की जाए और उनको उसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, कच्ची बस्तियों के नियमन को लेकर पिछले कुछ वर्षों से चर्चाएं चल रही हैं। राजस्थान की सरकार ने हमेशा गरीबों की ओर ध्यान दिया और आजादी के बाद केवल मात्र कांग्रेस पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी रही जिसने कच्ची बस्तियों को समय-समय पर नियमित किया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद में कई बार घोषणाएं जरूर की गयीं, मुझे याद पड़ता है सन् 1996 में जब लोक सभा के चुनाव हुए थे उस समय भी तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने कई आम सभाओं में कच्ची बस्तियों के नियमन की घोषणा की थी। किन्तु वे चुनाव निकल गये। उसके बाद 1998 के लोक सभा के चुनाव आये, इसी बात की उन्होंने पुनरावृत्ति की, किन्तु वे चुनाव भी चले गये। फिर विधान सभा के चुनाव आ गये और सत्ता उनके हाथ से खिसककर कांग्रेस के पास आ गयी, किन्तु वे कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं कर पाये। अब मैं बधाई देना चाहता हूं राज्य सरकार को, हमारे मुख्य मंत्रीजी को और स्वायत्त शासन मंत्रीजी को कि उन्होंने हिम्मत के साथ में इसके बारे में फैसला लिया, कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण करवाया, उन्हें नियमित करने के लिए निर्देश जारी किए और कोशिश की कि सही व्यक्ति को कच्ची बस्तियों के अंदर पट्टा दिया जाए। पति-पत्नी को एक साथ पट्टा देकर के यह प्रयास किया गया कि मकान का दुरूपयोग नहीं हो सके, पति शराब के नशे में मकान नहीं बेच पाए। इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है, इसके लिए वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र है।

इसी तरह से कच्ची बस्तियों के कुछ झगड़े हैं। अभी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी बता रहे थे कि कुछेक कच्ची बस्तियां वन क्षेत्र में बस गई हैं, कुछेक पहाड़ी क्षेत्रों में बस गई हैं या नालों के अंदर बस गई हैं या ऐसे स्थानों पर बस गई हैं जहां पर राज्य सरकार का स्वामित्व

(श्री जुगल काबरा)

नहीं है। ऐसी बस्तियों में बसे हुए लोगों के लिए भी राज्य सरकार को कुछ सोचना चाहिए। उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए, दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए ताकि ऐसे गरीब लोग जो किसी मजबूरी के कारण ऐसी बस्तियों के अंदर आकर बस गए हैं, उन्हें वैकल्पिक स्थान मिल सके और वे अपना जीवन-यापन कर सकें, उनके जीवन पर किसी तरह की तलवार न लटकती रहे कि कब कोई अधिकारी आकर उनकी बस्ती को उजाड़ जाएगा या कब कोई पुलिस अधिकारी आकर उन पर डण्डे बरसा कर चला जाएगा। इस तरह की स्थिति से उन्हें उबारने के लिए आवश्यक है कि इन बस्तियों में बसने वाले लोगों को वैकल्पिक आवासीय स्थान प्रदान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का गठन इस आशय से किया गया था कि गरीब परिवारों, मध्यम परिवारों के लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान आवासन मण्डल के वर्तमान अध्यक्षजी को कि उन्होंने कार्यभार सम्भालने के बाद राजस्थान आवासन मण्डल को बहुत अधिक दुरुस्त किया है, उसमें चुस्ती लाए हैं। राजस्थान आवासन मण्डल के पिछले कई वर्षों से अनबिके जो मकान पड़े थे, उन्होंने नई योजना बनाकर इनको बेचने का प्रयास किया है ताकि उससे प्राप्त धनराशि का समुचित उपयोग अन्य बस्तियों के विकास के लिए किया जा सके। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने जमाने में आवासन मण्डल ने जितनी भी बस्तियां बसाई थीं उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। सोकपिट बनाकर गटर लाइन का कनेक्शन कर दिया गया, वे छोटे-छोटे सोकपिट आज भर गए हैं और गलियों में गंदगी का साम्राज्य हो गया है। वहां पर अतिक्रमण की महामारी भी जारी है। जितनी भी गलियां बनाई गई वे संकड़ी हो गई हैं, उनमें अतिक्रमण हो रहे हैं। इसलिए मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दें कि हाउसिंग बोर्ड की जितनी भी कालोनीज हैं उनमें सीवरेज सिस्टम लागू करें और साथ-साथ यह भी प्रयास करे कि जहां अतिक्रमण हो रहे हैं और गलियां संकड़ी या छोटी कर दी गई हैं, भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिए गए हैं उनको मिटाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अब शहरों की आबादी बढ़ रही है, नगरीय सीमाओं का विस्तार हो रहा है इसलिए नगरीय सीमाओं के विस्तार के जितने भी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है उनको तुरन्त लागू किया जाए। मास्टर प्लान की भी अभी चर्चा हुई। कई शहरों के मास्टर प्लान बनाए हुए बहुत लम्बा समय हो गया, उनकी अवधि समाप्त हो गई। आने वाले समय में राज्य के शहरों के समन्वित विकास के लिए यह

(श्री जुगल काबरा)

आवश्यक है कि नए सिरे से मास्टर प्लान बनाएं। यू.आई.टी. एक्ट की धारा (3) के अंदर नोटिफिकेशन इसके लिए कराया जाना चाहिए और साथ ही साथ एडवाइजरी कौंसिल का गठन किया जाना चाहिए। जोधपुर नगर निगम का मास्टर प्लान 1996 में समाप्त हो गया था, उसको 5 साल के लिए 2001 तक बढ़ाया गया है, लेकिन 2001 भी अगले साल आने वाला है और अभी मास्टर प्लान की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जोधपुर के मास्टर प्लान के लिए आप एक कमेटी का गठन करें और इसके लिए आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करें।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने आबादी सीमित करने के लिए स्वायत्तशासी निकायों के चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर संतान की पाबंदी लगाई है, यह बहुत खुशी की बात है। राज्य सरकार ने भी इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की है किन्तु जो सतर्कता प्रकोष्ठ बनाया गया है उसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। जोधपुर नगर निगम के पिछले चुनावों में एक ऐसे माननीय सदस्य चुनकर आए हैं जिनके दो से अधिक संतानें हैं और जिनके बारे में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं लेकिन आज तक भी उन माननीय जनप्रतिनिधि को सदस्यता से महरूम नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप जो कानूनी प्रावधान है उसका तत्काल क्रियान्वयन करें।

मान्यवर, एशियन डवलपमैंट बैंक के माध्यम से पूरे राजस्थान के सम्भागीय मुख्यालयों में विकास कार्य करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। पिछले दिनों इसी सदन के अंदर चर्चा की गई थी कि एशियन डवलपमैंट बैंक द्वारा जो ऋण लिया जा रहा है उस पर ब्याज की राशि बहुत अधिक होगी, किन्तु यह ब्याज की राशि भारत सरकार द्वारा थोपी गई है। सभापति जी, 25 साल के लिए अगर कोई ब्याज पर ऋण लेते हैं तो उस पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा। पांच साल तक आपको कोई किश्त नहीं चुकानी होगी, पांच साल के बाद में आपको किश्त चुकानी होगी। पूरे राजस्थान का समन्वित विकास उससे हो सकेगा, पूरे राजस्थान में सुनियोजित तरीके से हम आधारभूत ढांचा डवलप कर पाएंगे ताकि हमारी संतति जो आने वाली है उसको सारी मौलिक सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एशियन डवलपमैंट बैंक द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं वे आज अगर हाथ में ली जाती हैं तो आने वाले दो-तीन साल में ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी और अगर इसी धनराशि को बचाकर हर साल आप एक करोड़, दो करोड़ या चार करोड़ खर्च करेंगे तो वह योजना कितनी महंगी होगी और कितने सालों में पूरी होगी और कितनी मौलिक सुविधाएं राजस्थान की जनता को दे पाएंगे, यह चिंतनीय विषय है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री

(श्री जुगल काबरा)

महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझकर इस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लिया है।

मान्यवर, स्वरोजगार के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं, 3 प्रतिशत विकलांगों और एस.सी., एस.टी. को उनकी आबादी के अनुपात में ऋण दिए जाते हैं। इसमें नगर पालिका, नगर परिषद् और नगर निगमों द्वारा तो ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है किन्तु पात्र बैंक जाता है तो बैंक उसे खाली हाथ लौटा देते हैं। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, इस बात की व्यवस्था की जाए कि जिस व्यक्ति को इन निकायों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाए बैंक उसको वापस खाली हाथ न लौटाएं। इसके लिए बैंकों के साथ किसी तरह का आप एडजस्टमैंट करें, कोई सार्थक संवाद करें और इस बात का प्रयास किया जाए कि गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, उसका उनको लाभ मिल सके।

राज्य सरकार ने गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए रेहड़ी बाजार, उत्पादन बिक्री केन्द्र तथा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से पूरा करने के लिए आप प्रयास करेंगे ताकि गरीब लोगों को रोजगार मिले और वह अपनी आशा पूरी कर सके, जिसकी किरण देखकर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में आकर सहयोग दिया है। मैं आशा करता हूं कि उन गरीबों की भलाई के लिए आप कोई न कोई कार्यक्रम हाथ में लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं।

मैं अतिक्रमण को लेकर एक निवेदन और करना चाहता हूं। नगरों और कस्बों में अतिक्रमण को लेकर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंता व्याप्त है। करौली से आने वाले माननीय सदस्य भी अभी तक इस बात को उठा रहे थे, आज इस बात की आवश्यकता है कि लोगों में अनावश्यक भय न पैदा किया जाए। आप सड़कों को चौड़ी करने की योजना बना रहे हैं उसका न केवल प्रदेश में बल्कि देश और विदेश में भी स्वागत किया जा रहा है, किन्तु अनावश्यक रूप से किसी के मकान को तोड़ने की कोई योजना बनाई जाती है तो उसको रोकने का आपको प्रयास करना चाहिए। बिल्डिंग लाइन कायम रखते हुए अगर आप कोई योजना बनाते हैं तो मैं सोचता हूं कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अवैध कब्जा कहीं किसी ने कोई किया है, अवैध निर्माण कहीं किसी ने कोई किया है और उस निर्माण को तोड़ने के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन या यू.आई.टी. या म्युनिसिपैलिटी कोई कार्यवाही करती है तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि अतिक्रमण हटाने से आम लोगों को राहत मिल सकेगी, लाभ मिल सकेगा और आवागमन की जैसी स्थिति आज पूरे शहरों और कस्बों की बिगड़ी हुई है उसको

(श्री जुगल काबरा)

सुधारने में हमारी सरकार कामयाब हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री मदन दिलावर : नीलम होटल तोड़ा जाए तब भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(15.00 बजे)

श्री सभापति : श्री रतन लालजी ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज हम नगर पालिकाओं और आवास संस्थानों के संबंध में मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर लोग निरन्तर आ रहे हैं और वर्तमान में जो नागरिक सुविधाएं उन्हें सुलभ हैं वे अपर्याप्त हैं, इसी कारण से शहरों में आवासीय समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सुनियोजित विकास होना चाहिए, मास्टर प्लान प्रत्येक शहर का बनना चाहिए, मगर इन कारणों से सतत् प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और इससे समस्याओं का विस्तार होता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा यह बढ़ती आबादी एक समस्या है और वह शहरों की ओर आगे बढ़ रही है। प्रत्येक शहर का मास्टर प्लान 2000-2001 से जहां-जहां नहीं बन पाया, कहीं तो बना ही नहीं है, उन शहरों का और जहां बन गया है उसको इस आधार पर देखा जाए जिससे बढ़ती आबादी की समस्या और आवासीय समस्या का समाधान हो सके।

स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा किये गये 74वें संविधान संशोधन के बाद इस देश और प्रदेश में यह प्रयास रहा कि शहरी जनता को स्वशासन मिले, स्वावलम्बन के द्वारा सुनियोजित ढंग से शहर आगे बढ़ सकें और मूलभूत नागरिक सुविधाएं अपने संसाधनों के माध्यम से उन्हें मुहैया करायी जा सके। इसके लिए इस संशोधन के माध्यम से हमारे प्रदेश में भी कानून बना, लेकिन तत्कालीन सरकार का अपना सोच इस प्रकार का रहा कि जिस भावना से वह संशोधन हुआ था उसे देखते हुए अधिनियम में कई कमियां रख दी गयी थीं। वर्तमान सरकार और उसके स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने पिछले समय कुछ संशोधन किये हैं, मैं समझता हूं, इसमें और भी संशोधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

(15.02 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं। 15 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले छोटी-छोटी नगर पालिकाओं में भी अपने संसाधन होते थे और बहुत अच्छे ढंग से नगर पालिकाएं चलती थीं, लेकिन 10 वर्षों में छोटी नगर पालिकाओं की दुर्दशा हुई है। उसकी उपज मैं भारतीय जनता पार्टी की देन मानता हूं। वह इसलिए मानता हूं कि जिस नगरपालिका में 15-20 का स्टाफ चाहिए था वहां ले-देकर, नीचे से ऊपर तक जब चाहो जितने स्टाफ के लिए एनओसी. ले लेते थे। इससे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

छोटी नगर पालिकाएं जर्जरित हो गई और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि जहां 10-15 हरिजन में काम चल सकता था वहां 40-50 हरिजन सफाई के लिए रख दिये और जितनी सफाई पहले होती थी उसके मुकाबले वन थर्ड सफाई भी नहीं होती है। यह निश्चित रूप से हर शहर की हालत है। नाकेदार आठ चाहिए और भर्ती कर दिये 30। अस्थायी भर्ती कर दी और यहां से कार्यवाही चलती रही। इसी बीच हाई-कोर्ट से स्टे लाने से उन छोटी नगर पालिकाओं पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया, ऐसा मैं मानता हूं।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं, पिछले 10 साल के आंकड़े उठाकर आप देख लें, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार, घपलेबाजी और अनियमितताएं बहुत हुई हैं। धारा 63 की कार्यवाही में केवल लीपापोती होती रही जिससे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता गया और विकास का पैसा भ्रष्टाचार की गंगा में बहता गया। आज शहरों की नालियों की हालत आप देख लें, सीवरेज लाइन की हालत देख लें। इतने गंदे वातावरण से शहर छोड़कर गये हैं, मैं समझता हूं इसके लिए भी कोई योजनाबद्ध ढंग से सोचने की आवश्यकता है। नगर पालिकाओं के संसाधन कैसे बढ़ें, कई बाई लॉज बने हुए हैं, कई कर लगाये हुए हैं और कई प्रकार की वसूलियां हो सकती हैं, लेकिन यह सब होता नहीं है। अधिशासी अधिकारी व स्टाफ की मिलीभगत इन सब कामों में ऐसी चलती हैं कि कुल मिलाकर पैसा आता नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अतिक्रमण की समस्या भी इन 8-10 वर्षों में इन्हीं कारणों से सबसे ज्यादा बढ़ी है। इसका जीता-जागता उदाहरण यह है कि सड़क सीमाओं के आसपास निर्माण हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो निर्धारित प्रक्रिया है उसकी पूरी तौर से पाबंदी निश्चित की जाए ताकि हमारे शहरों की सुंदरता वापस बढ़ सके। आज बहुत बुरा लग रहा है लोगों को, इसको एक राजनैतिक हथियार के रूप में माना जा रहा है पर मैं कह सकता हूं कि आपरेशन पिंक एक क्रान्तिकारी कदम है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जहां अतिक्रमण नियमित हो सकता है, उससे लाखों रुपये की इनकम हो सकती है और कोई परेशानी जनसाधारण को नहीं है तो ऐसे प्रकरणों को उस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए जिससे नगर पालिकाओं के आर्थिक संसाधन बढ़ सकें।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि नगर पालिकाओं के खर्चे बढ़े हैं, आर्थिक स्थिति उनकी दयनीय है। वर्तमान में नगर परिषद और निगम को जो राशि अनुदान के तौर पर देते हैं वह अपर्याप्त है। 12.50 रुपये प्रति व्यक्ति देते हैं, इसके बाद वाली जो द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाएं हैं उनको आप 25 रुपये देते हैं और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं को 37.50 रुपये देते हैं। यह बीते जमाने में तय

(श्री रतन लाल ताम्बी)

किया गया था उसके बाद निश्चित रूप से उनके प्रशासनिक खर्चे बढ़े हैं, विकास के काम के खर्चे बढ़े हैं। राज्य सरकार की आर्थिक हालत भी हमारे सामने है, लेकिन आखिर इन संस्थाओं को जीवित रखने के लिए हमें कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे जिसके आधार पर ये आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें।

सभापति महोदय, वर्तमान में जो जांच की प्रक्रिया है वह अपने आप में ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कार्यवाही लम्बे समय तक चलती रहती है, तारीखें बदलती रहती हैं और नीचे एक-दूसरे से मिलीभगत रहती है। हाई-कोर्ट तक में प्रापर कार्यवाही नहीं होने से बड़े-बड़े घोटाले करने वाले लोग स्टे-आर्डर लेकर आ जाते हैं। मैं चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, इसमें आप इस तरह का सुधार करें कि एक समयबद्ध जांच की कार्यवाही पूरी हो। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जिस तरह भू-राजस्व अधिनियम के तहत उनसे वसूली हो सकती है वह वसूली की प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए। वर्तमान में करोड़ों रुपये इस तरह के घपले और घोटालों में लोगों में बकाया हो सकते हैं, उनके लिए आप इस तरह की व्यवस्था करें कि वह पैसा निकलकर सामने आए।

शहरी भूमि का जो पंजीयन होता है शहरों में, वह नगर पालिका की आय का कुछ आधार बने इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि आधा या एक प्रतिशत जो भी संभव हो, उस बारे में भी आप सोचें। एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है उसमें स्थानीय नगरपालिका को कुछ पैसा मिल सकता है। शहरों में भी कई तालाब हैं, कई और योजनाएं हैं उनसे जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में है उसी प्रकार शहरों में भी आय हो सकती है। एक बार पुनरावलोकन किया जाना चाहिए कि शहरों की नगर पालिकाएं कैसे अपनी आय बढ़ाकर कामकाज ठीक कर सकती हैं। निश्चित रूप से कोई न कोई नयी नीति और नये नियम इस बारे में बनाने की आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी ने सस्ती वाहवाही लूटने के लिए चुंगी समाप्त की। सभापति महोदय, चुंगी के पुनर्भरण की जो बात आती है, उस समय अंदाजा लगाया गया था, सही बात कि चुंगी नगर पालिकाओं के खजाने में पूरी पहुंचती नहीं थी। उसमें बंदरबांट थी, गड़बड़ घोटाले थे जितनी राशि बताई गयी थी उसके आधार पर राशि पुनर्भरण होती है वह अपर्याप्त है। इससे हर नगर पालिका के सामने आज वेतन चुकाने की समस्या है। एक नगर पालिका की वेतन की स्थिति कई तरह की वृद्धि होने से मान लीजिए 50 हजार रुपये महीना है और आप दे रहे हैं अभी 28-30 हजार। इतना डिफरेंस है। इससे वहां बिजली की कटौती हो जाती है, सफाई की कटौती होती है, पानी के बिल नहीं चुकते हैं, आये दिन हड़तालें होती हैं। मैं समझता हूं कि तनख्वाहों में जिस तरह बढ़ोतरी होती है उसी आधार पर पैसा देने की

(श्री रतन लाल ताम्बी)

व्यवस्था नहीं होगी तो काम में हमेशा दिक्कत रहेगी, आये दिन हड़ताल चलती रहेगी, आये दिन हमारी सफाई की व्यवस्था ठप्प होती रहेगी।

इस सरकार ने एक शानदार निर्णय इच्छाशक्ति के आधार पर किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने कच्ची बस्तियों के बारे में कई बार सर्वेक्षण करवाये, नियमन भी किया, कई पट्टे भी दिये लेकिन बीच में एक ऐसी सरकार आ गयी जिसने कच्ची बस्तियों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके ऊपर तलवार हमेशा लटकी रहे इस बात की कोशिश की और इसको भी राजनैतिक आधार पर सोचा। जो बड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको पूरा संरक्षण था और कच्ची बस्ती वालों को परेशानी। इसलिए सरकार ने एक सर्वेक्षण कराकर इस काम को हाथ में लिया है। मैं समझता हूं इस आधार पर यह सरकार कदम उठाये और कच्ची बस्तियों का जो भी नियमन का काम बकाया है वह निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए। यह इच्छाशक्ति का परिचायक है, ऐसा मेरा मानना है।

जयपुर में पिंक आपरेशन का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक अच्छी मंशा के साथ शुरू हुआ, इच्छाशक्ति के साथ हुआ। कहीं-कहीं दुरूपयोग हुआ होगा मैं नहीं कह सकता, पर उसके आधार पर इस सारे क्रांतिकारी कदम का राजनैतिक रूप से प्रतिकार करना, लोगों को गुमराह करना, अशांति पैदा करना, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करना, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन जयपुर की दुर्दशा करने में रहा। चाहे नगर परिषद में हो, चाहे नगर निगम में हो, चाहे सरकार में हो उनकी इच्छाशक्ति हमेशा बड़े लोगों को मदद करने में रही। इसके परिणामस्वरूप यह समस्या बहुत बढ़ गयी अतिक्रमण के कैंसर की बीमारी जयपुर में बढ़ गयी। उसको मिटाने का एक काम जो शुरू हुआ है, इसके बारे में मेरा कुछ निवेदन है। बरामदों का एक बहुत बड़ा प्रकरण है, इसमें पहले भी कई बार कार्यवाही होती रही, न्यायालयों से इसके फैसले होते रहे पर इच्छाशक्ति के अभाव में ध्यान नहीं दिया गया। यह सही है कि कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कई परिवारों में सदस्य बढ़े हैं, धंधा करने वाले लोग उस बरामदे और दुकान में अपना विस्तार करके चल रहे थे इसलिए उनके सामने संकट हो सकता है पर जयपुर की बढ़ती हुई आबादी, जयपुर का सौंदर्यीकरण और जयपुर का एक नाम विश्व के मानचित्र पर है उसमें यह एक अवरोधक नजर आता था। उस अवरोध को हटाने का एक शुभ काम शुरू किया गया, मैं समझता हूं इसको पूरा करना चाहिए। बरामदों में लोग वापस बैठकर उसी तरह कब्जा कर लें या काम अपना शुरू कर दें, इसे रोकने के लिए जरूरी है कि उनके पुनर्वास के लिए भी कुछ योजनाएं लेकर चला जाए। मैंने पिछले बजट के समय भी अनुरोध किया था, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपका फिर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि 5-7

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हजार दुकानों के बाजार बनाने के लिए स्थान ढूंढने की आवश्यकता है। जैसे पुराना पागलखाना है, जेलखाना है, और इधर यह दूध की मण्डी है, उस साइड में है, इधर आगे भी जगह-जगह आपको मिल जाएगी। जैसे पहले बापू बाजार, नेहरू बाजार बढ़े हैं। इस सारे में करोड़ों रुपयों की सरकार को इनकम होगी। आप एक नाप के आधार पर प्लान बनाकर उनको प्लाट उपलब्ध करवा दें। जो तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच पीढ़ी से लोग उसी बरामदे और दुकान में बैठे हुए हैं, अण्डरग्राउण्ड की सारी समस्याएं जो आ रही है उसके समाधान के साथ-साथ रोटी-रोजी और पुनर्वास के लिए भी हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ ऐसे बाजार डवलप करने चाहिए जिसकी कीमत तो व्यापारी दे और नक्शा और प्लान सरकार दे। सुनियोजित ढंग से वह मार्केट बन सके इस तरह की योजना आप तैयार करेंगे तो रोजगार की समस्या का भी हल होगा और जयपुर की सुन्दरता पर भी आगे जाकर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि इसके लिए आप एक प्लान तैयार करवाइये और उस योजना के अन्तर्गत अगले साल भर में आप सब को भूखण्ड उपलब्ध कराकर एक समयबद्ध कार्यक्रम उनको दीजिये जिसके आधार पर जयपुर की इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो सके।

अब मैं आपका ध्यान आवासन मण्डल की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। एक अच्छी संस्था बनी, इसका कामकाज भी काफी चला। गुणवत्ता की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से कुछ कमियां रही होंगी, उस सब के बावजूद भी राजस्थान में कई जगह आवास आवंटन किये गये। सभापति महोदय, सब लोग समय पर किश्तें जमा कराएं, उसकी डिमाण्ड वगैरह बराबर मिले, यह व्यवस्था आज भी दूर-दूर तक दिखायी नहीं देती। आज कई विधायकों का भी आवंटन के बाद पैसा जमा होने का यदि उनके पास हिसाब है तो लाकर दिखा दो वरना हमारे पास तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतना बड़ा आवासन मण्डल, जिसका इतना बड़ा संस्थापन और सब होने के बाद कोई हिसाब नहीं। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च, 2000 राजस्थान में आवासन मण्डल के माध्यम से जो मकान दिये गये हैं उन मकानों का ड्यू का स्टेटमैंट या जैसे भी राशि जमा हुई उसका पूरा विवरण प्रत्येक आवंटी को मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग जमा कराना चाहते हैं पर इस अव्यवस्था की खातिर करोड़ों रुपया राजस्थान की सरकार का भी है, अन्य आवासन संस्थाओं का है, बैंकों का भी है, वह सब का सब उलझा पड़ा है। इसलिए अप-टू-डेट हिसाब बने और प्रत्येक आवंटी के पास हिसाब पहुंचे। कम्प्यूटर के इस युग में इतने संसाधन होते हुए भी लोग चक्कर लगाते हैं, घूमकर आते हैं, उसके बाद भी हिसाब-किताब का कहीं मिलान नहीं होता है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में आप निश्चित रूप से कोई साहसपूर्ण कदम उठाएंगे। इससे बड़ी भारी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

वसूली भी हो जाएगी और लोग परेशानी से भी मुक्त हो जाएंगे। आज रजिस्ट्री भी इसलिए नहीं हो पाती कि आपका पैसा पूरा जमा नहीं हुआ। हम कहते हैं कि जमा हो गये, आपने 15 साल का समय दिया, 15 साल में हमने किश्तें जमा करायीं, यह हमारा हिसाब देख लो। तो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी आप ले जाइये, फिर कुछ समय बाद देख लेंगे। जो आदमी वहां जाते हैं वे इस तरह की बात कहते हैं। इस दिशा में भी आपका ध्यान जाना चाहिए। शहरों में गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं रोजगार की लेकिन नगर पालिकाओं में, बैंकों के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो पैसा मिलता है उसके लिए सम्बन्धित लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इसका सरलीकरण करके बैंकों का और नगर पालिकाओं का समन्वय स्थापित हो और जिला प्रशासन का उसमें पूरा सहयोग हो, उसके आधार पर आप शहरी बेरोजगारी की जो एक समस्या गम्भीर रूप से बनी हुई है उसका निदान कर सकते हैं। 50 हजार तक पैसा मिल सकता है, छोटे-छोटे लोग उसमें धंधा कर सकते हैं। निराश हो जाते हैं फिर-फिरकर, उनको कोई लाभ नहीं मिलता। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो एक लाख गुमटियां बनाने का फैसला किया है, मैं समझता हूं, छोटे-छोटे शहरों में कई लोगों को उससे राहत मिलेगी। इस कार्य को योजनाबद्ध ढंग से लगातार करते रहना चाहिए ताकि नये लोग धंधे में जुड़ते चले जाएं और शहरों में जो बेरोजगारी व्याप्त है वह दूर हो सके, ऐसा मेरा अनुरोध है।

एक मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और स्थानीय रोड्स अलग-अलग ढंग से बने हैं। कई पुराने शहरों में शहर कोड बने हुए हैं और बीच में सड़क निकल गयी, इधर खेत है, इधर मकान बने हुए हैं तो पूरी लम्बाई वहां उपलब्ध नहीं है। पहली गलती तो आप वहां कर रहे थे कि वहां निर्धारित अवधि में लाइन मौजूद नहीं थी, जमीन पूरी उपलब्ध नहीं थी तो आपने वहां पर सड़क क्यों बनायी? अब सड़क बना दी तो आप कहते हैं कि आसपास के मकानों को हटाओ। वे मकान वे हैं जो वापी पट्टे के पुराने जमाने के हैं वे मकान वे हैं जो जमीनें खरीद की गयी हैं वे मकान वे हैं जो कृषि भूमि रूपान्तरण के कायदे से राज्य सरकार को पैसा जमा कराकर और स्वीकृति प्राप्त करके बनाये गये हैं। आज उनके सामने भी खतरा आ रहा है। ऐसे मामलों में भी राज्य सरकार को एक सुस्पष्ट नीति अपनाने की आवश्यकता है। मेरे इसमें दो सुझाव हैं। पहला सुझाव तो यह है कि बहुत बड़ा मामला कहीं है तोड़फोड़ का तो वहां पर बाई-पास बाहर निकालने की बात सोचनी चाहिए। करोड़ों रुपये का आप मुआवजा दोगे क्योंकि वे तो सब पुराने जमाने के वापी पट्टे हैं, लाखों-करोड़ों रुपये लगा रखे हैं। वहां आप बाई-पास निकालिये। नहीं तो आज की बिल्डिंग लाइन है उस हिस्से में शहर के आसपास

(श्री रतन लाल ताम्बी)

निकली हुई बीच में कहीं, उसमें आप डिस्टर्ब मत कीजिये। दोनों में से एक रास्ता ऐसा अपनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग इसको राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों में असन्तोष भड़काना चाहते हैं। हमारा संवेदनशील दृष्टिकोण हो और इस व्यवस्था को हम ठीक प्रकार से कर सकें ताकि यह राजस्थान में जो एक वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है उसका सारा काम ठीक ढंग से अंजाम दे सकें।

अन्त में, वर्तमान कानून में आपकी जांच की जो पद्धति है वह बिलकुल बेकार है। इसके लिए कोई न्यायिक प्राधिकरण जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर इस तरह के लोगों का बनाया जाना चाहिए जो न्याय में विश्वास करने वाले हों। बिना किसी इण्टरफियरेंस के, बिना किसी भ्रष्टाचार के समयबद्ध जांच होकर दूध का दूध, पानी का पानी समय पर हो जाए तो इसका काम सही ढंग से होगा।

पिछली सरकार ने वार्डों का आपा-धापी में पुनर्गठन किया था और अब जनसंख्या बढ़ गयी, मौके की स्थिति बदल गयी। मंत्री महोदय, आपने बहुत प्रयास किये हैं, चिट्ठी भी लिखी है, सब प्रयास भी किये हैं पर हम लोग तो यहां व्यस्त रहते हैं। नीचे कह कर आ जाते हैं, नीचे काम समय पर हो नहीं पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मई-मई का महीना वार्डों के पुनर्गठन को दें ताकि वार्डों का पुनर्गठन नये सिरे से होकर अच्छे ढंग से वार्ड वापस बन सकें। पहले तोड़-फोड़ करके बहुत वार्ड बनाये गये, कहीं का कहीं मिला दिया। इस लिहाज से वार्ड अच्छे ढंग से बनें, इस बात की भी आप व्यवस्था करें ताकि आने वाला जो बड़ी नगर पालिकाओं का चुनाव बाकी है वह चुनाव ठीक प्रकार से हो सके।

पिछली बार आपने चुनाव कराये, चुनावों में राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया। उसने आपसे बड़ी अपेक्षाएं की हैं कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों का विकास योजनाबद्ध ढंग से हो सकेगा। सीवरेज का मामला हो, नालियों का मामला हो या सड़कों का मामला हो। बड़ी जर्जरित सड़कें आज शहरों में देखी जा सकती हैं, 20-20 साल से उनकी मरम्मत नहीं हुई, उनमें खड्डे पड़े हुए हैं। आखिर ये व्यवस्थाएं हों? इसके लिए आप कोई न कोई कोष कायम करके नगरीय विकास कैसे हो सकता है, इस दिशा में सोचें वर्ना शहरों की दुर्दशा हो रही है और खासतौर से गरीबों की बस्तियों की हालत तो बहुत ही खराब है। वहां पर खड्डे हैं, नालियां सड़ रही हैं। पानी, बिजली सबसे वे वंचित हैं। ऐसी स्थिति में कच्ची बस्तियों का कैसे विकास हो सके, गरीबों का कैसे विकास हो सके, उस दिशा में भी आप कोई न कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार करें। उसके लिए संसाधन कैसे जुट सकते हैं, उसके भी आप प्रयास करें ताकि नगरीय विकास का कार्यक्रम कुछ तेजी से आगे बढ़ सके जो पिछले कई सालों से अवरुद्ध हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ इन मांगों के अवसर पर मैंने जो कुछ विचार आपके

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सामने रखे हैं, मैं समझता हूं कि आप बहुत सहानुभूति के साथ उन पर विचार करेंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से आपने पिछले 3-4 महीनों में काम किया है, नाम तो शांति धारीवाल है पर काम क्रांति का किया है। उसी ढंग से नगरीय विकास के कामों में भी किस तरह से क्रांति ला सकते हैं, किस तरह पारदर्शिता हो सकती है, किस तरह से भ्रष्टाचार रहित नागरिक प्रशासन मिल सकता है, मूलभूत सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं उस दिशा में भी आपका सोच, चिंतन आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं आशा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 29 और मांग संख्या 20 पर बोलने के लिए आपने अनुमति दी उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अभी ट्रैजरी बैंच के कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कच्ची बस्तियों में विकास के काम नहीं कराये गये नियमन नहीं किया गया, पट्टे नहीं दिये गये। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार में भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में वर्ष 1996 में जयपुर नगर निगम ने कच्ची बस्ती विकास वर्ष के रूप में घोषित कर कच्ची बस्तियों के विकास कार्यों की परियोजना तैयार कर उनके सघन विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया। सभापति महोदय, उसमें है क्या? करीब 200 उद्यान, 8000 सोडियम लाइट, 20 हजार ट्यूब लाइट, बेशुमार सड़कें, 15 कम्युनिटी हाल, 4 बड़े पुल और एक विज्ञान पार्क का विकास किया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साल, सवा साल निकल गया, इन्होंने विकास तो किया नहीं, जयपुर का विनाश जरूर किया है। सभापति महोदय, मैं चुनौती देना चाहता हूं मंत्री महोदय को आज उन्होंने एक स्थगित प्रश्न के जवाब में कहा था कि हमने हमारे राज में एक भी पट्टा नहीं दिया। करौली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी बोल रहे थे। हमारे राज में, सभापति महोदय, हजारों पट्टे दिये गये हैं। अकेले जे.डी.ए. ने 3096 पट्टे दिये और करीब 800 पट्टे नगर निगम के द्वारा दिये गये। मैं चुनौती देना चाहता हूं धारीवाल जी को, अगर यह बात गलत निकल जाए तो। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सुधार कार्य के लिए कम से कम 19 कच्ची बस्तियों को अपने हाथ में लिया गया। मैं उनके नाम नहीं गिनाना चाहता। 7-8 बस्तियां ऐसी हैं जिनमें हमने पट्टे देने का काम किया। सभापति महोदय, अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले तो आप इन 7-8 बस्तियों का नाम बता दो।

डा. किरोड़ी लाल : आप सुन लो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं कि पट्टों का मतलब भूखण्डों का पट्टा नहीं है, पट्टों का मतलब कच्ची बस्तियों में रहने वालों को पट्टा देने का है। भूखण्डों के पट्टे जे.डी.ए. ने वितरित किये, इनको आप इसमें मत जोड़ो।

डा. किरोड़ी लाल : जिन कच्ची बस्तियों में हमने पट्टे दिये हैं वे आप नोट कर लो, सांगानेर....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सांगानेर गांव का नाम है, कच्ची बस्ती का नाम नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : हवामहल क्षेत्र की बस्ती। बस्सी सीतारामपुरा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हवामहल क्षेत्र की कौनसी बस्ती? बस्ती का नाम बताइये। बस्ती का नाम तो बताइये न। आप ये वेग बात क्यों कह रहे हैं कि हवामहल क्षेत्र की कच्ची बस्ती।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्रीजी, आप जवाब दो तब बता देना। बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हो आप?

श्री सभापति : कृपया, माननीय मंत्रीजी, डोंट इंटरप्ट। प्लीज को-आपरेट।

डा. किरोड़ी लाल : बस्सी सीतारामपुरा, सुदामापुरी, सुथरखाना। आप इनको नोट कर लें, इनमें हमने पट्टे दिये।

माननीय सभापति महोदय, अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि शांति धारीवाल नहीं ये तो क्रांति धारीवाल हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वास्तव में शांति धारीवाल को शांति कायम करनी चाहिए, लेकिन पहली बार अगर पूरे राजस्थान भर में अशांति पैदा की है तो शांति धारीवाल ने की है। ये शांति धारीवाल नहीं, बुलडोजर और डायनासोर चलाकर पूरे प्रदेश का वातावरण अशांतिपूर्ण कर दिया इसलिए ये अशांति धारीवाल हैं। शांति धारीवाल नहीं हैं, न ही क्रांति धारीवाल हैं। मैं गरीब जनता का भी बता रहा हूं कि आपने क्या किया। सभापति महोदय, इन्होंने 29 फरवरी, 2000 को जिस आपरेशन पिंक की ट्रैजरी बैंच के सदस्य बड़ाई कर रहे थे, वह अभियान बिलकुल सुबह चालू किया बिना किसी को सूचना दिये, बिना किसी को नोटिस दिये। बिना किसी को सूचना और नोटिस दिये इन्होंने अपना बुलडोजर चलाया। सभापति महोदय, किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी। ऐसा तो इमरजैंसी में भी नहीं हुआ था जब संजय गांधी थे। अभी करौली से आने वाले माननीय गहलोत साहब कह रहे थे कि मैंने अभियान चलाया। इन्होंने भी कानून का तो पालन किया, लेकिन शांति धारीवालजी ने कानून का उल्लंघन करके अपना बुलडोजर चलाया। बुलडोजर चलाने से स्थिति क्या हुई कि इन्होंने फुटपाथ पर बैठने वाले, थड़ी चलाने वाले, पान की दुकान चलाने वाले लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जिसमें महेन्द्र का उदाहरण आपके सामने है और दिलीप भाटिया जैसे व्यक्ति को यह शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सभापति महोदय, एक

(डा. किरोड़ी लाल)

अखबार में छपा है, और मैं वहां जाकर भी आया था कि फुटपाथ के मलबे पर रोटी का संघर्ष। फुटपाथ के मलबे पर बैठकर रोटी का संघर्ष कर रहे हैं। फुटपाथ पर बैठे चाय बना रहे हैं, ऊपर से सूरज की तपती हुई तेज धूप और नीचे गरम पट्टी। टाट बिछाकर अपना पेट पालन इसलिए कर रहे हैं कि जिस परिवार में 4-4 बच्चे हैं उनकी रोटी कहां से लाएं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करें। सभापति महोदय, ऐसे 5-6 नाम हैं। बजाज नगर में फुटपाथ पर चाय बेचने वाला अशोक, जिसके घर में चार बच्चे हैं। महमूद अयूब जो चूड़ी की थड़ी लगाता था वह तोड़ दी गई। वह वृद्धावस्था में भी टोकरी में बीड़ी और सिगरेट लेकर बेचता फिरता है। चूड़ी की थड़ी वाली महिला बसंती जिसके चार बच्चे हैं, वृद्धा है, उसकी थड़ी तोड़ दी गई, उसके कमाने का कोई साधन नहीं रहा। अपाहिज मनफूली जो बिलकुल अपंग है, जो अपना कमाने का साधन कोई लगा नहीं सकती। ये गरीबों की बात कर रहे हैं, अभी उधर से बोल रहे थे। इन्होंने गरीबों को किस ढंग से उजाड़ा है ? 60 वर्ष की सम्पत बाई जो चांदपोल के बाहर पुराने कपड़े बेचती थी, अब ठेले पर बीड़ी-सिगरेट लेकर भिखमंगे की हालत में आ गई है। वासुमल यूनिवर्सिटी के सामने पान की थड़ी चलता था, उसका पता नहीं, कहां चला गया। इसी प्रकार से कैलाश है। बसंती तो सिर पर टोकरी रखकर गली-गली घूमकर अदरक बेच रही है। यह इन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया है। सभापति महोदय, यही नहीं, एक जगह इन्होंने ऐसा आपरेशन पिंक चलाया है जिस आपरेशन पिंक के बाद जलती चिताएं देखने के लिए बच्चे मजबूर हो रहे हैं। चांदपोल में मात्र 30-32 घर छोटे-छोटे थे, उन्हें तहस-नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उजाड़ डाला। बड़ी मुश्किल से एक-एक तिनका जुटाकर जो घर बनाया था, वह घर टूट गया। उस गरीब को तहस-नहस कर डाला। मृतकों की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा जो स्थल बनाये गये हैं उनकी शरण में वे लोग रह रहे हैं। वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम पुनर्वास करेंगे, एक का भी पुनर्वास नहीं किया है। एक विधवा है शोभादेवी, मकान टूटने का जिक्र करते हुए फफक-फफक कर रोती है। उसके लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। रिक्शा चालक शंकर, उसकी विधवा मां, भाभी और 4-5 बच्चों के लिए भी अभी जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं किया गया। बुजुर्ग लच्छीराम जिसकी 60 साल की उम्र है, अभी तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई पुनर्वास नहीं किया, घर में 10-11 बच्चे हैं। ऐसे 4-5 और नमूने यहां पर हैं, सभापति महोदय, जिनकी रोजी-रोटी इन्होंने छीनी है। इन गरीबों की हाय अशोक गहलोत और शांति धारीवाल की सरकार को खा जाएगी, मैं यह बात कहना चाहता हूं। उस सरकार को जिस सरकार ने कानून-कायदों को ताक पर रखकर उनकी थड़ियां उजाड़ दीं, कोई

(डा. किरोड़ी लाल)

चेतावनी नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी और सभापति महोदय, कहां तक हुआ है? इन्होंने किया क्या है? 29 तारीख को जब इन्होंने पहला कार्यक्रम चलाया तो रेलवे स्टेशन से चलाया। 29 मार्च को स्टेशन पर सुबह 6.30 बजे पहुंच गये और गणेश खत्री नाम का व्यक्ति जो होटल राजपुताना शेरेटन के पिछवाड़े में राजस्थान होम्यो एण्ड एलाइड एजेंसीज नाम की दुकान चलाता है 50 साल से, उस दुकान को तोड़ने के लिए बुलडोजर चला डाला। उसने हाथाजोड़ी की कि मेरे पास में म्युनिसिपल कौंसिल का यह पट्टा है, मेरी दुकान में से सामान निकाल लेने दो, मेरे कागजों को सुरक्षित रख लेने दो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने उस फरियादी की कोई बात नहीं सुनी। उसकी आठ लाख की होम्योपैथिक की दवा तहस-नहस कर डाली। 75,000 रुपये जो अन्दर रखे थे वे कचरे मे मिल गये, उनको सारे घर वाले रो-रोकर बीनने लगे। उसके 50 साल के पट्टे को भी इन्होंने देखा नहीं। कोई कानून-कायदे से नहीं चल रहे थे, डंडे का राज चला रहे हैं। अधिकारियों के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। जिधर अधिकारियों ने हाथ घुमा दिया, डंडा घुमा दिया, उधर ही तबाही मचा दी। सभापति महोदय, एक बार ऐसा महाराष्ट्र में हुआ था, ऐसी कार्यवाही अचानक 13 जुलाई, 1981 को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ए. आर. अंतुले ने की थी। उनको एक दिन सपना आया और बम्बई में जितनी भी कच्ची बस्ती थीं फुटपाथिये थे उनको ट्रकों में भर-भरकर बम्बई से बाहर फेंकने की कार्यवाही चालू कर दी।

श्री जनार्दन गहलोत : वे दोस्त तो मेरे थे, उन्होंने सपना आपको बता दिया? (व्यवधान) अच्छा, मेरी दोस्ती आपसे है, मैंने बता दिया होगा।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं इनके दोस्त ए. आर. अंतुले के बारे में चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने अपना सपना साकार करने के लिए जो फुटपाथ पर लोग बैठे थे, जो कच्ची बस्ती के लोग घणे ही सालों से रह रहे थे, उनको उठाने की, उनको ट्रकों में भर-भरकर बाहर ले जाने की योजना बनाई। लोगों को ट्रकों में भर-भरकर ले जाने लगे। वहां पर एक-आध लाख या लाख-पचास हजार आदमी नहीं थे, वहां पर थे 47 लाख 70 हजार लोग जिसका एफिडेविट बम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ऐसे लोगों को बेदखल करने की योजना सरकार ने बनाई। सभापति महोदय, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिये, उनकी भी राशि ए. आर. अंतुले, "अ" से है और यहां पर गहलोत साहब की राशि भी अशोक "अ" से है। आज तक ए. आर. अंतुले का इस आंदोलन को चलाने के बाद में पता नहीं लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ए. आर. अंतुले हैं क्या। हमने तो नाम सुना नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसी राशि के अशोक गहलोत साहब राजस्थान में जो यह अभियान चला रहे हैं,

(डा. किरोड़ी लाल)

इनको भी इन दुखियों की, इन गरीबों की ऐसी बद्दुआ लगेगी, अशोक गहलोत ए. आर. अंतुले की तरह ऐसा गायब होगा कि फिर राजस्थान की पिक्चर में नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आपको क्यों चिंता हो रही है?

श्री मोहन लाल मोदी : आपको क्यों सिम्पैथी हो रही है?

डा. किरोड़ी लाल : मुझे सिम्पैथी इसलिए हो रही है कि मुख्य मंत्री हम उम्र हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, जवान हैं, पहली बार मौका मिला है। कहीं जवानी में होश नहीं खो बैठे इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं, उप मुख्य सचेतक जी आप मुख्य सचेतक जी को कह देना। आप दोनों पीछे बैठे रहते हैं, मुख्य मंत्रीजी को समझाओ कि गरीबों को बर्बाद मत करो, गरीबों पर डायनासोर और बुलडोजर मत घुमाओ।

श्री महेश जोशी : माननीय सदस्य, आपके राज में नहीं हुआ था क्या? मुझे अच्छी तरह याद है कि स्टेच्यू सर्किल पर खोमचे लगाने वाले लोगों को बिना आपरेशन के आपकी सरकार ने बेदखल किया था। सिर्फ इसलिए बेदखल किया था कि एक सेठ के यहां से ऐसा फरमान आ गया था कि मेरे घर के बाहर बैठे हैं। जे. के. हाउस के बाहर से आपकी सरकार ने उनको बेदखल किया था और वे आज तक दर-दर भटक रहे हैं, आपने क्या राहत दी उनको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब बसा लो। अब बसा लो आप उनको। (व्यवधान) आपका शासन है ना।

श्री मदन दिलावर : 50-50 हजार रुपये लिये जा रहे हैं। कोटा में 50-50 हजार रुपये लिये जा रहे हैं एक-एक को बसाने के लिए।

श्री सभापति : प्लीज, किरोड़ी लाल जी, कंटीन्यू। (व्यवधान) किरोड़ी लाल जी, कंटीन्यू कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। एक कांस्टीट्यूशनल बैंच हाई जजेज की बनी....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : What is your point of order?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पीने के पानी की परमिशन दी है क्या इनको? यह अनुमति है?

डा. किरोड़ी लाल : अनुमति है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किसने दी है?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्षजी ने दी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कब दी? अनुमति हो ही नहीं सकती।

श्री सभापति : हां, अनुमति ली है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियमों में तो बिलकुल निषेध है। केवल फाइनेंस मिनिस्टर को पानी पीना अलाउड है। केवल फाइनेंस मिनिस्टर को जब वे बजट स्पीच दें, बाकी किसी को भी अनुमति नहीं है।

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, इनको गले की बीमारी थी। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी से पहले परमिशन ले रखी है और उसी परमिशन के तहत है। गले की बीमारी के कारण ये पानी ले रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरी हमदर्दी है, अगर इनके गले में दर्द है तो कल बोल लें।

श्री सभापति : वह कोई कल तक उपचार होने वाली बीमारी नहीं है, भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, लेकिन....

श्री सभापति : He had already sought permission from the Hon'ble Deputy Speaker.

एक माननीय सदस्य : कानून में तो प्रावधान नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, आप जो यह रूलिंग दे रहे हैं यह बिलकुल गलत है, यह नियमों के विपरीत है। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर....

श्री सभापति : मैं रूलिंग नहीं दे रहा हूं। उपाध्यक्ष जी से पहले इन्होंने परमिशन ली थी और उसी परमिशन के तहत इनका गला खराब होने के कारण से इन्हें अनुमति दी गई है इसलिए ये पानी का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, आप अनुमति दे ही नहीं सकते, न उपाध्यक्ष जी दे सकते हैं।

श्री सभापति : मैं अभी इसको ओवर रूल भी नहीं कर सकता। क्योंकि He had already sought permission from the Hon'ble Chair.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : परमिशन है और अगर परमिशन नहीं हुई तो....

श्री सभापति : नहीं, परमिशन है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं नहीं, आप बताइये ना।

श्री सभापति : हां, इनको परमिशन है।

डा. किरोड़ी लाल : अगर परमिशन नहीं हो तो आप कुछ भी कार्यवाही कीजिये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाक्टर साहब, मैं आपका प्रशंसक हूं और जो आप हमदर्दी कह रहे थे न, वह हमदर्दी अगर आप उसको असलियत में मानते हैं तो इस पद पर या तो आप बैठे या राजेन्द्रजी राठौड़ बैठें, एक तो उम्र के हिसाब से है। लेकिन यह गलत परम्परा है, सभापति महोदय। मैं इस पर मेरा रिग्रेट भी मैंशन करता हूं और आब्जेक्शन भी करता हूं।

श्री सभापति : माननीय भाटीजी, यह आलरेडी सीक की हुई है इसलिए मैं इस समय—

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं, नहीं है, साहब।

श्री सभापति : अब ठीक है, प्लीज कंटीन्यू इट।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है कि राजस्थान की जनता में प्यास के कारण से त्राहि-त्राहि हो रही है—

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस पर व्यवस्था आप दे दें। पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था तो आप देंगे। या तो आप मुझे ओवर रूल करिये—

श्री सभापति : मैं, भाटीजी, पहले ही ओवर रूल कर चुका हूं और आपसे कह चुका हूं कि इन्होंने पहले उपाध्यक्षजी से परमिशन ली है, उसी के तहत वह अपने गले के कारण से पीने का पानी प्रयोग में ले रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप व्यवस्था नहीं दे सकते, अध्यक्षजी को बुलाइये।

श्री मोहन लाल मोदी : नहीं, दारू भी ले सकते हैं फिर।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर देते हुए माननीय सदन के नेता महोदय भी पानी पी रहे थे, वह भी देखा गया था और जिस रोज फाइनेंस की बहस चल रही थी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय उस बहस में हिस्सा ले रहे थे, वे भी यहां पर पानी पी रहे थे। तो या तो यह सब के लिए ही—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह भी गलत था।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह व्यवस्था में सिर्फ वित्त मंत्री को है तो फिर बाकी सब को परमिशन किस कानून के तहत दी गई?

एक माननीय सदस्य : पानी है ही नहीं पीने के लिए।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है, माननीय भाटीजी और माहिर आजादजी, सरटेन अवसर पर—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप व्यवस्था नहीं दे सकते तो माननीय उपाध्यक्षजी बुला लीजिये।

श्री सभापति : माननीय सुमित्रा सिंहजी, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन पर लम्बी देर बोलना होता है या कुछ सदस्य बीमारी के कारण से ऐसी परमिशन लेते हैं, उन्हीं चांसेज में कभी-कभी परमिशन दी जाती है, बाकी रैगुलर इस हाउस में पानी पीना अलाउड नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : परमिशन आप दे ही नहीं सकते, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैंने नहीं दी है। आलरेडी उपाध्यक्षजी से पहले परमिशन ले चुके हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्षजी भी नहीं दे सकते।

श्री सभापति : नहीं, वह देने में आथोराइज्ड हैं तब दी है। उनमें अधिकार निहित था, उन्हीं अधिकारों के तहत उन्होंने परमिशन दी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : रूल्स में अधिकार ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह हाउस कोई नियमों से ही तो चलेगा। आसन नियमों से ही चलेगा।

श्री सभापति : हां, मैडम, नियमों से चलेगा। नियमों से चलेगा, बीमारी, लाचारी को ध्यान में रखती है चेयर, वह भी देखती है, व्यावहारिक बात है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं इस बात पर प्रोटैस्ट कर रहा हूं और मैं खड़ा रहूंगा क्योंकि आप या तो नियमों से चलिये या आप रूलिंग दे दीजिये और....

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, मैं आलरेडी रूलिंग दे चुका हूं कि माननीय उपाध्यक्षजी की परमिशन से इनके गले की खराबी के कारण से ये पानी का प्रयोग ले रहे हैं और सरटेन परिस्थितियों में....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह कोई रूलिंग है क्या?

श्री सभापति : माननीय उपाध्यक्षजी ने इनको परमिशन दी है, उसी परमिशन के तहत इन्होंने पानी का प्रयोग लिया है और आपने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया I have already rejected this point of order. Please, Bhatiji, take your seat.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक आप मेरी बात सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय यहां प्रजेंट भी नहीं है और आप कह रहे हैं इनको परमिशन दे दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : कह कर गये हैं वे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किस को? माहिर भाई, इसको इतना लाइटली मत लो।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, एडवांस में इनको परमिशन दे दी क्या?

श्री सभापति : Bhatiji, Officially I have got the information.

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, एडवांस में परमिशन दी है क्या?

श्री सभापति : Bhatiji, officially I have got the information. मैं कोई गलत लिख कर नहीं दे रहा हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : वह परमिशन पढ़ कर सुना दीजिये जरा। उपाध्यक्ष महोदय ने जो परमिशन दी है वह पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, इस चेयर के लिए मेरे मन में एज सदस्य बहुत रैसपैक्ट है....

श्री सभापति : होना भी चाहिए, नैचुरल है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसके लिए अगर आप फरमा रहे हैं कि परमिशन है तो जब प्रजेंट ही नहीं थे उपाध्यक्ष महोदय तो परमिशन कहां से दी ?

श्री सभापति : नहीं, पहले ले ली।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और जहां तक सवाल है, प्रतिपक्ष के नेता—

श्री सभापति : नहीं, यह पहले ले चुके हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कहां ले चुके हैं ?

श्री सभापति : मैं आपको बता दूंगा, बैठ जाइये। मैं कोई गलत—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन ने व्यवस्था दे दी।

श्री सभापति : आसन ने व्यवस्था दे दी है, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन सर्वोपरि है, आपने व्यवस्था दे दी, बस।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं। राजेन्द्र सिंहजी, यह नहीं चलेगी। ऐसे लाइटली मत लो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, लाइटली की बात नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके नेता महोदय ने जितनी परम्पराएं यहां इस असैम्बली में तोड़ी हैं इनके कैरियर में, उसके बारे में तो मैं उदाहरण दूं तो कम है। लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ही है कि हर सदस्य की उनकी—

श्री सभापति : Please don't dilute the topic.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : It is dilution of the topic. नहीं, कर रहे हैं, पाइंट आफ आर्डर रिजैक्ट कर चुका हूं मैं। The Hon'ble member has already got the permission from the Hon'ble Chair.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो परमिशन बताए तो सही॥

श्री सभापति : No. It is not necessary that I should show it to you.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Of course, it is.

श्री सभापति : No. It is not compulsion on the Chair.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभाति महोदय, तो मुझे बताएं आप कौन से रूल के तहत कर रहे हैं ?

श्री सभापति : अब चेयर पर से बोल रहा हूं कि परमिशन दी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : रूल बताएं न कि उस रूल के तहत आपने परमिशन दी है।

श्री सभापति : चेयर को कई प्रकार के एम्पल पावर हैं, वह अपने प्रयोग में लेती है उन अधिकारों को।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं।

श्री सभापति : रूल हर बात का कोई नहीं होता, व्यावहारिक दृष्टिकोण में हर बात कोई रूल में लिखी हुई थोड़े ही होती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन और यह आसन दोनों ही नियमों से बंधे हुए हैं।

श्री सभापति : बिलकुल बंधे हुए हैं मैडम, कौन मना कर रहा है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और नियमों के अनुसार ही हाउस चलाया जाएगा।

श्री सभापति : कौन मना कर रहा है? प्लीज भाटी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। भाटी साहब, प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके स्टेटमैंट से....

श्री सभापति : Dr. Kirodi Lalji, continue your speech please.

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : एक बात मैं निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय, स्ट्रिक्टली पार्लियामैंट्री कन्वेंशन यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर का बजट स्पीच के वक्त में पानी पीना परमिसिबल है, उसके अलावा नहीं है। अब मैं ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य को प्रार्थना करता हूं कि कहीं यह रूटीन नहीं बनना चाहिए....

श्री सभापति : ठीक बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हरेक माननीय सदस्य पानी पिये, अगर पी लिया तो कोई अवस्था में चेयर रूल्स रिलैक्स कर सकती है, दे सकती है, लेकिन माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना यह है कि यह अगर रुटीन हो गया तो चीफ मिनिस्टर भी पानी पियेंगे, फिर प्रद्युम्न सिंहजी भी पानी पियेंगे, फिर विपक्ष के नेता भी पियेंगे, फिर किरोड़ी लालजी भी पियेंगे, फिर मैं भी पिऊंगा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर शांति धारीवालजी भी पियेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं पिऊंगा। मैं पानी पिलाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह नहीं होना चाहिए। यह जनरल रूटीन नहीं होना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य की जो भावना है उसको आसन भी समझने का कष्ट करे और हम भी इसको समझेंगे कि जहां तक हो अवाइड करना चाहिए। कोई स्पेशल केस हो बीमारी का। बाकी जो कह रहे हैं वह सब सही है।

श्री सभापति : Thank you, Vyasji. Please continue.

श्रीमति सुमित्रा सिंह : आसन भविष्य के लिए व्यवस्था भी दे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और इसके लिए व्यवस्था हो जाए।

श्री सभापति : भविष्य के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इसकी व्यवस्था, पानी को पीना अलाउ ही किया जाए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं जैसा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वह बिलकुल सही है कि अगर कन्वेंशन के हिसाब से आप पानी पीने की इजाजत देंगे तो फिर दूसरे माननीय सदस्य भी मांगेंगे।

श्री सभापति : नहीं, हाउस के डेकोरम को देखा जाएगा, माननीय दिग्विजय सिंहजी। इस प्रकार से परमिशन नहीं दी जाएगी।

श्री दिग्विजय सिंह : हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप उपाध्यक्ष महोदय को कहिये कि वे अपनी व्यवस्था को रिव्यू करें, नहीं तो इसका कोई एण्ड ही नहीं होगा।

श्री सभापति : मैं आपकी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर गला खराब है तो आप मत बोलें।

श्री जनार्दन गहलोत : ऐसा है, साहब, किरोड़ी लालजी को कुछ समय के लिए रैस्ट देना था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रैस्ट देना था ताकि वे जरा फिर तैयार हो जाएं।

श्री सभापति : ठीक बात है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठा कर जो आपका ध्यान आकर्षित किया है, वैसे हमारे विधान सभा के प्रक्रिया के जो नियम है उनमें रूल 269 में और मेंडेटरी है वह, उसमें प्रोहिविटेड है कि सदन का कोई सदस्य धूम्रपान नहीं करेगा, पानी भी नहीं पियेगा। अब आसन जैसा भी निर्धारित करे, निर्णय करे, वह तो आसन के ऊपर है लेकिन सामान्यत: कई दिन इस ढंग से लोगों के मन में एक बात आई है कि प्रक्रिया के जो नियम हैं उनका अनुपालन स्ट्रिक्टली और जब रूल्स मेंडेटरी होते हैं तो उस मेंडेटरी रूल के लिए तो उसका अनुपालन किया जाना बहुत ही लाजिमी है। अगर यह रिलैक्सेशन रूल्स में बढ़ता चला गया, ढिलाई बढ़ती चली गई तो आखिर इसका अंत कहां है, इस बात की ओर माननीय सदस्य का ध्यान है।

श्री सभापति : भविष्य में, मुख्य सचेतकजी, स्ट्रिक्ट, मेंडेटरी और प्रोहिबेटरी, जो भी व्यवस्था है, सदन में लागू रहेगी और इस प्रकार की व्यवस्था के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को जानकारी दे देंगे, भविष्य में इस प्रकार अलाउ नहीं करेंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, अभी इतना महत्वपूर्ण मामला आज ही था, ब्रिटेन की संसद के अंदर तो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी कोशिश कर रही हैं कि हमारे बच्चों को अंदर दूध पिला सकें, तो यहां तो छोटी-सी बात है, उसको रिलैक्सेशन करा लीजिये अध्यक्ष महोदय से।

श्री सभापति : प्लीज।

(15.45 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : अब पूछिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय से मैंने परमिशन ली हुई थी...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : और यह तो लग ही रहा था कि ट्रैजरी बैंचेज के लोग जनता को पानी नहीं पिला रहे, प्यासे मार रहे हैं। यह माननीय मुख्य सचेतकजी बोल रहे हैं तभी, हमारे गांव का पानी बंद कर दिया तो + + +

श्री मोहन लाल मोदी : यह विधान सभा है, यह एक तरह की भाषा इस तरह बोल कर आप करें....

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज करिये।

श्री मोहन लाल मोदी : यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया, बिराजें आप।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें प्लीज। आप विराजें।

श्री मोहन लाल मोदी : एक तो गलती करें, उस गलती की माफी भी नहीं मांगें और उसके बाद फिर आरोप और लगाएं, यह बिलकुल उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले सुनिये मेरी बात को, फिर बोलिये। आप प्लीज बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो इनको कह दें, मैं गलती पर हूं। मैंने आपसे इजाजत ली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये न।

डा. किरोड़ी लाल : यह बार-बार बीच में माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको इश्यू क्यों बना रहे हैं, आप बोलें न।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने परमिशन दी, यह फरमा दें। यह बता दें हमको।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि बोम्बे में जब ए. आर. अंतुले साहब वहां के मुख्य मंत्री थे तो फुटपाथियों की और कच्ची बस्तियों की तबाही मचाई। तो उस समय वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील में गये। पांच जजों की बैंच बनी, कांस्टीट्यूशनल बैंच बनी। उपाध्यक्ष महोदय, वह है आलगाटेलीस वर्सेज बोम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन ए.आई.आर. 1986 पेज-180। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो जजों ने अपना वर्जन दिया वह बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला है। उन्होंने लिखा है पैरा फर्स्ट में कि जिन लोगों ने फुटपाथों को घर बनाया, वे गन्दगी और कूड़े के ढेर में रह रहे हैं। सड़े हुए मांस की तलाश में फिरते कुत्ते और बिल्ली उनके जीवनसाथी हैं। जहां मल त्याग करते हैं वहीं उन्हें भोजन पका कर खाना एवं सोना पड़ता है। उनकी बेटियां राहगीरों के मध्य बैठ कर वहीं स्नान करती रहती हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

औरतें एक दूसरे की जुएं निकालती हैं, लड़के भीख मांगते हैं और पुरुष न्याय व्यवस्था के तथाकथित रक्षकों से सांठ-गांठ करके सोने की जंजीरें खींचते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि इस नगरी में अपराध कौन नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, आगे पैरा सैकंड में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बेंच ने कि ऐसे ही पुरुष और स्त्रियां इस न्यायालय के समक्ष आये हैं यह फैसला लेने के लिए कि रहने की वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना उनको फुटपाथों एवं कच्ची बस्तियों से हटाया नहीं जा सकता, उनकी कच्ची बस्ती को उजाड़ा नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला दिया है जिसमें जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन उनका तर्क यह है कि वह जीने का अधिकार जीविकोपार्जन के अधिकार के बिना सम्भव नहीं है। उनके पास बोम्बे आने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि वहां जीने के लिए रोटी मिल जाती है। कितनी दर्दनाक कहानी है। उन्होंने अपना वर्जन दिया है। उनका यह भी कहना है कि जीविकोपार्जन करने के अधिकार को संरक्षित किये बिना जीने का अधिकार अर्थहीन है और यह अधिकार ऐसे कानून द्वारा ही छीना जा सकता है जो तर्कसंगत हो, मनमाना नहीं हो। राजस्थान की सरकार ने इल्लीगल और मनमाने तरीके से कानून को ताक पर रख कर इन गरीबों का अधिकार छीना है।

उपाध्यक्ष महोदय, पैरा-सी हैट लाइन्स में उच्चतम न्यायालय ने लिखा है और उससे सहमति प्रकट करते हुए डिसाइड किया है कि कोई व्यक्ति जीवनयापन के साधन के बिना जिन्दा नहीं रह सकता। किसी भी व्यक्ति का जीवन छीनने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी जीविका का साधन छीन लिया जाए, तो वह और भी मनमाने तरीके से जो चाहेगा वह करेगा। यह किया है राजस्थान की सरकार ने। जीविका का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कांस्टीट्यूशन बेंच ने कहा है। न्याय द्वारा अधिस्थापित प्रक्रिया न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी कानून रद्द किये जाने योग्य है, उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला उन्होंने उसमें किया है। पैरा-जी, यह मैं माननीय मंत्री महोदय को दे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की कांस्टीट्यूशनल बैंच का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फुटपाथियों को सुनवाई का मौका दिये बिना नहीं हटाया जा सकता। फुटपाथियों द्वारा किया गया अतिक्रमण क्रिमिनल ट्रेस पास की परिभाषा में नहीं आता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 1976 के पूर्व के फुटपाथियों को उनके वर्तमान स्थान से निकट में ही वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था की जाए। जो लोग बीस साल से अधिक समय से किसी कच्ची बस्ती में रह रहे हैं उनको उस समय तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस भूमि की सार्वजनिक

(डा. किरोड़ी लाल)

हित में आवश्यकता नहीं हो और ऐसी स्थिति में उनको वैकल्पिक आवासीय भूखंड अथवा मकान देने होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट की कांस्टिट्यूशन बैंच का फैसला है। इसका तनिक भी राजस्थान की सरकार ने ध्यान नहीं रखा और कानून को ताक में रख कर जो प्रदेश को उजाड़ा है, इस जयपुर को उजाड़ा है, वह आपके सामने है, उपाध्यक्ष महोदय।

एक फैसला और है। ये 5-6 फैसले में माननीय मंत्री जी की निगाह में इसलिए डाल दूंगा कि एक बार इनकी निगाह में ये आ जाएंगे तो हो सकता है कि मानवीय दृष्टिकोण अपना कर ये कुछ कानून को कानूनसंगत रखते हुए कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह है ए.आई.आर. 1994 एन.ओ.सी. 206, यह दिल्ली का फैसला है, इसमें लिखा है : —

"Encroachment-demolition by municipal corporation - structure in existence prior to the coming into force of the Act - not liable to be demolished."

यह सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली का फैसला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक फैसला बोम्बे हाई कोर्ट का है। एक क्रास था क्रिश्चियन्स का। उस क्रास का आधा हिस्सा रोड पर था और आधा हिस्सा निजी सम्पत्ति में था। बोम्बे की कोरपोरेशन ने उस क्रास को तोड़ दिया। वे अपील में गये और अपील के बाद पैरा 6 में ए.आई.आर. 1992 बोम्बे पेज 100 द कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ बोम्बे वर्सेज म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ बोम्बे को अपने निर्णय में, उपाध्यक्ष महोदय, कहा है : —

"Absence of a notice prior to the demolition ruled illegal and unconstitutional direction issued to the Corporation to reconstruct the Cross at the very site at which it formerly stood." उसको वहीं बनाएंगे, यह कारपोरेशन को बोम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

ऐसा ही एक मामला, उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्रा हाई कोर्ट का हुआ है। आन्ध्रा हाई कोर्ट ने ए.आई.आर. 1992 आन्ध्र प्रदेश पेज 143 में कहा है कि यदि कोई ढांचा गैर कानूनी तरीके से खड़ा भी कर दिया गया है, धारीवाल जी, यदि कोई ढांचा गैर कानूनी तरीके से खड़ा भी कर दिया गया हो तो भी कमिश्नर, नगर निगम को उसे नोटिस देना होगा और सुनवाई का पूरा अवसर देना होगा। कानून यह अनुमति नहीं देता, धारीवाल जी, कि जिस दुकान को नगर निगम ने लाइसेंस दे रखा है और जो 10 साल से अधिक वर्ष से चल रही है उसे तोड़-फोड़ की कार्यवाही करके अचम्भे में डाल दें। ऐसा जयपुर में हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय। अनेकों लाइसेंसधारियों के लाइसेंस नहीं देखे, कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश नहीं देखे, उनको फाड़ कर फेंक

(डा. किरोड़ी लाल)

दिया। जिधर अधिकारियों की अंगुली घूम गई, उसी को तोड़ डाला। इसलिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आन्ध्र प्रदेश का एक फैसला और है। ए.आई.आर. 1994 आन्ध्र प्रदेश पेज 275 पैरा 7, 10 और 13 पर इसकी चर्चा की है और इसमें लिखा है : —

"The wooden structure erected by the petitioners at the street more than a decade back - structure put up only after getting the permission from the Estate Officer of Corporation - Encroachment Fee was also collected by the Corporation. Removal of said structure under Sec. 405 - without notice - it is arbitrary and illegal - petitioner, however, cannot be permitted to return said structure when road itself was to be widened - Compensation awarded is proper relief." उपाध्यक्ष महोदय, ये कोई कम्पन्सेशन नहीं दे रहे हैं, कम्पन्सेशन देने की बात नहीं कर रहे हैं और उनको तोड़ कर फेंक रहे हैं। इन्होंने इस राजस्थान की धरती पर तबाही मचा रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और है, ए.आई.आर. 1986 पेज 872 एक्सप्रैस न्यूज पेपर्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया, यह इंडियन एक्सप्रेस का मामला है। इंडियन एक्सप्रैस ने इमरजैंसी में जब आपातकाल के काले कानूनों को पब्लिक के बीच में खोला, उजागर किया, इन्दिराजी ने जो काला-कानून हिन्दुस्तान की धरती पर लादा आपात काल के नाम पर, उसको जब इन्होंने उजागर किया तो इनका विक्टिमाइजेशन सरकार ने किया। इस फैसले में, उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 87 पर यह लिखा है कि यूनियन ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं है जिसमें से एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स को बेदखल किया जा सके। यह, उपाध्यक्ष महोदय, वहां का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लालूजी भी पीछे नहीं रहे हैं। लालूजी ने भी बिहार में अतिक्रमण हटाया, मुंहदेखी कार्यवाही की उसका परिणाम क्या हुआ? पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, ए.आई.आर. 2000, पटना, पेज 52 भोला साहब बनाम स्टेट आफ बिहार, पैरा 54 पर लिखा हुआ है : —

"Encroachment by unauthorised structure on private lands - removal by authorities - no notice for removal of encroachment given to land holders - no measurement of roads of alleged encroachments were taken - held on facts that action of authorities was illegal, arbitrary and highhanded - that the cost of Rs. 75,000/- would be given to the petitioner." उसमें कास्ट दिलाई है।

(16.00 बजे)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, चाहे बिहार के गवर्नर श्री सुंदर सिंह भंडारी हों, अपने ऐतिहासिक कार्य करते हैं, नजीर पेश करते हैं। पटना हाई कोर्ट ने तो यह भी कह दिया....

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप बोलोगे?

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त बोल देना, क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? आप विराजिए। You will be given opportunity.

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर 1997 का बार हो और गवर्नर अगर परमिशन नहीं दे किसी लोक सेवक के खिलाफ तो कोई भी बिहार का आदमी दे तो...(व्यवधान) पटना हाई कोर्ट की बात बढ़ी। कि वह भी कोई हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट तो केवल गरीबों के खिलाफ है और वह काम करता है जो पूंजीपति कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिए। आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब राजस्थान में आते हैं, बिहार को छोड़े। (व्यवधान) ए.आई.आर. 1988, पेज 217 राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है, आनरेबल एस. सी. अग्रवाल। नोटिस क्यों नहीं दिया गया? सुनवाई का मौका दिये बिना तोड़-फोड़ करना इल्लीगल एण्ड आर्बिट्रेरी है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कहा गया कि अतिक्रमण तो हटाओ किन्तु नोटिस या सुनवाई का मौका दो। श्री शांति धारीवाल जी, आप नोटिस नहीं देना चाहते, आपकी इसमें बदनीयति है। सरकार की बदनीयति है और बदनीयति क्या है? कि आपका डंडा चलता रहे, साब चलता रहे। आप मर्जी आये जहां निशान लगा दें, सूचना या नोटिस दें या नहीं दें, आप उसको तोड़-फोड़ कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक गली निकाली है और वह गली क्या है कि...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका जब लोक सभा का टिकट कटा तब आपको नोटिस दिया गया था क्या?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी नीयत में खोट है इसलिए इन्होंने स्पेसिफिक परफोरमेंस एक्ट की धारा 6 की उप धारा (2) (ब) का सहारा लिया। उसमें क्या है?—

"Suit by person dispossessed of immoveable property - No suit under this Section shall be brought against the government."

सरकार के खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। न सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, न हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने यह रास्ता निकाला है कि नोटिस किसी को मत दो, डंडे का राज चलने दो, यह नादिरशाही बरकरार रहने दो और तोड़-फोड़ जंचे जैसे करने दो। इसका इन्होंने सहारा लिया। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने यह तो कर लिया लेकिन, उपाध्यक्ष

(डा. किरोड़ी लाल)

महोदय, यह कार्यवाही पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कार्यवाही है। मंत्री महोदय, मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं। पढ़ लेना अधिकारियों से सलाह कर लेना। ए.आई.आर. 1981 राजस्थान हाई कोर्ट के पेज 217 के अनुसार जायदाद के शांतिपूर्ण अधिकार से किसी भी व्यक्ति को कानून सम्मत तरीकों के अतिरिक्त राज्य वंचित नहीं कर सकता। धारीवाल जी, यदि राज्य या उसका कोई अधिकारी उसे कानून सम्मत प्रक्रिया से भिन्न किसी तरीके से बेदखल करते हैं तो उस व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 226 में याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। He can go. उसे इस अधिकार से यह कह कर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका कब्जा अनधिकृत है और उसके पास कोई टाइटल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 28-29 में लिखा है कि राज्य की सम्पत्ति के मालिक के रूप में सरकार को सामान्य नागरिक से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस कार्यवाही के लिये कानून में उचित प्रावधान किये गये हैं, जैसे कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सैक्शन 99 में कृषि भूमि के संबंध में और पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट, 1956 में शहरी सम्पत्ति के संबंध में। हाई कोर्ट का कहना है, अगर इन प्रावधानों के विरुद्ध कदम उठाने का अधिकार राज्य के अधिकारियों को दे दिया गया तो कानून मृतप्राय: हो जाएगा। जो यह सरकार कर रही है। साथ ही अधिकारियों के लिए मनमानीपूर्ण कार्यवाही करने का रास्ता खुल जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, यह राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है। किन्तु इस नादिरशाही सरकार ने कानून को ताक में रखकर, उल्लंघन करके यह कार्यवाही कर रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 33 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकरण में एक सिनेमा घर के मालिक को गैरकानूनी कार्यवाही के जरिये बेदखल किया गया। जिसका कब्जा हाई कोर्ट ने उसको वापस दिला दिया। लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 112 में वह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके और भी माननीय सदस्य बोलेंगे, समय का थोड़ा ध्यान रखिये। या तो आप तय कर लो कि आप ही बोलोगे।

डा. किरोड़ी लाल : यदि 30 साल से अधिक समय का है तो उसके विरुद्ध बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कानून और नियमों का उल्लंघन कर 30 क्या, 50-50 साल के निर्माणों को तोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हर कस्बे और हर गांव का सैटलमैंट होता है, आजादी के बाद से अब तक तीन-चार बार सैटलमैंट हो चुका। आजादी से पहले राजा-महाराजाओं ने अकाल राहत या और किसी योजना के तहत गांव में जो सड़कें बनाई उनके लिए जमीनें एक्वायर कर लीं। जितनी आवश्यकता थी उतनी जमीन एक्वायर कर ली और सड़कों के आस-पास निर्माण हो

(डा. किरोड़ी लाल)

गये। म्युनिसिपैलेटी एक्ट लागू होने तक बने ऐसे मकानों को जो यह सरकार तोड़ रही है, यह गैरकानूनी कार्यवाही है। अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य डाक्टर साहब बोल रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय, इनके वहां क्या हुआ? एक-दो अप्रेल को शांति धारीवालजी का बुलडोजर वहां पहुंच गया। नोटिस नहीं दिया, सूचना नहीं दी। तीन-चार रिट हाई कोर्ट में लगाई गई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य, कृपया इतनी-सी जानकारी ले लें, जितने निर्णय आपने बताये हैं उच्च न्यायालयों के, आन्ध्र प्रदेश का आपने बताया, आपने महाराष्ट्र का बताया, जो कानून वहां विद्यमान हैं वे उनके ऊपर दिये गये निर्णय हैं, उनको राजस्थान में लागू मत करिए। राजस्थान में राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा 203 में जो 1988 में परिवर्तन हुआ है, कृपया उसको पढ़िये। आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि अतिक्रमण के मामले में नोटिस देने की कहीं आवश्यकता नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय डाक्टर साहब, गरीबों और पिछड़ों की बात करो। यहां पूंजीपतियों और + + + जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, इन + + + को तो निकाल देना चाहिए। आप तो स्वयं पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने उच्च न्यायालयों के इतने निर्णय पढ़ दिये और बरामदों के मामले में जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिये तीन-तीन, चार-चार, उनमें से एक नहीं पढ़ा।

डा. किरोड़ी लाल : उन्हीं पर आ रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप स्वयं पिछड़े वर्ग से संबंधि हैं तो ऐसी जगह जहां पर गरीबों को बेदखल किया है, एस.सी. को बेदखल किया है वहां तो हम और आप बुलडोजर के सामने सोने के लिए तैयार हैं और यहां करोड़पति और पूंजीपतियों की वकालत कर रहे हो। यह सदन करोड़पति और पूंजीपतियों के लिए नहीं है, आपको गरीबों की बात करनी चाहिये। आगे आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, विराजिए। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : बहरोड के मामले को लेकर हाई कोर्ट में रिट हुई है। 80 साल पुराने निर्माण, जिनको ये ध्वस्त करना चाहते हैं। इस मामले में भी हाई कोर्ट में राजस्थान के एडवोकेट जनरल ने अपीयर होकर बयान दिया है कि कोई गैरकानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि नाप-जोख की जाएगी, दूसरे चिन्ह लगाये जाएंगे, अतिक्रमणियों को नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उपाध्यक्ष

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

महोदय, एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में कहा अभी, इसका मतलब यह है कि अब तक जो कार्यवाही राजस्थान की सरकार ने की है, इन बातों को उल्लंघन करके जो गरीबों को उजाड़ा, यह पूरी तरह से अनकांस्टीट्यूशनल है। इसलिये अब क्या हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह हो रहा है कि आप विराज जाओ। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अदालत के आदेशों की अवहेलना पर मंजीत सिंह से जवाब तलब। कोर्ट के कठघरे में अधिकारी जाएंगे। जे.डी.ए. कानून से ऊपर नहीं, दो अभियन्ताओं को सिविल कारावास। इनके आदेशों का परिणाम निकल रहा है। एक अदालत की अवमानना पर जैसलमेर में कलेक्टर को नोटिस दिया। इन्होंने जनता की तो अवमानना कर दी। इनको जो मैनडेट मिला था, जनता का, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मिला था कि आप राजस्थान में चहुंमुखी विकास कराएंगे, विनाश नहीं करवाएंगे। इसमें लिखा है कि हम चारों तरफ से विकास कराएंगे। बी.जे.पी. की सरकार ने कुछ नहीं कराया, खजाना खाली कर डाला, कानून की व्यवस्था चरमरा डाली। इन्होंने विकास तो कराया नहीं, गरीबों को उजाड़ने में लगे हुए हैं उपाध्यक्ष महोदय। अब ये अधिकारी 12 ताड़ी में जाने वाले हैं, कटघरे में खड़े होने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक जे.डी.ए. का....

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, अगली बार बोल लेना। नहीं मिल रहा है तो क्या करें? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक जे.डी.ए. का एक्ट है 1982 का। इन्होंने सोडाला में तोड़फोड़ की इसलिये बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको कागज मिला ही नहीं, आप दूसरा कागज उठाकर पढ़ने लग गये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सोडाला में तोड़फोड़ की। बहुत + + + किया। पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ गिराया। वहीं महेन्द्र मीणा था, वहीं दिलीप भाटिया था जो अपना घर छोड़ गया, एक मर गया। 1982 की लिस्ट में इनका शिड्यूल फर्स्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, उस लिस्ट में यह गांव का नाम चढ़ा हुआ है सोडाला। "Schedule I. List of city, town and villages falling in Jaipur region." यह 31 नम्बर पर है। माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो कांस्टीट्यूशनल राइट पंचायतों और नगरपालिकाओं को मिले, उनका पूरी तरह से आपने हनन किया है। 284-पी यह कांस्टीट्यूशन में म्युनिसिपैलिटी का अधिकार है, उसके बारे में जिक्र किया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 243 W 12th शिड्यूल में जो लिखे हैं, म्युनिसिपैलिटी के वर्क्स—"Urban planning including town planning, regulation of land use and construction of buildings, planning for economic and social development, roads and bridges..." उपाध्यक्ष महोदय, यह काम तो इन्होंने नहीं किया। नगर निगम क्यों नहीं कर दिया जयपुर को, उसको काम नहीं करने देना चाहते। क्या कानून इनको इजाजत दे देगा कि नगर निगम के अधिकारों का अतिक्रमण करके सरकार कानून को अपने हाथ में ले ले? किसी भी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। जयपुर में चर्चा चल रही है, यह मजाक कर रहे थे, कि जनता सेना बन रही है, दुर्गा वाहिनी बन रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जनता सेना बनकर हाथ में पत्थर लेकर इलाज करेगी क्योंकि आप कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। जब राजस्थान की सरकार कानून को हाथ में लेगी तो जनता भी कानून को हाथ में लेगी। इसलिये मंत्रीजी, आप कांस्टीट्यूशन का पालन करें। आर्टिकल 243 W 12th शिड्यूल का एक बार अवलोकन कर लें उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचंद जैन। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य प्लीज। समाप्त कीजिये। आप सुन ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। आपके और मैम्बर्स हैं बोलने वाले। 7-8 मिनट हो गये। दो मिनट में समाप्त कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राइट टू प्रापर्टी, यह कांन्स्टीट्यूशन में है। 301. "No person shall be deprived of the property save by authority of Law." यह संविधान में प्रावधान दिया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की रक्षा नहीं हो रही है और राजस्थान की यह विनाशकारी सरकार गरीबों की थड़ियां उजाड़ रही है, उनको बरबाद कर रही है। अशोक गहलोत अंतुले बन चुके हैं। मैं सलाह देना चाहूंगा ट्रैजरी बैंचेज को कि इन्हें अंतुले नहीं बनने दें। राजस्थान को बरबाद नहीं करें गरीबों को उजाड़ें नहीं। आपने गरीबों को इस ढंग से उजाड़ा कि वे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, पागल बनकर घूम रहे हैं। यह बिलकुल अन्कांस्टीट्यूशनल कार्यवाही है। आप कानून के तरीके से कुछ भी करो, इसके लिए मनाही नहीं है। हम अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं हैं, अतिक्रमण खूब हटाओ, लेकिन जिस प्रापर्टी पर आप अतिक्रमण हटाना चाहते हो, अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आप उनको नोटिस दो, नोटिस देकर लैंड अक्वायर करो। उस लैंड का पैसा दो और उस जमीन को अपने कब्जे में कर लो। लेकिन आप लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही नहीं करें और मकानों को धड़ाधड़ तोड़ते जाएं, इसकी राजस्थान की जनता इजाजत नहीं देगी। इसके लिए

(डा. किरोड़ी लाल)

संघर्ष होगा, राजस्थान की धरती पर होगा, अगर आपने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। मैं इतना ही कहकर जो मांग रखी है इसका विरोध करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और सरकार की मनमानी और + + + की कड़े शब्दों में भर्त्सना करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचंद जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास एण्ड मांग संख्या 20 आवास, दो मांगों पर अपने विचार बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल में आवास विकास संस्थान कार्य कर रहा था सारे राजस्थान में। दिल्ली में भी आवास विकास संस्थान ने कार्य किया है, वह संस्थान घाटे में गया और जो कांट्रेक्टर्स हैं जिन्होंने कि वर्क्स लिये, उन कांट्रेक्टर्स की

(16.18 बजे)

(श्री दिग्विजय सिह, सभापति, पदासीन)

बहुत-सी राशि बकाया है। वह राशि अभी उनको नहीं मिल रही है। ऐसे भी कान्ट्रेक्टर्स हैं जिन्होंने श्योरिटी में अमाउण्ट जमा कराया है, कोई भी कार्य नहीं किया। ऐसी श्योरिटी में एक लाख रुपये दिये गये और अभी तक करीब 10 महीने हो गये हैं, उसकी कतई भी अदायगी नहीं की जा रही है। इस प्रकार हमारी प्रतिष्ठा घटती है। आवास विकास संस्थान के बारे में जो कुछ भी आप निर्णय लें, जल्दी से जल्दी निर्णय लें और जिनकी भी राशि बकाया है उनकी राशि की उन्हें अवश्य ही अदायगी कर देनी चाहिये, इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये।

दूसरी बात मैं नगर पालिका के बारे में कहना चाहता हूं। नगर पालिका में चुंगी वास्तव में आय का एक बड़ा अच्छा माध्यम था और वास्तव में चुंगी अभी भी अपने को शुरू करनी चाहिए। अगर चुंगी करेंगे तभी जाकर नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जो उनका कार्य है स्वच्छता का, सड़कों के निर्माण का उसे वे भलीभांति कर सकेंगी। इसलिए आवश्यक है कि अपन कमजोरी नहीं दिखाएं। उन्होंने जो स्टैप उठाया है उससे अपने को कोई लाभ नहीं हुआ। सैल्स टैक्स पर जो सरचार्ज लगा उससे गवर्नमैंट को भी किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं हुई और नगर पालिकाओं को भी जो राशि अभी मिल रही है वह अपर्याप्त है, उससे वे किसी प्रकार का डवलपमैंट का कार्य नहीं कर सकती हैं।

नगरपालिका और नगर परिषद् के जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं, सैक्रेटरी हैं, मैं तो बराबर बाड़मेर में देख रहा हूं और दूसरी रिपोर्ट भी है कि वे अधिकांश अनएफिशिएंट हैं इस कारण नगर पालिकाओं का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता। नगर पालिका, नगर परिषद् में

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अगर आर.ए.एस. स्टैण्डर्ड का नहीं करना चाहते हैं तो तहसीलदार की ग्रेड के स्टैण्डर्ड का ही अधिकारी करिये। कुछ स्टैण्डर्ड का तो अधिकारी हो, उसके कार्य की कुछ क्षमता हो। एक्जीक्यूटिव आफिसर योग्य नहीं होने के कारण नगर पालिका का कार्य बहुत सफर करता है। इसलिए गवर्नमैंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम तहसीलदार की ग्रेड के अधिकारी नगर पालिकाओं के एक्जीक्यूटिव आफिसर किये जाएं और नगर परिषद् में आर.ए.एस. स्टैण्डर्ड के किये जाएं। तो नगर पालिकाओं का काम सुचारू रूप से चल सकता है अन्यथा सुचारू रूप से नहीं चल सकता है।

हाउस टैक्स यद्यपि कम्प्लसरी है परन्तु मैं बराबर देख रहा हूं कि कोई भी नगर पालिका हाउस टैक्स वसूल नहीं करती है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को निर्णय लेना चाहिए कि हाउस टैक्स के बारे में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, कुछ सुधार किया जाए। अगर रेट ज्यादा है तो उसे कम किया जाए तो यह आय का अच्छा स्रोत है। यह उन्हीं पर लगता है जिनके मकान हैं, जिनकी स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। एक मकान के लिये तो हाउस टैक्स लिया भी नहीं जाता है। इसलिये हाउस टैक्स की वसूली के लिये जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उनको निर्देश दिये जाने चाहिएं कि वे हाउस टैक्स वसूल करें। इससे उनकी आय का स्रोत होने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर वे नगर पालिकाएं सुचारू रूप से काम कर सकती हैं इसलिये इस सम्बन्ध में उनको ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब अधिक बात नहीं कहकर एक बात कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं कि जो अतिक्रमण वाले मामले हैं, जयपुर शहर के अन्दर भी जो स्टैप्स लिये गये उनकी तो प्रशंसा हुई है परन्तु नगर पालिकाओं में जो अतिक्रमण के बारे में पटवारियों को लगाया है और उन्होंने स्थान चिन्हित किये हैं, बहुत-से ऐसे स्थान चिन्हित किये हैं जो वास्तव में अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आते हैं, वे अतिक्रमण हैं भी नहीं। मैंने खुद जाकर देखा कि यह क्या है। हर जगह जाकर अतिक्रमण करके चेंज किया और उसमें भारी भय का वातावरण बन गया। आज अतिक्रमण के मामलों को लेकर ऐसा करना चाहिए कि जो मेन रोड्स हैं, इम्पोर्टेण्ट रोड्स हैं उनको लें जहां जनता का आवागमन बहुत ज्यादा रहता है उस प्रकार के रोड्स लें। आज जयपुर बहुत पुराना बसा हुआ है, उसके अन्दर अगर आप अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे तो एक बड़ी भारी परेशानी आपके सामने आएगी। बहुत से इस प्रकार के शहर बसे हुए हैं, जो पुराने बसे हुए हैं। 50-50, 60-60 वर्ष पुराने मकान बने हुए हैं और वे वास्तव में आर्गनाइज्ड तरीके से बसे हुए नहीं हैं। इस बारे में भी अपने को सोचना चाहिए कि वास्तव में हम इस प्रकार की नीति बनाएं। इस बारे में उनको अप-टू-डेट डाइरेक्शंस देने चाहिए कि हम जो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अतिक्रमण हटाएंगे उनका हमको मुआवजा देना पड़ेगा। क्योंकि आज 50-50 वर्ष के जो बने हुए हैं वे पट्टेशुदा हैं। पहले पट्टे दिये जाते थे। इसलिए अतिक्रमणों के बारे में जो पालिसी आप एडाप्ट कर रहे हैं उस पालिसी के अन्दर, नगरों के अन्दर इम्पोर्टेण्ट रोड्स नहीं हैं, इम्पोर्टेण्ड् रूट्स नहीं है उनके बारे में मंत्रिमण्डल विचार करे और इसको सोचे।

कच्ची बस्तियों के नियमन के बारे में जो स्टैप हमारी गवर्नमेंट ने लिया वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे वहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि कच्ची बस्तियों में मकान हैं और वे गवर्नमैंट सर्वैंट्स हैं। गवर्नमैंट सर्वैंट्स ने कच्ची बस्तियों में मकान लिये हैं, या खरीदे हैं, रजिस्ट्री कराई है। परन्तु क्या है कि वे नगर पालिका के क्षेत्र में और कच्ची बस्तियों की सीमा में आते हैं। वे कहते हैं कि हमारे को अगर कोई आप नियमन करना चाहे, नियमन कराने के लिए तैयार हैं। गवर्नमैंट सर्वैंट्स कच्ची बस्तियों का नियमन कराने के लिए तैयार हैं, वे एक अच्छी आय के साधन बन सकते हैं। मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि बाड़मेर नगर का इस प्रकार का मामला है, जागीरदारों से उन्होंने जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री कराई हुई है, पट्टे लिये हुए हैं और फिर बाद में कच्ची बस्तियों के अन्तर्गत नियमन में आते हैं। उनके लिये कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि कच्ची बस्तियों का नियमन हो। वे आय का एक अच्छा स्रोत बन सकते हैं। बाड़मेर नगर पालिका की अच्छी इनकम बन सकती है। राज्य स्तर की तरफ से फाइनेंस कमीशन मुकर्रर हुआ है, इस सम्बन्ध में उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जब तक कोई भी सोर्स आफ इनकम नहीं बनेगा, नगर पालिकाएं जब तक स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक जो आप चाहते हैं कि स्वच्छता का कार्य हो, शहर का सौंदर्यकरण हो, वह डवलपमैंट हो नहीं सकता है। इन्हा शब्दों के साथ जो मांग प्रजैण्ट की गई है उसमें मैंने विचार सदन के समक्ष रखे हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैंने व्यक्तिशः मिलकर भी आपसे निवेदन किया था, ऐसा लगता है कि जैसे पक्ष तो कांग्रेस हो और विपक्ष केवल बी.जे.पी. हो। हम कहां जाएंगे बीच के लोग?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप उभय पक्ष हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : उभय पक्ष, यानि? उभय पक्ष का मतलब?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : बीच का पक्ष। (व्यवधान) दोनों के।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, सचेतक महोदय क्या कर रहे हैं? ये मजाक क्यों कर रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंहजी, आपने बता दिया। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मेरा प्रोटैस्ट है कि मेरे को बजट पर एक सैकण्ड नहीं दिया गया, मेरे को राज्यपाल के अभिभाषण पर एक सैकण्ड नहीं दिया गया। इसके विरोधस्वरूप मैंने वाक आउट किया। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आज भी मैं वाक आउट करूं।

श्री सभापति : नहीं, आप विराजिए। (व्यवधान) इनके बाद आप ही का है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर क्या रास्ता है? (व्यवधान) क्या रास्ता हुआ? हमारी संख्या, निर्दलीयों सहित 15 है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आपका सम्मान पूरा है, आप दल के नेता हो। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ये तो राज करने वाले हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, ये तो राज करने वाले लोग हैं, इनसे क्या सुनेंगे। और ये सलाह भी क्या देंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आपका सम्मान करते हैं, दल के नेता हैं, इनके बाद आप। (व्यवधान) इनके बाद आप। माननीय जगमालसिंहजी, आप विराज जाएं, इनके बाद आप। (व्यवधान) नहीं, नहीं इनके बाद आप ही का है, आप विराज जाएं।

श्री जगमाल सिंह यादव : और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं इनकी भी क्या सुनेंगे? (व्यवधान) क्या सुनेंगे इनको, चाहे अच्छा काम हो इनको खिलाफत करनी है।

श्री सभापति : इनके बाद आप, इनके बाद आपको मौका देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : और इनको, सरकार चाहे कुछ भी + + + करे, इनको + + + करनी है। प्रेस और दर्शक दीर्घा में जो लोग आते हैं हाउस देखने के लिये, वे हमको सुनने आते हैं, कृपया आप हमें समय दें।

श्री सभापति : कृपया अब आप विराजिये। आप इनके बाद बोलियेगा।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, बजट सत्र 2000-2001 की अनुदान की मांग संख्या 29 और 20 का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने अपने लोक कल्याणकारी फैसलों के तहत कच्ची बस्तियों के रूप में दलित समाज के जो शोषित परिवार अवैध रूप से बसे हुए थे, उन लोगों को पट्टे देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सरवाड़ नगर पालिका के अन्दर परसों के दिन, 2 दिन पहले ही संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 109वीं जयन्ती पर कच्ची बस्तियों के पट्टों का वितरण किया गया। उस समय वहां की जनता जो पट्टे प्राप्त करने के लिए आयी, सरवाड़ नगर पालिका के अन्दर दीपावली

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

की तरह एक उत्सव का-सा माहौल बन गया। 30-35 साल पहले से दो जून की रोटी कमाने वाले लोग रात को छप्पर के नीचे सोते थे तो उनको एक मानसिक चिंता सताती थी कि हमने अवैध रूप से मकान तो बना लिये लेकिन इनके स्वामित्व के प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं हैं। वह एक चिंता इनको वर्षों से सताये जा रही थी लेकिन 25-30 साल से अवैध रूप से बसे हुए लोगों की पीड़ा का एहसास राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत को था, उन्होंने अपनी सरकार बनते ही उनकी मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए, चिन्ता को दूर करने के लिए लोक-कल्याणकारी फैसला लिया। उसके तहत मेरे सरवाड़ नगर पालिका क्षेत्र के अन्दर भी 14 अप्रेल के दिन पट्टों का वितरण किया गया। उनको जो स्वामित्व का प्रमाण-पत्र मिला उससे इनको एक मानसिक शांति प्राप्त हुई। इसके लिए मैं आदरणीय शांति धारीवालजी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए नगर पालिकाओं के माध्यम से या मुख्य मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से जो गुमटियों का आवंटन किया जा रहा है, उसके लिए भी राजस्थान की जनता और मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का हम आभार प्रकट करते हैं।

नगर आयोजना विकास के अन्तर्गत मैं आदरणीय मंत्रीजी का ध्यान मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि टाउन प्लानिंग के आधार पर अजमेर जिले के अन्दर केकड़ी एक बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा उपखण्ड है। मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान बजट सत्र में केकड़ी को जिला बनाया जाए, इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाए। जिला बनाने के लिए जो मापदंड होते हैं, केकड़ी विधान सभा क्षेत्र बिलकुल उसके अनुकूल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इसका तो आश्वासन दिलाया जाए केकड़ी को जिला बनाने की मांग का।...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, इसका आश्वासन दिला दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। जोशीजी से आश्वासन दिलाइये। आप ही कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ही कह दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : दोनों फैसला कर लें आपस में कि आपको करना है या मेरे को करना है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपने तो हाउस को सुप्रीम कोर्ट बना दिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, केकड़ी अजमेर जिले का सबसे बड़ा उपखण्ड है। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो-दो नगर पालिकाएं आती हैं एक केकड़ी नगर पालिका और एक सरवाड़

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

नगर पालिका। केकड़ी उपखण्ड के अन्तर्गत ही तीन तहसीलें आती हैं भिनाय तहसील, सरवाड़ तहसील और केकड़ी तहसील।

मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब ने मना कर दिया, जोशीजी को कह रहे हैं कि केकड़ी को मत बनाना, ब्यावर को बनाना। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभापति महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक दलित विधायक केकड़ी को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और आप ब्यावर की कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये ब्यावर की बात बोल रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जब मन बना रहे थे केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा करने का तो आपने कहा कि केकड़ी को नहीं ब्यावर को बनाना, यह गलत बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, आपको भी मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सामान्य प्रशासन की मांग पर आता है, इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, इसी पर आता है।

श्री सभापति : इसलिए आप अपना भाषण नगर पालिका के ऊपर बोल लें तो ठीक रहेगा। जिला बनाने का कोई सम्बन्ध नहीं है इससे।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : नगर आयोजना के अन्तर्गत ही तो जिला बनाने का...(व्यवधान)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में दो-दो नगर पालिकाएं हैं सरवाड़ नगर पालिका भी आती है, केकड़ी नगरपालिका भी आती है। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तीन-तीन तहसीलें आती हैं केकड़ी उपखण्ड की भिनाय तहसील, सरवाड़ तहसील और केकड़ी तहसील। इसके अलावा इसी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सरवाड़ शरीफ का एक धार्मिक स्थल भी है जहां आये दिन जायरीन लोग जियारत करने आते हैं और हर साल दो लाख पब्लिक का उर्स मेला सरवाड़ शरीफ के अन्दर भरता है। ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक केकड़ी के अन्दर तीन-तीन कृषि उपज मंडियां हैं। प्रोपर केकड़ी के अन्दर सरसों व जीरा की कृषि उपज मंडी है, जो पूरे राजस्थान के अन्दर प्रसिद्ध है। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ही कादेड़ा के अन्दर मिर्च मंडी है, वह भी पूरे राजस्थान के अन्दर प्रख्यात है। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की छाती को चीरकर जो बीसलपुर के अन्दर पानी इकट्ठा होता है, वह केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के किनारे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र से तीन-तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो तमाम मानदंड के अनुकूल केकड़ी विधान सभा क्षेत्र जिला बनने योग्य है इसलिए मैं चाहूंगा कि केकड़ी को जिला घोषित किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

नगर विकास के अन्तर्गत ही सरवाड़ के अन्दर सरवाड़ शरीफ की मजार होने के कारण सरवाड़ नगर पालिका का वह एक आय का स्रोत बना हुआ है। वर्तमान में चुंगी समाप्ति के बाद में सरवाड़ नगर पालिका के अन्तर्गत जो भी जायरीन आते हैं, टैक्स के माध्यम से सरवाड़ नगर पालिका की आय का स्रोत बना हुआ है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि बजट के अन्दर हिन्दू समुदाय के तमाम पर्यटन स्थलों के लिए राशि का प्रावधान किया गया था, मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके साथ-साथ में इस्लाम धर्म को मद्देनजर रखते हुए, मुस्लिम समुदाय को मद्देनजर रखते हुए सरवाड़ शरीफ को भी पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और उसके लिए भी विशेष प्रावधान रखा जाए। अजमेर के उर्स के अन्दर जितने जायरीन आते हैं जब तक वे सरवाड़ शरीफ जाकर वापस अजमेर नहीं आ जाते तब तक उनकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसा इस्लाम धर्म के अन्दर मानना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरवाड़ शरीफ को जो मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में है, पर्यटन का स्थल मानकर उसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

नगर को विकसित करने के नाम पर केकड़ी नगर में राष्ट्रीय राज मार्ग पर तोड़-फोड़ नहीं की जाए, उसके लिए मेरा विशेष तौर पर आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन है। केकड़ी शहर में ही जयपुर-भीलवाड़ा राज मार्ग पर आबादी क्षेत्र में बने हजारों मकानों एवं दुकानों को रास्ता चौड़ा करने के नाम पर तोड़ा नहीं जाकर निकाल दिया जाए। शहर के अन्दर केकड़ी बस स्टैण्ड से जयपुर रोड के दो किलोमीटर की आबादी क्षेत्र में पोकीनाड़ी वालाजी के मंदिर के दाईं ओर करीब 13 करोड़ रुपये तथा बाईं ओर 20.24 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी कार्यालय, आवासीय मकान, दुकानें, स्कूल विद्यालय, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राव अमर सिंह विद्यालय, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, जूनिया गेट, चारभुजा का मंदिर, राजकीय पायलट उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैण्ट्रल अकादमी स्कूल हैं तथा इन सभी स्कूलों के विद्यार्थी इसी मार्ग से नित्य स्कूल आते जाते हैं। भारी वाहन आवागमन के कारण दुर्घटना होने का भय रहता है एवं आबादी क्षेत्र में प्रदूषण भी होता है। नगर पालिका केकड़ी द्वारा समय-समय पर इस मार्ग के दोनों तरफ जमीन बेची गयी है तथा नगर पालिका द्वारा निर्माण स्वीकृति भी दी जाती रही है जिससे इस मार्ग पर कई आवासीय मकान व दुकानें बनी हुई हैं। ग्यारह सरकारी कार्यालय बहुत पुराने समय से इस मार्ग के दोनों तरफ रोड के करीब स्थित हैं जैसे जलदाय विभाग का कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, न्यायालय, पुलिस थाना, पोस्ट-आफिस, समाज कल्याण छात्रावास, कृषि उपज मण्डी कार्यालय, सेल्स टैक्स, माइक्रो-ग्रिड स्टेशन। इस राजमार्ग पर जो

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

केकड़ी शहर के मध्य से गुजरता है, शहर का एकमात्र राजकीय चिकित्सालय भी स्थित है अतः यातायात का भारी शोर-शराबा रोगियों के लिए प्रतिकूल व असुविधाजनक है। इस मार्ग पर 100-150 वर्ष पुरानी बसी हुई बस्ती नगर पालिका केकड़ी की सीमा में स्थित है। इस मार्ग पर शिवजी एवं सीतारामजी का भव्य एवं प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इस मार्ग पर बसे करीब तीन हजार व्यक्ति रोड चौड़ाई व तोड़-फोड़ के कारण से आवासीय एवं रोजगार जैसी महत्वपूर्ण सुविधा से बेदखल होने से भयंकर रूप से भयभीत हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के तमाम लोग बाग आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करते हैं, जयपुर रोड, काजीपुरा गुर्जरबाड़ा निकट स्थित सभी कालोनी के निवासी भी निवेदन करते हैं कि इस आबादी क्षेत्र में रास्ता चौड़ा करने के नाम पर किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं की जाए। पूर्व में स्वीकृत बाई पास जो कि बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत बनाया गया था, उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करके इस बाई पास के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग को निकाल दिया जाए तो तोड़-फोड़ की कार्यवाही रूक सकती है और बरसों पुराना बसा हुआ केकड़ी शहर तोड़ - फोड़ से बच सकता है। नगर

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पालिकाओं के उत्थान के लिए आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन है कि राज्य सरकार के जो फण्ड्स हैं कुछ नगर पालिकाएं विकास के अंदर वह पैसा लगा देती हैं और उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी दे देती हैं लेकिन दूसरी नगर पालिकाओं के पास पैसा पड़ा है और वे नगर पालिकाएं उसका सदुपयोग नहीं करती हैं जैसे सरवाड़ के अंदर जितना पैसा था, केकड़ी के अंदर जितना पैसा था, उन्होंने उसका सदुपयोग कर लिया, लेकिन मैं अजमेर की परिषद् की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वहां आज भी 56 लाख रुपये पड़े हुए हैं, जिनका सदुपयोग नहीं हुआ। तो जो नगर पालिकाएं कार्य नहीं करती हैं उनका वह पैसा हस्तान्तरित कर दिया जाए तो विकास की गति कुछ आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है।

जहां प्रदेश के विकास की बात चल रही है, आदरणीय सभापति महोदय, जयपुर के सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस प्रकार से तोड़-फोड़ चल रही है या सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर को सजाया जा रहा है, इसके तहत मेरा निवेदन है कि जयपुर के विकास के अन्तर्गत नया विधान सभा भवन भी बनने जा रहा है कि नये विधान सभा भवन के अंदर संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकरजी की मूर्ति की स्थापना होवे। वह प्रस्ताव अगर आज ले लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सौंदर्यीकरण के तहत नये भवन के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगे। इसी के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के बाहर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति एक कोने में लगी हुई है। जब यह

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

मूर्ति लगी थी एक प्रावधान था कि बीच के अंदर जब भी सर्किल बनाएंगे, उस समय इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मेरा यह निवेदन है कि नया सर्किल बन गया है, उस मूर्ति को बीच चौराहे के अंदर शिफ्ट किया जाए तो सौंदर्यीकरण के तहत एक अच्छे मैसेज, एक अच्छा संदेश दलित समाज के अंदर जाएगा।

आदरणीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि सरवाड़ नगर पालिका क्षेत्र जो मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, उसके अंदर पी.एस.पी. कनेक्शन शहर के अंदर दिये हुए हैं। नगर पालिका की आय का स्रोत नहीं होने के कारण से कई बार पी.एच.ई.डी. वालों को भुगतान नहीं हो पाया, इस कारण कनेक्शन काटने की नौबत आ जाती है। बीजेपी के राज में जब वहां ईद का उत्सव था, कभीं मोहर्रम का उत्सव था, ऐसे अवसर पर पी.एस.पी. के कनेक्शन को जान-बूझकर काटा गया। लेकिन इन 14 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जिस दिन काटा गया उसी दिन दुबारा हम लोगों ने जुड़वाया। आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि करीब 2 लाख 60 हजार रुपये नगर पालिका के अंदर बकाया है उनका चुकारा किया जाए ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों के अंदर जो पी.एस.पी. कनेक्शन हैं उनको काटा नहीं जावे वे रैगुलर रहें।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन है कि केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र में और सरवाड़ नगर पालिका क्षेत्र में जहां भी अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों के पास शौचालय बने हुए हैं उनमें फ्लश सिस्टम नहीं है, पुराने किस्म के बने हुए हैं, उनकी साफ-सफाई ठीक ढंग से नहीं होती। स्वच्छता के लिए वहां पानी अवेलेबल नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि उन पुराने शौचालयों की जगह सुलभ शौचालय बना दिये जाएं तो अनुसूचित जाति व जनजाति के समाज के लिए ज्यादा ठीक रहेगा।

आदरणीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि 14 महीने के कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों को और पार्षदों को बर्खास्त किया गया, लेकिन आपके विभाग के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जो नीचे के स्तर के एल.ए. वर्ग के जो व्यक्ति हैं वे लोग उसमें पैरवी नहीं करके उन लोगों को वापस बहाल करवा रहे हैं। उनको पैरवी करने के लिए आप कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। राजस्थान की सरकार उनको बर्खास्त करती है और कुछ ही दिनों के अंदर वे एल.ओ. से मिल-जुलकर वापस बहाल होकर आ जाते हैं। इसके अंदर सरकार की भी बदनामी होती है, कांग्रेस पार्टी की भी बदनामी होती है। इसलिए आदरणीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि विभाग के निचले स्तर पर थोड़ा ध्यान देवें। आपने बोलने का मौका दिया,

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

आपकी मांगों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

एक घंटे के लिए समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-29 एवं 20 पर विचार

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, मांग संख्या 20-आवास और मांग संख्या 29-नगर नियोजन के न तो मैं पक्ष में अपनी बात रख रहा हूं और न ही विपक्ष में। कुछ जो अच्छी बातें होंगी उनका मैं चाहूंगा कि समर्थन करूं, लेकिन जो जनहित के खिलाफ बातें होंगी उनका मैं कड़ा विरोध करता हूं। सभापति महोदय, मैं पिछले बजट सत्र में भी एक निवेदन किया था कि नगर पालिकाओं के पास, नगर परिषदों, के पास, नगर निगमों के पास जो एक मात्र आय का साधन था वह था चुंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी, आप जरा...

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने क्या कहा? तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : जो आपने सुना वही मैं सुना।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, केवल थोथी वाहवाही लूटने के लिए, कहिए, कदम उठाया गया। मेरे एक बात तो समझ में आती है कि भैरोंसिंहजी तो चतुर मुख्य मंत्री थे, लेकिन अशोकजी गहलोत को, कांग्रेस की गवर्नमैंट को यह क्या जरूरत पड़ी थी? जब बीजेपी की गवर्नमैंट थी तो अपने घोषणा पत्र में यह वादा कर दिया अशोक गहलोत जी ने कि अगर हम सत्ता में आए तो चुंगी को माफ कर देंगे। भैरोंसिंहजी को आधार मिला और भैरोंसिंहजी ने खुद चुंगी माफ कर दी। भैरोंसिंहजी को एक फायदा हुआ, बीजेपी की गवर्नमैंट को एक फायदा हुआ। सभापति महोदय, जिनको चुंगी का फायदा मिला वे चुंगी देने वाले समस्त लोग बीजेपी के ट्रेंड वोटर हैं। वे ऐसे वोटर हैं कि न केवल बीजेपी को वोट देते हैं बल्कि बीजेपी के कार्यालय हैं। यह मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अशोक गहलोतजी ने क्यों कर दिया? एक बहुत बड़ा राजस्व का जो स्रोत था वह इस गवर्नमैंट ने बंद

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कर लिया। ना तो आपको कोई पोलिटिकल फायदा हुआ और ना ही आपको कोई आर्थिक फायदा हुआ। इस प्रगति रिपोर्ट में लिखा है कि चुंगी माफी के कारण तीन थे – जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ट्रांसपोर्टर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुंगी माफ करने का निर्णय लिया गया। सभापति महोदय, चाहे ट्रांसपोर्टर्स को फायदा हो गया हो, चाहे व्यवसायी को फायदा हो गया हो, लेकिन जनता को तो इसमें, सारा सदन जानता है, एक नये पैसे का फायदा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, सभापति महोदय, कि चुंगी लगने से पहले जिस जिंस के जो भी दाम थे, न केवल जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में किसी व्यवसायी ने यह कहकर दाम कम नहीं किये उपभोक्ता के लिए कि चुंगी माफ हो गयी है इसलिए 2 प्रतिशत फलां जिंस के दाम कम दे जाओ। इसलिए उपभोक्ता को तो फायदा हुआ नहीं, जनता को तो फायदा कोई नहीं हुआ। जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं हुआ और यहां तक कि आपको कोई पोलिटिकल फायदा नहीं हुआ। अगर आप चुंगी माफ करने के अलावा और चुंगी की जितनी रकम इनको अनुदान में दे दो जो चुंगी से संबंधित वर्ग है तो भी उसका एक भी वोट आपको, जोशीजी, मिलने वाला नहीं। ये आपके वोटर ही नहीं हैं और बी.जे.पी. के ये वोटर ही नहीं हैं, बल्कि बी.जे.पी. का कार्यालय बिना वेतन के चलाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कम्युनल हैं, ये वो लोग हैं जो साम्प्रदायिक हैं। इनको फायदा देकर आज कांग्रेस की सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? इसलिए मैं मांग करता हूं, मेरा सुझाव है कि न केवल चुंगी वापस लगायी जाए बल्कि उससे तिगुनी और चौगुनी चुंगी इन व्यापारियों पर लगायी जाए ताकि राजस्व घाटा जो आपका है उसकी पूर्ति हो सके। यह तो मेरी चुंगी के मामले में एक सलाह है।

सभापति महोदय, आपरेशन पिंक की बात आयी, या यों कह लें कि पूरे राजस्थान से अतिक्रमण हटाने की बात आयी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, राजस्थान के लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने करोड़पतियों से बरामदे खाली करा लिये। जो काम बिल्कुल असंभव नजर आता था उसको आपने आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने संभव करा कर दिखा दिया। यह केवल इतनी ही बात नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत नहीं थी। आज कहा है कि मंजीत सिंह को हाई कोर्ट ने, जुडीशियरी के कन्टैम्प्ट फेस करने पड़ेंगे, लेकिन यह तो कोर्ट का आदेश था। राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि बरामदे खाली कराये जाएं। व्यापारी सुप्रीम कोर्ट में गये, उनकी रिट खारिज कर दी गयी और जो राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश था, वही बरकरार रखा गया। फिर कहां गयी थी आपकी मानसिकता, कहां

(श्री जगमाल सिंह यादव)

गयी थी आपकी इच्छा-शक्ति जो आपने दस साल राज कर लिया उसके बावजूद भी आप बरामदे खाली नहीं करा सके? बरामदे कोई बणियों की और व्यापारियों की बपौती नहीं थी। सभापति महोदय, बरामदे थे जन सुविधाओं के उपभोग के लिए। जयपुर की सड़क, चाहे चौड़ा रास्ता हो, चाहे जौहरी बाजार हो, चाहे किशनपोल हो, चाहे त्रिपोलिया हो और चाहे रामगंज बाजार हो, मिर्जा इस्माइल खान ने जो जयपुर की बसावट की थी अभी कम से कम अगले 50 साल तक ये सड़कें छोटी नहीं पड़ेंगी। सभापति महोदय, आप देखेंगे कि 8 फीट का बरामदा दुकान में मिला लिया। फिर जो रेलिंग लगायी पैदल यात्रियों के लिए, वहां टोकरे रख लिये। फिर 15 फीट का, 12 फीट का कार पार्किंग कर लिया उन्हीं व्यापारियों ने। यानि, एक तरफ 10 और 15-25 और 8, इस तरह 33 और डेड़ फीट का डिवाइडर, साढ़े 34, यानि एक तरफ सड़क पर कहीं एन्क्रोचमैंट है तो साढ़े 33 फीट है, 30 फीट है। अगर दोनों तरफ जौहरी बाजार में, चौड़ा रास्ता में कहीं एन्क्रोचमैंट माना जाए तो, सभापति महोदय, 65 फीट है। अगर 65 फीट एन्क्रोचमैंट हटा दिया जाए, ट्रेसपास हटा दिया जाए तो आने वाले 100 सालों में भी जयपुर की आबादी के लिए ये सड़कें छोटी नहीं पड़ेंगी। मैं इसीलिए आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया और एक मजबूत फैसला लिया।

मंत्रीजी, मैंने एक प्रश्न के जवाब में आपसे क्वैरी की थी। मैंने यह सलाह दी थी कि जिसने कानून का संरक्षण नहीं किया, जिसने कानून की मजाक उड़ायी हो वह कानून से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है चाहे वो गरीब हो, सभापति महोदय, चाहे वो जो पैसे के बल पर कानून को खरीद रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है पैसे के बल पर। इसलिए मेरी सलाह है कि चाहे चौड़ा रास्ता हो, चाहे जौहरी बाजार हो, चाहे रामगंज बाजार हो, जहां-जहां भी जितने समय से जिन व्यापारियों ने ट्रेसपास किया हुआ था, एन्क्रोचमैंट किया हुआ था, उतने साल की पैनल्टी लगाकर उनसे किराया वसूल किया जाए। तब तो आप न्यायिक होंगे, तब तो न्यायप्रिय सरकार होगी। वरना वही बात होगी जो इधर से आती है कि फलां मर गया, सड़क पर बैठ कर सब्जी बेचने का किसने लाइसेंस दिया था उनको। क्या यह माना जाए कि गरीब केवल जयपुर में ही बसता है? यानि गरीब जो जयपुर में कानून तोड़ेगा उसको कानून का आप संरक्षण देंगे और राजस्थान के अन्य हिस्सों में जो गरीब कानून तोड़ेगा उसको सजा देंगे? दो नजरिये होंगे आपके? मैं चाहूंगा कि आप एक नजरिया रखें चाहे वो करोड़पति हो। जिसने ज्यादा एन्क्रोचमैंट किया है, जिसने सरकार को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसको ज्यादा सजा दें और उनसे पैनल्टी सहित किराया वसूल करें।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जिन गरीबों ने ट्रेसपास किया था उनको आपने हटा ही दिया। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, जो कियोस्क बना रहे हैं। उससे आप पर एक चार्ज और लगेगा, आप जो कियोस्क बना रहे हैं, जो गुमटियां बना रहे हैं, सभापति महोदय, यही लोग चार्ज लगाएंगे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गुमटियां अलाट कर दीं। जैसा आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर, कि आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने किसी कि सिफारिश नहीं की, मेरे अलवर और भरतपुर में जो काबिल था, जो काबलियत रखता था उसी को टीचर लगाया राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला में। और आरोप क्या हैं? दिल्ली तक आरोप भेजे गये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि अकाल राहत का पैसा मत दो क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला में चेपा जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए जो गुमटियां बना रहे हैं, जो कियोस्क बना रहे हैं, अगला आरोप आप पर यह लगेगा राजनीतिक तरीके से कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो आपकी पार्टी का काम करते हैं, दुकानें अलाट कर दी गयीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिसने कानून तोड़ा है, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सब के साथ समान व्यवहार किया जाए।

सभापति महोदय, जयपुर में तो यह बात आ गयी लेकिन जो राजस्थान के दूसरे हिस्से हैं उसमें बड़ी टिपिकल पोजीशन है। स्टेट के जमाने में जो रोड्स बनी थीं किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र मे, उनका कोई मुआवजा नहीं मिला था, क्योंकि तब लैंड एक्वीजिशन एक्ट भी फोर्स में नहीं था और राजा का हुक्म ही कानून होता था इसलिए कोई प्रोटैस्ट नहीं करता था। सड़क के लिए या सार्वजनिक काम के लिए जितनी भूमि राजा को चाहिए थी वह जवान देता था और वहीं से सड़क निकल जाती था। उसका क्या रिकार्ड है आपके पास? जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जहां से सड़क निकल गयी, जहां से तारकोल रोड बन गयी उनका भी मुआवजा नहीं मिला। कहीं आप कह रहे हैं कि 100 फीट की सड़क लेंगे, कहीं आप कह रहे हैं कि 150 फीट लेंगे, आप के बाप की जागीर है? कानून का राज है, यह सरकार भी संवैधानिक कानून के हिसाब से सत्ता में बैठी है। अगर आप यह करेंगे, अगर गैर कानूनी काम आपने किया तो बी.जे.पी. ही नहीं, बल्कि राजस्थान की जनता आपका विरोध करेगी। मैं यह कहता हूं कि कानूनन जिसका जितना जमीन का हिस्सा जाता है वहां चाहिए। जिन्होंने सड़क की जमीन का ट्रेसपास किया है मैं उनकी वकालत नहीं करता, जिन्होंने बरामदों पर ट्रेसपास किया, सभापति महोदय, मैं उनकी वकालत करने खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन जो बेगुनाह हैं छोटे-छोटे कस्बों में राजा-महाराजाओं के हुक्म से जहां सड़क बन गयी और एक भी पैसा मुआवजे का जिनको नहीं मिला, वहां या तो आप जमीन का अधिग्रहण करें, लैंड

(श्री जगमाल सिंह यादव)

एक्वीजिशन करें। जिसकी जमीन है, जिसकी बिल्डिंग है उसको मुआवजा दे दें और जमीन चाहिए जितनी ले लें और वहां सड़क चौड़ी कर दें। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह चाहूंगा कि गैर-कानूनी काम किसी के साथ नहीं हो। कानून का एक सिद्धांत है कि अगर 100 अपराधी बच जाएं तो भी कानून की मंशा समाप्त नहीं होती बशर्ते कि एक बेगुनाह को कानून के द्वारा सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जिसका हक है, जिसकी जमीन का सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया है उनके मकान नहीं टूटने चाहिए। बल्कि जिन अधिकारियों के जमाने में मकान बने और सरकारी सड़क या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया, धारीवालजी, मैं आपसे चाहूंगा कि उन अधिकारियों को छांटिये जिनके जमाने में यह ट्रेसपास हुआ और उनको भी सजा दीजिये। जिन्होंने लाखों की बिल्डिंग बना ली उनकी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो बनवाने वालों का भी सर तोड़ें आप या उनकी सर्विस तोड़ें।

सभापति महोदय, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि भवन और भूमि कर गवर्नमैंट का प्रस्तावित है। इस पर मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी, मेरी भी यही राय है कि यह नजरिया सब लोगों के साथ एक जैसा नहीं हो सकता। एम.आई. रोड पर जो बिल्ट-अप एरिया है उसका भी आप एक रुपये वर्ग फीट लें और जो जयपुर से खातीपुरा है, मानसरोवर से आगे हैं, सांगानेर में श्योपुर है, बम्बाला है, वहां का बिल्ट-अप एरिया जो कामर्शियल है, उसका भी एक रुपये वर्ग फीट आप लें और जो खाली जमीन है उसका भी। सभापति महोदय, मेरी राय में यह जस्टिफिकेशन नहीं है कि सी-स्कीम में जो प्लाट खाली पड़ा है उसका भी एक रुपये वर्ग गज लें और सांगानेर से आगे भी एक रुपये वर्ग गज लें। सरकार से मैं आपके मार्फत अपील करता हूं कि इसको जस्टिफाई करें हिसाब से जोन बना लें और जो रेट आये आप लगाएं, सरकार के खजाने में जो राजस्व आये, मैं उसका स्वागत करूंगा और सहयोग करूंगा।

(17.00 बजे)

दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि कानून का भी सम्मान हो। जैसा अभी अखबारों में आ रहा है कि दो सिविल इंजीनियर्स को जुडीशियरी ने सिविल कारावास भेज दिया। मैंने उस दिन भी मेरे भाषण में कहा था कि राजस्थान को सुधारने के लिए, खास तौर से व्यापारियों को सुधारने के लिए मंजीत सिंह चाहिए लेकिन मंजीत सिंह तानाशाह मंजीत सिंह नहीं हो। उस शख्स ने इतनी हिम्मत की है। आपरेशन पिंक पर सरकार अपनी वाहवाही लूट सकती है लेकिन कांग्रेस की सरकार तो पहले भी थी। केवल 12 साल छोड़कर 52 साल में 40 साल आपकी सरकार रही है लेकिन मैं आज सदन में मंजीत सिंह जिसको मैं जानता नहीं, मेरा वास्ता नहीं पड़ा है उसके लिए कहना चाहता हूं कि यह आपसे ज्यादा उसकी बहादुरी और दिलेरी का काम

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है जिसने राजस्थान की सरकार की साख बनायी और यह आभास दिया है कि इस राजस्थान में एक ईमानदार अफसर है।

डा. करण सिंह यादव : तारीफ तो आप जरूर करिये। ऐसा है, हर जगह मंजीत सिंह बैठा है क्या? एक अच्छा अधिकारी है उसकी प्रशंसा जरूर कीजिए लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की प्रशंसा करो। जगमाल सिंहजी, आपसे तो न्याय की उम्मीद करते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई भी अधिकारी अगर ऐसा काम करता है तो वह प्रशंसा के योग्य है। उस अधिकारी की बड़ाई करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप ही अपनी बात में करो तो उसका थोड़े ही है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं डाक्टर करण सिंहजी का प्रशंसक रहा हूं लेकिन अब नहीं हूं। जब डाक्टर करण सिंहजी केवल हार्ट स्पेशलिस्ट थे तब था, आज मैं करण सिंहजी का समर्थक नहीं हूं। कोई भी बढ़िया आफिसर हो जो नेक काम करे, बढ़िया काम करे उसकी प्रशंसा करनें में, डाक्टर साहब, कहीं कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। नहीं तो ऐसे मंजीत सिंह डरेंगे। मैंने पहले कहा है कि कानून को हाथ लेने का अधिकार किसी मंजीत सिंह को नहीं है और किसी अशोक गहलोत को भी नहीं है और किसी अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं है। कानून इस देश में सर्वोपरि है, कानून का राज है। अगर कानून का राज नहीं होता, अगर कानून का मुलम्मा नहीं ओढ़ा होता, अभी किरोड़ी लालजी मीणा कह रहे थे कि पटना हाई-कोर्ट ने फलां फैसला दे दिया। मैं विषयान्तर हो रहा हूं एक मिनट के लिए। कानून का राज ही तो है। हम जानते हैं देश जानता है। करण सिंहजी, आप भी जानते हैं। क्या यह सही है कि लालू प्रसाद यादव ही इस देश में एक भ्रष्ट हैं बाकी सारे नेता जितने भी देश में हैं वे सब ईमानदार हैं, सब राजा हरिश्चन्द्र हैं? लेकिन कोई न कोई + + + कोई न कोई + + + इस देश में प्रतिशोध की राजनीति पैदा करने के लिए पैदा होते हैं। लालू यादव भ्रष्ट नहीं है, लालू यादव गरीबों का रखवाला है। लालू यादव ने मान-मर्दन किया था। बी.जे.पी. का मान-मर्दन किया था, साम्प्रदायिक ताकतों का मान-मर्दन किया था और गिरफ्तार किया था पटना में बिहार में + + + तो इस शेर ने कहा था कि मेरे पटना में आ, मेरे बिहार में आ। + + + लालू यादव केवल इसलिए जेल में है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज कानून की धज्जियां, बी.जे.पी. वालों, मत उड़ाओ।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, यह बात नहीं होनी चाहिए।

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शब्दों का प्रयोग ढंग से करें।

श्री हीरासिंह चौहान : असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैंने कह दिया है।

श्री हीरासिंह चौहान : असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। भाषा में शालीनता होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मेरी खुद की मांग है कि आवेश में अगर असंसदीय भाषा का शब्द निकल गया हो तो मैं आपसे अपील करता हूं कि उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : निकल गया क्या? आपने सरेआम कहा है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं कानून की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : अब आप विषय पर आ जाओ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप + + + मत कहो, लताड़ की कह दो। वैसे ही बन्द की कह दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : जगतसिंहजी, ये तो खुद सक्षम हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : कोई बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + इनकी जांच करवाइये। यहां पर बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं लालू यादव की। इसके अलावा कोई नेता नहीं है + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। आपको आवेश में आने की जरूरत नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं प्रोटैक्शन चाहूंगा। जिसकी जैसी अक्ल वैसी उसकी सोच। मैंने पहले भी हाउस में कहा था। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + देवता के खिलाफ बोल गये आप।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपका ही ऐसा सोच है तभी तो आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, जगमाल सिंहजी की यह बात तो सही है कि माननीय + + + और इसलिए आज यह सब कुछ किया जा रहा है। बाकी इससे पहले इस देश में दस

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, कितने लोगों को आपने बन्द किया है? कितनों को कर रहे हो?

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मेरा समय निकला जा रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे बन्द हैं। आप बताओ। आपके नेता भी हो जाएंगे। आर.डी. शर्मा को...(व्यवधान) वोट देने वालों को बन्द किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मनुवादी एक गरीब के...(व्यवधान) पूंजीपतियों की बात करते हो। गरीबों का शोषण करते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह मनुवाद क्या? मनुवाद की बजाय + + + फार्म भरवाया आर.डी. शर्मा का और वोट दिया आर.पी. गोयनका को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। आप चेयर को एड्रेस करिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो अतिक्रमण इन्होंने कर रखे हैं...(व्यवधान) असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, + + + संसदीय भाषा का प्रयोग करो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : एक बार ही जीतकर आये हो। एक बार तो कोई भी जीत सकता है।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आर.डी. शर्मा का फार्म भरने वाले और आर.पी. गोयनका को वोट देने वाले। मनुवाद जिन्दाबाद कहने वाले। (व्यवधान) गलत बयानी करते हो। राज्य सभा में किसका फार्म भरवाया था? मनीवाद जिन्दाबाद के अलावा क्या है आपसे पास? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आर.डी.शर्मा हमारे...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चोरियों के अलावा क्या है अलवर में? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : आपके बी.जे.पी. में आठ वोट क्रॉस। आठ वोट चले गये बी.जे.पी. से। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने फार्म किसका भरा? + + + (व्यवधान) मनुवाद जिन्दाबाद बोलने वाले, बार-बार मनुवाद की बात करने वाले।

श्री जगत सिंह दायमा : करो उसमें। (व्यवधान) आप बात सुनो पहले। हमने वोट दिया है। हमने साइन किये हैं। हमने आर.डी. शर्माजी के लिए.....

(17.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका ही समय जा रहा है, क्या फायदा है?

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : उन्होंने कहा था कि बी.जे.पी. से कोई सहयोग नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये ढंग से बोलें। संसदीय भाषा में बोलें। (व्यवधान) हमको भी जनता ने चुना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय जगत सिंहजी, बिराजें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री जगत सिंह दायमा : साम्प्रदायिक शक्तियों ने समर्थन किया तो हमने अपना समर्थन वापस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं ले लिया तो। क्या काम किया आपने?

श्री जगत सिंह दायमा : आप लोगों के बीच में और हमारे वे कोई रिश्तेदार नहीं हैं जो उसको वोट देंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + दो-दो बार मुख्य मंत्री बनाया। + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : अगली बार आएंगे तब भी ऐसा ही करेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अगली बार भी चुनकर आएंगे। हमको जनता ने चुना है।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, आना। देख लेना + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंहजी, बैठिए। जगमाल सिंहजी, आप शुरू करिए।

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री जगमालसिंह यादव : बोलूं कैसे?

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : संसदीय भाषा बोलें।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई बात ही नहीं है। बड़े ईमानदार हो गये ये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे तो वे भी बोलेंगे। आप शांति रखेंगे तो वे भी बैठ जाएंगे। बिराजें। आप थोड़े ही बोल रहे थे? आप बीच में क्यों खड़े हैं?

श्री जगत सिंह दायमा : ये चार खड़े हो गये और मैं एक भी खड़ा नहीं होऊं?

श्री उपाध्यक्ष : ये सक्षम है अपने आप में। आपका सपोर्ट नहीं चाहिए इनको।

श्री जगत सिंह दायमा : लालू यादव का जिक्र आता है तो मैं कैसे खड़ा नहीं होऊं? कांशीरामजी साहब का जिक्र और एस.सी., एस.टी. की बात आएगी तो मैं खड़ा होऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : खड़े कैसे होओगे आप? हाउस आर्डर से चलता है। + + +

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे इतना कमजोर न समझें कोई कि मैं दूध पतासा हूं, कोई भी पी जाएगा। मैं अकेला जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पीछे वालों को समझाओ।

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, मैं आ रहा हूं। मेरा समय जो गया है वह बढ़ाया जाए, मेरी आपसे अपील है क्योंकि आप मेरे प्रति उदारवादी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप चालू रखें। बोल रहे हैं या नहीं?

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा, मैंने आसन से खुद ने निवेदन किया कि अगर कोई अनपार्लियामैंट्री शब्द आ गया तो निकाल दिया जाए। लालूजी के खिलाफ क्या-क्या कहा गया, + + + यह संसदीय भाषा है?

श्री उपाध्यक्ष : अपने यहां तो उपयोग हो नहीं रहा ना, यहां हो रहा उसकी बात करो ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नेता हैं। सदन में कार्यवाही में नोट हुआ है। या तो सदन की कार्यवाही से जैसे पहले निकाला, संसदीय परम्परा रही है उसी तरह से वह शब्द निकाले जाएं। नहीं तो मैं अपना भाषण बीच में छोड़कर आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं धरने पर....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा' है + + + मैंने नहीं कहा (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : तो मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, विराजिये। जो भी असंसदीय शब्दों का उपयोग किया गया है उनको निकाल दिया जाएगा। बात खतम हुई, चलिये आगे चलिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरे मित्र कहते थे सम्पत सिंहजी, जो नगर से आते थे कि आप मूंछ हल्की क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं, मेरी आज समझ में आया कि मूंछ की खुराक क्या है। मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : अपनी डिबेट इस पर हो रही है, मूंछ पर थोड़े हो रही है डिबेट? (व्यवधान) मूंछ पर डिबेट नहीं हो रही है (व्यवधान) माननीय सदस्य जगमाल सिंहजी, क्यों समय जाया कर रहे हो, आप इस पर बोलो ना (व्यवधान) माननीय सदस्य, फिर वही बात।

श्री जगमाल सिंह यादव : मूंछ की खुराक बुद्धि है, अक्ल है। जिसकी जितनी भारी मूंछ होगी उसकी उतनी अक्ल कमजोर इसलिए होती है कि मूंछ बुद्धि को खाती है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप हरिसिंह जी से पूछो, इतनी बड़ी-बड़ी मूंछे रखते हैं हरिसिंहजी साहब।

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और भी बैठे हैं मूंछों वाले तो आप सबको क्यों डिग्रेड कर रहे हो। + + + मूंछों वालों में तो अक्ल है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें प्लीज। जगमाल सिंहजी, समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी चाहूंगा कि गैर कानूनी भवन निर्माण के कार्य हैं ये अक्सर होते क्यों हैं? इसलिए भी होते हैं, मन्त्रीजी, कि भवन निर्माण की इजाजत आम आदमी मांगता है उसको इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है कि वह काम करने के रास्ते पर जाने की अपेक्षा ले-देकर गैरकानूनी काम या अवैधानिक या बिना मंजूरी के अपना निर्माण करा लेता है। वह जो निर्माण बन रहा है वह जयपुर को खाए जा रहा है। जयपुर का जो असली स्वरूप है, जो आप हैरिटेज सिटी बनाने जा रहे हैं उसमें बाधक है। इसलिए मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि कोई ऐसी सरल प्रक्रिया अपनाइये जिसमें महोदय, आपकी मार्फत कि कोई ऐसी सरल प्रक्रिया अपनाइये जिसमें निर्माण की इजाजत लेने जो भी उपभोक्ता जाए, जो भी मकान मालिक जाए, जो भी मकान बनाना चाहता हो उनको इस कठिन प्रक्रिया के दौर से नहीं गुजरना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपकी मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक 90 प्रतिशत नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम ऐसे हैं राजस्थान में जहां उनके पास आबादी के नक्शे नहीं हैं। यह रिकार्ड ही नहीं है कि कौनसी गली कितनी चौड़ी है। यह भी रिकार्ड नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कौनसा प्लाट किस आदमी का है, जो पुश्तैनी मकान बना हुआ है यह मकान किस आदमी का है, इस मकान पर स्वामित्व किसका है। इसलिए मैं आपको एक सैकण्ड से कम समय में यह राय देना चाहता हूं कि आप अपनी नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो अधिकारी हैं स्वायत्त शासन बोर्ड के, जो आटोनोमस बाडी आपकी है उनको निर्देश दें और इसके लिए अलग से बजट प्रावधान करें। बैठे हैं सी.पी.जोशी साहब मैं कहना चाहता हूं कि आबादी के स्वामित्व का फैसला करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। एक फीसदी ग्राम पंचायतें भी राजस्थान में ऐसी नहीं हैं जिनके पास किसी स्वामित्व का प्रमाण या कोई डाकूमेंट या कोई रजिस्टर्ड डाकूमेंट ऐसा हो कि ग्राम पंचायत या नगरपालिका यह बता सके कि यह भू-खण्ड आपका है, यह स्वामित्व आपका है। यह सड़क की चौड़ाई इतनी है या फलां गली की चौड़ाई इतनी है। मेरा सुझाव है कि आप इस ओर भी ध्यान दें ताकि लिटिगेशन जो अननैसेसरी बढ़ रहे हैं वे कम हो सकें।

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत इम्पार्टेंट इश्यू की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करने की कोशिश कीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : और मैं यह चाहूंगा कि आप मेरे पर मेहरबान रहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबान तो हूं मैं लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। मेहरबान तो हूं मैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड यूज चैंज करने का मैटर है। मैंने पिछले सदन में भी काल अटेंशन लगाया, इस बार भी काल अटेंशन लगाया, प्रश्न भी लगाया। उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड यूज चैंज करने का मैटर खास कर अलवर के राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र बोर्ड अधिनियम का मैटर है, एन.सी.आर. बोर्ड का मैटर है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भिवाड़ी, अलवर में लैण्ड का जो उपयोग है चैंज हो रहा है, उसके लिए मैं आगाह करना चाहता हूं सदन को। राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र बोर्ड अधिनियम जो दिल्ली का है, उस बोर्ड की संरचना क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर आफ इण्डिया जो भी होगा वह इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, यू.पी. का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इसके मैम्बर हैं। 1985 में एक एक्ट आया, संसद में पेश हुआ जिसका नाम रखा गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनट मैं चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट, कितनी देर हो गयी पांच-पांच मिनट करते?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं कनक्लूड कर रहा हूं, अब ज्यादा नहीं है।

तो यह बोर्ड की संरचना है। 1985 में जो राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र अधिनियम उसमें दो सैक्शन डाले गये सैक्शन 14 और सैक्शन 27। धारीवालजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 14 और 27 सैक्शन डाले गये उन 14 और 27 सैक्शन में यह प्रोवीजन किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र जो मास्टर प्लान तय कर देता है, प्रकाशित कर देता है उसमें चैंज करने का अधिकार किसी भी लोकल गवर्नमैंट को नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, उपाध्यक्ष महोदय? चुनाव से तीन महीने पहले एक स्कैण्डल हुआ। जमीन थी बीस करोड़ की। राजस्थान का विधान सभा से तीन महीने पहले भिवाड़ी में एक स्कैण्डल हुआ। जमीन थी केवल बीस करोड़ की उस जमीन को एक करोड़ साठ लाख में वह भी इस शर्त के साथ कि आप इस जमीन के पैसे किस्तों में चुकता कर देंगे। बीस करोड़ का स्कैण्डल हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, वह औद्योगिक परपज के लिए जमीन थी अरावली फोरजिंग, बाद में उसका नाम पड़ा पंकज फोरजिंग। वह जो मास्टर प्लान था

(श्री जगमाल सिंह यादव)

एन.सी.आर. का रीजन का, उस एन.सी.आर. में बाकायदा वह जमीन औद्योगिक क्षेत्र में दे रखी है। अकेला केवल यह गणपति प्लाजा, आज का जो नाम है, यह इण्डस्ट्री की जमीन थी। पहले थी इण्डस्ट्री अरावली फोरजिंग, बाद में इण्डस्ट्री हुई पंकज फोरजिंग। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, एक बना हुआ है हनुमान प्लाजा, वह भी औद्योगिक एरिये में ही है। एक बना हुआ है रीजेन्सी होटल, यह भी जमीन उद्योग की जमीन है। एक बना हुआ है। आशियाना व्यापारिक केन्द्र, यह भी जमीन स्टेट के मास्टर प्लान में और सैण्ट्रल को एन.सी.आर. प्लान में उद्योग के लिए रिजर्व है। इन्होंने क्या किया? बीस करोड़ की जमीन विधान सभा के चुनाव से मात्र तीन महीने पहले एक करोड़ साठ लाख में तावडू जहां से तैय्यब हुसैनजी आते हैं, वहां के एक सेठ को दे दी जिसका नाम है बंसल, रूप और बसन्त बंसल। मैंने यह मैटर उठाया। और यही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इसका फैसला आ चुका है। राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र अधिनियम जब से लागू हुआ, नोएडा का फैसला है। उपाध्यक्ष महोदय, 15.4.94 को सुप्रीम कोर्ट की डी.बी. ने फैसला दिया कि अगर एन.सी.आर. के मास्टर प्लान को जो भी अधिकारी, जो भी गवर्नमैंट चैंज करेगी वह कन्टैम्प्ट आफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। इसके बावजूद लैण्ड का यूज चेंज कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो आपके नगर नियोजक हैं, मुख्य टाउन प्लानर मिस्टर आर.के. शर्मा और मिस्टर भट्टाचार्य, आपने पत्र लिखा राजस्थान सरकार को। पहला पत्र लिखा 30-3-99 को। यह लिखा मिस्टर भट्टाचार्य ने जो चीफ टाउन प्लानर हैं राजस्थान के। उन्होंने राजस्थान गवर्नमैंट को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि भिवाड़ी खास कर अलवर डिस्ट्रिक्ट में नगर नियोजन विभाग, राजस्थान गवर्नमैंट लैण्ड का यूज चेंज कर रहा है। इसलिए आपका जो शुद्धिकरण का मैटर है, यह योजना है 30 करोड़ रुपये की, भारत सरकार ने इस बहाने से रोकी है और चेताया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है और यह कन्टैम्प्ट आफ कोर्ट माना जाएगा। क्या कर रही है आपकी सरकार? इन्होंने तो जो कुछ किया विधान सभा के चुनाव के पहले, वह निहित स्वार्थ था। बी.जे.पी. के लोगों ने किया, आप लोग इसमें शामिल नहीं हैं? आपको इसमें कार्यवाही करनी पड़ेगी। यही नहीं है...(व्यवधान) करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। वह मैं क्यों कहूं? सुप्रीम कोर्ट के और जुडीशियरी के + + + तो सरकार करेगी, कोई मेरी मर्सी पिटीशन के आधार पर थोड़े ही करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नजर देख रहा हूं। आवासन मण्डल के बारे में ताम्बीजी ने जो बात कही, मैं भी कहना चाहता हूं कि मैंने अपने मकान 4/182 की पूरी किश्त जमा करवा दी। मेरे से पूछा

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

गया कि आप रसीद ले आएं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई रसीद नहीं है तो मेरे से कहा गया, हम तो यह मानेंगे कि आपने एक पैसा भी जमा नहीं करवाया। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसमें अरबों रुपये लोगों के, उपभोक्ताओं के लगे हुए हैं और कम्प्यूटराइज खाते बनाने के लिए आपका सारा रिकार्ड गया था। आज नहीं गया था, यह रिकार्ड भेजा गया था आज से 6-7 साल पहले। क्या हुआ उस रिकार्ड का? अभी इनको यह मालूम नहीं है, मंत्रीजी, मैं आपको दावे से कहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड में रिकार्ड अपने तलब नहीं किये, तलाश नहीं किये तो आप पर विभिन्न आरोप लगेंगे। मैं जानता हूं कि आपके जमाने में ये कम्प्यूटराइज होने नहीं गये हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह कम शर्म की बात है? राजस्थान सरकार की नोलेज में है कि किसी ने रिकार्ड भेजा। आज अगर आपकी रसीद खो जाती है तो आपको जो रसीद ही है वह दिखाने के लिए कहो। बनिये की दुकान है? गवर्नमेंट का खाता है, गवर्नमेंट का इन्स्टीट्यूशन है वहां सब कुछ जमा खर्च होना चाहिए। मण्डल बनिया जैसे हमसे पूछता है कि जमा करा गया तो रसीद दिखा, मैं उतने पैसे कम कर दूंगा। यह मैं आपसे चाहूंगा कि सारा रिकार्ड जब्त हो, बरामद हो, कम्प्यूटराइज, हो। जिस अधिकारी ने यह लापरवारी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो भी आपको इस मामले को लेकर बनिये के पास ही आना पड़ेगा। आना वहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़। बस समाप्त कीजिये। प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हो गये 5 मिनट, आधा मिनट भी नहीं। श्री राजेन्द्र राठौड़। आप समाप्त कीजिए। You are not going to conclude. आप विराजिये प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त नहीं करोगे, पांच मिनट हो गये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले भी कहा आपने।

श्री जगमाल सिंह यादव : पांच मिनट कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : पांच के सात हो गये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मेरे दोस्त यू.डी.एच. मिनिस्टर से बात कर रहा था, मुझे यह नहीं मालूम कि मंत्री पद पर आपका बनियापन हावी हो गया है।

केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा थी कि अम्बेडकर की मूर्ति राजस्थान का जो नया विधान सभा भवन बने उसमें लगवाई जाए। माननीय सदस्य, ये हाथी के दांत दिखाने वाले और हैं खाने

(श्री जगमाल सिंह यादव)

वाले और हैं। इसीलिए हम थर्ड फोर्स में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। ये भी देख लिये, ये भी देख लिये, वहां मूर्ति अम्बेडकर की नहीं लगेगी। राजस्थान हाई-कोर्ट में किसकी मूर्ति है, मालूम है आपको? वहां अगर मूर्ति लगानी पड़ी चाहे उनका राज आ जाओ, वही मनु की मूर्ति लगेगी। आप + + + (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : नहीं लगाने देंगे मनु की मूर्ति उस चौराहे पर।

श्री जगमाल सिंह यादव : उसको हटवा दो। आप तो यह भी कह रहे थे कि जाटों को मंडल आयोग में नहीं आने देंगे।

डा. करण सिंह यादव : मनु की मूर्ति नहीं लगेगी यह पक्का मान कर चलो आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप कह रहे थे ना कि जाटों को मण्डल आयोग में नहीं आने देंगे, आ गये ना।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को समय दिया। मैं आपकी नाराजगी को भलीभांति भांप रहा हूं, आप मेरे प्रति उदारवादी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नाराजगी नहीं मजबूरी।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप मेरे प्रति उदारवादी हैं इसलिए आपने सदन में मेरी बात सुनी। पुनः आपसे याचक बन कर यह निवेदन करूंगा कि जो भी अनपार्लियामैंट्री शब्द आ गये हों चाहे वे लालूजी के खिलाफ हों चाहे अडवानी जी के खिलाफ हों, इनको तो + + + बिहार में इसलिए ये तो फिर कहेंगे। बी.जे.पी. को + + + लालू यादव ने, सारे जो अक्ल का ठेका लिये बैठे थे देश में चाहे वह मीडिया हो, चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो चाहे साम्प्रदायिक ताकतें हों। उन सबको लालू यादव ने + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बलात्कार के मामले दर्ज हों। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़। आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज, जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : बात करते हैं ये + + +

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो गया। विराजिये। आप बैठ चुके हैं फिर अब क्या हो गया?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनका हलवा खाने की अपेक्षा + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आप बोलना चाहते हैं कि नहीं? समय का ध्यान रखेंगे तो बोलने दूंगा नहीं तो बंद कर दूंगा।

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर नगर विकास आवासन जैसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि सारी चर्चाओं का जवाब एक ऐसे मंत्री महोदय देंगे जिनका आज तक नियोजन से कोई वास्ता नहीं रहा, विध्वंस जिनकी प्रवृत्ति रही। जिनका विकास से दूर-दूर का सम्बन्ध नहीं रहा और विनाश जिनकी प्रवृत्ति रही। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान के अन्दर धीरे-धीरे शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। सन् 2001 में राजस्थान की जनसंख्या जब 5 करोड़ 65 लाख के लगभग हो जाएगी तब राजस्थान के शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ 75 लाख हो जाएगी, यानी 10 वर्षों में राजस्थान के शहरों में 65 लाख व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि आज ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन इसलिए हो रहा है कि गांव के अन्दर जनसंख्या के दबाव के कारण जमीन की जोत घटती चली गई, अलाभकारी हो गई। इसी का नतीजा निकला कि किसान का बेटा जो खेत में हल चलाता था, आज शहर के अन्दर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। मंत्री महोदय, आप सर्वे करवा लें। अभी बहुत बड़ी प्रशंसा आपकी की गयी है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, आपरेशन पिंक के नाम पर। आपने जितने अतिक्रमण हटाये? चाहे थड़ी पर व्यवसाय करने वाले को हटाया हो, चाहे ठेला चलाने वाले को हटाया हो, चाहे फुटपाथ पर बैठे किसी आदमी को हटाया हो सारे के सारे वे लोग हैं जो मजबूरी में अपने गांव को छोड़कर शहर में जीवन-यापन के लिये आये हैं। मंत्री महोदय, आज शहरों की हालत क्या है? आपको याद होगा कि आपने 11वें वित्त आयोग के सम्मुख एक ज्ञापन के जरिये राजस्थान के शहरों का चित्रण किया था। उपाध्यक्ष महोदय, निदेशालय, स्थानीय निकाय कहता है माह दिसम्बर में 11वें वित्त आयोग के सामने कि राजस्थान नहीं है। गंदे पानी के निकास, मल-मूत्र के निकास की सुविधा नहीं है। यह आपका डाकूमैंट कहता है कि 60 प्रतिशत जनता जिस क्षेत्र में रह रही है वहां नालियों का अभाव है, 40 परसेंट लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, 20 प्रतिशत आबादी सुविधाविहीन है, कच्ची बस्तियों की है, 45 प्रतिशत के पास शुद्ध पानी पीने को नहीं है और 30 परसेंट जनता ऐसी है जो सफाई से बिलकुल अछूती है। इन्होंने खुद ने माना है कि राजस्थान में 183 स्थानीय निकाय ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वे अपना वेतन समय पर चुका दें, यह भी संभव नहीं है। मंत्रीजी, आपने आज सुबह प्रश्नकाल में उत्तर देते हुए कच्ची बस्तियों के नियमन की बात कही। आपने करौली से आने वाले माननीय सदस्य को यह भी कहा कि आप यह सवाल पूछना कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के अन्दर कितनी कच्ची बस्तियों का नियमन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया, कितने पट्टे जारी किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने प्रतिवेदन में जो खुद आपने 11वें वित्त आयोग के सम्मुख दिया, उसमें माना है कि 22 परसेंट कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। आपने इस घोषणा पत्र में लम्बी डींग मारी थी कि 2,37,475 परिवारों को पट्टे जारी करेंगे और आपने यह भी कहा था कि 18 वर्ष के बाद नियमन का कार्य प्रारम्भ होगा। आपने सर्वे अभियान भी चलाया। आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि हम वीडियोग्राफी कराएंगे, बड़े जोर-शोर से आपने अपनी फोटो प्रकाशित करवायी। "प्रशासन कच्ची बस्ती की ओर" और आप पट्टे देते हो 2,37,475 के स्थान पर 11,000। 11,000 के लगभग...

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पट्टे वितरित करते हो। मंत्रीजी, यह सवाल और कच्ची बस्ती में रहने वाला...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का लांछन ये लगा रहे हैं मंत्रीजी के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : दिलावरजी, आप विराजिये। (व्यवधान) आप नहीं बुलाना चाह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कि + + + यह बिलकुल गलत है इस सदन के अन्दर। (व्यवधान) हमारे मंत्रीजी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हो...(व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : रियायत के स्थान पर मजदूर की पिटाई की है...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आपमें हिम्मत है इस बात की तो जो आरोप लगा रहे हो वह लिख करके दे दो यहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आप इनको नहीं बुलवाना चाहते हैं?

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान) माननीय सचिव महोदय.... (व्यवधान) यह जानबूझकर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) माननीय राजेन्द्र सिंहजी, आप बोलो।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी को क्लीयर + + + मेरा आरोप है...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : राजेन्द्र सिंहजी की गंभीरता पर बहस नहीं है, विवाद क्यों पैदा कर रहे हो आप बीच में?(व्यवधान) क्या है? आरोप है, आरोप लगाते रहते हो फालतू। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ये जो कुछ

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आरोप इन्होंने मेरे पर लगाये हैं, या तो आप इनसे कहिये कि पहले नोटिस दें यहां पर बाकायदा या फिर उनको आप कार्यवाही से निकलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको एक्सपंज कीजिये। माननीय राजेन्द्र सिंहजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : या तो कार्यवाही से निकलवाएं + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, हो गया ना। कह दिया ना। एक्सपंज कर दिया ना। (व्यवधान) माननीय सदस्य।...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + (व्यवधान) यही कहोगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो जो बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र सिंहजी, बोलना चाहते हो क्या आप?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, एक्सपंज कर दिया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान) आर्डर-आर्डर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा :×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, विराजिये आप। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित ही नहीं हो रहा है। आप इनको बोलने देना चाहते हो कि नहीं? आप बोलने देना चाहते हो कि नहीं, आप बता दो। आपकी पार्टी के सदस्य बोलना चाहते हैं फिर आप बीच में क्यों इंट्रप्ट कर रहे हो? क्या तरीका है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज। रामस्वरूपजी, बिराजो आप। विराजो, बोलने दो उनको। विराजो प्लीज।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। प्लीज आप विराजो। माननीय सदस्य, यदि आप बीच में आरोप लगाएंगे तो मैं आपके माननीय सदस्य को नहीं बोलने दूंगा। दूसरा काल कर लूंगा। आप मेहरबानी करके इनको बोलने दीजिये। आपका मैम्बर बोल रहा है और आप बीच में इंट्रप्ट कर रहे हैं। क्या, चाहते क्या हो आप? कौनसा तरीका है? इंट्रप्शन? यह कौनसा तरीका है कि आपने कह दिया +++ यह कोई बात हुई क्या?

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बंद कीजिये आप इस बात को। (व्यवधान) आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : किसी के खिलाफ कहा हो...

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जो हकदार है उसको नोटिस दीजिये। कायदे से आइये ना आप।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : But why ? इश्यू क्या है अभी? क्या इश्यू है जो आप बोल रहे हो? What is the issue ? आप नोटिस दीजिये, जवाब...

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर...

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। बैठिये-बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, जितना उत्तेजित आप हो रहे हो उतना ही उत्तेजित...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दिलावरजी, मेहरबानी करके अनुशासित रहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कच्ची बस्ती में रहने वाले वे लोग हैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजेन्द्र राठौड़ साहब, यह गलत तरीका है। ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहन मत दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थड़ी वाले लोग फुटपाथ पर जो व्यवसाय कर रहे थे वे लोग इतने ही उत्तेजित हैं, जितने आप हो। आपके मन में जितना दर्द है उससे ज्यादा

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दर्द उनके मन में है। आपने उनका आशियाना छीन लिया, आपने उनका कमाई और व्यवसाय का जरिया छीन लिया। महोदय, आपने कच्ची बस्ती के नियमन की बात की, मैंने सुबह भी आपसे निवेदन किया था, बड़ा नम्र निवेदन किया था और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आपने अभी एशियन डवलपमेंट बैंक से 1528 करोड़ रुपये लेने के लिए जो एग्रीमेंट किया है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी कहा था कि एशियन बैंक से जितना सरकार ऋण ले रही है उसका एग्रीमेंट है, वह एग्रीमेंट सदन की मेज पर रखें। मेरा आरोप है, मंत्रीजी, उस एग्रीमेंट के अन्दर आपने यह स्वीकारा है कि आज जयपुर नगर नियोजन अधिनियम बनाएंगे और उसके साथ आपने यह भी स्वीकारा है कि आप जयपुर शहर के अन्दर कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं करेंगे। आपने इस चीज को भी स्वीकारा है कि आप जयपुर के अन्दर सीवरेज टैक्स बढ़ाएंगे, जयपुर में हाउस टैक्स बढ़ाएंगे, जयपुर में एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाएंगे। आप जयपुर की जनता को करों से लाद दोगे, इस तरह का आपने उस....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह एग्रीमेंट जितना भी है वह सब सदन की मेज पर रखता हूं, जरा देख लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को रख रहे हो? माननीय मंत्रीजी, आप काहे को उत्तेजित हो रहे हो? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उन्होंने बहुत कहा है ना...(व्यवधान) मैं तो तभी मना कर चुका था कि मैं स्वयं इस...(व्यवधान) पहले से इन्कार कर चुका हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह एग्रीमेंट है, मैं इधर रखता हूं। आप विश्वास ही नहीं करते हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं....

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिये। माननीय, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। अभी आप काहे को उत्तेजित हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी, कोटा में नवरत्न होटल के लिये एग्रीमेंट.... (व्यवधान) राजस्थान की जनता और राजस्थान के पैसों के लिये...(व्यवधान) आपने अच्छा किया है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा....

श्री महेश जोशी : अगर यह सब नहीं निकला, माननीय राजेन्द्र राठौड़जी, अगर यह सब इस एग्रीमेंट में नहीं निकला तो आप सदन से माफी मांगेंगे, यह भी कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपके बस की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महेश जोशी : नहीं, आपके बस की बात है क्योंकि आप असत्य आरोप लगा रहे हैं। आप मन में आये जो बोलते जाते हो। यह पूरी पार्टी की आपकी स्थिति हो

(श्री महेश जोशी)

गयी। (व्यवधान) यहां सदन में आकर बोल रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिराजो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आपको एक जानकारी और दे दूं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शांतिजी, आप जवाब देंगे। आपका पूरा जवाब सुनकर....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, इस बात पर मैं आपको एक जानकारी और दे दूं प्रतिपक्ष के नेता ने मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी थी कि आज चूंकि इस पर बहस है, अगर मुझे वक्त मिल जाएगा तो मैं भी उस एग्रीमेंट को देखना चाहता हूं। वह एग्रीमेंट मैंने उनको अभी दो घंटे पहले पहुंचा दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धन्यवाद, साहब।

डा. किरोड़ी लाल : आप, मंत्रीजी, गुस्सा कम करो।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों तरफ से, आप भी गुस्सा कम करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इन + + + को संभाल कर रखो।

श्री रामनारायण चौधरी : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इतने बड़े आरोप लगाये हैं कि यह लगाना पड़ेगा, यह लगाये हैं, आपने उस एग्रीमेंट को पढ़ा है क्या?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये नीचे।

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये....(व्यवधान) आर्डर प्लीज, बहुत हो गया। दिलावरजी, अब आप बैठिये, या + + + (व्यवधान) अब आप बैठिये। प्लीज आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हेमन्त कुमार : विपक्ष के सदस्यों को असत्य बोलने की आदत हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार-बार इंट्रप्ट कर रहे हैं और मर्जी आये जो बोले जा रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : असत्य आरोप लगाते हैं....(व्यवधान) सिवाय असत्य बोलने के और कुछ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने की आदत पड़ गयी है इसलिए वे बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप अपने मन में आये जो बोले जा रहे हैं। आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप इंट्रप्ट कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आभारी हूं....

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदन दिलावरजी ने जो + + + और इस तरह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महेश जोशी)

के शब्द उपयोग में लिये हैं माननीय मंत्रीजी के लिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, आप विराजें। (व्यवधन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एग्रीमैंट का कापी सदन की मेज पर रख दी है। मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि आपने किस आधार पर यह कह दिया कि एशियन डवलपमेंट बैंक के साथ जो एग्रीमैंट किया है उसमें टैक्स बढ़ाने की बात की है, उसमें कच्ची बस्तियों के नियमन नहीं करने की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीमैंट आज हाउस की टेबल पर आया है, एग्रीमैंट मेरे पास था नहीं, परन्तु समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं इस सन्दर्भ में उनके आधार पर मुझे यह लगा कि निश्चित रूप से राजस्थान के गरीब लोगों पर और खास तौर से इन 6 सिटीज में रहने वाले लोगों पर टैक्स लादने का जरिया ढूंढ लिया है और ऐसी शर्तों पर एग्रीमेंट किया है जिससे राजस्थान और जयपुर के अंदर जो कच्ची बस्तियां हैं उनका नियम नहीं होगा।

मंत्रीजी, पिछले सदन में, आपको याद होगा आप जोर-जोर से हाथ हिला-हिलाकर कृषि भूमि को नियमन करने की बात कह रहे थे। आपने यह भी कहा था कि आप इसके जरिये 100 करोड़ रुपये जुटाएंगे। आपने कैम्प लगाने की बात की थी। हालांकि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां आयी होंगी परन्तु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जिस दिन सदन के अन्दर कृषि भूमि नियमन की दरों की घोषणा की थी उसके कितने महीनों के बाद सरकार ने आदेश निकाले? जयपुर के अन्दर तो आपने कुछ कैम्प लगाये हैं परन्तु राजस्थान के दूसरे शहरों में अगर कृषि भूमि के नियमन की कार्यवाही भी प्रारम्भ हुई हो तो मुझे बता दें।

दूसरा, मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास आधार क्या है? 1985 के अन्दर सर्वे हुआ 450 जो कृषि भूमि पर बसी हुई बस्तियां हैं उनका तो सर्वे हो गया है परन्तु इनके साथ बड़ी संख्या में लगभग 1100 बस्तियां और हैं जिनका सर्वे भी नहीं हुआ। अब आपको मालूम ही नहीं कि उनका क्या क्षेत्र था, क्या मानचित्र था, कितना-कितना प्लोटिंग एरिया था। उसके बाद आप कैसे उसका नियमन कर देंगे, यह मेरी समझ के बाहर की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरे राजस्थान में तबाही का मंजर मचाया और यह कहकर मचाया कि हम मास्टर प्लान लागू करना चाहते हैं। मंत्रीजी, राजस्थान में सन् 2001 के अंदर शहरों की संख्या बढ़कर 300 हो जाएगी और उन 300 में से 200 के पास तो आज की तारीख में मास्टर प्लान ही नहीं है। 32 जिले हैं, 32 जिलों में से 11 जिलों में मास्टर प्लान बना ही नहीं। कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर का मास्टर प्लान 1991 में समाप्त हो गया। जोधपुर, बीकानेर का मास्टर प्लान 1996 में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समाप्त हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास मास्टर प्लान है नहीं और आपने तय कर दिया कि यह सड़क इतनी चौड़ी होगी, मास्टर प्लान के तहत इस सड़क को इतनी चौड़ी करेंगे, किस आधार पर आपने तोड़-फोड़ कर दी? बहुत-से जिले ऐसे हैं जिनका मास्टर प्लान अभी आपने जनता के आब्जैक्शन के लिए प्रचारित कर रखा है। जब मास्टर प्लान नहीं है तो कौनसा आधार था जिसके आधार पर आपने तोड़-फोड़ प्रारम्भ कर दी? शायद आपको इसमें आनन्द आता है।

आपने यहां आपरेशन पिंक की बहुत चर्चा की और यह कहा कि बरामदे खाली कराकर राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के पुराने माननीय सदस्य रहे हैं। यह बरामदे खाली कराने का प्रकरण आज से नहीं चला, सन् 1946 से, आजादी से पहले इस बात की चर्चा चली कि बरामदे खाली होने चाहिए। 1952 से लेकर और आज तक कितनी सरकारें आयीं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के मुख्य मंत्री नहीं आये थे? चलो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री महोदय ने बरामदे खाली नहीं कराये परन्तु आप भी इस दोष से नहीं बच सकते। बरकतजी नहीं थे हरिदेव जोशीजी नहीं थे, शिवचरणजी माथुर नहीं थे? आपने इतना समय निकलने के पश्चात् खाली क्यों करवाये?

श्री जगत सिंह दायमा : पिछड़ा वर्ग का आदमी आया है पिछड़ा वर्ग का इसलिए।

श्री महेश जोशी : हाई कोर्ट के निर्देश सिर्फ आपके शासन काल में थे बरामदे खाली कराने के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उप मुख्य सचेतक जी, आपको शायद जानकारी नहीं हो, बरामदे खाली कराने में पहली बार सिंगल बैंच उच्च न्यायालय का आदेश निकला वह 1985 में निकला था। उसके बाद डबल बैंच में गये, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया। आप 1986 के अंदर सरकार लिये बैठे थे, तब आपने बरामदे खाली क्यों नहीं कराये? मंत्रीजी, आप इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हो कि हम तो अतिक्रमण के पक्षधर हैं और आप अतिक्रमण को हटाने की पक्षधर हैं। यह बात कतई गलत है। अतिक्रमण हटे पर कानून के दायरे में हटे। अतिक्रमण हटे परन्तु जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में प्रोविजन हैं उनके अनुसार हटे। आपने अतिक्रमण के नाम पर चुनी हुई संस्था का, चुने हुए जन-प्रतिनिधियों का जिनको आपके मुख्य मंत्रीजी सर्वोच्च सम्मान देने की बात कहते थे, उनको अधिकारों का अतिक्रमण किया है। माननीय मंत्री महोदय, आज जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी धारा 203 के अन्दर यह स्पष्ट प्रावधान है कि चुने हुए बोर्ड में अतिक्रमण हटाने के अधिकार निहित हैं और 203 (3) के अन्दर जिसको बोर्ड प्राधिकृत करता है वह अतिक्रमण हटाएगा। परन्तु आपने किया क्या है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने नगरपालिका अधिनियम की धारा 68 सपठित 297 के द्वारा अधिकार ले लिया और वे अधिकार चुने हुए बोर्ड से लेकर आयुक्त को दे दिये। आप इस लोकतंत्र में चुने हुए लोगों को इतना असक्षम मानते हैं? उनकी नीयत पर शक करते हैं। उन अधिकारियों के हाथ में जिनके मन में जनता के लिए पीड़ा नहीं हो, जब सारे अधिकार दे दिये गये,

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह जो कुछ मैंने किया वह गलत किया है। 1997 में सरकार किसकी थी? 13.6.1997 को यह आपकी सरकार का निकाला हुआ आदेश है जिसमें आपने एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को और कमिश्नर्स को 203 के अधिकार दिये हैं। यह आपका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, इसके बाद रिपील हो गया सारा मामला।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रिपील हो गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह कागज आप बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मैं बता दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता दूंगा ना, बता दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने तो शुरू में ही मना कर दिया था कि आप दे ही नहीं सकते और यह आप ही का कागज दिया हुआ है, आपकी सरकार ने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह भय का वातावरण आतंक का वातावरण इन्होंने मचाया है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, हमारा विरोध, भय और आतंक के वातावरण से है। 29 फरवरी का वह पहला दिन जिस दिन आपके चहेते मंजीत सिंह जी, डायनासोर लेकर निकलते हैं सबसे पहले रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे से इंट्रोडक्शन मंजीत सिंह का करवाया था वह आपने करवाया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस दिन तबाही का मंजर खड़ा होता है रेलवे स्टेशन के इलाके में, आप उनको अधिकार देते हैं अतिक्रमण हटाने का। 11 मार्च को आदेश क्रमांक 48 ग नियम स्वायत्त/2000-31 313, इस सर्कुलर के तहत आप उनको आदेश देते हैं कि अतिक्रमण हटाने के अधिकार आपमें निहित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 29 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक किस आधार पर किस कानून के तहत सारे शहर में तबाही मचायी गयी? दिनांक 24.3.95 को जयपुर विकास प्राधिकरण की उप समिति और उप समिति की बैठक जिसको जिला कलेक्टर चेयर करते हैं, 106 लोगों को निगम और जे.डी.ए. थड़ी अलॉट करता है। उसमें महेन्द्र

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मीणा की भी है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि महेन्द्र मीणाजी को किस तरह की श्रद्धांजलि करौली से आने वाले माननीय सदस्य देकर गये हैं इस सदन में यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि महेन्द्र मीणा शराब का आदी था। अगर कोई शराब पीने का आदी था तो उसका मकान तोड़ देंगे? यह आबंटन पत्र आपने जारी किया है, यह आबंटन पत्र जे.डी.ए. ने जारी किया है। उसके बाद आपने बेरहमी से उसकी आबंटन शुदा थड़ी को तोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि महेन्द्र मीणा तो सामने आ गया, आज दीपक भाटिया कहां है? उसकी पत्नी की पथराई हुई आंखें पूछ रही हैं कि वह जिन्दा है या मर गया? ऐसे बहुत-से लोग हैं, आप आज उनकी थड़ी को देखें कि किस तरह से कुचलकर आपने रख रखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मास्टर प्लान लागू करने की आड़ में जयपुर के अन्दर सड़कों को चौड़ा करना प्रारम्भ किया। इसी आड़ में आपने दिवंगत पूर्व मुख्य मंत्री का घर तक नहीं छोड़ा। अगस्त, 1998 में जयपुर में दूसरा मास्टर प्लान बना जिसकी अवधि 2011 थी, इसको स्वीकार किया है जयपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। और उसके अन्दर साफ इस बात को माना गया कि जयपुर की चारदीवारी जिसका क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़ है परन्तु जनसंख्या साढ़े आठ लाख के लगभग है, प्रति एकड़ जनसंख्या घनत्व 425 है और जयपुर की चारदीवारी पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है इसलिए 12 सेटेलाइट कस्बे विकसित किये जाएं और चारदीवारी के बाहर रहने वाले 15 लाख लोग जो मुख्य बाजार से 15 से 25 किलोमीटर दूर हैं, ऐसे उप नगर जहां ये लोग रहते हैं वहां विकसित किये जाएं। वहां छोटे व्यवसाय की दुकानें नाई, धोबी, विद्यालय, 30 बैडेड हास्पिटल इन सबको आवासीय भूमि चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है, लैण्ड यूज चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। जे.डी.ए. रूल्स क्लॉज 90, परमीशन ऑफ यूज्ड जोन, शायद आपने पढ़ा हो। पिछले सप्ताह जयपुर उप नगर में व्यवसाय करने वाले, तमाम उन दुकानदारों को, तमाम् उन लोगों को जो वहां स्कूल चला रहे हैं, हास्पिटल चला रहे हैं उन सबको नोटिस थमा दिया। एक तरफ मास्टर प्लान की आड़ में जयपुर में तबाही, दूसरी तरफ उसी मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, ये दोहरी बातें क्यों? आपने उसी मास्टर प्लान की आड़ में अजमेर रोड को चौड़ा करने के नाम पर हरिदेश जोशी के घर को तोड़ा, आपने सोडाला में तबाही मचाई और उसी मास्टर प्लान के नियमों के अन्दर आपने खुद स्वीकार किया है कि इन उप नगरों में 30 बैडेड हॉस्पिटल, स्कूल, छोटे व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को लैण्ड यूज चेंज करवाने की जरूरत भी नहीं है। वाणिज्यिक गतिविधियां कर रहे हैं उनको आपने इस मास्टर प्लान में अलाउ किया है। इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पश्चात् आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ से बाहर है।

आपने यहां सदन में बजट में इस चीज का जिक्र किया था कि हमने एशियन डवलपमेंट बैंक से 1528 करोड़ रुपये मंजूर कराए हैं। मंत्रीजी, इन 1528 करोड़ रुपए में आपका लोन कम्पोनेंट है 69 प्रतिशत यानी 1056 करोड़ रुपये और ब्याज दर है साढ़े बारह प्रतिशत। परन्तु कभी आपने देखा क्या कि विकास पर कितनी राशि खर्च होगी इन 1528 करोड़ रुपए में से? उपाध्यक्ष महोदय, 960 करोड़ रुपए तो विकास पर खर्च होंगे और 22 प्रतिशत कंसलटैंसी चार्ज एशियन डवलपमैंट बैंक लेगा, लगभग 300 करोड़ रुपए। ये कह रहे थे एग्रीमैंट अब आया है, उस एग्रीमैंट में इसका रीपेमेंट कैसे होगा वे सारे क्लाज आपने डाले हैं। उसमें गृह कर बढ़ाएंगे, मनोरंजन कर बढ़ाएंगे, व्यापार लाइसेंस फीस बढ़ाएंगे, सड़क पर बढ़ाएंगे, व्यवसाय कर बढ़ाएंगे, सीवरेज टैक्स बढ़ाएंगे और कच्ची बस्तियों को आप नियमित नहीं करेंगे। आपने ग्यारहवें वित्त आयोग के सामने ज्ञापन में राजस्थान के अंदर नगरीय क्षेत्रों का जो चित्रण किया है, वह भी पहले आपको बताया है, परन्तु आज आर्थिक हालत क्या है? आपने खुद स्वीकार किया है कि 183 स्थानीय निकाय अपना वेतन नहीं चुका सकते। इन सबके चलते, मंत्री महोदय, आपने दो वर्ष में नगर पालिकाओं को मनोरंजन कर की लगभग 24 करोड़ राशि आबंटित नहीं की। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों में आपने खुद ये माना सदन में कि 10 करोड़ 18 लाख रुपये इस वर्ष आबंटित करने थे, वे आबंटित नहीं किए। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु जनसंख्या के आधार पर आबंटित राशि 8 करोड़ 9 लाख रुपए, वह आपने नहीं की। राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के 11 करोड़ 76 लाख रुपये आपको इसी वित्तीय वर्ष में देने थे, नहीं दिए। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में आपने 1० करोड़ 20 लाख रुपए नहीं दिए। पर्यावरण के नाम पर जितनी राशि थी उसमें से एक भी आपने आबंटित नहीं की। बालिका समृद्धि योजना के 63 लाख रुपए नहीं दिए। एक पैसा आप देओ नहीं और अतिक्रमण के नाम पर तोड़-फोड़ इतनी कर दी। आपने कभी सोचा कि नगर पालिकाएं वेतन नहीं चुका सकतीं, ऐसी हालत है आज नगरपालिकाओं की, जिस तरह से अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके सार्वजनिक नलों का कनेक्शन इसलिए काट दिया कि उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि चूरू में सार्वजनिक प्रकाश का कनेक्शन काट रखा है, स्ट्रीट लाइट काट रखी है, ढाई महीने से चूरू अंधेरे में डूबा हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आर.एस.ई.बी. का पैसा चूरू में ही बकाया है? 83 और नगर पालिकाएं हैं, मंत्री महोदय, यह भेदभावपूर्ण बात क्यों? या तो सबका काटें आप। यह क्या बात हुई कि चूरू का काट दें, क्योंकि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वहां आपका एम.एल.ए. नहीं है, एम.पी. नहीं, प्रधान नहीं है, नगरपालिका का चेयरमैन नहीं है? मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों पर आपको विचार करना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सरदारशहर में तीनों जगह कटा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरदारशहर में कट गया, बधाई हो आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अब भेदभाव की बात नहीं, हम पक्षपात नहीं करते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर चूरू में 800 लोगों का व्यापार नष्ट किया जो थड़ी और ठेले से व्यापार करते थे। मंत्री महोदय, आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करेंगे। एक व्यक्ति का पुनर्वास अगर हुआ हो तो आप कहें, मैं बिलकुल गम्भीरता से कह रहा हूं कि मैं सदन से त्यागपत्र दे दूंगा। आपने उजाड़ तो दिया, पुनर्वास की बात आप करते हैं। आपने मुख्य मंत्री रोजगार योजना में गुमटियां बनाई थीं, ये इसलिए नहीं बनाई थीं कि आप इस तरह का अभियान चलाएंगे। क्या आपने कभी इन गुमटियों को देखा क्या? जयपुर की तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन चूरू और दूसरी जगहों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां अतिक्रमण हुए, वहां एक गुमटी का निर्माण हुआ हो तो बता दें। मैंने आपके सम्मुख सारे कागज दिए थे, उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ नोटिस जारी कर दिए, चार सौ के लगभग नोटिस और सबको साइक्लोस्टाइल करके, नाम भर कर दे दिए। पूरे बाजार में एक दुकानदार नहीं बचा जिसको नोटिस न दिया गया कि आपने टेबल लगाकर और पट्टी लगाकर अतिक्रमण कर रखा है आप यह किस तरह का काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि कुछ तो आपको सोचना चाहिए। अगर दहशत का वातावरण की आप बनाना चाहते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है, सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उन्होंने तो आपको ऐसा नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा है। (व्यवधान) मैं सदन से पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन में जब प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव में आप अमैंडमैंट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कर सकता हूं अमैंडमैंट में। यह कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि आप सदन का समय इण्डैफिनेट पीरियड तक बढ़ा दो। वापस बढ़ा देंगे घण्टे भर, घण्टे भर बाद और बढ़ा देंगे और जरूरत पड़ेगी तो।

मांग संख्या 29 व 20 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, आप विनाश की जगह विकास पर चिंता करें। आपने अभी यह कहा था कि नगरपालिकाओं के चुनावों में आपने भारतीय जनता पार्टी की बहुत पिटाई कर दी। पर, मंत्रीजी, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अभी हुए नगर पालिका चुनावों में 2.3 प्रतिशत वोट ज्यादा आए हैं। 1450 वार्डों के चुनाव थे, 24 लाख 14 हजार, 162 मतदाताओं ने भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, 8 लाख, 39 हजार, 579 और कांग्रेस को वोट मिले 7 लाख, 83 हजार, 237। इसलिए, यह आप जोड़-तोड़ करके....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप चूरू की बात फरमा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, सबका जवाब एक साथ दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे हालात को देखते हुए, अब भी चेतो। घमण्ड के अन्दर इतना मत होओ कि आपको आदमी कीड़े-मकोड़े नजर आएं, जहां आपने चाहा वहां तबाही का मंजर मचा दिया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग का भरपूर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक पूर्बिया।

श्री त्रिलोक पुर्बिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29-नगर नियोजन और प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो रही है। मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात बताते हुए गर्व है कि प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने जनता के व्यापक समर्थन से राज्य हित में कठोर निर्णय लेकर जयपुर तथा राजस्थान के अन्य भागों में सरकारी भूमि पर जो अनधिकृत कब्जे कर रखे थे, उन कब्जों और अतिक्रमणों को हटाकर एक बहुत बड़ा उपकार का कार्य किया है। मैं इसके लिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और राज्य के मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वास्तव में यह प्रशंसनीय कार्य किया है। इस कार्य से बेहतर नागरिक सुविधाएं राजस्थान के निवासियों को मिली हैं इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने बेरोजगारों को कियोस्क बनाकर देने की अपनी जो नीति स्पष्ट की है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर की ओर आकर्षित

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

करना चाहता हूं। यूं तो कांग्रेस के शासन से लेकर अब तक मेरे क्षेत्र में काफी विकास कार्य हुए हैं, बहुत बड़ा एक्सपांशन हुआ है, नई कालोनियां बनी है, काफी विकास कार्य हुए हैं किन्तु कुछ क्षेत्र और वर्ग पीने के पानी से वंचित हैं। एशियन विकास बैंक के माध्यम से राजस्थान के बड़े नगरों में ढांचागत विकास के लिए जो प्रपोजल लिए हैं, उनमें मैं मेरे क्षेत्र उदयपुर के विकास के लिए भी कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता

(18.00 बजे)

हूं। उदयपुर में काफी एक्सपंशन होने से कालोनियों में दूर-दूर लोग बस गये हैं, इसलिए पहले से पेयजल की व्यवस्था है उसमें उन कालोनियों तक प्रोपर टाइम तक पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं उन क्षेत्रों के नाम का उल्लेख कर रहा हूं, खारा कुआ क्षेत्र, माबली कालोनी, मावतबाड़ी, एकलव्य कालोनी, राताखेत, सत्यम नगर कालोनी, सिख कालोनी, मंदातलाई क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफी भारी तादाद में लोग निवास करते हैं और उनके पानी की वही पुरानी 20-25 वर्षों की व्यवस्था चल रही है। प्रोपर समय पर उन्हें पानी उपलब्ध नहीं होने से इस क्षेत्र को और वर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों का प्रपोजल मैंने स्थानीय जिलाधीश को भी दिया है, विभाग को भी दिया है और आप जब उदयपुर में पधारे थे और आपने प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली थी पी.एचईडी. के अधिकारियों के साथ, उस दौरान भी मैंने इन बिन्दुओं का आपके सामने जिक्र किया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में पानी की प्रोपर सप्लाई के लिए बड़ी टंकियों का निर्माण किया जाए और पाइप लाइन के जरिये इन लोगों को पानी सप्लाई किया जाए ताकि उनके क्षेत्र में जो मानवीय दृष्टि से परेशानियां हैं वे दूर हो सकें।

नम्बर दो, सीवरेज सिस्टम की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उदयपुर नगर राजस्थान का कश्मीर कहलाता है जहां देश-विदेश के पर्यटक आते हैं। झीलें यहां का मुख्य आकर्षण हैं। इन झीलों में गंदे पानी के नाले दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आयोजना विभाग ने पिछले समय में उदयपुर का मास्टर प्लान लागू करने की दृष्टि से समारोहपूर्वक वहां एक ड्राफ्ट प्रस्ताव रखा था। उसमें नागरिकों से विचार भी आमंत्रित किये थे, 30 दिन का समय दिया था। हमने, नागरिकों ने और संस्थाओं ने समय पर आपको प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं, 30 दिन का समय भी निकल गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय काफी हो गया है, अब उस मास्टर प्लान को लागू किया जाए ताकि प्लानिंग के अनुसार निर्माण का कार्य हो सके। आयोजना विभाग प्लानिंग करके देता है लेकिन निर्माण करने वाली जो एजेन्सी है वह अकार्डिंग टू प्लानिंग वर्क नहीं कर रही है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां सामने

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

आ रही हैं और झीलों का स्वरूप बिगड़ रहा है। पिछले समय में काफी परेशानियां आयी हैं। मैंने आपको झीलों को दिखाया था जब आदरणीय धारीवाल साहब वहां पधारे थे। जलकुम्भी वहां विकराल रूप धारण कर चुकी है, जलकुम्भी उदयपुर की पीने के पानी की झीलों में है। वही एक स्रोत है जिसके पानी का उपयोग होता है और जलकुम्भी उसको सोखती है। पिछले समय में काफी मेहनत के साथ आपकी मदद से उन झीलों में जलकुम्भी साफ हुई है, लेकिन उसका स्वरूप अब फिर नजर आया है। उसके रख-रखाव की दृष्टि से मैं चाहूंगा कि यहां एक झील विकास प्राधिकरण का भी गठन किया जाए और उसके जरिये मेवाड़ की झीलों का रख-रखाव किया जाए। उसके माध्यम से नगरवासियों के पीने के पानी का साधन हो उसकी व्यवस्था कीजिए। यहां प्लानिंग डिपार्टमैंट ने जो कालोनियां एप्रूव की हैं, खास तौर से फतेहसागर के किनारे-किनारे पर अलकापुरी के पास में जो कालोनी बनी हुई है उसका पानी सीधे ही फतेहसागर में दे दिया गया है। प्लानिंग करने वाला तो करता है, लेकिन निर्माण करने वाला ध्यान नहीं देता। वह पानी जिस तरह से फतेहसागर में जा रहा है या पिछोला झील में जा रहा है, मैं चाहूंगा कि आप उनको निर्देश दें जरिये पाइप लाइन उसको डाइवर्ट करके ट्रीटमैंट प्लान बनाकर उस गंदे पानी का भी उपयोग उद्यानों में, खेती में और दूसरे कार्यों में लिया जा सकता है ताकि पीने के पानी में जिस तरह की परेशानियां नागरिकों को हो रही हैं उनसे वे बच सकें।

नम्बर तीन, कच्ची बस्ती सुधार। कांग्रेस के शासन में कच्ची बस्तियों का नियमन किया गया है। 15 अगस्त, 1998 तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए जिन्होंने अनधिकृत मकान बना लिए हैं और वहां निवास कर रहे हैं, उनका नियमन करने के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में एक नियमन कमेटी बनायी गयी थी। मुझे भी उस कमेटी के दौरान विभिन्न कालोनियों और बस्तियों में जाने का अवसर मिला था। वहां विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया था उस सर्वे का सत्यापन करने के लिए हम मजलिस-ए-आम में गये। उनसे पूछा गया कि जो नम्बर आपने लगाये हैं वे आपके हैं या और किसे के हैं, तो लोगों ने कहा ये हमारे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जब सर्वे करने वाले आये थे उस वक्त में हम यहां नहीं थे। तो माननीय कलेक्टर साहब और हम लोगों ने जो कमेटी आपने बनायी उसमें कहा कि इसका सर्वे कर लें। मौके पर जाकर उसका सर्वे किया गया और पट्टे की व्यवस्था की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और खास कर स्वायत्त शासन मंत्रीजी की दृढ़ इच्छा के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पट्टे देने की कार्यवाही करके गरीबों के प्रति बहुत बड़ा उपकार किया है, उनको मालिकाना हक दिया है। लेकिन उसके साथ मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि कच्ची बस्तियों के विकास के लिए उनमें

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

भी सड़क बननी चाहिए, नालियां बननी चाहिए, वृक्षारोपण का कार्य होना चाहिए। इन कार्यों के लिए नगर विकास प्रन्यास और नगरपालिका उदासीन हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन बस्तियों में और नगर की दूसरी कालोनियों में वृक्षारोपण के भी काम हों, सड़क निर्माण के भी काम हों ताकि जिनको मालिकाना हक दिया गया है उन लोगों को भी आभास हो कि समाजवाद सबके लिए बराबर है। सामने बैठने वाले मेरे विपक्ष के भाई बड़े जोरों से बोल रहे थे, अवसर मिला था आपको, काम करते। नियमन करने का कार्यक्रम आप कर सकते थे, आपने किया नहीं। कांग्रेस सरकार ने यदि उसको किया तो आपको पच नहीं रहा है, इसलिए उसे ऊटपटांग तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह कहने से काम नहीं चलेगा। आप जो सुझाव आज दे रहे हैं ये सुझाव उस वक्त में यदि आप इंप्लीमैंट कर लेते तो सिकुड़कर जो आप 25 नजर रहे हैं इससे अधिक नजर आते। यही तो एक कारण था जिस कारण से कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी है। सरकार जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति देना चाहती है और आप बीच में रोड़ा लगा रहे हैं। यह न केवल यह सदन बल्कि राजस्थान की जनता टी.वी. पर देख रही है, आपके कृत्यों को समझ रही है कि आपकी मंशा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। आपकी करनी और कथनी में अंतर है यह राजस्थान की जनता समझ चुकी है। मुझे माफ करें, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है प्रसंगवश कि माननीय सदस्यों की जो सोच विकास के प्रति इसमें रखना चाहते हैं विघ्न डालने वाले लोग बीच में आकर समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन बेजा हरकतें करने वाले सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे समय की चाल को समझें, समय की गति को समझें, आने वाला जमाना जिस तरह से तेजी से चल रहा है, आपकी ढपली आपका राग अब नहीं चल सकेगा।

साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विकास के लिए मैंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, एशियन विकास बैंक के माध्यम से जो प्रपोजल हमने दिये हैं इसमें भी धन की व्यवस्था करें।

नम्बर चार, पर्यावरण के सुधार के अंतर्गत मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर में जो फतेहसागर झील है, एक बहुत अच्छी बनावटी झील के रूप में विख्यात है। इसके पास में सारा नगर है, इसमें वृक्षारोपण न केवल झील के किनारे-किनारे बल्कि संपूर्ण कालोनीज और आसपास की जगह में किया जाए। वृक्षारोपण का कार्य पिछले समय में कई बार किया गया लेकिन वह पर्यावरण सुधार की दृष्टि से नहीं करते हैं, केवल आंकड़ों को पूरा करने की दृष्टि से वह हो जाता है। वृक्ष टूट जाते हैं, मर जाते हैं, मेरा अनुरोध है कि इन वृक्षों के रख-रखाव के लिए जो एजेंसी

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

वर्क कर रही है उनको विशेष निर्देश दें और जितने वृक्ष लगे हैं वे वृक्ष जिंदा रहें उनकी गारंटी हो। ट्री के साथ ट्री गार्ड भी उपलब्ध कराये जाएं। ट्री गार्ड न होने की वजह से जानकर इनको खा जाते हैं और कई तरह की परेशानियां होती हैं। इस वजह से पर्यावरण सुधार के बारे में हम जो काम करना चाहते हैं वह पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि नगर विकास न्यास को इसकी मानिटरिंग करने के लिए आप विशेष निर्देश दें।

नम्बर पांच, शहरों की विभिन्न बस्तियों में चिन्हित पार्क, प्लानिंग में पार्क बने हुए हैं, कालोनियों में बनाये गये हैं किन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे कूड़ेदान की तरह उपयोग में लिये जा रहे हैं। इन पार्कों के रख-रखाव की दृष्टि से जो डवलपमैंट एजेंसी वर्ग कर रही है उनको निर्देश दें कि उनका असली स्वरूप बना रहे। पार्क उधान की तरह रहें ताकि कालोनी के लोग उसमें बैठ सकें, घूम सकें, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि उसमें समुचित राशि भी उपलब्ध करायी जाय ताकि उनका रख-रखाव किया जा सके।

नम्बर 6, पार्किंग व्यवस्था में सुधार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा एक्सपांशन हुआ है, उदयपुर शहर में सैकड़ों, हजारों पर्यटक रोज आते और जाते हैं और नगर की जनसंख्या भी काफी बढ़ी है। चौराहों को खींचकर लम्बा नहीं किया जा सकता, सड़कों को चौड़ी नहीं कर सकते, परिस्थितिवश जो पार्किंग के लिए भी आवश्यक हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का कि उदयपुर नगर में 4-5 ऐसे प्लेस हैं जिनके बारे में मैंने जिलाधीश को भी लैटर दिये हैं, जिनका उल्लेख मैं आपके सामने कर रहा हूं। विद्यापीठ रोड जो टाउनहाल रोड है, जहां बैंकिंग व्यवसाय भी चलता है, वहां नगर के नागरिक बिजनैस की दृष्टि से अपना स्कूटर भी खड़ा करें, कार भी करें, ऐसा पार्किंग प्लेस नहीं है। वहां टाउन हाल ही क्यों विशाल लॉन है, उस लॉन के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग प्लेस किया जाए। इसी तरह सूरजपोल टांगा स्टैण्ड है वह बहुत लम्बा है, उसके अन्तर्गत भूतल में पार्किंग प्लेस किया जाय। चेतक सर्किल भी इसका पार्किंग प्लेस किया जा सकता है। इसी तरह मोता पार्क बहुत पुराने जमाने से बना हुआ है, ऐतिहासिक है। विशाल होने से वहां भूतल में पार्किंग प्लेस हो सकता है ताकि यहां पार्किंग की व्यवस्था व्यवस्थित हो सके और सारी व्यवस्था ठीक हो सके। इसके लिए धन की जहां आवश्यकता होगी, इसके लिए मैंने प्रपोजल भेजे हैं। एशियन बैंक के थ्रू जो आप लोन ले रहे हैं ढांचागत विकास के लिए, नगर के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी है। आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं उनको बचाने के लिए यह पार्किंग व्यवस्था की जाए और उसके लिए आप राशि भी स्वीकृत कराएं।

नम्बर, 7-कचरा- प्रबंधन का कार्य, यह जन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

है। नगर की विभिन्न कालोनियों में जहां कचरा इकट्ठा होता है, वह नगर परिषद् के थू जहां डाला जाता है। जगह जगह कचरे के ढेर कर दिये जाते हैं और हटाते नहीं हैं जिसका जन स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 30-30 किलोमीटर के रेडियस में नगर का विकास जो हुआ है वहां से आगे जो जगह खाली पड़ी है वहां ट्रेंचिंग ग्राउण्ड बनाकर इस कचरे को डालें और ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाएं ताकि नगर की सुन्दरता बनी रहे। नम्बर 8, ...

श्री उपाध्यक्ष : कितने नम्बर हैं?

श्री त्रिलोक पुर्बिया : 10-11 हैं। मुझे अवसर तो आपने पहली बार ही दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : विकास का मैं व्यक्ति हूं, विकास की दृष्टि से मेरी सोच है और मुझे अवसर मिला है, मैं अपनी बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा।

नम्बर 8, यातायात को सुचारू प्रबंध ट्रैफिक की इतनी अधिक बढ़ोतरी हो गयी है कि वहां लाल लाइट रहती है तो खड़े रहना पड़ता है, घंटों तक समय खराब होता है। ट्रेन आ गयी है तो वहां खड़े रहना पड़ता है और जब तक ट्रेन नहीं निकले काफी परेशानी होती है। हिरणमगरी क्षेत्र नये उदयपुर के रूप में विकसित हुआ है और इस तरफ से फतेहसागर से अम्बा माता स्कीम तक हुआ है, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि उदयपुर नगर के अन्दर 5-6 फ्लाई-ओवरों का निर्माण कराया जाए ताकि ट्रैफिक डाइवर्शन किया जा सके। जो पैदल चलने वाले हैं वे फ्लाई-ओवर के ऊपर से निकल सकें और रोड पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर आराम से निकल सकें। इसके लिए मैंने सम्बन्धित विभाग को व आपके पास पत्र भी भेजे हैं।

नम्बर 9, झील विकास प्राधिकरण के बारे में मैंने पूर्व में बता दिया है। यह झील विकास प्राधिकरण इसलिए कि मेवाड़ की झीलों का बहुत बड़ा महत्व है। वहां जयसमन्द झील ऐतिहासिक झील है, फतेहसागर झील, राजसमन्द झील, पिछोला और फतेहसागर झील, इन सब के रख-रखाव के लिए झील विकास प्राधिकरण का गठन अलग से हो जिसमें एक आई.ए.एस. और दो चार दूसरे अधिकारी हो जो इसके रख-रखाव को ठीक से देख सकें और इसका जो स्वरूप बिगड़ रहा है उसको मेंटेन किया जा सके। वर्षों से पहाड़ों की जो मिट्टी कटकर बहकर इसमें आ रही है वह ट्रेडिंग का काम कर गयी। कुछ समय बाद अगर देखा नहीं गया, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मैदान बन जाएंगे और झीलों का स्वरूप बिगड़ जाएगा।

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

इसलिए इन झीलों के रख-रखाव की दृष्टि से एक झील विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए ताकि मेवाड़ की झीलों का रख-रखाव किया जा सके।

नम्बर 10, चुंगी सिस्टम को पुनः लागू करना। (व्यवधान) मैं तो टू दी पाइंट ही बोलना चाह रहा हूं, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : नम्बर 10, चुंगी सिस्टम को पुनः लागू करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने हड़बड़ाहट में किया हो या कैसे भी किया हो लेकिन जो कुछ किया है उन्होंने अच्छा नहीं किया। स्थानीय निकायों के विकास के लिए चुंगी का बहुत बड़ा योगदान था, वहां के क्षेत्रीय विकास में इससे बहुत बड़ा बल मिलता था। इन्होंने इसको बन्द करके स्थानीय निकायों को, नगरपालिकाओं को नगर परिषदों को बिलकुल बेकार कर दिया है, वे हैण्ड टू माउथ हैं और उनके विकास के कार्य सारे ठप पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता। चुंगी देना, व्यापारी बुरा नहीं मानते थे, व्यापारियों के सामने तो दिक्कत यह थी कि उनके साथ हैरेसमैंट होता था। वह व्यवस्था की गड़बड़ी थी, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए मैं भी कौंसिल का मेम्बर था, कई बार मैंने अपने सुझाव रखे थे लेकिन बी.जे.पी. की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। भाषण देना वे जानते हैं, काम की व्यवस्था को सुधार कर काम करके बताएं तो मालूम पड़े कि चुंगी की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता था। लेकिन जब साढ़े चार साल हो गये तो जाते-जाते हड़बड़ाहट में इसको समाप्त कर गये और यह कहा कि हमारे घोषणा पत्र में था। कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के माध्यम से यदि कोई बात करे, उसको क्रियान्वित करे, मैं उसको कभी मना नहीं करना चाहता लेकिन आपकी सोच कहां चली गयी कि साढ़े चार साल तक तो राज करते रहे और आपको लास्ट में जाकर याद आया कि साढ़े चार साल खतम हो गये हैं, जनता को क्या जवाब देंगे तो हड़बड़ाहट में चुंगी समाप्त करके चले गये। उस चुंगी से नगरों का विकास हो रहा था, कस्बों का विकास हो रहा था, वह सारा ठप हो गया। आज नगरवासी, व्यवसायी जिनसे मेरा भी सम्बन्ध है, लोगों की सोच यह है, व्यापारियों की सोच है कि चुंगी देना हम कोई बुरा नहीं मानते थे, लेकिन लोग चुंगी के नाम से घंटों तक खड़े रहते, उनको परेशानी पैदा की जाती थी। उस व्यवस्था के सुधार की जरूरत है। चुंगी जमा कराने वाले लोग खड़े हैं तो उसके काउण्टर तीन हैं तो पांच कर दें या 10 कर दें, वह बुरा नहीं है। अब तो कम्प्यूटर का युग है, उसका जल्दी चुकारा हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि चुंगी की

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

वजह से क्षेत्र के लोग धंधा कर अपनी कमाई का अंश उसके विकास में दें। चुंगी के नाम से स्थानीय निकाय लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा था। बी.जे.पी. के शासन में व्यवस्था बिगड़ी है इसलिए उस शासन की बिगड़ी हुई व्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं, मेरा सुझाव है कि चुंगी को पुनः लागू किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गये न ग्यारह।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : एक बाकी बचा है।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सदन के सामने यह कहना चाहूंगा कि नवम्बर, 1994 में जब बी.जे.पी. के शासन में नगर पालिकाओं के चुनाव कराये गये थे उस वक्त हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव आयोग को प्रपोजल दिया था कि वार्डों का परिसीमन जो हुआ है उसमें काफी त्रुटियां हैं, वह गलत तरीके से हुआ है उसको ठीक करें। किन्तु बी.जे.पी. सरकार ने न सोचा-समझा और हड़बड़ाहट में चुनाव डिक्लेयर कर दिये। चुनाव डिक्लेयर कर दिया, कोई बात नहीं, एक जन प्रतिनिधि की सबसे बड़ी परीक्षा है कि वह कितने पानी में है, वह चुनाव लड़कर जीतकर आये। हमने चुनाव में उसका भी मुकाबला किया और इस आशा और विश्वास के साथ किया कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम इस बात को कहेंगे। 1994 निकला और नवम्बर, 1999 में फिर चुनाव आये। नवम्बर, 1999 में चुनाव आये उस वक्त भी हमने ये प्रस्ताव रखे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमैंट ने वार्डों के सीमांकन को सुधारने के लिए कहा था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि चुनाव टाइम पर हो इसलिए चुनाव करा दिये गये। चुनाव में आप और हमने देखा कि इतनी गड़बड़ियों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतकर राजस्थान की कई नगरपालिकाओं में आयी। अधिकांश कांग्रेस की नगरपालिकाएं हैं इसलिए उनकी पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये नगरपालिकाओं, नगर परिषदों के वार्ड जो गड़बड़ बने हुए हैं, उनकी सीमा ठीक से नहीं है, उटपटांग बनी हुई है, उनका पुनर्सीमांकन कराएं। एक वार्ड 3 हजार मतदाताओं से होना चाहिए या 11 हजार मतदाताओं से होना चाहिए या 8 हजार से होना चाहिए, इस तरह की विसंगतियां इसमें हैं। कोई इसका मापदण्ड नहीं है। किसी वार्ड में 8 हजार मतदाता हैं, किसी वार्ड में 3 हजार मतदाता हैं। इसकी एकरूपता हो। समुचित विकास की दृष्टि से वार्डों का समुचित विकास हो सके इस दृष्टि से मैं मंत्री महोदय की नॉलेज में लाना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप विभाग को निर्देश दें।

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

अन्त में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 29 और 20 नगर नियोजन और आवास के विरोध में बोलना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर नियोजन और आवास विकास संस्थान और आवास के सम्बन्ध में कुछ तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय विद्वान मंत्री जो बहुत उबल उबल कर बोल रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सम्पूर्ण सरकार के द्वारा जो अव्यवस्था फैलाई गयी है, पहले जनता ने अगर अति की है तो सरकार ने आक्रमण किया है और अब सरकार अति कर रही है तो जनता आक्रमण करेगी, यह बात बिलकुल तय है।

अलवर शहर में, मैं बाकी सारे मार्केट की बात नहीं करूंगा, एक कातला पट्टी मार्केट है जो अलवर शहर में ही स्थित है, लोगों को वहां आसानी रहती है। मंत्री जी सो रहे हैं, सोने दीजिये, बाकी नोट कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वे सो नहीं रहे हैं, नीचे माइक लगा हुआ है, वे आपकी बात सुन रहे हैं, वे सो नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे डाक्टर साहब हैं एलोपैथी के इसलिए वे इलाज करना चाहते हैं इनकी नींद का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कातला पट्टी और हार्डवेयर का जो मार्केट है उसको कलेक्टर, अलवर की उपस्थिति में अंधाधुंध तोड़ा गया, उस पर हमले किये गये। वह हार्डवेयर का मार्केट था, उसमें सेनिटरी का सामान था, उसमें कातला पट्टी थी। उसको तोड़ने के बाद, उनका करोड़ों रुपयों का नुकसान करने के बाद उनको कहा गया कि आपको विकल्प देंगे और देवकड़ा जो अलवर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है वहां के जंगलों में जगह देंगे। जो हार्डवेयर का सामान है, कातला पट्टी और मकान निर्माण के लिए जो सामान आता है, सेनिटरी का जो सामान है, नलों का सामान, टूटियां इत्यादि हैं, उस सामान को देवकड़ा से अलवर शहर में लाना मैं समझता हूं कि जयपुर से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा और आम जनता दुःख पाएगी। दुकानदारों ने दुःख पाया वह तो पाया लेकिन आम जनता भी दुःख पाएगी। पाकिस्तान से हम लोग जब शरणार्थी आये तो हम लोगों को उस समय के प्रशासन ने रिफ्यूजी मानकर जो जगह दी गयी थी मूंगसका गांव में, उस मूंगसका गांव में ये तो कहते हैं कि आवास वालों को, कच्ची बस्ती वालों को नहीं उजाड़ा गया लेकिन मूंगसका गांव के कच्ची बस्ती वालों को उजाड़ दिया गया और इनके वहां तोड़-फोड़ कर दी गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बहुत बोल लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : रेल की पटरी के पास जमीन है वह + + + जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। आप उनको बोलने दीजिये। आपको खूब बोलने दिया, उन्होंने तो डिस्टर्ब किया नहीं। थोड़ी देर चुप बैठें। उनका विचार है सुन लीजिये न आप। बैठिये-बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय जगमाल सिंहजी, प्लीज बिराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने कानून तोड़ा है और जिन्होंने रेल की पटरी के साथ अतिक्रमण किया है उनके अतिक्रमण तो हटे ही।

श्री उपाध्यक्ष : उसका फैसला यहां हो रहा है क्या? सरकार बैठी है, फैसला करेगी, आप क्यों कर रहे हो? आप अपनी बात कहें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वहां गरीब सिख हैं, एस.सी., एस.टी. से जुड़े हुए सिख हैं, मजहबी सिख हैं, पिछड़ी जाति के राय सिख हैं, आये हुए और एस.सी., एस.टी. के लोग हैं जो पाकिस्तान से आये थे, उन लोगों को उजाड़ दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के ध्यान में आना चाहिए कि अलवर यू.आई.टी. ने ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रक यूनियनों के साथ एक समझौता किया था 6 वर्ष पहले। वह बी.जे.पी. शासन के समय समझौता हुआ था उसमें अल्पसंख्यक लोग भी हैं, सिख बन्धु भी हैं, मेव बंधु भी हैं, वहां एस.सी., एस.टी. के लोग भी हैं, सभी लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग भी हैं। उस समय उनके साथ में जो एग्रीमेंट किया गया वह 350 रुपये वर्ग गज के हिसाब से और 550 रुपये वर्ग गज के हिसाब से किया गया। किन्तु उस समझौते को इग्नोर किया गया। आज + + + से, जिस ढंग से + + + से उन लोगों को कहा जा रहा है कि अब वे दुकानें और बाकी जो मार्केट है वह 850 रुपये और 950 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से आवंटित किया जाएगा। यू.आई.टी. के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट नगर वालों का, ट्रक यूनियन वालों का एग्रीमेंट भी हुआ था कि यू.आई.टी. उनको सड़क, पानी, यातायात की सुविधा मुहैया कराएगी। वहां सड़क अगर आप देखें तो गांव के कच्चे ढगलों से, गांव के कच्चे रास्ते से भी खराब हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पानी की कोई सुविधा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आप इधर होते हैं तब तो एतराज करते हो और खुद करते हो जब कोई धणी नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय अधिकारियों से + + + करने गये हैं, पहले जरा इधर ध्यान दीजिये। तैयार करके आए मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्य डिस्टर्ब कर रहे हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट नगर में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है, वहां किसी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपोर्ट के ट्रक तो जा सकते हैं लेकिन उन ट्रकों के पट्टे टूटते हैं, कमानियां टूटती हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी भारी परेशानी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पुर्बियाजी, आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : जितनी गम्भीर बात कह रहे हैं सदन उतनी ही गम्भीरता से ले रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + उपाध्यक्ष महोदय, अलवर नगर परिषद में सवाई पार्क थाना है। बाकी तो मैं जिस दिन पुलिस की डिमाण्ड आएगी 20 तारीख को उस दिन बोलूंगा इस अव्यवस्था के सम्बन्ध में। परन्तु यू.आई.टी. के क्वार्टरों पर सवाई पार्क थाने का अवैध कब्जा है, क्या मंत्री महोदय वह खाली कराएंगे? इस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के सैकड़ों क्वार्टर पूरे राजस्थान में और अलवर में भी यू.आई.टी. के क्वार्टरों पर, हमारे जो अलवर से आने वाले माननीय विधायक हैं, मैंने पहले भी कहा था जांच करवा ली जाए कि अतिक्रमण किसने किया है, किसने नहीं किया है। उनके भी कब्जे हैं। यू.आई.टी. के क्वाटर्स और हाउसिंग बोर्ड के क्वाटर्स हैं, वहां पर अव्यवस्था यहां तक है...

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान) अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ कोई बात कह रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। वे एतराज कर लेंगे अगर एतराज है तो?

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, उनका भी यह अतिक्रमण है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं है। आप बिराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप इसको रिकार्ड से निकलवाइये। उनको या तो लीगल नोटिस दें।

श्री उपाध्यक्ष : कह दी आपने अपनी बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसी का नाम नहीं लिया है उपाध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि अलवर में एस.पी. और कलेक्टर साहब के बंगले हैं, उन बंगलों के बाहर करीब 15-15, 20-20 फीट में बाड़ लगाकर कब्जा किया हुआ है, क्या माननीय मंत्री महोदय इसको तुड़वाएंगे? प्रशासन के भी और भी बहुत सारे बंगले हैं जो सरकारी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यहां तक अलवर में अवैध कब्जे हैं। मंत्री महोदय, यह जो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाला गया है, इस प्रतिवेदन में नगरपालिका और नगर परिषद् एरिया में पोलीथिन को खतम करने के लिए क्रमांक (8) पर है। मैं समझता हूं, राजस्थान से आने वाले माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रत्येक नगरपालिका और नगर परिषद् क्षेत्र में और अलवर में भी हर महीने 2-3 गायें या अन्य जानवर पोलीथिन खाकर मर जाते हैं। पोलीथिन की थैलियों को रोकने के संबंध में कानून तो पास हो चुका है, आय-व्ययक प्रगति प्रतिवेदन में भी दे दिया लेकिन पोलीथिन थैलियों को रोकने के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है, इस संबंध में मंत्री महोदय कार्यवाही करें।

एक क्लाज इसमें दिया गया है, "मुख्य मंत्री रोजगार योजना", शहर में लोगों को ऋण दिये जाएंगे, 50,000 के ऋण दिये जाएंगे और उनको कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी। मैं पूछता हूं मंत्री महोदय से कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऋण दिया गया है पिछले वर्ष में और आगे क्या ऋण देने की योजना है? नगर-पालिका क्षेत्र और नगर परिषद् क्षेत्र में और यू.आई.टी. क्षेत्र में कहीं भी ऐसा ऋण वितरण किया गया है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई है तो माननीय मंत्री महोदय अपने भाषण में उसकी जानकारी दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुमटियों के बारे में ये बराबर चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुर्गियों के खाने और सुअरखाने भी इससे बड़े होते हैं। ये मुर्गियों और सूअरों के दड़बे से भी छोटी गुमटियां हैं जहां पर कोई अपनी दुकान बैठकर चलाना चाहे तो बैठ नहीं सकता, सामान रखना चाहे तो सामान नहीं रख सकता। ऐसी छोटी गुमटियां बनाकर क्यों गरीबों का मजाक यह सरकार उड़ाना चाहती है और क्यों गरीबों को उजाड़कर बसाने के नाम पर यह नाटक करना चाहती है। इस नोटंकी और नाटक का अन्त होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड में बहुत सारे क्वार्टर जिनमें लोगों ने बालकनी बनाई है या कुछ निर्माण किया है, दुकान बनाई है, उनको भी नोटिस गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ऐसा प्रकरण ध्यान में लाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनो + + + और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, यह जरा ध्यान से सुनें। मानसरोवर एरिया, जयपुर में पूर्व खसरा नम्बर 138-150, वर्तमान खसरा नम्बर 207-208, एक रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा, 208 में रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा, ग्राम सुखालपुर मानसरोवर योजना तहसील सांगानेर-यह हाउसिंग बोर्ड की जो जमीन एक्वायर की गई है इस जमीन के अगेंस्ट

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दी गई है। वर्तमान खसरा नम्बर 110-119, पूर्व में जो है रकबा 26 एयर है और खसरा नम्बर 107 रकवा 26 एयर है...

श्री जगमाल सिंह यादव : जितनी ढील दी जा रही है उतना ही माननीय सदस्य प्रोवोक हो रहे हैं। कभी तो हाउस को + + + कह रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो रहा है?

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, कभी तो इस हाउस को इमाम कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या हो रहा है यह, क्या हुआ?

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, यह सदन की तौहीन है। इन्होंने सदन में कहा है कि यह + + + है। यह सदन सर्वोच्च है, पवित्र है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ, क्या बात हो गई? इसमें क्या तकलीफ है आपको?

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, कभी तो + + +

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ? उनके खयाल से है तो कहने दो ना, आपको क्या तकलीफ हो रही है? नहीं है तो नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपसे कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, मैं तो पहले ही कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतना इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको इतना बोलने दिया, इन्होंने तो इंटरप्ट किया नहीं। यह कोई इश्यू ही नहीं है। आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ... जिसकी जितनी समझ हो उतनी ही बात करता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठता का ध्यान रखो। मैं तो पहली बार आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप हर बात में खड़े हो रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो तीन बार रह चुके हैं, वरिष्ठ हो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखो।

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish. आप मजाक कर रहे हैं और इनका समय जाया हो रहा है। यह इंटरप्शन ठीक नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वे बार-बार किसी को इंटरप्ट करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : Why don't you allow him to finish ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वर्तमान रकबा 110 हैक्टेयर 48 एयर...

श्री उपाध्यक्ष : वे किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आप विराजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह ध्यान में रखने वाली बात है। + + + जो स्वायत्त शासन से संबंधित हैं और मंत्री महोदय भी नोट करें। मूल खातेदार के नाम हैं, भूरा, मंगला, शिवराम, तीनों...(व्यवधान) ये उक्त चरागाह जमीन पर खुदकाश्त कब्जाधारी थे। इनके पुराने रिकार्ड के आधार पर ये लगान भी देते थे। खातेदार अनपढ़ होने के कारण इन्होंने श्री हीरालाल अधिवक्ता को अपना वकील नियुक्त किया और जो निवासी वार्ड नम्बर 23, मानसरोवर का है...(व्यवधान) आप सुनिये। कैसे घोटाले हुए हैं। कस्बा सांगानेर में नाजायज तरीके से इनके पुराने रिकार्ड के आधार पर तोड़-मरोड़कर राजस्व न्यायालय में पेश करके गलत व्यक्तियों के नाम डिक्रियां जारी करवाई, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। सहायक जिलाधीश जयपुर प्रथम द्वारा जारी डिक्री निर्णय दिनांक 1.6.1984 के अनुसार 19 बीघा 5 बिस्वा के मूल कब्जाधारी श्री नोला के पुत्र के नाम से हुआ। बाकी जमीन नोला के पुत्र के नाम से इसलिए नहीं हो पाई कि इनके वकील श्री हीरालाल ने भू-माफिया होने के कारण से मिलकर गलत नामों से डिक्री जारी करवा ली, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। लाला पुत्र श्री...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह 295 थोड़े ही है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए यह जो जमीन पर कब्जा किया हुआ है गलत डिक्री से...

श्री उपाध्यक्ष : हां तो आप बोलो ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसमें के.एस.मोटर्स के हमारे श्री किशोर सिंह गहलोत जैसे लोग राजनैतिक हस्तक्षेप से और जिनको राजनैतिक वरदहस्त प्राप्त है, जिनको उन्होंने यह जमीन हथियाई है गलत तरीके से और उक्त फैसले में कुछ अन्य लोगों द्वारा जोकि प्रभावशाली तथा जो राजनैतिक हल्के में बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं, श्री किशोर सिंह माली पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपुर, श्री सुकनाराम पुत्र श्री रोड़ूराम निवासी रामपुरा जयपुर, श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री कल्याण निवासी वार्ड नम्बर 23, कस्बा सांगानेर जो कि हीरालाल एडवोकेट के भाई हैं, इन लोगों ने यह 44 बीघा 11 बिस्वा जमीन गलत तरीके से हथिया ली। हाउसिंग बोर्ड ने जो जमीन एक्वायर की, उसकी एवज में उनको दूसरी जमीन दी गई है। यह जमीन आज की रेट में, आप भी असैसमैंट करवा लें, मंत्री महोदय और सरकार भी करवा ले, यह जमीन एक अरब 23 करोड़ रुपये की जमीन है जिस पर अवैध रूप से भू-माफिया ने कब्जा किया। हाउसिंग बोर्ड वालों के द्वारा इन्हें कौड़ियों के भाव उसकी एवजी में दूसरी जमीन दे दी गयी...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : यह कब्जा कब हुआ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप चाहे जैसे रकम बता देते हैं, यह रकम आपने कैसे असैस की? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह रकम का अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं, असैसमैंट करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कब्जा कब हुआ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कब्जा तो जिनका था वह....

श्री उपाध्यक्ष : आप कब्जे की तारीख बताइये ना। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पिछले सात साल में केस चला और....

एक माननीय सदस्य : भाजपा के राज में हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भाजपा के राज में नहीं हुआ है, फैसला अब हुआ है। जमीन जब दी है हाउसिंग बोर्ड ने, एक अरब 23 करोड़ की यह जमीन है वर्तमान हाउसिंग बोर्ड की रेट में और अब यह जो जमीन दी गई है इसमें + + + जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। भू-माफिया गिरोह ने इस प्रकार से जमीन पर....इसकी जांच करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्री पर आरोप लगा दिया, मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा दिया, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य पर आरोप लगाया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया इसको एक्सपंज कर दो।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया ना, और क्या करूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो मन में आये वह आरोप लगा दें यहां पर।

श्री रामस्वरूप : सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। बैठिये बैठिये। (व्यवधान) श्री ललित भाटी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के ईमानदार मुख्य मंत्री हैं, इनके खिलाफ ये बोल रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....इसकी जांच करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया ना एक्सपंज, आप सुन तो नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आप बिराजिये। (व्यवधान) श्री ललित भाटी।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : व्यवस्था का प्रश्न है। पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पाइंट आफ आर्डर है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान) मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री मदन दिलावर : ...ऐसे ऐसे लोग काबिज हो गये हैं ऐसे लोगों को सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।

श्री रामस्वरूप : बैठ जाओ आप। जो मर्जी आए वह आप बोल दें। सदन की पटल पर रखवाओ जो इन्होंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक अरब 23 करोड़ रुपये का गबन है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बिलकुल झूठा कागज है, इसकी जांच कराई जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाहते हैं या नहीं? इसको खतम करूं? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक अरब 23 करोड़ रुपये की जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन रूल्स के तहत गवर्न होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य कभी रूल्स की किताब उठाकर देखते नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन में यह नियम हमारी पुस्तकों में है कि अगर किसी माननीय सदस्य या किसी मंत्री या मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है तो उनको पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ नहीं लगाया...

श्री हरिसिंह : उन्होंने जो कुछ भी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्री के खिलाफ नहीं लगाया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, उनको बोलने दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक करोड़ तेईस लाख की जमीन है, इसकी जांच करवाई जाए।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : इस प्रकार के भ्रामक और असत्य आरोप यहां सदन में लगाये जाएं, बिलकुल गलत परम्परा है। मेरा आसन से अनुरोध है कि यह पूरी की....

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री हरिसिंह : यह व्यवस्था चाह रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया न, एक्सपंज पहले ही कर दिया।

श्री हरिसिंह : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही कर दिया, आप सुनते तो हैं ही नहीं। श्री ललित भाटी। (व्यवधान) इनका नाम नहीं लिया, बिराजें। प्लीज, आपका नाम लिया ही नहीं, बैठिये।

श्री जितेन्द्र सिंह : कार्यवाही से जो इन्होंने कहा है निकाला जाए, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, दिखवा लेंगे वह।

श्री दिग्विजय सिंह : यह इनको अधिकार है स्पष्टीकरण देने का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आपको पता ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं। आप बिराजिये। श्री ललित भाटी। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज मांग संख्या 29 और 20 पर जो चर्चा हो रही है, मैं इसके समर्थन में अपने कुछ सुझावों के साथ खड़ा हुआ हूं। नगर आयोजना और आवास ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। नगर की आयोजना सुव्यवस्थित नहीं हो तो जिस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह अभी अतिक्रमण हटाओ के अन्दर सामने आ रहा है। अगर पूर्ववर्ती सरकारें इस बात का ध्यान रखतीं तो शायद इतने व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम हमारी सरकार को हाथ में नहीं लेना पड़ता। पिछले नौ सालों में जिसके भी मुंह से हम सुनें, आम चर्चा यही थी कि पिछले नौ सालों में जिसको जहां जमीन दिखी उसने वहीं कब्जा कर लिया, जिसकी जहां चली उसने अपनी चला दी। चाहे वह कृषि भूमियां हों और चाहे वह राजकीय भूमि हो, उन पर व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरीके के बेतरतीब निर्माण हुए। अब जब कांग्रेस की सरकार हमारे एक बेवाक मंत्रीजी के निर्देशन में और मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में इसको सुधारने के लिए निकली है तो जनता का समर्थन तो सब जगह मिल रहा है, जनता इस बात से हर्षित है कि यह काम अच्छा हो रहा है, तकलीफ संरक्षण देने वालों को है या तकलीफ उनको है जिनको इसकी वजह से नाहक लाभ पहुंचा था वह अब हानि में तब्दील हो रहा है। आम जनता इसका कहीं विरोध कर रही हो, ऐसा कम से कम

(श्री ललित भाटी)

हमें कहीं प्रभावी रूप में देखने को नहीं मिला है। उकसाने की, बहकाने की कोशिशें जरूर की जा रहीं हैं कि किसी भी तरीके से जनता इनके बहकावे में आकर सरकार के इस कदम का विरोध करे, मगर यह खुशी की बात है कि जनता इस बात से भली-भांति परिचित है और वह उन बहकाने वाली ताकतों को निष्प्रभावी कर रही है। उनकी सुन भले ही रही होगी मगर उनके साथ लग नहीं रही है। इस काम को तेजी से मगर सावधानीपूर्वक चलाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, हम इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस इलाके के लिए कार्यक्रम चले उसकी पहले कोई एक्सरसाइज हो जाए, होमवर्क हो जाए और उसके बाद लोग परेशान नहीं हों या जिनका जायज हक है उनको छोड़ते हुए इस कार्यक्रम को तेजी के साथ में अमली जामा पहनाया जाए।

कच्ची बस्तियों का नियमन एक ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बनकर प्रदेश की जनता के सामने आया जिसमें वर्षों से लोग प्रतीक्षारत थे और चाह रहे थे कि उनका अपना मकान हो। आदमी की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जिस परिवार को ये तीनों चीजें मुहैया होती हैं उसे सबसे ज्यादा सकून मिलता है। मकान तो पहली आवश्यकता है कि वह अपने परिवार को अपने स्वामित्व वाली छत में संरक्षण दे, वहां उनका निवास हो, वहां उनका परिवार पुष्पित, पल्लवित हो। हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि हम उन तमाम कच्ची बस्तियों को नियमित करेंगे जिनसे हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप एक से एक जो अच्छे कदम और अच्छे निर्णय ले रहे हैं उस ओवरलैपिंग में प्रशासन की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपके एक निर्णय की पालना बीच में धरी रह जाए और जो आपने दूसरा निर्णय लिया वह उसकी पालना में लग जाएं। आधा तीतर, आधा बटेर युक्तियुक्त नहीं रहेगा कहीं भी। कच्ची बस्ती नियमन का कार्य बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ, जनता ने स्वीकार किया, स्वागत किया और हम भी लगे। मैं मेरे अजमेर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने कोई सौ-डेढ़ सौ पट्टे बांट दिये, उसके बाद आज कम से कम सात महीने से हम प्रशासन को कह रहे हैं नगर सुधार न्यास में सचिव को कह रहे हैं, नगर परिषद् में कमिश्नर को कह रहे हैं और कमेटी के चेयरमैन के रूप में जिला कलेक्टर को भी कह रहे हैं, हमने एक्सरसाइज की, पट्टे तैयार करके रखे मगर अभी तक पट्टों का वितरण ही नहीं हो रहा है, नियमन की कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने जो बात कही है कि हमें एक जवाबदेह प्रशासन देना है, यह जवाबदेही प्रश्नचिन्ह लगाती जा रही है। किन कारणों से सरकार की मंशा साफ होते हुए भी यह काम उतनी गति के साथ

(श्री ललित भाटी)

सम्पन्न नहीं हो रहा जिसकी अपेक्षा है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश कच्ची बस्तियां शत-प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की हैं। हम उन्हीं गलियों के माध्यम से इस गलियारे में आये हैं, यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। यह जो चुनाव पिछले साल हुआ उन गलियों से ही हमारी झोलियां भरी हैं, वहीं से हमको बेपनाह वोट मिले हैं। आज उनकी भलाई का काम जब माननीय मुख्य मंत्रीजी करना चाहते हैं और मंत्रीजी करना चाहते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कड़ी अगर वह कहीं कोताही बरत रही है तो जैसा आप अखबारों के माध्यम से प्रचारित भी कर रहे हैं कि हम लापरवाह अफसरों को बख्शेंगे नहीं, हम भ्रष्ट अफसरों को नौकरी में रहने देंगे नहीं, इसके ऊपर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। क्योंकि अगर सिर्फ हम घोषणा कर दें और उसको एक औपचारिकतावश शुरू करके छोड़ दें तो अफसरों के भरोसे तो यह काम नहीं होगा। अगर इन्हीं को करना होता तो फिर राजनीतिक इच्छाशक्ति की और राजनीतिक मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। जब यह आवश्यकता है तो इस बात की निगाहबानी भी हमें करनी पड़ेगी कि यह काम तेजी के साथ सम्पूर्ण हो। लोगों का मकान का सपना होता है, और गरीब और दरिद्रनारायण की यह महती आवश्यकता है कि उसका अपना मकान हो, तो उसको हम अपनी जगह का मालिक बनाए, इस काम को तेजी के साथ में करना चाहिए।

अजमेर में सन् 1975 के अन्दर बाढ़ आई माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और 1974 में वहां यू.आई.टी. का गठन हुआ। इतनी प्रलयकारी वह बाढ़ थी कि जिसके अन्दर हजारों की संख्या में कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग प्रभावित हुए। तत्कालीन सरकार ने 315 रुपये मात्र में उनको 50 फीट जमीन का पट्टा देने की घोषणा की। आज मुझे अफसोस है इस बात को यहां पर कहते हुए कि उस समय से लेकर उन लोगों के पैसे जमा हैं मगर उनको पट्टा अभी तक वितरित नहीं हुआ। इस नियमन में उन लोगों को तैयार किया गया कि अब जो नयी दरें तय की हैं सरकार ने आप उसका डिफरेंस जमा कराके उनका नियमन करें। उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हम जो अधिशेष राशि है वह भी देंगे मगर हमें कम से कम अपना पट्टा मिले, हम अपनी जमीन के मालिक हों। उसको अगर बैंक में रखना है या कहीं और किसी तरीके से लोन लेना है तो उसका स्वामित्व दिखाना पड़ता है। आज एक पट्टे की कार्यवाही नहीं होने से उसके कई सपने, कई इच्छाएं पूरी होने से रह जाती हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप यह दिखाएं। गुर्जर घरती, लूणकरण का हत्था, पादरी की लाइन उदयगंज में, भजनगंज, राबड़िया मौहल्ला, जवाहर जादूगर कॉलोनी ऐसी कई बस्तियां हैं अजमेर में जहां शत-प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अगर आज उनके

(श्री ललित भाटी)

अधिकारों की ओर, उनकी इच्छाओं की ओर, उनके मकान के सपने की और यह सरकार नहीं देखेंगी तो जो घोषणा हमने की है उसके प्रति उन लोगों में एक शंका जगेगी। जैसा मैंने कहा उन गलियों से हम इस गलियारे में आये हैं तो हमें इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय मंत्री महोदय, राजकीय और कृषि भूमि के ऊपर भी आपने नियमन की बात की है, इस बात को भी जनता ने बहुत सराहा है। मुझे अफसोस है कि आपने सारी गाइड लाइन्स तैयार कर दीं, जोन डिक्लेयर कर दिये, उनकी दरें तय कर दीं इसके बावजूद बहुत तोड़-फोड़ अजमेर में नगर सुधार न्यास ने की। पंचशील, बलदेवनगर, गोपालदास नगर, करणीनगर वहां पर खूब तोड़-फोड़ की। उस तोड़-फोड़ को लोगों ने इसलिए भी बर्दाश्त किया कि ठीक है, हमको भू-माफिया ने जमीन दी है, हमें फंसाया है मगर अब तो हमारा नियमन हो। मुझे अफसोस है कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहां हमारे सचिव महोदय आपके दिये हुए मार्गदर्शन को नहीं मानकर खुद अपनी नयी-नयी योजनाएं तैयार करते हैं। अपनी नयी दरें वे तैयार करते हैं। मैं इस सदन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा वहां की जनता बिलकुल कंफ्यूज हो चुकी है, यह बात उनमें घर करती चली जा रही है कि हमारा नियमन नहीं होगा। हमारा नुकसान तो लाखों का हुआ है मगर अब हमारा नियमन भी नहीं हो रहा है। हम लाख रुपये और दे रहे हैं उसके बाद भी हमारा नियमन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आपकी दी हुई दरों से नियमन राशि जमा होगी या वहां हमारे सचिव महोदय नगर सुधार न्यास जो दरें तय करना चाहते हैं आपकी रिजर्व प्राइस के हिसाब से उन दरों से दूसरा आप यह भी स्पष्ट करें, आपने नियमन के लिए यह तय कर दिया कि उसके पास किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का पट्टा हो, उसके पास कोई वसीयत का कागज हो, उसके पास रजिस्ट्री हो, उसके पास कोई इकरारनामा हो, इसके अलावा और एक शब्द का इस्तेमाल आपने उसमें किया है कि या अन्य कोई दस्तावेज हो। इन पांच चीजों में से कोई भी चीज अगर उस व्यक्ति के पास है और आपके निर्धारित जोन में वह आता है तो आपके द्वारा तय की गई दर से वह नियमन राशि जमा कराएगा और उसका नियमन कर उसको नियमन का पट्टा दे दिया जाएगा, प्रमाण-पत्र उसको दे दिया जाएगा। हमारे यहां पंचशील जो योजना है वह 1990-91 में अस्तित्व में आ रही है। इसका पहला नोटिस 1990 में हुआ। वहां रहने वाले लोगों ने जमीनें खरीदी हुई हैं इससे बहुत पहले 1987 में, 1981 में, 1982 में, उनके पास अपनी रजिस्ट्रियां भी हैं। अब आप उसको अपनी योजना का क्षेत्र घोषित कर रहे हैं जब कि 9-9 साल पहले से वहां पर लोग रह रहे हैं। आप उसे योजना क्षेत्र बना करके यू.आई.टी. की

(श्री ललित भाटी)

रिजर्व प्राइस के ऊपर उनसे पैसा वसूल करना चाहते हैं, यह इन्साफ नहीं है उन लोगों के साथ। और यह इन्साफ नहीं है आपकी घोषित नीति के साथ भी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए, क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

मांग संख्या 29 व 20 पर विचार

श्री ललित भाटी : जो नीति आपने बनायी है उसके साथ इन्साफ नहीं है। जब आपने यह तय कर दिया है, चाहे वह राजकीय भूमि के ऊपर अतिक्रमण है या वह कृषि भूमि के ऊपर है, खातेदारी भूमि के ऊपर है, जब नियमन आपने दोनों कैटेगरी में करना है तो फिर यह बीच में एक नयी सोच हमारे सचिव महोदय के द्वारा पैदा की जा रही है कि यह तो योजना के अन्दर है इसलिए यू.आई.टी. इसके ऊपर दर तय करेगी, यू.आई.टी. इसके ऊपर अलग से प्रीमियम लेगी। अगर इस तरीके के कोई निर्देश हैंतो वह जनता के सामने आज इस सदन में आपके वक्तव्य से स्पष्ट होना चाहिए। आपने इस सदन में पहले जो वहां की दरें घोषित कीं उसके सुपरसेशन के अन्दर कोई लैटर निकाला, उसके सुपरसेशन में आपने कोई और डाइरेक्शंस दिये, इन सब चीजों से जनता में बहुत गलतफहमी का माहौल बना हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर आप देखें। आपकी जो भावना है, सरकार की जो भावना है कि इनके ऊपर जो मकानात बने हुए हैं उनका नियमन हो और उससे आपको राजस्व प्राप्त हो उसमें अगर अधिकारियों की वजह से कहीं अवरोध हो रहा है और लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर गौर फरमावें और इसमें जो भी मुनासिब समझते हैं वह एक्शन लें। आप इसमें अगर अधिकारी बदलने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो अधिकारी बदलिये, मगर सरकार की नीति का क्रियान्वयन और लोगों को लाभान्वित करने का काम हो इसकी तरफ आप अपना थोड़ा-सा दृष्टिपात करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री रोजगार योजना में लोगों को रोजगार देने के लिए,

(श्री ललित भाटी)

विशेष करके विकलांगों, विधवाओं, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो गुमटी निर्माण का निर्णय लिया गया, मैंने पहले भी बजट भाषण में भाग लेते हुए यह बात कही थी कि इससे इन तमाम तबकों में जिनको आप लाभान्वित करना चाहते हैं, एक आशा की किरण जागी है। सरकारी नौकरियां हमारे पास सीमित हैं और सबको हम सरकारी नौकरियां नहीं दिला सकते। रोजगार चाहे सरकार के द्वारा मिले या इस प्रकार से उद्योग और व्यवसाय के माध्यम से सरकार दिलाये, परिवार का लालन और पालन-पोषण जरूरी है। बेरोजगार युवाओं में पढ़े-लिखे युवाओं में एक हीनभावना आती जा रही थी कि हमारा भविष्य क्या होगा, एक सामाजिक असुरक्षा का भाव आ रहा था वह भाव तो दूर हुआ मगर इसमें कुछ कमियां भी हैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। एक तो इसकी जो साइज है उस साइज में बहुत सकड़ापन है। ग्राहक तो खैर अन्दर जा ही नहीं सकता है दुकानदार खुद भी अपने सामान के साथ बैठे तो उसको बड़ी मुश्किल के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। आपने जो डिजाइन तय करके कैबिनेट के द्वारा दिया, मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी 20 सुत्री कार्यक्रम की जब बैठक हुई उस बैठक में अजमेर में जो निर्माण हुए हैं उनकी तरफ हमने हमारे प्रभारी मंत्रीजी को अवगत कराया था और उन्होंने जांच किये जाने के आदेश दिये थे। पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा वह जांच करवाई गई। अब इसमें जो कमियां सामने आयी हैं उन कमियों के लिए जिम्मेदार जो अफसर हैं क्या आप उनको पैनेलाइज करेंगे क्योंकि राजकीय कोष का इसमें दुरुपयोग हुआ है। आपने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि गुमटियों का निर्माण कराया जाएगा उसमें आप सीनियर टाइन प्लानर की परमीशन लेंगे और उनकी परमीशन के बाद ही आप उन गुमटियों का निर्माण करेंगे। नगर परिषद ने अजमेर में ये गुमटियां जहां बनाई हैं, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि सौ में से 70-75 दुकानें ऐसी हैं जो आपके मार्गाधिकार क्षेत्र में आती हैं। अभी आपने जो यह अभियान चला रखा है मार्गों को चौड़ा करने का, उसके अन्दर जीरो पाइंट में वे सारी गुमटियां आ गई हैं। उन गुमटियों का भविष्य क्या है? उन गुमटियों पर जो राशि व्यय हुई उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? हिसाब से जो मार्गाधिकार है, राइट ऑफ वे है उसकी भी आप पालना नहीं कराएंगे और इन पैसों को उन अधिकारियों से नहीं वसूलेंगे? एस.टी.पी. ने लिखकर दिया उनको कि यह मार्गाधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर आप निर्माण नहीं करें, बावजूद इसके निर्माण हुए। आपने जो स्पेसिफिकेशंस, जो ड्राइंग डिजाइन दिये उसके अनुरूप वे नहीं हैं, यह भी उस रिपोर्ट में सामने आया। ऊपर से एक चीज और कि गुमटी आबंटन के जो फार्म दिये जा रहे हैं यू.आई.टी.,

(श्री ललित भाटी)

अजमेर उसकी दर लगा रही है 7555 रुपये जबकि नगर परिषद् की है 5900 रुपये।

(19.00 बजे)

यह राशि आप उन बेरोजगारों से लेना चाहते हैं जिनको आप इन गुमटियों को आबंटित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन दोनों दरों में भी एक भ्रम है। आपने तो दिया कि 6500 रुपये से ज्यादा निर्माण की लागत नहीं आनी चाहिए, इसमें नगर परिषद ने यह दिखाने की कोशिश की है कि 5900 रुपये में हमने निर्माण कर दिया। वस्तुस्थिति यह है कि अगर आप इनका रिकार्ड देखेंगे जो उन्होंने ठेकेदारों को भुगतान करने के लिये दस्तावेज तैयार किये हैं तो पौने सात हजार रुपये के हिसाब से भुगतान का रिकार्ड वे तैयार कर चुके हैं। पौने सात हजार रुपये के हिसाब से आप ठेकेदार को भुगतान करेंगे और 5900 रुपये के हिसाब से आप वसूलेंगे आबंटियों से। इस डिफरेंस अमाउंट की स्थिति क्या होगी, इस खर्चे को कौन वहन करेगा? क्या नगर परिषद् इसका व्यय उठाएगी? आज नगर परिषदों की हालत वैसे ही बड़ी गंभीर है। आर्थिक हालत किसी नगर पालिका की सही नहीं है, तनख्वाहें ढंग से बंट नहीं रही हैं, आप अनुदान देने की स्थिति में हैं नहीं। इस तरीके से आपकी अच्छी योजनाओं को, आपकी कल्याणकारी योजनाओं को जो अधिकारी एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उसको क्रियान्वित कर रहा है, वह सरकार की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है और उसमें इस तरह की आर्थिक अनियमितताएं हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है जबकि आप और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सरकार वित्तीय मजबूरियों से गुजर रही हैं। हमारी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इस तरीके से दुरुपयोग को बर्दाश्त कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, स्लम एरिया डेवलपमेंट में अजमेर नगर परिषद में करीब एक करोड़ रुपये के टेण्डर फरवरी और मार्च में करवाये गये। उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अधिकारियों और कुछ पार्षदों की मिली भगत से 25-30 लाख रुपये की सरकारी रकम का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग यह कि वह उनकी जेब में जा रहा है। आप दिखवा लें, चैक करवा लें। इससे पहले नगर परिषद्, अजमेर में ही दूसरे वर्क्स के लिए जो एन.आई.टी. आयी वह बी.एस.आर. रेट से 40 परसेंट बिलो रही। यही स्थिति यू.आई.टी. में भी है, वहां भी रेट करीब 30 परसेंट बिलो रही। आज पी.डब्ल्यू.डी. में जो काम चल रहे हैं चाहे सड़क के ले लें, चाहे भवन निर्माण के ले लें, चाहे नालियों के ले लें, उसमें भी 25 परसेंट तक बिलो बी.एस.आर. रेट पर चल रहे हैं। मगर अभी फरवरी और मार्च में जो टेण्डर काल किये गये जो एन.आई.टी. हुई इसमें बी.एस.आर. रेट पर उनको काम दिया गया। अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा, यह हमारे समझ में नहीं आता।

(श्री ललित भाटी)

माननीय मंत्री महोदय दो-तीन महीने पहले तो 40 परसेंट बिलो रेट पर उसी संस्था में काम करवाये जा रहे हैं। इस सारी तकलीफ को मैं इसलिए उजागर कर रहा हूं कि ये सारे डवलपमैंट के काम स्लम एरिया में हो रहे हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। क्या यह सोचकर कि वहां पर निर्माण कार्य घटिया होगा? क्या यह सोचकर कि वहां कोई देखने वाला नहीं है? अगर यह 25-30 लाख रुपया और बचता तो और दूसरे इलाकों में काम होता। इस तरीके की मिलीभगत में अधिकारियों का योगदान है, उनकी बिना शह के यह सारा काम नहीं हुआ है, क्योंकि जस्टिफिकेशन अधिकारी को करना पड़ता है, निविदा डालने वाले को रेट का जस्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। आज मार्केट में रेटों में इतने ज्यादा प्रतिशत बढ़ावा नहीं आया इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसी कोई रेटें नहीं बढ़ गयी हैं कि तीन महीने में आप 40 परसेंट एबव चले जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल स्पष्ट नियम है कि चाहे पार्षद हो या नगर निगम में, नगर परिषद में या यू.आई.टी. में लगा हुआ कोई अधिकारी हो, उसका रिश्तेदार वहां ठेकेदार हो ही नहीं सकता। मगर आप जांच करवाएं, नगर परिषद् में यही स्थिति सबसे ज्यादा है। इनके रिश्तेदार ही टेण्डर लेते हैं, चाहे वह नालों की सफाई के हो। नालों की स्थिति से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जैसे ही बरसात आती है पूरा प्रशासन नालों की सफाई के ऊपर लग जाता है और सारा काम आंख मूंद कर। अब क्या रास्ता इसके लिए निकाला हुआ है, इन सब चीजों के ऊपर रोक लगानी चाहिए।

आप ठेका देते हैं। ठेके में भी परफारमैंस गारंटी आप लेते हैं। सारे डिपार्टमैंटों में ली जाती है। लेकिन नगर परिषद, अजमेर ऐसी है जिसमें ठेकेदार से परफारमैंस गारंटी नहीं ली जाती है। पी.जी. अमाउंट नहीं लेने से उन ठेकेदारों ने अगर घटिया काम किया है तो आप अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर सकते। वह 5 परसेंट पैसे का लाभ तो आपने ठेकेदार को दिया ही दिया, आपने उस अधिकार को भी खो दिया कि आप अगर उस पर कोई पैनल्टी लगाना चाहें तो वह पैनल्टी आप उस पर नहीं लगा सकते। वहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। आप ही के दूसरे सरकारी विभागों में नियमों को पूरा लागू किया जा रहा है और नगर परिषद् में लागू नहीं किया जा रहा है। वहां जिस तरीके से—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री ललित भाटी : 5-10 मिनट दे दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट अब कहां पड़े हैं?

श्री ललित भाटी : मेरे साथ पिछली बार भी ऐसे ही हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, आप तो 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री ललित भाटी : विषय ही कुछ ऐसा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको ध्यान नहीं रहता पर घड़ी चल रही है।

श्री ललित भाटी : नहीं, मेरा ध्यान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विशेष स्नेह भी चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्नेह तो है लेकिन आप समय का ध्यान रखो।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आवास विकास संस्थान को आपने बंद किया। ठेकेदारों पर करोड़ों रुपया आज बकाया है और वह सब आवासन मंडल को चुकाना है। इसको चुकाने की व्यवस्था कैसे होगी? आवासन मंडल के मकान पूरे राजस्थान में बहुत बचे हुए हैं, हमारे अजमेर में भी बहुत बचे हुए हैं, उस भुगतान को आप किस तरीके से करना चाहते हैं? आपके मकान लोग इसलिए लेना नहीं चाहते कि आपके निर्माण में जो विलंब हुआ और उस पर जो आपने इंटरैस्ट चुकाया वह इंटरैस्ट आप मकान खरीदने वाले से वसूलना चाहते हैं। गलती आपकी, आपके अधिकारियों की और जुर्माना भरे जनता। इसीलिए प्राइवेट कोलोनाइजर्स डवलप हुए। सरकार सस्ते मकान दे सकती थी उसने सस्ते मकान नहीं देकर महंगे मकानों का व्यापार शुरू किया अधिकारियों की वजह से और उनके पैरेलल निजी क्षेत्र में जो पट्टे काटने वाले, कालोनियां बनाने वाले और मकान बनाकर बेचने वाले हैं वे अच्छा निर्माण स्तर रखते हुए उनसे कम दर में ही मकान देने लगे। मैं मानता हूं कि आज यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से आवासन मंडल के सैकड़ों मकान रुके हुए हैं और आप स्कीम निकाल कर रिबेट पर, ग्रुप के लिए अलग रिबेट, उनको आकर्षित कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आप इस पर ध्यान दें। इसमें भी एक चीज है। मकान इतनी ऊंची दरों पर गये क्यों? एक चीज मेरे समझ में आती है, अभी आपने 1.7.99 को आदेशों में जो संशोधन किया ठेकेदारों के पंजीकरण में, वित्तीय अधिकारों में कि उनमें आप से परफारमेंस गारंटी ले रहे हैं, अर्नेस्टमनी ले रहे हैं, आपका सिर्फ आवासन मंडल एक ऐसा है जिसमें अभी उन नियमों को लागू नहीं किया गया जो आपने 1999 में जारी किये। दूसरे सब विभागों में शुरू हो गया - यू.आई.टी. में शुरू हो गया, नगर परिषद में शुरू हो गया, पी.डब्ल्यू.डी. में शुरू हो गया, लेकिन आपके यहां पर अभी 1970 के ही कार्यक्रम से पंजीकरण का काम चल रहा है। उसमें स्थिति यह है, अर्नेस्टमनी और पी.जी. जो आप 5 परसेंट लेते हैं उसमें आपने यह तय कर रखा है कि 2 परसेंट एन.एस.सी. होगी और वह प्लैज करानी होगी आवासन मंडल को। जब आप एन.आई.टी. इश्यू करते हैं तो उसमें दूसरे विभाग के ठेकेदारों को भी शामिल करते हैं। मगर स्थिति यह है कि दूसरे विभाग का ठेकेदार इसलिए नहीं आ पाता कि अगर वह लाखों रुपये का काम लेता है तो

(श्री ललित भाटी)

उसको 2 परसेंट के हिसाब से एन.एस.सी खरीद कर पहले प्लैज कराना पड़ेगा। अगर प्लैज कराता है और उसको ठेका नहीं मिलता है, वह असफल निविदादाता रहता है तो उसका लाखों रुपया जो एन.एस.सी. के रूप में है वह ब्लाक होता है, वह उसको रिफंड नहीं होता है। एक लम्बी-चौड़ी राशि ठेकेदार फंसाना नहीं चाहता इसकी वजह से जानबूझकर ऐसे लोग रखे गये हैं जिनको इस तरीके से संरक्षण दिया गया है। वही ठेकेदार आवासन मंडल में पंजीकृत हैं और वे पूल बनाकर अपने हिसाब से ऊंची से ऊंची राशि भरकर अपने पूल में पहले अपनी जेबें गर्म कर टेण्डर ले लेते हैं और वह सारा पैसा सरकार से वसूला जाता है। अजमेर में अखबारों के माध्यम से इस तरीके का एक समाचार छपा, आवासन मंडल के टेण्डरों को लेकर विवाद के हालात। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पूल हुआ दूसरे ठेकेदार इसलिए नहीं गये कि एन.एस.सी. का राइडर लगा हुआ है कि दो प्रतिशत एन.एस.सी. प्लैज करानी पड़ेगी। जितने काम्पीटिटर आप पैदा करेंगे, माननीय मंत्री महोदय उतना आपको लाभ है, उतना भ्रष्टाचार कम होगा। चार लोग होंगे तो आराम से एक राय हो सकते हैं लेकिन जहां चार सौ लोग होंगे वहां पूल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप इन नियमों को थोड़ा-सा दिखवाइये, कि किस तरीके से अभी भी 1970 के नियमों को सिर्फ आपके आवासन मण्डल के अंदर रखा हुआ है, जबकि सरकार के दूसरे विभागों में 1-7-1999 के संशोधित नियम हैं। उन नियमों की पालना आपके नहीं हो रही है, इसके लिये कौन दोषी है, इसके पीछे क्या भावना है, इसको भी देखना जरूरी है।

मास्टर प्लान, हमारे अजमेर का भी समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, हमने अंभी से सावधानी और दूरदृष्टि नहीं रखी तो यह समस्या और गहराएगी, क्योंकि फिर इसी तरीके से भू-माफिया पैदा होंगे। जब हम धारा 32 में अपनी किसी स्कीम का नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये जमींदार लोग वहां पहले से पहुंच जाते हैं कि अब यहां यू.टी.आई. की स्कीम आने वाली है, हाउसिंग बोर्ड की स्कीम आने वाली है और वहां पैरेलल पट्टा काटना शुरू कर देते हैं। जो जमीन नोटिफिकेशन में नहीं भी आई, कम से कम 20-21 साल का ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो बड़े-बड़े शहर हैं उन शहरों में आने वाले 21 साल के अन्दर हमारी आवासीय योजनाएं क्या होंगी, उसके लिये जितनी अधिकतम भूमि आपको चाहिये उस भूमि का आप नोटिफिकेशन अभी से करवाइये। वहां पर इस तरीके के बोर्ड आप लगवाइये कि यह आवासीय योजना के अन्तर्गत क्षेत्र है ताकि कोई भू-माफिया फिर वहां नहीं जाए, कोई कृषि भूमि पर कालोनी नहीं बनाए। अगर हमने इस तरीके की योजनाओं को कार्य रूप देना शुरू नहीं किया तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में इससे कहीं बड़े अतिक्रमण हटाओ

(श्री ललित भाटी)

अभियान चलाने पड़ सकते हैं। तो अभी से इस तरह का जो देख रहे हैं सब डिवीजन लेवल के, मैं समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और सब डिवीजन लेवल के ऊपर भी आपकी जानकारी के अन्दर आप सर्वे करवाइये। तेजी के साथ में कस्बे शहर का रूप लेते चले जा रहे हैं। हमारे किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी ऐसे हैं जो तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, जहां मण्डियां हैं बिजनस है। वहां पर भी मास्टर प्लान होना चाहिए। पूरे राजस्थान में इस तरीके से सर्वे कराकर अगर उनका अभी से ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सुव्यवस्थित रूप से वहां पर आवासीय कालोनियां हो सकेगी।

एक बी.पी.एल. सर्वे की बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम रूप से कहना चाहता हूं। नगर परिषद ने पिछले साल जो बी.पी.एल. का सर्वे कराया उस बी.पी.एल. सर्वे में बहुत-से ऐसे परिवार हैं हजारों की संख्या में अजमेर-अजमेर के अन्दर, जिनको शामिल नहीं किया गया। जब विधान सभा के चुनाव समाप्ति की ओर थे उस बीच के अन्दर बी.पी.एल. सर्वे का यह सारा काम चल रहा था, एक औपचारिकता करने के लिए। पार्षदों से पूछ कर कि आप बता दीजिये आपके वार्ड में कितना, आप बता दीजिये आपके वार्ड में कितना, अजमेर में इस तरीके से बी.पी.एल. सर्वे हुआ है। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां पहली बार बैठक ली थी तब भी मैंने यह निवेदन किया था, इसके अलावा कई बार हमारी जिला स्तर पर मीटिंग होती है, प्रभारी मंत्री जी लेते हैं, हमारे सारे माननीय सदस्यों ने, जन-प्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि आप बी.पी.एल. का सर्वे वापस करवाइये। अगर लाभान्वित होने वालों की संख्या बढ़ती है तो सरकार को इसे बर्डन नहीं मानना चाहिये, बल्कि खुशी-खुशी इस कार्यक्रम को वापस से शुरू करवाना चाहिये ताकि जो लोग छूट गये वे लोग भी लाभ लेने की स्थिति के अन्दर आ सके, हम ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। मेरे इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा। आपने 5 मिनट के लिए कहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : वैसे पार्टी का 10 मिनट का टाइम है। मैं ऐसी बात करता हूं—

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अण्डर स्टैंडिंग से बुला रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : सर, आज एक ऐसी मांग पर चर्चा हो रही है, अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को सोचता है कि जीने के लिए तीन आवश्यक चीजें चाहिये—रोटी, कपड़ा और मकान। आवास के ऊपर यहां सदन में चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन है और इसमें विकास, भूख, प्यास, रोटी, दलित, पिछड़े वर्ग की बात कहनी चाहिये, परन्तु इसमें आधे से ज्यादा समय मुझे दुःख होता

(श्री जगत सिंह दायमा)

है इस बात को कहते हुए कि उन लोगों की चर्चा होती है जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जिनके पास अथक पैसा है, गरीबों का खून चूसकर जिन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े-बड़े कार्य किये हैं। मुझे दुःख है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, वे भी उनकी बातों में आकर कभी आन्ध्र प्रदेश, पटना, बॉम्बे न जाने कहां-कहां के कोर्ट का हवाला दे रहे थे। उनको चाहिये था कि वह सच्चाई की बात करें। सच्चाई इसमें रहनी चाहिए। मुझे दुःख है कि लगभग-लगभग पूरी बात अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए यहां पर की जाती है। अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इमामबाड़ा बता रहे थे, न जाने क्या बाड़ा बता रहे थे यह तो मुझे नहीं मालूम परन्तु खुद ऐसे लग रहे थे जैसे ताजिया निकल रहा हो और खुद उसमें आ रहे हों। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात के ऊपर आना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अगर धन्यवाद देना चाहता हूं तो कांग्रेस पार्टी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले उन चोरों के ऊपर नजर डाली जिन्होंने गरीब की तरफ नहीं देखा बल्कि गरीबों की सहूलियत की जगह थी उसको हड़पने का काम किया। मेरे साथी माननीय राजेन्द्र जी साहब बता रहे थे कि सन् 1946 से ये बरामदे अधिकृत कर रखे हैं। कर रखे हैं, परन्तु उस गलती को आखिर कोई तो सुधारे। मैं इस बात को मानता हूं कि ध्यान देना चाहिये था। पहले दोनों सरकारें आई हैं, एक सरकार जनता दल की भी आई है परन्तु उनको टाइम नहीं मिल पाया। (व्यवधान) वह नहीं आई, मैं गलती कर गया, इसको वापस लेता हूं। (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जो सरकार में बैठे थे, बिलकुल ध्यान नहीं दिया। आज पिछड़े वर्ग का बहादुर व्यक्ति जब मुख्य मंत्री बन गया तो उन्होंने सबसे पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी माननीय भैरोंसिंहजी के मन में कई बार अटकी थी परन्तु उनको दबा दिया जाता था, जिस प्रकार से आज किरोड़ी लालजी, राजेन्द्रजी को दबा दिया जाता है, कि इस तरह की बात नहीं करोगे पूंजीपति के हित की बात करोगे। इसलिये उनके मन में एकाध बार आई होगी परन्तु उनको दबा दिया गया। करोड़ों-करोड़ों रुपये में यह नहीं कहता भैरोंसिंहजी ने लिये परन्तु अटैचियां पहुंच जाया करती थीं कि आप इस काम को मत कीजिये और ये बरामदे खाली नहीं होने दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, रामगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि अलवर में जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो लोग बहुत गुस्से में थे, कांग्रेस के और उनके कार्य को जनता लानत दे रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इनकी अलवर में कितनी लोकप्रियता है। अगर मैं बताऊं तो इनका वहम निकल

(श्री जगत सिंह दायमा)

जाएगा। सब जगह जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समझा कि अतिक्रमण से ऐसा हाल हो रहा है कि आम आदमी खुश है, तो ये घबराये। इन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ बवंडर उठाया जाए, एक माहौल पैदा किया जाए कि यह गलत हो रहा है, सारे शहरों में इन्होंने बंद का आह्वान किया। मुझे और तो नहीं मालूम परन्तु अलवर शहर में भी इन्होंने आह्वान करवाया कि अलवर शहर भी अतिक्रमण के खिलाफ बंद रहेगा। बड़ी लोकप्रियता से अपनी बात कहने के लिये माननीय राजेन्द्र राठौड़जी और एक इनके पुराने साथी जिनका नाम डाक्टर रोहिताशव शर्मा है, ये दोनों मित्र वहां पर पहुंच गये। वहां कह रहे थे, व्यापारी भाइयों। आओ मेरे पास। भाई राजेन्द्रजी कह रहे थे, मैं आपके लिये जान देना चाहता हूं और लोग हंस रहे थे। ये बंद का आह्वान कर रहे थे, ये वहां पर कह रहे थे। आप आइये, हम बंद करवाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं, यह रिपोर्ट है। अलवर बंद पूर्णतया विफल रहा। इसमें भाई साहब का फोटो है, माननीय डाक्टर साहब का फोटो, और उसमें क्या लिख रखा है? (व्यवधान) शहर के व्यापारिक संगठन की ओर से है, अतिक्रमण हटाओ अभियान की तरफ, अलवर बंद पूर्णतया विफल रहा। बंद व अतिक्रमण के मामले में व्यापारियों में विरोधाभास नजर आया। खण्डेलवाल धर्मशाला में 12 मार्च को खचाखच भरे....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बंद का आह्वान किसका था, भारतीय जनता पार्टी का था?

श्री जगत सिंह दायमा : आपने उकसाया था उन्हें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यापार मण्डल का फैसला था।

श्री जगत सिंह दायमा : अभी भाई जगमाल सिंहजी कह रहे थे कि जितनी भी दुकानें हैं ये अवैतनिक कार्यालय हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसलिये जो मैं कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दें। क्या कह रही है आपकी लोकप्रियता, देखिये आप। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, खण्डेलवाल धर्मशाला में 12 मार्च को खचाखच भरे हाल में इन्होंने अनिश्चितकाल के लिये अलवर बंद की घोषणा की। बजाजा बाजार में, सर्राफा बाजार में यह भी कहते सुने गये कई दुकानदार कि जब हमने अतिक्रमण नहीं कर रखा तो विरोध में बंद क्यों। सुनना आप, बजाजा बाजार में कई दुकानदार सड़कें चौड़ी करने के पक्षधर देखे गये। कई लोग यह भी कह रहे थे कि प्रशासन उन्हें अवगत करा दे कि उनकी दुकान में कहां तक अतिक्रमण है तो वे स्वयं ही निर्माण तोड़ देंगे। बंद के मामले में कुछ व्यापारियों में विरोधाभास भी देखा गया। कई भाजपा नेता बंद कराने के लिये उकसा रहे थे पर व्यापारियों ने दुकानें खोलीं। बजाजा बाजार में बंद करने के बिंदु पर ज्यादा विरोधाभास था। यहां तक कि यहां

(श्री जगत सिंह दायमा)

के दुकानदार होप सर्कस पर खड़े भाजपा नेताओं के बुलाने पर भी धरने में चलने को तैयार नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आगे इनकी और लोकप्रियता देखिये, भीड़ के इंतजार में करीब डेढ़ घण्टे पूर्व मंत्री और अन्य भाजपा नेता खड़े रहे परन्तु व्यापारी टस से मस नहीं हुए। आखिर 10-15 भाजपा नेता मुंह लटकाकर धरना स्थल, न्यास कार्यालय की ओर रवाना हो गये। मुंह लटकाकर जहां भाई साहब कह रहे थे, आइये-आइये, मैं आपके लिये जान देना चाहता हूं तो वे कह रहे थे...उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारी क्या कह रहे थे, पता है? भाई राजेन्द्रजी! हम आपको तो जानते नहीं, पर एक आपका साथी है डाक्टर रोहिताश्व कुमार शर्मा, वे बोल रहे थे आगे फर्जी, पीछे फर्जी और फिर भी हम इसकी बात मानें, यह हमारी मर्जी। आगे फर्जी, न तो वह डाक्टर है, न वह शर्मा है। हम इन फर्जियों की बात मानें कैसे? वहां पर इस बात के लिये बड़ी बातें हो रही थीं। यही बात नहीं, देखा यह भी गया कि जिस तरह बंद विफल रहा, इसी तरह भाजपा का धरना कार्यक्रम भी खाना-पूर्ति ही रहा। यह बात पूर्व मंत्री रोहिताश्व कुमार शर्मा ने अपने भाषण में भी स्वीकार की और कहा कि जब साथ ही नहीं देते तो फिर भाजपा को मत कोसना कि मकान टूट गये। भाजपा शांत रही। 10-15 भाजपा नेता जुलूस के रूप में रवाना हुए तो मुंह लटके हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, दो लाइनें और हैं। उनकी लाज तो धरना स्थल पर तमाशा देखने एकत्रित हुई भीड़ ने बचा ली। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो न्यास में कागजात लेकर भटक रहे थे, वहां अतिक्रमण की चर्चा सुनकर खड़े हो गये। हुआ यहां तक कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व जन प्रतिनिधि भी धरने पर देर से पहुंचे। आखिर एक बजे शुरु हुआ धरना 3 बजे उठा लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, बस हो गया। समाप्त हो गया आपका। (व्यवधान) हो गया आपका।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो + + + बोल ... (व्यवधान) उसके बाद हिम्मत क्यों नहीं हुई अतिक्रमण तोड़ने की? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। ये कोई इनकी बात थोड़े ही कह रहे हैं। (व्यवधान) ये इनकी बात थोड़े ही कह रहे हैं, अखबार में लिखा है, वह बोल लिया, इसमें आपको क्या तकलीफ है। (व्यवधान) इन्होंने कोई आरोप लगाया नहीं है, ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ये + + + बोले हैं...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये + + + बोले हैं अखबारी आधार पर ... (व्यवधान) इनकी वहां क्या पकड़ है अलवर में? (व्यवधान)....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : यहां सब अखबारी आधार पर ही बोलते हैं, आप बिराजिये। प्लीज बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये वहां अलवर में पैदल नहीं चल सकते हैं, स्थिति यह है। (व्यवधान) आज तक सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी फिर अलवर में कोई कार्यवाही करने की। राजेन्द्रजी के जाने के बाद, डाक्टर रोहिताशवजी के जाने के बाद सरकार की वहां अतिक्रमण तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को...(व्यवधान) सरकार के मुख्य मंत्री को।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप मेरा टाइम देख लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, जगमाल सिंहजी, आप बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम इनको भी + + + आते हैं और इनको भी + + + आते हैं, हमारी फालोइंग यह है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बोलिये।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बता रहा था कि ये किस तरीके से उकसा रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : हां और क्या रह गया आपका? (व्यवधान) वह अखबार पढ़े चाहे यह अखबार पढ़ें, बात तो वही की वही है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छा, सुझाव भी नहीं दूं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस वर्ग से आता हूं जो अकेला, एस.सी., एस.टी. के रहन-सहन की, आवास की बात करता हूं, बाकी तो सब उनकी बात करते हैं जिनके...(व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : कर ली ना आपने बात। हो गया ना।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, वही कह रहा हूं, (व्यवधान) कहां कही?

श्री उपाध्यक्ष : पूरा अखबार पढ़ दिया, और क्या?

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये, प्लीज दो मिनट। मेरे कहने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सरकारी जमीन है... अब मैं पाइंट पर आता हूं। (व्यवधान) आ जाता हूं, चिन्ता मत करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो क्या अब तक बिना पाइंट पर बोल रहे थे?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं ऐसे पाइंट पर आता हूं जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। एस.सी. और एस.टी. के गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान दीजिये आप, और मंत्रीजी, आप भी ध्यान दीजियेगा। अब जो गांव में रहते हैं, जो एस.सी. के लोग हैं, इनके पास बिलकुल जमीन नहीं है, कहीं पर छोटी-मोटी झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मेरे क्षेत्र में अबकी बार ऐसा हुआ 8 तारीख को कि एक जगह आग लग गयी। आग लगने के कारण 35 घर स्वाहा हो गये खरकड़ा गांव में, उनके बिलकुल डोली-डोली मिलता हुआ सारा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब बात आवास की आ रही है तो मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि गांव में कुछ जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो सरकारी जमीन है या गोचर जमीन भी हो सकती है। आप किसी भी तरीके से इन गरीब लोगों के लिये पट्टा काटकर उनको अलग से जमीन की व्यवस्था कराइये ताकि एक घर में आग लग जाए तो दूसरा बच जाए। वहां झोपड़ी से झोपड़ी अड़ी हुई हैं। मैं गया था, मेरी आंखों में आंसू आ गये। मतलब एक अनाज का दाना नहीं बचा, कुछ भी, जो कपड़े पहन रखे थे वही बचे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने तुरन्त उनकी व्यवस्था कराई और व्यवस्था करवाकर उनको कुछ राहत दी।

श्री उपाध्यक्ष : बस हो गया ना अब तो।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, 3 पाइंट और है।

एक मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं राजस्थान के टीनेन्सी एक्ट में आपने यह प्रावधान कर रखा है कि अगर किसान है तो वह अपने 1/50 हिस्से में या 500 वर्ग गज के हिस्से में अपना मकान बना सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान तो शहरों के पास भी रहता है, तो मैं यह चाहता हूं कि यह नियम यहां शहरों में भी लागू हो और यहां 500 वर्ग गज या 1/50 जो कम है उसको बढ़ाकर 2000 वर्ग गज कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी मेरी मांग यह है आपने यह तो बढ़िया किया कि जो सरकारी जमीन पर कब्जे थे, चाहे उनके कितने भी बड़े मकान थे, उनको आपने धाराशायी कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो गरीब आदमी थे, कानून को मानते थे वे तो ऐसा कर नहीं रहे थे और जो कानून से खिलवाड़ कर रहे थे उन्होंने 15-20-50 साल में दुकानें बनाकर, महल बनाकर, अटारी बनाकर उसमें आनन्द उठाया, उसमें पैसा कमाया। आपने उनको तोड़ दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और आ रही है इसमें। इसमें यह आ रही है, मान लीजिए, प्लाट किसी का है और आपके मैप के अनुसार उसने बिल्डिंग नहीं बनाई और थोड़े हेर-फेर से अपनी सुविधा के अनुसार अगर उसने

(श्री जगत सिंह दायमा)

बिल्डिग बना ली तो उसको तोड़ें मत, उसको रैगुलराइज कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरी मांग लास्ट में यह है, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसके कारण से सड़कें चौड़ी हो रही हैं तो आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। किसी का मकान आ रहा है तो उसको भी तोड़ रहे हैं, किसी का बगीचा आ रहा है तो उसको भी कर रहे हैं। तो यह जरूरी हो तो करें परन्तु उसकी जमीन का जो मोल है, वह आज का जो मार्केट भाव है कम से कम वह तो आपको देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न तीन। तीन बातें हो गयीं न।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, बस लास्ट में एक और कह देता हूं दो मिनट में।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि आपने अतिक्रमण हटाये परन्तु इसमें किस-किसने सहयोग दिया? जहां अतिक्रमण हुआ वहां पर पानी का नल लगा, बिजली का कनेक्शन भी लगा, टेलीफोन का कनेक्शन भी लगा, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम यह देख लेना चाहिए था अधिकारियों को कि यह जमीन सरकारी है या अतिक्रमण कर रखा है। कम से कम यह चीज तो मुहैया नहीं कराएं। मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने यह चीज मुहैया करायी है, सुविधा मुहैया करायी है, क्या उनको भी सरकार दंडित करने की मंशा रखती है?

यह मैंने अपनी सारी बात आपके सामने रखी है। बिल्डिंग की एक बात लास्ट में है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक लाइन में मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है और किसी ने अगर कोना बाहर निकाल लिया तो निश्चित रूप से आपको उसको पहले कहना चाहिए कि आपका यह कोना निकला हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि लाल निशान लगाया और तोड़ दिया। वह उतनी ही नहीं टूटती, उससे भी ज्यादा वह टूट जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये तीन-चार बातें मैंने कही हैं, आशा है उनके ऊपर मंत्री जी गौर करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात और है गांव की बात। गांव में क्या हो रहा है कि यहां पर जैसे आबादी है, वैसे गांव की आबादी बढ़ रही है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहां पर कम से कम इण्डस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को प्लाट नहीं दें। अब हाल यह हो रहा है कि जहां गांव का लाल डोरा है, वहां तक आपने इण्डस्ट्रीज को दे दिया। आखिर गांव भी बढ़ते हैं, उनको भी मकान बाहर चाहिए। जो इण्डस्ट्री है, उसको जमीन आप दें तो गांव की आबादी से कम से कम दूर दें। आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की मांगों के मुतल्लिक जो माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार रखे हैं,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बड़े अमूल्य सुझाव दिये हैं, मैं उन सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने अतिक्रमण का यह जो अभियान चलाया जा रहा है उसके समर्थन में भी कहा और उसके विरोध में भी अपने विचार प्रगट किये। विरोध में बोलने वालों की संख्या, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम थी, इसका मुझे अफसोस है। सबसे पहले करौली से आने वाले माननीय सदस्य जनार्दनजी गहलोत ने दो-तीन बातें ऐसी कहीं, मैं समझता हूं कि उसका जवाब देना मेरे लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुंगी लगायी जानी चाहिए या आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार से इन नगर पालिकाओं को हम मजबूत करें, ऐसी कोई योजना बनायी जानी चाहिए। मैं अपने आगे के जवाब में इन सब बातों को कहूंगा। शहर के बीच में जो कच्ची-बस्तियां बसी हुई हैं उनको अन्यत्र बसाने के लिए भी उन्होंने सुझाव दिया। हमारा भी विचार यह है कि शहर के बीच में जितनी भी कच्ची-बस्तियां हैं, राजी-खुशी उनको अन्यत्र हम बसा सकें तो इससे शहर की सुन्दरता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्डिंग लाइन तय करके अतिक्रमण हटाये जाएं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। विपक्ष का यह आरोप कि लाल निशान लगाये जाते हैं उनसे डर बैठता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि लाल निशान लगाने में कई बार हमारे अधिकारियों से गलतियां भी हुई हैं और निश्चित तौर पर इससे एक भय का वातावरण पूरे राजस्थान में बना है। सरकार ने इस अतिक्रमण अभियान को जिला मुख्यालयों पर चलाने के लिए फैसला किया था, कभी यह फैसला नहीं किया कि इसको पूरे राजस्थान के छोटे-छोटे कस्बों में भी हम फैलाएं। जिला कलेक्टर को ये आदेश प्रसारित किये गये थे कि जिस सड़क पर जिस बिन्दु से लेकर जिस बिन्दु तक वे अभियान चलाना चाहते हैं उसका एक प्लान बनाएं। प्लान बनाकर बिल्डिंग लाइन घोषित करें। बिल्डिंग लाइन घोषित करके वहां पर सूचना दें। तीन रोज पहले कम से कम उसको अखबारों में साया करें। अगर प्राइवेट लैंड है किसी की जो अतिक्रमण में आती है, जो बिल्डिंग लाइन से आगे आती हो उसमें बाकायदा कानूनी तरीके से नोटिस दिया जाए। ये सारे डाइरेक्शंस राज्य सरकार के द्वारा जिला कलेक्टर्स के पास भेजे हुए हैं। कई जगह से ऐसी भी सूचना आयी मेरे पास कुचामन से एक फोन आया, एक नवलगढ़ से फोन आया, एक करौली से फोन आया, नीमकाथाना से इत्तला आयी, एक डैपुटेशन मेरे पास देवली से आया कि वहां पर अतिक्रमण के लाल निशान लगाये जा रहे हैं, यह लगाये जा रहे हैं। वह सब गलत कार्यवाही थी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि फिलहाल राज्य सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ-साथ शहर की सुन्दरता बनाये रखने का जो अभियान है यह सिर्फ जिला मुख्यालयों तक ही सीमित रहेगा

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

और वह उस तरीके से होगा कि जिला कलेक्टर पूरी योजना बनाकर, यू.डी.एच.... (व्यवधान)......

श्री जगमाल सिंह यादव : कस्बों में क्यों नहीं करेंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : छह की छह नगर पालिका में यह अभियान...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बैठिये तो सही, पूरी बात सुन लीजिए। पूरा सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये। इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो आप? आपकी ही बात कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत हो रहे हैं वे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य, आप मेरी बात पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। मैं कभी इण्ट्रप्ट नहीं करता हूं आपको इसलिए मेहरबानी करें मेरे साथ। यह अभियान सिर्फ वहां तक ही सीमित रखने का विचार है।

काबरा साहब ने गृह कर वसूली में छोटे मकानों पर गृहकर नहीं लगाया जाए, इस बाबत कहा, जिसके बाबत मैं आगे बताऊंगा। कचरा निष्पादन के काम में खाद और बिजली बनाने की जो प्राथमिकता देनी चाहिए उसके बाबत भी उन्होंने कहा। मैं बताना चाहूंगा कि ए.डी.बी. प्रोजैक्ट का अर्ली इम्प्लीमैंट हो।

ताम्बी साहब ने कहा कि मार्च, 2000 तक के प्रत्येक आबंटी के पास जो बकाया पैसे का हिसाब है वह उसके पास पहुंच जाए, उसके बारे में मैं आगे रोशनी डालूंगा।

डाक्टर किरोड़ी लालजी मीणा साहब ने कहा कि अतिक्रमण हटाने में कई लोगों को बेरोजगार कर दिया। कई फैसले न्यायालयों के आपने बताये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इस बात को सदन में अवगत करा चुका हूं कि 29 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक जो यह अभियान चला। उसके अन्तर्गत जो भी लोग हटाये गये उनकी कुल संख्या 2019 थी। चारदीवारी के अन्दर और चारदीवारी के बाहर, दोनों को मिलाकर 2019 थी। अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हौवा आपने खड़ा कर रखा है कि बेरोजगार कर दिया, बेरोजगार कर दिया, बेरोजगार कर दिया, मैं उसके बाबत आपको पूरी डिटेल बताना चाहता हूं।

चारदीवारी के बाहर का हिस्सा बताना चाहता हूं मैं आपको। रेलवे स्टेशन से चांदपोल सब्जी मंडी तक सिर्फ 19 व्यक्ति वहां से डिस्प्लेस हुए और जिनके स्थान के आबंटन की उनको पर्चियां दे दी गयीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह जयपुर शहर जयपुर वासियों के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान वासियों के लिए भी नहीं, यह विश्व का एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। इसकी धरोहर विश्वप्रसिद्ध है। यहां की शिल्पकला दुनिया जानती है और यही कारण है कि आज यहां पर आकर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बड़ा से बड़ा आदमी देखता है। चाहे वे क्लिंटन साहब हों और चाहे क्वीन एलिजाबेथ हों, वे भी आकर इस जयपुर शहर को देखते हैं। आखिर क्यों देखते हैं? अगर यह आमेर का किला कल को खण्डर हो जाए, यह हवामहल है, इसका चूना खिर-खिर कर हवा में उड़ जाए तो इस जयपुर शहर में आएगा कौन? कौन आएगा अगर इन धरोहरों की रक्षा नहीं करेंगे तो? फोर्ड फाउण्डेशन ने 1984 में 300 ऐसी इमारतों को चिन्हित किया इस जयपुर शहर की जिनका रेस्टोरशन अगर नहीं करेंगे तो यह जयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से समाप्त हो जाएगा। इन सब बातों को हमें देखना पड़ेगा। इन सब बातों पर हम कोई योजना बनाकर काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का नुकसान करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजरायल और येरूशलम, रोम की वेटिकन सिटी, काहिरा को ले लें, मैक्सिको सिटी ले लें, लंदन की पुरानी सिटी ले लें, मक्का-मदीना का ले लें, आखिर वे हैरिटेज सिटी कैसे बनीं? आखिर वहां की धरोहर वहां के लोगों ने किस प्रकार सुरक्षित रखी? पचासों कठिनाइयां उठाकर वहां के लोगों ने अपनी उस धरोहर को कायम रखने के लिए कुर्बानियां दीं। आर्थिक कठिनाइयां उठानी पड़ीं तब जाकर वे हैरिटेज के बतौर रहीं। सदन या तो यह फैसला कर दे कि यह जयपुर शहर हैरिटेज सिटी के काबिल नहीं है। यहां पर अतिक्रमण खूब होने दिये जाएं, अवैध निर्माण होने दिये जाएं। जैसे पुरानी सरकारें आखें मूंदती आयीं यह सरकार भी आंख मींचती रहे या इस प्रकार जगह-जगह जाकर लोगों को भड़काना जैसा अभी जगत सिंहजी दायमा ने बताया, जगह-जगह पहुंचकर लोगों को उत्तेजित करना इस बात के लिए कि तुम्हारा तोड़ा जाएगा, तुम्हारा तोड़ा जाएगा....

श्री मदन दिलावर : हैरिटेज सिटी क्या है, जरा इसकी परिभाषा बता दें। What is the definition of heritage city ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हैरिटेज सिटी के बारे में आप मुझसे समझना चाहते हैं, मदनजी, तो मेहरबानी करके हैरिटेज सिटी की स्पैलिंग लिखकर बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, मदनजी, आपके समझ के बाहर है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हैरिटेज सिटी करा दें माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) इस जीवन्त शहर को मृत घोषित करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। माननीय राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हैरिटेज की स्पैलिंग पूछ रहे हो आप, यह तो बता दें कि हैरिटेज सिटी की सीमा क्या रखी थी आपने?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी, उनको थोड़ा बोल लेने दीजिए। आपको मौका देंगे पूछने का। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बता दूंगा। आपके एक-एक सवाल का जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको पूरा बोलने दीजिए। आपको मौका देंगे। बोलने का। Why do you want to disturb him ?

श्री मदन दिलावर : ये तो भाग जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कौन भाग जाएगा? आप जाओ, भाग जाओ तो। आप भाग जाओ।

श्री मदन दिलावर : यदि आप तय कर दें कि हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : देंगे न जवाब। प्रोसिजर है, उसमें क्या बात है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुनर्वास के बाबत बता रहा था। 1046 व्यक्ति चारदीवारी के बाहर डिसप्लेस हुए और उनमें से लगभग 800 व्यक्ति, मेरे पास वह फीगर नहीं हैं, लेकिन 800 व्यक्ति अभी तक स्थापित किये जा चुके हैं।

श्री मदन दिलावर : गंजों के मौहल्ले में कंघों की बिक्री। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर वही बात। इनको हमेशा माल खरीदने की और कंघों -वंघों को बेचने की, क्योंकि ये पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करना, उस बात को खोलना नहीं चाहता, लेकिन ये एम.एल.ए. बनने के पहले पुराने कपड़े बेचा करते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी बात करो।

श्री मदन दिलावर : मैं तो मजदूरी करता था, कुआ खोदने जाता था, गड्ढे खोदता था, मुझे गर्व है इस बात का कि ऐसे गरीब परिवार से आने के बावजूद वहां की महान जनता ने मुझे यहां भेजा। नहीं तो गोबर उठाकर कण्डे बेचता था उससे मेरा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एम.एल.ए. बन गये, बहुत बढ़िया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : परन्तु ये क्या करते थे, जरा इनसे पूछो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है ये क्या करते थे + + + मैं उनमें से नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, विराजो। ये इनके घर रहते थे, आप अपने घर रहते थे।

श्री परसादी लाल : ये तो खानदानी सेठ थे। खानदानी सेठ थे। खानदानी सेठ हैं, दिलावरजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका खानदान से क्या लेना-देना? + + + खामख्वाह में खानदानों को क्या जानें?

उपाध्यक्ष महोदय, 29 फरवरी से यह अभियान चालू हुआ और रेलवे स्टेशन से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

चांदपोल गेट तक चालू हुआ। 19 व्यक्ति उसमें विस्थापित हुए। चांदपोल परकोटे में जब यह अभियान चला एक तारीख को तो 23 व्यक्ति उसमें विस्थापित हुए। गणेश मंदिर के पास में जो मोती डूंगरी वाला रोड है, उस पर 2 तारीख को चला, 40 व्यक्ति उससे विस्थापित हुए। लेकिन ये अपनी ओरिजनल जगह पर बैठ गये। इनको बैठने की इजाजत दे दी गयी ताकि कियोस्क बनें और इनको स्थापित कर दिया जाए। सांगानेरी गेट से सब्जी मंडी वाले 76 व्यक्ति हटे। इनको जिस जगह वे पहले बैठा करते थे उससे भी वैल्युएबल लैण्ड पर जाकर उनको बिठाया। आप जानते हैं शायद इस बात को। बजाज नगर से 66 व्यक्ति विस्थापित हुए 6 तारीख को उनको गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास बिठाया गया और वे बिलकुल सन्तुष्ट हैं इस बात से। ठीक इसी तरीके से लालकोठी सब्जी मंडी में 399 व्यक्ति विस्थापित हुए, लेकिन वहां पर लगभग 800 व्यक्ति आज किसान मंडी के पास, ओलम्पिया ढाबे के आस-पास बैठे हुए हैं और बिलकुल सन्तुष्ट हैं। ठीक इसी तरीके से सोडाला सब्जी मंडी के 33 व्यक्ति उठाये गये और सोडाला स्कूल के बगल में ही उनको जगह दी गयी। आज वे अपना धंधा, व्यवसाय आराम से कर रहे हैं। सोडाला के फूल वाले उठाये गये, गीता आश्रम के पास 7 आदमियों ने आराम से अपना व्यवसाय चालू कर रखा है। चांदपोल से झोटवाड़ा फल-फूल, सब्जी वाले 260 व्यक्ति उठाये गये, जिनको कि अम्बाबाड़ी शापिंग सेंटर में और सुभाष नगर के पुराने बस स्टैण्ड पर आराम से बिठाया गया है और वे बिलकुल प्रसन्नचित्त अपना व्यापार कर रहे हैं। कुल-मिलाकर 1046 में से जो चारदीवारी से बाहर लोग उठाये गये हैं उनमें से संख्या मुश्किल से खुद आप देखें। तो यह बैठती है 100 से भी नीचे।

अब चारदीवारी के अन्दर की बात सुन लें आप। 11 तारीख को रामगंज बाजार के पश्चिम से सब्जी मंडी वाले उठाये गये, उनको झूलेलाल मंदिर के पास बिठाया गया। लेकिन उनको एतराज हुआ। उनसे हमने यह कहा कि तुम्हें एतराज है, तुम्हारे लिए नई जगह तलाश करेंगे। अभी जहां से उठाये गये वहां पर वापस बैठ जाओ और वे वापस बैठ गये। सब आपकी जानकारी में है, एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलेंगे बीच में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बोलेंगे क्या? आप तो शुरू से लेकर अभी तक ही नहीं बोले कुछ। रामगंज बाजार का उत्तरी-पश्चिमी खंदा 10 फूलवाले उठाये गये यहां से। रामलीला मैदान के सामने जो डी.पी.आर. की जमीन है गेट के बिलकुल बराबर में, वहां पर वे अपना धंधा आराम से कर रहे हैं, स्थापित हो चुके हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वहां डी.पी.आर. ने ताला लगा रखा है, बैठने नहीं देते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी मैं चलकर दिखा दूं आपको। अभी साथ-साथ चलेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो आप यहां से उतरते ही अपने घर की तरफ चले जाओ। मैं माला भी पहनाऊंगा उनसे लेकर आपको। जौहरी बाजार का खंदा, फुटपाथ पर जो फटे-पुराने नोट वाले थे 11 आदमी, वे अपनी पुरानी जगह पर बैठे हुए हैं जब तक उनके लिए कोई दुकान या कियोस्क का इंतजाम सरकार नहीं कर देती। ठीक इसी तरह से मोती कटला बाजार में पानों का दरीबा वाले 32 आदमी जो विस्थापित किये गये थे, उनको भी जो जगह दी गयी वह उनको पसन्द नहीं आयी तो हमने उनसे यही कहा था, आप जाकर अपनी जगह वापस बैठ जाओ।

डा. किरोड़ी लाल : दुबारा वहीं बिठा दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबारा वहीं बिठा दिया जब तक कि उनका इंतजाम नहीं करें। गलती कर रहे हैं क्या?

डा. किरोड़ी लाल : दुबारा वहां बिठा दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, तो गलती कर रहे हैं क्या? यह बताइए आप। अगर मान लीजिए उनके लिए कियोस्क बन रही हैं, 500 कियोस्क बना रहा है आवास विकास, जब तक उनका पूरा निर्माण नहीं हो जाता, अगर उनको पुरानी जगह पर बिठाकर....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कोई मर्डर कर देगा, मैंने मर्डर कर दिया तो उसकी सजा भी नहीं मिलेगी?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ठीक इसी तरह से जौहरी बाजार के खंदे वाले, रामगंज चौपड़ वाले, माणक चौक चौपड़ के खंदे वाले, छोटी चौपड़ के खंदे वाले....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को उजाड़ दिया। पहले उजाड़ दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी, आप कृपा करके सुनने दें न उनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोगों को पहले उजाड़ दिया, फिर कह रहे हैं वहीं बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लेना (व्यवधान) आप फिर....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उजाड़ा नहीं, आप फिर गलत तथ्य दे रहे हो। उजाड़ा नहीं है, उनको विस्थापित करने के लिए कियोस्क का निर्माण किया जा रहा है। सरकार खर्चा कर रही है उनके ऊपर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुनते रहिये। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और इनका पुख्ता इंतजाम कर रही है दुकान बनाकर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

देने का। आप इस योजना को भी देखिये। आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, जो काम आपने नहीं किया। आपको मन में अफसोस इस बात का है कि जब आपकी सरकार थी तो आप इस योजना को हाथ में नहीं ले पाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं, यदि आप इस डिबेट को चालू रखेंगे तो ये समाप्त कैसे करेंगे? आपको कह रहे हैं कि इनके बोलने के बाद आपको मौका देंगे क्वेश्चन करने का, फिर क्या बात है? आपको कह रहे हैं, आपको अवसर दे रहे हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इस सरकार के पास क्या सूचना है दीपक भाटिया के बारे में? (व्यवधान) सरकार के पास में कोई सूचना है कि दीपक भाटिया कहां पर है?

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बात आपको कह रहा हूं, आपके समझ में नहीं आ रही है। Let him say what he has to say. इनको जो कहना है वह कहने दीजिए, आप बाद में पूछ लेना। आपको मौका देंगे पूछने का। (व्यवधान) आपको मौका देंगे पूछने का, आप पूछ लेना।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अच्छा काम किया है, उसकी सराहना तो करो।

डा. किरोड़ी लाल : दीपक भाटिया के बारे में आज तक सरकार को पता ही नहीं है वह कहां है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : समय क्यों खराब कर रहे हो, वहीं बसाना चाहते हो तो बसने देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जितनी देर बोले वे सुनते रहे, आपके जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सुनिए न उनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने वह तस्वीर रखना चाहता हूं, जो यह लोग कह रहे हैं कि उनको बेरोजगार कर दिया, उनको बेरोजगार कर दिया। हमने सिर्फ उनको हटाया था और हटाकर दूसरा स्थान दिया था। लेकिन ये वे केस हैं, अगर उनको वह जगह पसन्द नहीं आयी तो हमने कहा कियोस्क का निर्माण जब तक नहीं हो जाता तब तक आप अपनी वापस उसी जगह पर बैठ जाओ। कोई गलती नहीं की। हम उनका रोजगार नहीं छीनना चाहते थे, क्या गलती की? कुल मिलाकर भंवरलालजी, आप दो-तीन बैठकें अटैण्ड कर चुके हैं जे.डी.ए. में जो बैठकें हुई उसकी आपको पूरी जानकारी है कि जे.डी.ए. इस वक्त 500 कियोस्क यहां पर बना रहा है। 500 में से कम से कम 250-300 कियोस्क बन चुके हैं और बाकी सब निर्माणाधीन हैं। ये उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो कि विस्थापित हुए हैं। यह भी आपकी जानकारी में है क्योंकि आप उस कमेटी के मैम्बर हैं। अब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चाहते क्या हो आप?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मंत्रीजी का जवाब ही नहीं सुनना चाहते। हम किसलिए बैठे हैं यहां पर? कम से कम पूरा सुनो तो सही। आपको बाद में क्वेश्चन करना है तो कर लेना। कोई तरीका ही नहीं है। क्या कर रहे हो? वे बता रहे हैं जो तो सुनो, फिर पूछ लेना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब हालत यह है कि कुल-मिलाकर 200 व्यक्ति ऐसे हैं पूरे जयपुर में जो कि विस्थापित हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं कि वाकई आज वे विस्थापित हैं। उनको हमें बाकायदा रिहैबिलिटेट करना है। यह जिम्मेदारी हमारी है, हम उनको रिहैबिलिटेट करेंगे और उन पर पैसा खर्च कर उनके लिए कियोस्क बनाकर उनको आबंटन करेंगे। सभापति महोदय, ये कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं. अगर शहर को सुन्दर बनाना है तो। या यह सदन फैसला कर दे कि रिहैबिलिटेशन नहीं करना है। नहीं करेंगे रिहैबिलिटेशन। जहां-जहां अतिक्रमण होंगे सड़क पर, उस अतिक्रमण को हटा कर उन्हीं बाडीज को पीछे सरका कर रख देंगे। लेकिन उससे रास्ता चौड़ा नहीं होगा, आप इस बात को भी देख लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय किरोड़ी लालजी ने एक बात बहुत जोर से कही है कि नोटिस नहीं दिया। इन्होंने पांच-छह रूलिंग्स मुम्बई हाई कोर्ट की, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की और वगैरह-वगैरह पता नहीं कहां-कहां की पढ़ कर सुना दीं। मैंने उस वक्त भी इनको यह जवाब दिया था कि हर स्टेट का म्युनिसिपल लॉ अलग-अलग बना हुआ है। महाराष्ट्र का म्युनिसिपल लॉ अलग है, आंध्र प्रदेश का म्युनिसिपल लॉ अलग है। वहां का जो हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वह वहां के म्युनिसिपल लॉ के अनुसार करेगा। यहां का म्युनिसिपल लॉ बिलकुल अलग है जिसमें 203 में साफ लिखा हुआ है कि अतिक्रमण अतिक्रमी को हटाने के लिए कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है, 1988 में अमेंड हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि 1994 में तो हमारी सरकार नहीं थी, आप लोकल सैल्फ मिनिस्टर थे, गूजर की थड़ी स्थित कटेवा नगर, सुल्तान नगर, रामदेव नगर में 85 दुकानें कैसे तोड़ी गयीं जे.डी.ए. के द्वारा? अखबार में कोई विज्ञप्ति बता दीजिये, उनको कोई नोटिस आपकी सरकार ने दिया हो तो वह बता दीजिये, कोई वार्निंग आपने दी हो तो वह बता दीजिये। वरना मैं आपको बताता हूं कि जब-जब हमने अभियान चलाया, सारे अखबारों में बाकायदा इसको सर्वे कराया। 29 तारीख को जो अभियान चला, अखबार में उसका नोटिस। यह एक तारीख को अभियान चला, अखबार में उसका नोटिस। दो को चला उसका नोटिस, तीन को चला उसका नोटिस, चार को चला उसका नोटिस और पांच को चला उसका नोटिस। इस तरह से कर के सारे नोटिसेज हमने अखबार के माध्यम से एलान किये। जिस सड़क पर हम आपरेशन चलाते थे बाकायदा वहां पर तीन-तीन, चार-चार रोज पहले हमने एलान किया और एलान कर कहा कि कृपया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अपना अतिक्रमण हटा लीजिये, अवैध निर्माण को हटा लीजिये। पूरी वार्निंग दी। न केवल यही, दूसरा किस्सा और सुनिये आप। डालडा फैक्ट्री पर ग्रीन नगर में दस कम्पाउंड वालों को आपने सिर्फ इसलिए तोड़ा कि हमें सड़क चौड़ी करनी है। आज हम सड़क चौड़ी करने की बात करते हैं तो आप मास्टर प्लान की आलोचना करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जैसा मास्टर प्लान बनाया गया है ठीक उसी तरीके से हम सड़क चौड़ी करेंगे। नहीं करेंगे। हम बिल्डिंग लाइन देखेंगे। अगर मास्टर प्लान में 160 फीट की सड़क दिखा रखी है और अगर वह व्यावहारिक नहीं है, बिल्डिंग लाइन सिर्फ 100 फीट ही इजाजत देती है या 80 फीट इजाजत देती है तो हम 80 फीट में संतुष्ट हो जाएंगे, हम उस मास्टर प्लान के माफिक नहीं चलेंगे। लेकिन आपने उस मास्टर प्लान के माफिक चलते हुए 10 कम्पाउंड वालों को तोड़ा डालडा फैक्ट्री में 1994 में। 1993 में इमली फाटक से लेकर करतारपुरा फाटक तक 50 दुकानों को रोड के सेंटर से तोड़ा, किसको नोटिस दिया? किसी को वार्निंग दी? कौनसे अखबार में आपने साया किया कि हम यह काम करेंगे? ये सब काम आपकी सरकार के द्वारा किये गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हो 1993 की?

श्री जगत सिंह दायमा : 1994 में राष्ट्रपति शासन नहीं था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1993 में राष्ट्रपति शासन था। (व्यवधान) यह जब टूटा, 1994 की और 1995 की बात बता रहा हूं। मैं आपको 1993, 1994 और 1995 की बात बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप ही थे उस वक्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, होंगे हम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात यह कही गयी, देश का कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कभी यह परमिट नहीं करता कि किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाए या बिल्डिंग बाई लाज का इन्फ्रिंजमैंट किया जाए, डीविएशन किया जाए। कोई भी न्यायालय इसको प्रोटैक्ट नहीं करेगा। वह जब भी फैसला देगा वह यह फैसला देता है कि सरकार कानून की पालना करना आवश्यक करवाये। जो यह सरकार कर रही है वही काम कर रही है कि हम कानून की पालना को आवश्यक करवावें। निर्माण की जो विधियां बनी हुई हैं उनकी पालना करना आवश्यक करना ही इस सरकार का कर्तव्य है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 29 व 20 पर विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण तोड़ने का काम निगम का है। हम पर यह आरोप लगाया गया कि आपने निगम के अधिकारों को छीन लिया। अगर अतिक्रमण तोड़ने का काम निगम करता है और सरकार उसमें रुकावट डालती है तब तो यह आपका आरोप सही है कि सरकार निगम के कामों में हस्तक्षेप कर रही है लेकिन जब निगम का अतिक्रमण तोड़ने का अधिकार है और वह निगम अतिक्रमण तोड़ रहा है, उसके अधिकारी अतिक्रमण तोड़ने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और सरकार उनको समर्थन देती है, बता दीजिये क्या गलती करती है, कहां गलती करती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, अतिक्रमण बहुत हो गया और कोई जवाब दे दो ना आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप फरमाओ तो मैं तो बंद कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर समाप्त करो और कुछ माननीय सदस्यों ने छोटी-मोटी बात कही उसका जवाब दे दीजिये। अतिक्रमण का इतना इलैबोरेट स्टेटमेंट आप पहले दे चुके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां तो ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों का तो जवाब हो गया, मेरे पर आपने मेहरबानी कर दी। कुछ मेरे विभाग से मुतल्लिक ऐसी बातें हैं जिससे जनता को राहत मिल सकती हैं, मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि राज्य में पालिका वित्त निगम की स्थापना की जाएगी और यह 15 करोड़ रुपये के फंड से शुरू किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बात हुई न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 15 करोड़ रुपये के फंड से जो यह निगम शुरू होगा यह उन छोटी-छोटी पालिकाओं को पैसे देगा जो कि अपने यहां पर दुकानें बना कर या कियोस्क बनाकर नीलाम करके कुछ अपनी आमदनी कर सकते हों।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लोन देगा या क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लोन देगा। लेकिन लोन पर ब्याज का कोई ऐसा नहीं होगा कि 13 प्रतिशत या 12 प्रतिशत। अगर मान लीजिये, हुडको से लोन लेना

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पड़ा तो जिस दाम पर हमें लेना पड़ेगा, जिस इंट्रैस्ट पर हमें लेना पड़ेगा उससे आधा परसेंट, एक परसेंट से ज्यादा दे देंगे और बाकी अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम फ्री आफ इंट्रैस्ट इनको वो पैसा देंगे। राज्य वित्त निगम ने 1995 में इस प्रकार की सिफारिश की थी कि इस प्रकार का निगम बनाया जाए और आप ही की सरकार ने हर साल 50 लाख रुपये उस निगम के लिए रखे थे। पांच साल तक ढाई करोड़ रुपये रखे लेकिन आपने निगम की स्थापना ही नहीं की। आपने आप ही के द्वारा बनाये गये वित्त निगम की पूरी अवहेलना की और उसकी सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल कर रखा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पालिकाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्य पद्धति को परिणामोन्मुख बनाने की योजना पालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकलापों की स्क्रिनिंग करवायी जाएगी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति हम शुरू करेंगे। जो काले से काला व्यक्ति होगा, जिस पर खुला आरोप होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसका कम्पलसरी रिटायरमैंट करेंगे।

पालिका के व्यवसायी किरायेदारों, लाइसेंसों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये जाने की योजना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या मतलब ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पालिकाओं के व्यवसायी किरायेदार जो हैं और जो लाइसेंसधारी हैं अगर वे उस जमीन का स्वामित्व लेना चाहते हैं। न्यास हो, चाहे प्राधिकरण हो, चाहे पालिका हो, के द्वारा व्यवसाय के लिए जो स्थान, दुकानें आदि वर्षों पूर्व किराये और लाइसेंस फीस पर दी हुई हैं उन्हें लम्बे समय की लीज अवधि पर देने के लिए गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। दोष-गुण के आधार पर स्थान, दुकान आदि की कीमत एक साथ वसूल कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। इससे नगरपालिकाओं को, न्यास को, प्राधिकरण को आमदनी भी होगी और उन लोगों को जो आज वैसे बैठे हुए हैं, उनको मानसिक पीड़ा से मुक्ति भी मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पालिकाओं के सम्भावित आर्थिक दुरुपयोग रोकने के प्रयास किये जाएंगे और अर्थ हानि वसूल की जाएगी। आज यह देखने को मिलता है कि कोई चेयरमैन साहब गड़बड़ कर गये, कोई एग्जीक्यूटिव आफिसर या कोई कमिश्नर गड़बड़ कर गये, वसूली नहीं होती। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर किसी जन प्रतिनिधि से कोई किसी प्रकार का गबन किया है या उसके द्वारा की गयी गलती से उस पालिका को नुकसान पहुंचा है तो वह रकम उससे वसूल की जाएगी, चाहे वो जन प्रतिनिधि हो, चाहे वो कर्मचारी हो या चाहे वो अफसर हो।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आडिट को प्रभावी बनाया जाएगा, स्पेशल आडिट शुरू की जाएगी क्योंकि आज स्पेशल आडिट के बगैर कई मामले पकड़ में नहीं आते।

बकाया लीज राशि जमा कराने पर ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अगर बकाया पुरानी राशि है और आपका ब्याज एक लाख रुपया है तो 50 हजार तक लेकर उसका फैसला कर लिया जाएगा। राज्य की पालिकाओं, परिषदों, निगमों, न्यास, प्राधिकरण द्वारा विक्रय की गयी सभी भूमियों पर जो शहरी जमाबंदी, लीज की राशि ली जाती है उसकी बड़े पैमाने पर बकाया राशि चल रही है। राज्य

(20.00 बजे)

सरकार लीज होल्डर्स को लीज राशि मय ब्याज, एकमुश्त जमा कराने पर छूट देने का विचार रखती है। राज्य द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पुरानी बकाया लीज मय ब्याज की राशि जमा करवाने पर 50 प्रतिशत की छूट होगी। इस प्रकार बकाया राशि एवं आगामी 10 वर्ष की लीज राशि एक साथ अगर वह व्यक्ति जमा करा देता है तो हर 15 साल बाद जो लीज रिन्यू होती थी और ट्रांसफर पर जो 50 प्रतिशत लीज राशि उससे बढ़ाकर ली जाती थी उससे भी उसको मुक्ति देंगे। इन दोनों योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए ब्याज की राशि में छूट का प्रावधान किया जा रहा है।

आवासन मण्डल द्वारा नगर न्यासों को हस्तान्तरित कालोनियों के रख-रखाव के निमित्त इन संस्थाओं से पालिकाओं को अतिरिक्त राशि दिलवायी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल कालोनी बनाता है और कालोनी बनाने के बाद वह नगर निगम या नगर परिषद् में ट्रांसफर कर देता है लेकिन पैसा कुछ नहीं लेता। रख-रखाव सारा पालिका को करना पड़ता है। वहां का बिजली का खर्चा पालिका उठाती है, सफाई का खर्चा वे पालिका उठाती है। तो अब यह निश्चित करेंगे कि चाहे वह योजना न्यास के द्वारा बनायी गयी हो, प्राधिकरण के द्वारा बनायी गयी हो और या आवासन मण्डल के द्वारा बनायी गयी हो, यदि वह ट्रांसफर नगर पालिका को करती है, परिषद् को करती है या निगम को करती है तो निश्चित राशि उस कालोनी के रख-रखाव के लिए उनसे उनको दिलवायी जाएगी।

सीवरेज लाइनों का विस्तार किया जाएगा और शहरों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। मरे हुए जानवरों के लिए इस तरीके के इंफारमेशन टैक्नोलॉजी के लिए जयपुर में एक स्थान/भूमि आरक्षित की जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मरे हुए जानवरों के लिए क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह मैं अकेले में बात कर लूंगा आपसे।

भवन निर्माण नियमों का सरलीकरण। तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अभियन्ता उपलब्ध कराये जाएंगे। समझौता समितियां गठित की जाएंगी। जिन पालिकाओं के बीच, नगर परिषद्, नगर निगम, प्राधिकरण, न्यास या किसी पार्टी के बीच में अगर कोई पुराना मामला चल रहा हो और उस जमीन का 20 साल या 30 साल से लम्बे टाइम का कोई केस चल रहा है तो समझौता समितियां हर जगह बनाकर ऐसे मामले निपटाये जाएंगे। पालिका कर्मियों के लिए एक सर्विस बोर्ड बनाया जाएगा।

नगर निगम अधिनियम। इसी वर्ष पालिका अधिनियम में व्यापक संशोधन। नगर निगम अधिनियम की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने की थी, वह नगर निगम अधिनियम करीब-करीब कम्प्लीशन पर है। उसको लॉ डिपार्टमैंट से वेटेज कराया जाएगा। वह भी जल्दी ही पेश कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से पालिका अधिनियम में 300 संशोधन किये जा रहे हैं और 300 संशोधनों में हर संशोधन नगर पालिका को मजबूत करता हुआ बनाया गया है ताकि नगरपालिकाओं को भी अधिकार मिलें और वहां जो जन प्रतिनिधि हैं वे अपने आपको सैल्फ गवर्नमैंट के बतौर काम करने के लिए समझें।

गृह कर का सरलीकरण। जैसा आपने बताया कि गृह कर के लिए यह देखा जाए कि छोटा मकान हो तो उससे नहीं लिया जाए, ठीक इसी तरह से यह नहीं होगा। चाहे वह सी-स्कीम में रहने वाला आदमी हो सबसे एक रुपया फीट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहें। बाकायदा जोनवाइज दाम तय किए जाएंगे। इसका सरलीकरण इस तरीके से किया जाएगा कि असैसी खुद सैल्फ असैसमैंट में जाकर अपनी रकम जमा करवा दें। बीच-बीच का जो भ्रष्टाचार है, जो असैसर आकर भ्रष्टाचार करता है, जितना टैक्स बनता है उसका आधा करके बाकी पैसा कुछ जैब में रख लेता है, उसको बन्द करने के लिए इसका सरलीकरण किया जा रहा है। यह करीब एक महीने के अन्दर-अन्दर मामला निपट जाएगा।

सरकारी भूमि पर प्लाट। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण बिन्दु है। जयपुर में करीब 1745 कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और यह देखा गया है कि करीब 25 प्रतिशत गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजना हैं। योजना बता रहा हूं आपको। गृह निर्माण सहकारी समितियां तो यहां पर 251 हैं लेकिन उनकी योजनाएं लगभग 1800 हैं। 1800 योजनाओं में से 25 प्रतिशत योजनाएं इस प्रकार की हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन भी बेच दी है। सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसी गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों, प्रोपर्टी डीलर्स अथवा इस प्रकार वे व्यवसाय से जुड़े उन व्यक्तियों के ऊपर फौजदारी मुकदमे दायर किए जाएंगे जिन्होंने सरकारी भूमि पर प्लाट काटकर अवैध रूप से विक्रय किए हैं। कोलोनाइजर्स द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कानून बनाया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भंवर लालजी, पसन्द आया? कम से कम आपने मेज तो थपथपायी।

अनेक माननीय सदस्य : यह ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, ये तो मेरी घोषणाओं को पहले से जानते हैं क्योंकि रात को मैं और ये दोनों मिलकर काम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्या मामला है रात्रि का?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, साहब। भंवर लालजी के साथ बैठता हूं, पूछ लो आप क्या है।

कोलोनाइजर्स, निजी भवन निर्माता या गृह निर्माण सहकारी समितियां अथवा कालोनी विकसित करने वाले डवलपर द्वारा विकसित/निर्मित कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रभावी कानून बनाएगी।

इसके अतिरिक्त दो-तीन बातें और हैं। एक तो टाउन प्लानिंग की बात की थी। यहां पर टाउन प्लानिंग की काफी आलोचना होती है। उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान के लिए एक ही प्रकार का भवन निर्माण विनियम बनाया जाएगा जो सम्पूर्ण राजस्थान में लागू होगा। अगर कोई नगरपालिका उसमें मामूली चेंज चाहती है तो बोर्ड की बैठक में कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मौलिक बात जो है, जो बेसिक थीम है वह एक ही विनियम बनाने की तैयारी चल रही है। आज जैसा आपने बताया कि 500 मीटर तक आवासीय भूखण्ड पर स्थानीय निकाय की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, अब इस सीमा को बढ़ाकर किसी भी सीमा तक चाहे कितनी भी बड़ी जमीन हो, अगर वह सिर्फ दो मंजिल आवासीय भवन बनाता है और पंजीकृत वास्तुकार से वह मुहर लगवाकर स्थानीय निकाय में पेश करता है तो वह मान लिया जाएगा। उसका टाइटल के बाबत जो डिस्प्यूट हुआ करता था, जिस टाइटल के मामले में भ्रष्टाचार हुआ करता था, अब यह तय किया गया है कि पैनल लायर्स हर नगरपालिका में, हर नगर परिषद् में हर विकास न्यास में, हर निगम में और प्राधिकरण में तय किए जाएंगे। उन पैनल लायर्स के द्वारा अगर सर्टिफाई कर दिया जाता है तो उसका वह टाइटल मान लिया जाएगा। यह परेशानी देखने को मिलती है कि नक्शा पास नहीं हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 500 वर्ग मीटर से ऊपर वाले में भी दो मंजिल मकान बनाने के लिए उसको निश्चित फीस तो देनी पड़ेगी। फीस का चैक सीधे स्थानीय निकाय को भेज सकता है। अपना नक्शा बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज सकता है। उसको स्थानीय निकाय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

योजना क्षेत्र के स्वरूप के मद्देनजर सामने सैट बैक कम्पलसरी बनाया जाएगा। कोई भी इस प्रकार का नक्शा पास नहीं किया जाएगा या इजाजत नहीं दी जाएगी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जिसमें सैट बैक नहीं छोड़ा गया हो। पुरातत्व व परम्परागत वास्तुशिल्प के सर्वेक्षण हेतु ऐसे भवनों के आसपास बनने वाले निर्माणों पर विशेष पाबन्दियां लगाने का प्रावधान किया जाएगा।

एक मुख्य महत्वपूर्ण बिन्दु है कि पानी की समस्या को देखते हुए नये विनियमों में भू-जल के रिचार्ज हेतु उचित प्रावधान किये जा रहे हैं। इसमें 500 वर्ग मीटर अथवा अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में उपयुक्त स्थान पर वर्षा के पानी को टांकों में एकत्रित कर पास में खुदे गहरे पी.ब्री.सी. बोर वैल के माध्यम से भूतल के जल स्तर को रिचार्ज करने का प्रस्ताव रखा गया है। नक्शे उन्हीं के पास किए जाएंगे जो मकान में टांका बनायेंगे। या रिचार्ज करने की व्यवस्था होगी। नये मकानों के लिए जो 500 वर्ग मीटर से ज्यादा हैं। इस प्रकार वर्षा के जल का समुचित उपयोग होगा और जल ह्रास को रोका जा सकेगा।

कार पार्किंग की समस्या को मद्देनजर रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि निर्माता को एफ.ए.आर. तभी देय होगा जबकि वह भूखण्ड पर कार पार्किंग के लिए स्थान उपलब्ध करा सकेगा। वर्तमान नियमों में कार पार्किंग की त्रुटिपूर्ण जो व्यवस्था है उसको बदला जाएगा। बड़े भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रावधान भी आवश्यक किया गया है। बड़े मकानात हैं, बहु मंजिले हैं। (व्यवधान) सोलर। उनके लिए यह जरूरी होगा कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विनियमों में उचित प्रावधान रखे जाएंगे। सुन रहे हो, मदनजी, उनके लिए एफ.ए.आर. की गणना का सरलीकरण किया जाएगा। इस प्रकार नये विनियम अत्यन्त सरल व पारदर्शी बनाये जा रहे हैं जिन्हें कोई भी स्थानीय निकाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मामूली परिवर्तन कर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल की बाबत कई प्रकार की आलोचनाएं यहां पर सुनने को मिलीं। आवासन मण्डल के सामने आज सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसको अपनी ही कालोनियों से अतिक्रमण रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है। सरकार अब यह आवासन मण्डल को अधिकार देगी कि उसके द्वारा विकसित की गयी कालोनी जब तक उसके पास रहती है तब तक अगर कोई अतिक्रमण होता है तो आवासन मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह उस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दे। आवासन मण्डल द्वारा अपने रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा जिससे कि आबंटी के द्वारा जमा करायी गयी रकम, अगर उस पर ब्याज चढ़ा हुआ है, कोई पैसा उस पर बकाया है। तो उसका फौरन जवाब उसके द्वारा उसको दे दिया जाए और हिसाब समझा दिया जाए ताकि इन समस्याओं का निराकरण भी हो सके। उपभोक्ता शिविरों का राज्य भर में आयोजन किया जाएगा और अभाव अभियोग के द्वारा सुनकर उनका निपटारा किया जाएगा। अभी 21,250 कियोस्क का निर्माण इस वर्ष किये जाने की योजना है

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

और मैं समझता हूं कि हम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगले आने वाले चार वर्ष जो हैं उनमें 85 हजार कियोस्क बेरोजगारों के लिए बनाएंगे जिनसे कि वे मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत रोजगार प्राप्त कर सकें।

आवासन मण्डल के द्वारा अब जो पंजीकरण किया जाएगा वह भूमि की उपलब्धता को देखते हुए किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या था कि मकान तो बनाने हैं एक हजार और रजिस्ट्रेशन कर दिया दो हजार का। वे हजार आदमी जो मकान प्राप्त नहीं कर पाते, भटकते रहते थे इसलिए इस योजना को चेंज किया है। जितने मकान बनाने होंगे उतना ही वहां पर अब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक इसी तरह से मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्मित आवास उचित लागत पर ही आवंटित हो, अन्ड्यू एस्केलेशन नहीं हो। एस्केलेशन की शिकायत आज सबसे ज्यादा आती है, इस पर ध्यान देने के लिए एक निश्चित योजना बनायी जा रही है ताकि किसी प्रकार का काम जो उसको बताया गया है उससे एस्केलेशन अगर होता भी है तो दस प्रतिशत से ज्यादा कम से कम एस्केलेशन न हो। इस प्रकार की कोशिशें की जाएंगी। निर्माण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारा निवेदन कर चुका हूं। राठौड़ साहब ने दो-तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही थीं। यह कही थीं कि दूसरे शहरों में नियमन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। दूसरे शहरों में नियमन का कार्य 15 मार्च से चालू हो गया और आज एक महीने के अन्दर-अन्दर दस करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। वह कौनसा शहर है, मुझे मेहरबानी करके आप यह बता दें। जहां पर यू.आई.टी. मौजूद है। नगर पालिकाओं ने अभी काम शुरू नहीं किया, वे करने वाले हैं लेकिन 9 स्थान पर जहां पर यू.आई.टी. हैं 9 की 9 जगह आज कृषि भूमि पर नियमन का कार्य शुरू हो गया। अजमेर से आने वाले भाटी साहब ने जो शिकायत की, निश्चित तौर पर वह बहुत गम्भीर शिकायत है, उसकी जांच करवायी जाएगी। अगर वे कृषि भूमि पर बने हुए मकान हैं तो नियमन की योजना के तहत वहां पर कार्य करना होगा। अगर वहां की कोई भी स्थानीय संस्था उस कानून के खिलाफ किसी प्रकार की अवहेलना करती है तो वह अधिकारी, कर्मचारी या जो कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अफसरों की नैग्लीजेंस को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस सरकार के द्वारा। अतिक्रमण के नाम पर चुनी हुई सरकार के द्वारा, यह तो मैंने आपको बता दिया।

आपने एक बात कही कि एडी.बी. में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च कंसलटैंट पर आएगा। मुझे आप हिसाब निकालकर बता दो कि 300 करोड़ रुपया कंसलटैंट पर कहां से आएगा। इस एडी.बी. प्रोजैक्ट की आपको प्रशंसा करनी चाहिए। छह उन शहरों में इस योजना के अन्तर्गत काम

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

होगा जो प्रमुख शहर हैं इस राजस्थान के। आप कम से कम सदन को गलत तथ्य तो मत दो। सिर्फ 9 प्रतिशत एडीबी. प्रोजैक्ट में कंसलटैंट पर खर्चा किया जाएगा। राठौड़ साहब, आप मंत्री रहे हुए हैं, यह बता दें कि आप अगर आवासन मण्डल से कोई भवन बनवाते हैं, आप पी.डब्ल्यू.डी. से बनवाते हैं। आप आर.बी.सी.सी. से बनवाते हैं या किसी भी एजेन्सी से बनवाते हैं वह दस या ग्यारह प्रतिशत ऊपर से पैसा लेती है बनाने का, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज लेती है। यह जो एडीबी. प्रोजैक्ट मंजूर किया है इसमें कंसलटैंट पर सिर्फ 9 प्रतिशत पैसा खर्च किया जा रहा है। गलत तथ्य मत बताइये। मैं बताता हूं आपको, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी सुनकर ही जवाब दूंगा। इस प्रोजैक्ट के तहत में 1207 करोड़ रुपया विकास कार्यों पर खर्च होगा, 907 करोड़ रुपया अलग। कंटिंजेंसी का 300 करोड़ रुपया खर्च होगा, 181 करोड़ रुपया ब्याज में जाएगा, 114 करोड़ कंसलटैंट पर खर्च होगा जो कि 9 प्रतिशत से ज्यादा का नहीं है। एडीबी. का यह हिसाब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 139 है और इसके साथ आप 13 प्रतिशत ब्याज और मिलाएं तो इस पर 22 से 23 प्रतिशत....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि 13 प्रतिशत ब्याज मिलाकर 181 करोड़ रुपया ब्याज में चुकाया जाएगा बीस सालों तक। पांच साल का मोरेटोरियम पीरियड है इसमें, आपको इसलिए मैंने कहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, मंत्रीजी, योजना के क्रियान्वयन और ब्याज इस पर कुलमिलाकर 620.89 करोड़ रुपये खर्च आता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : काहे पर? दुबारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : योजना के कार्यान्वयन व ब्याज पर 620.89 करोड़ रुपया आता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां पढ़ रहे हैं आप? क्या है यह? अखबारी खबरें पढ़ रहे हैं और यह जो एग्रीमेंट है उसको नहीं पढ़ेंगे। एग्रीमैंट की कापी के लिए आपने कहा कि टेबल कर दो, मैंने उसी वक्त टेबल कर दी। मैं यह समझकर बैठा हुआ था कि आपने एग्रीमैंट पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी तक अखबारी खबरें ही पढ़ रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने एग्रीमैंट भी पढ़ा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लाहोल-विलाकुवत, वाह वाह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने एग्रीमैंट भी पढ़ा है। एग्रीमैंट के अन्दर 139 करोड़ रुपये कंसलटैंसी चार्ज लिखा हुआ है और 13 प्रतिशत ब्याज लिखा हुआ है। ब्याज की अदायगी के लिए, मंत्री महोदय, आपने जो पीछे शिड्यूल दिया है, शिड्यूल "ए"

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
इसको सारा कैलकुलेट करके नीचे तक आ जाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं एग्रीमेंट का पैरा पढ़कर आपको बता देता हूं। सलाहकार सेवाओं पर कुल 114 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वास्तविक लागत इसके कानट्रैक्ट्स निर्णित होने पर ज्ञात होगी। अन्य स्टाफ की राशि जोड़ने पर कुल प्रशासनिक व्यय 139 करोड़ रुपया प्रस्तावित है जो कुल परियोजना लागत का 9.12 प्रतिशत है। यह वह डाकूमेंट है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री जी, आपको तो जो बताया अधिकारियों ने और यह नोट जो आपको बनाकर दिया आपने पढ़ दिया यहां। जो शिड्यूलिंग आपने दी है रीपेमेंट की और सबकी, इसको जरा बनाकर देख लो फिर बात कहना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मेरे द्वारा ही आपको दी गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके द्वारा दी गयी है ना?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, मेरे द्वारा ही आपको दी गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जो एनेक्सचर आपने लगाया है....(व्यवधान) बड़ी कृपा की पर यह भी आपने लगाया है, यह देख लें।

श्री मदन दिलावर : जानकारी नहीं है, आपको नहीं आता तो जानकारी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भइया, आपके बस की बात नहीं है, क्यों बोल रहे हो आप? आप नहीं समझ पाओगे। मेहरबानी करो, आप नहीं समझ पाओगे। यह एग्रीमेंट की कापी मैंने टेबल की थी, एग्रीमेंट की कापी का मैंने आपको पढ़कर बताया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी एग्रीमेंट के आधार पर कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समाप्त कीजिये। आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करता हूं, मंत्री जी, सारा शिड्यूल देख लें कितना पैसा इन्ट्रैस्ट पर और कंसलटैंसी पर जा रहा है, कितना डवलपमेंट में खर्चा हो रहा है यह बताइये आप सदन को।

श्री उपाध्यक्ष : आप आपस में डिस्कस कर लेना बाद में, समझ लेना। आप बाद में कर लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, डिसकस करना हो तो टाइम बताओ कब डिसकस करना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप दोनों ही तय कर लेना टाइम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपस में तय कर लेंगे। आप मेरे यहां आएंगे या मुझे आप बुलाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपरेशन पिंक चलेगा और बदस्तूर चलेगा। जब तक यह सरकार इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाती कि हम इन शहरों का जो हमारे प्रदेश के प्रमुख शहर हैं, प्रमुख कस्बे हैं,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उनका सौन्दर्यीकरण नहीं कर लेते, यहां की यातायात की सुविधाओं को नहीं सुधार लेते, यहां के जो पुरातत्व भवन हैं उनको रेस्टोर नहीं कर लेते हम यह आपरेशन पिंक चलाये रखेंगे। फर्क इतनां-सा होगा कि अब हरे निशान और लाल निशान नहीं लगाये जाएंगे, बिल्डिंग लाइन पहले तय की जाएगी, उसकी सूचना जनता को पहले दी जाएगी और बिल्डिंग लाइन के अनुसार जो भी अतिक्रमण होंगे या जो भी अवैध निर्माण होंगे उनको हटाया जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : कब तक चलाओगे? यह आपरेशन पिंक कब तक चलेगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम उन दुकानों को और मकानों को नहीं तोड़ना चाहते जिन दुकानों को और मकानों को निर्माण की स्वीकृति मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। हम उनको नहीं तोड़ना चाहते लेकिन हम उस स्थान पर उन दुकानों को और मकानों को बनाने भी नहीं देना चाहते और बन गये तो उनको कायम नहीं रखना चाहते जहां पर कि उनका स्थान उचित नहीं है। अगर वे गलत स्थान पर बनाये गये हैं, बिल्डिंग लाइन से बाहर बनाये गये हैं तो बी.जे.पी. वाले चाहे कितना ही जोर लगा लें। डाक्टर किरोड़ी लालजी धमकी दे रहे थे मुझे, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता डाक्टर साहब लेकिन—

"ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे

ये बाजू मेरे आजमाये हुए हैं।"

इसलिए इन धमकियों में यह गहलोत सरकार आने वाली नहीं है, यह आपरेशन पिंक चलेगा, चलेगा और बदस्तूर चलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, बैठिये, बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : मेरा प्रश्न है, मंत्री जी ने कहा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने समाप्त कर लिया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे विभाग से मुत्तलिक मांग संख्या-29 और 20 इनको पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, क्या पूछना है? (व्यवधान) आप पाइंटेड क्वेश्चन पूछो, भाषण नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने पिंक आपरेशन चलाने की बात कही, हमने इसकी खिलाफत की। हमने गरीबों को उजाड़ने वाली बात उसमें रखी थी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपरेशन पिंक रेलवे स्टेशन से पोलो विक्ट्री तक चलाया था तो उस नीलम होटल को किस कारण से छोड़ दिया गया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप नीलम होटल की नहीं आप जिस किसी बिल्डिंग की बात करें, भंवर लालजी को अधिकार है वे उसकी जांच कर लें, अगर ये कह देंगे तो सदस्यता छोड़ दूंगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पक्षपात कर रहे हैं। (व्यवधान) आपने नीलम होटल कैसे छोड़ दी? गरीबों की थड़ी हटा दी, नीलम होटल क्यों छोड़ दी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई तरीका है क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड की भूमि में घोटाले किये गये उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

मांग संख्या 29 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : "प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,79,11,04,000/- (चार अरब उन्यासी करोड़ ग्यारह लाख चार हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20—आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 99,93,10,000/- (निन्यानवे करोड़ तिरानवे लाख दस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.21 बजे मंगलवार, 18 अप्रैल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-362 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार सम्बन्धी दर्ज अपराध मय निस्तारण वर्षवार

वर्ष-1997

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अपराध	चालान	एफआर अदमवकू	एफआर अदमपता	एफआर अदमसबूत	पेंडिंग	चालानी प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हत्या	62	47	13	—	—	2	100.00
2.	गम्भीर चोट	184	151	28	—	—	5	100.00
3.	बलात्कार	199	136	57	—	—	6	100.00
4.	गम्भीर क्षति	73	32	41	—	—	—	100.00
5.	पीसीआर एक्ट	4	3	1	—	—	—	100.00
6.	अन्य भादस	5490	2423	3018	1	—	48	99.95
7.	एससी/एसटी एक्ट	986	445	531	—	—	10	100.00
	योग	6998	3237	3689	1	—	71	99.96

वर्ष-1998

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अपराध	चालान	एफआर अदमवकू	एफआर अदमपता	एफआर अदमसबूत	पेंडिंग	चालानी प्रतिशत
1.	हत्या	65	37	10	2	—	16	94.86
2.	गम्भीर चोट	158	122	28	—	—	8	100.00
3.	बलात्कार	165	98	54	—	—	13	100.00
4.	गम्भीर क्षति	71	25	41	1	—	4	96.15
5.	पीसीआर एक्ट	1	1	—	—	—	—	100.00
6.	अन्य भादस	5463	2250	2827	6	—	380	99.73
7.	एससी/एसटी एक्ट	936	383	504	2	—	47	99.48
	कुल योग	6859	2916	3464	11	—	468	99.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				वर्ष-1999				
1.	हत्या	63	49	8	—	—	6	100.00
2.	गम्भीर चोट	167	133	21	—	—	13	100.00
3.	बलात्कार	175	113	45	1	—	16	99.12
4.	गम्भीर क्षति	80	36	32	3	—	9	92.30
5.	पीसीआर एक्ट	2	1	1	—	—	—	100.00
6.	अन्य भादस	5086	2116	2620	4	1	345	99.81
7.	एससी/एसटी	1265	497	621	4	1	142	99.20
	कुल योग	6838	2945	3348	12	2	531	99.59
				वर्ष-2000 माह फरवरी तक				
1.	हत्या	8	1	—	—	—	7	
2.	गम्भीर चोट	27	3	—	—	—	24	
3.	बलात्कार	27	—	1	—	—	26	
4.	गम्भीर क्षति	9	—	1	—	—	8	
5.	पीसीआर एक्ट	1	—	—	—	—	1	
6.	अन्य भादस	512	38	77	—	—	397	
7.	एससी/एसटी एक्ट	149	16	24	—	—	109	
	कुल योग	733	58	103	—	—	572	

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार सम्बन्धी कुल दर्ज अभियोगों की तुलनात्मक स्थिति

	वर्षवार दर्ज अपराध			कमी/वृद्धि	
	1997	1998	1999	1997 से 1999	1998 से 1999
कुल योग	6998	6859	6838	–160	–21

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सहकारी किसान कार्ड योजना के तहत ऋण

363. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1999-2000 में सहकारी किसान कार्ड योजना में किस-किस जिले में कितना-कितना ऋण वितरित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

आलोच्य वर्ष 1999-2000 में सहकारी किसान कार्ड योजना में जिलेवार ऋण वितरण की वांछित सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

Districtwise Position of Kisan Credit Cards issued from April 1999 to Feb. 2000

(Rs in lacs)

S. No.	Name of the CC Banks	No. of Kisan Credit Card issued	Loans Disbursed
1	2	3	4
1.	Ajmer	28850	2126.57
2.	Alwar	56202	4515.51
3.	Banswara	24239	1502.67
4.	Baran	22184	2437.07
5.	Barmer	46904	3755.90
6.	Bharatpur	40794	3088.29
7.	Bhilwara	35255	2094.00
8.	Bikaner	12229	1892.22
9.	Bundi	13860	1600.48
10.	Chittorgarh	63998	1887.44
11.	Churu	28376	1537.17
12.	Dausa	20324	1118.08
13.	Dholpur	14623	945.30
14.	Dungarpur	10641	496.88
15.	Hanuman-garh	31456	4522.71
16.	Jaipur	47550	2969.75
17.	Jaisalmer	2510	235.24
18.	Jalore	27861	3641.67
19.	Jhalawar	35507	1994.15
20.	Jhunjhunu	28757	2891.40
21.	Jodhpur	44803	4699.05
22.	Karoli	20980	1097.53
23.	Kota	26166	2866.81
24.	Nagaur	51438	4302.01
25.	Pali	46003	3227.74
26.	Rajasmand	15293	729.49
27.	S.Madhopur	30563	1569.81

1	2	3	4
28.	Sikar	46034	3796.84
29.	Sirohi	6972	799.28
30.	Shree Ganga-nagar	43225	7508.77
31.	Tonk	38830	2567.72
32.	Udaipur	27111	1423.44
	Total	989543	79840.99

तहसील श्रीडूंगरगढ़ में बकाया राशि वाले हैण्डलिंग एजेन्ट

364. श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) तहसील श्रीडूंगरगढ़ में राशन की हैण्डलिंग एजेन्ट का कार्य किस फर्म को कब से दे रखा है? फर्म में कौन-कौन व्यक्ति भागीदार हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मैसर्स सारस्वत ट्रेडर्स, अम्बिका सप्लाई एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति बीगा एक ही व्यक्ति या परिवार के हैं? यदि हां, तो हैण्डलिंग एजेन्ट नियुक्त करने के क्या नियम है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त फर्मों पर सरकार की राशि बकाया है? यदि हां, तो कितनी राशि? क्या सरकार बकाया वसूली के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बकाया राशि के बावजूद लाइसेंस दे सकती है? यदि नहीं, तो उक्त फर्म के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर

(1) तहसील श्रीडूंगरगढ़ में राशन का हैण्डलिंग एजेन्ट का कार्य ग्राम सेवा सहकारी समिति बिग्गा को दिनांक 15-10-1999 से दे रखा है। समिति के व्यवस्थापक श्री भंवर लाल एवं अध्यक्ष श्री गोरधन शर्मा है।

(2) मैसर्स सारस्वत ट्रेडिंग कम्पनी के व्यवस्थापक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति, बिग्गा के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है। हैण्डलिंग एजेन्ट नियुक्त करने के सम्बन्ध में विभागीय निर्देश दिनांक 9.4.1992 एवं दिनांक 11.12.1998 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। मैसर्स सारस्वत ट्रेडिंग कम्पनी की ओर अब तक मिलान हुए हिसाब के अनुसार 3.38 लाख रुपये की राशि बकाया है जिसकी वसूली हेतु कानफैड प्रयासरत है।

(4) जी, नहीं। बकाया राशि की सूचना कानफैड से प्राप्त होने पर मैसर्स सारस्वत ट्रेडिंग कम्पनी को हैण्डलिंग एजेन्ट के कार्य से दिनांक 11.10.1999 को हटा दिया गया। दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ.40 (1) खा.ले/नीति/92 जयपुर, दिनांक : 9.4.1992

समस्त जिला कलक्टर,

समस्त जिला रसद अधिकारी,

राजस्थान

विषय : — सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की दर।

संदर्भ : — विभागीय परिपत्र सम संख्या दिनांक 17.3.92.

महोदय,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से कार्य योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्यनिगम गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त कर सीधे ही उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाया जायेगा। यह योजना आदिवासी क्षेत्र में भी समान रूप से लागू होगी। थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की डिलिवरी देने के लिए समुचित स्टाफ (श्रमिक आदि) एवं कांटे बाट की भी व्यवस्था करली होगी। इस व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त व्यय हो सकता है किन्तु दूसरी ओर ब्याज, गोदाम किराया एवं गोदाम छीजत आदि बिन्दुओं पर काफी धनराशि की बचत होगी। इतना सभी कुछ होते हुए भी थोक विक्रेताओं के कमीशन में भी वृद्धि की गई है। थोक विक्रेता को कमीशन एवं परिवहन की व्याप्त दरें दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सहकारी संस्थाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिये।

2. योजना के परिपेक्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले गेहूं की उपभोक्ता वितरण दर 310/- रुपये प्रति क्विं. के स्थान पर 320/- प्रति क्विं. दिनांक 15.4.1992 से निर्धारित करते हुए अन्य खाद्यान्न की दर पूर्वानुसार ही रखी गई है, निर्धारित दरों का विवरण निम्न प्रकार है : —

	सार्वजनिक वितरण प्रणाली		आदिवासी क्षेत्र	
	निर्गम दर	वितरण दर	निर्गम दर	वितरण दर
गेहूं	280/-	320/-	230/-	255/-
चावल कामन	—	412/-	327/-	352/-
फाइन	473/-	474/-	387/-	412/-
सु. फाइन	458/-	496/-	408/-	433/-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत थोक एवं खुदरा विक्रेताओं का कमीशन एवं परिवहन दरें निम्न प्रकार होगी : —

कमीशन

थोक विक्रेता	4/- रु. प्रति क्विंटल
खुदरा विक्रेता	5/- रु. प्रति क्विंटल + (खाली बोरी निःशुल्क)

थोक विक्रेता के लिए परिवहन दरें

प्रथम 5 कि.मी. तक	3/- रु. प्रति क्वि.
अगले 10 कि.मी. अथवा इसके किसी अंश के लिए	2/- रु. प्रति क्वि.
16 से 100 कि.मी. तक	6 पै. प्रति क्वि. प्रति कि.मी.
100 कि.मी. के पश्चात्	5 पै. प्रति क्वि. प्रति कि.मी.

3. आदिवासी क्षेत्र जिनमें 5 जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही के 23 ब्लाक्स के ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, के लिए थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता की दरें निम्न प्रकार है : —

कमीशन

थोक विक्रेता	3.50 पैसे प्रति क्वि.
खुदरा विक्रेता	4.50 पैसे प्रति क्वि. + खाली बोरी निःशुल्क

थोक विक्रेता के लिए परिवहन दरें

15 कि.मी. तक	5/- रुपये प्रति क्वि.
16 कि.मी. से 100 कि.मी. तक	10 पैसे प्रति क्वि. प्रति कि.मी.
100 कि.मी. के पश्चात्	8 पैसे प्रति क्वि. प्रति कि.मी.

4. थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण दर में से खुदरा विक्रेता के कमीशन की राशि कम करते हुए शेष राशि पर डिलीवरी दी जायेगी। उदाहरणतया : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं 315/- प्रति क्वि., एवं आदिवासी क्षेत्र में 250-50 पैसे प्रति क्वि. पर दिया जायेगा। इसी प्रकार चावल की गणना की जायेगी। उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न तोल कर दिये जाने का दायित्व थोक विक्रेता का है। ऐसी स्थिति में खुदरा विक्रेता से कोई अन्य व्यय चार्ज नहीं किया जायेगा। चूंगी का भुगतान भी थोक विक्रेता द्वारा ही किया जायेगा।

5. दिनांक 14.4.1992 को थोक विक्रेताओं के गोदामों में अवशेष रहे स्टाक को जिलाधीश जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाने की स्थिति में परिवहन की उपरोक्त दरें प्रभावशील होगी, किन्तु कमीशन पूर्वानुसार ही रहेगा।

6. परिवहन समानीकरण की राशि थोक विक्रेताओं के द्वारा माह में उठाये गये खाद्यान्न के लेखों के साथ जिला कार्यालय में दिनांक 5 तक जमा कराई जायेगी और राशि जमा कराये जाने के पश्चात् ही अगला आवंटन किया जा सकेगा। नवीन प्रणाली में खुदरा विक्रेता से समानीकरण राशि वसूल नहीं की जायेगी। माह विशेष के उठाव की परिवहन समानीकरण राशि अगले माह तक जमा नहीं कराने की स्थिति में बकाया राशि पर विभागीय परिपत्र क्रमांक 42 (1) खा.ले./नीति/85, दिनांक 23.1.1986 के अनुसार 18% की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। परिवहन समानीकरण राशि वसूली के संबंध में जिला रसद अधिकारियों का पूर्ण दायित्व होगा तथा विभागीय निर्देशों का कठोरता से पालन होगा। शिथिलता पाई जाने पर जिला रसद अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी। थोक विक्रेता जिला रसद अधिकारी द्वारा अनुमोदित रूट चार्ट एवं दिनांक तय करेंगे, जिसकी सूचना खुदरा विक्रेताओं को भी दी जायेगी, ताकि थोक विक्रेता द्वारा माल पहुंचने के समय खुदरा विक्रेता वहां उपलब्ध रह सकें। खाद्य निगम गोदाम से उचित मूल्य की दुकान की दुकान की दूरी निर्धारण / प्रमाणीकरण जिला रसद अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता सोहार्दपूर्ण व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे। तथा जहां तक संभव हो व्यापारिक संबंधों के आधार ही लेन-देन के मामलों को तय करेंगे। चूंकि खुदरा विक्रेता को डिलीवरी की तारीख की सूचना पहले ही प्राप्त हो जायेगी। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की कीमत उसे तैयार रखनी चाहिए। खुदरा विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कीमत अग्रिम भी जमा कराई जा सकेगी। कतिपय विशेष परिस्थितियों में यदि दुकान विशेष पर सप्लाई नहीं की जा सकती हो तो वह माल दूसरी दुकान पर दिया जा सकेगा, जिसका आगे समायोजन किया जायेगा। परिस्थितिवश डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में कुछ मात्रा गोदाम पर रखनी पड़ें तो उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। क्योंकि कमीशन एवं परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण इस बिन्दुओं का ध्यान में रख कर किया गया है। खुदरा विक्रेता को किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न परिवहन के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा।

8. वितरण प्रणाली में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। जिलाधीश/जिला रसद अधिकारी संबंधित सहकारी संस्थाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर राजकीय नीति के अन्तर्गत जनहित में उपरोक्त दरों की सीमा तक थोक विक्रेता का कार्य कराने का प्रयास करेंगे। उपरोक्त दरें पर सहकारी संस्थाओं द्वारा

थोक विक्रेता (हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्ट एजेन्ट) का कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त करने पर प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर न्यूनतम निविदा पर थोक विक्रेता की नियुक्ति की जावें। इच्छुक व्यक्ति या संस्था अपनी इच्छानुसार निविदा न देकर विभागीय दरों से कम / अधिक प्रतिशत के आधार पर निविदा प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण स्वरूप 5% कम 10% कम अथवा 5 या 10 प्रतिशत (अधिक कमीशन एवं परिवहन दरों के लिये पृथक-पृथक प्रतिशत अंकित करने के बजाय एक समान प्रतिशत अंकित की जावेगी। न्यूनतम निविदा उक्त दरों की सीमा तक प्राप्त होने की स्थिति में जिला स्तर पर स्वीकार करली जावेगी जिसके लिए जिलों में विभागीय परिपत्र संख्या दिनांक 8.8.1974 द्वारा जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला रसद अधिकारी एवं कोषाधिकारी की समिति पहले से ही गठित है। किन्तु न्यूनतम दर उक्त दरों से अधिक होने की स्थिति में स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त की जायेगी।

9. सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं आदिवासी क्षेत्र में अनुदानित दर पर खाद्यान्न वितरण होने वाले क्षेत्र में कमीशन एवं परिवहन की पृथक-पृथक दरें होगी जैसा कि पैरा 2 में अंकित है।

10. निर्धारित दरों की सीमा तक सहकारी संस्थाओं को अथवा निविदा अनुमोदन पश्चात् थोक विक्रेता को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के अन्तर्गत नियमानुसार प्राधिकार पत्र जारी करते हुए वांछित प्रतिभूति राशि जमा कराई जावें एवं कमीशन तथा परिवहन दरों आदि के महत्वपूर्ण अनुदेश उक्त आदेश की धारा 20 के अन्तर्गत जारी किया जाये।

11. दिनांक 14.4.1992 को अवशेष रहे गेहूं स्टाक पर वसूली की सूचना (संलग्न) प्रपत्र में भेजने की व्यवस्था करें। दर परिवर्तन के समय अवशेष स्टाक की सूचना भेजने का कार्य जिला रसद अधिकारी के मानदण्ड के अन्तर्गत मानी गई है। जिसके लिए किसी प्रकार की शिथिलता अपेक्षित नहीं है, शिथिलता किये जाने पर जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध विभागीय पृष्ठांकन 42 (1) खा.ले/नीति/86 दिनांक 23.1.1986 में अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश 15.4.1992 से प्रभावी होगा।

ह.

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ.12(4)खा.वि/चीनी/98 जयपुर, दिनांक : 11.12.98

समस्त

जिला कलक्टर,(रसद)

राजस्थान।

आदेश

जिलों को आवंटित लेवी चीनी के निर्धारित समय में उठाव हेतु विभिन्न थोक विक्रेता नियुक्त किये हुए हैं। उनके द्वारा उपभोक्ता संघ द्वारा डी. आई. जारी करने पर चीनी उठाव मिलों द्वारा किया जाता है। परन्तु कई बार थोक विक्रेता की आर्थिक स्थिति खराब अथवा अन्य कारणों से चीनी में असक्षम होने पर जिला कलक्टर्स को चीनी उठाव की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है। इस संबंध में विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु पूर्व में निर्देश किये हुए हैं। जिसके अनुसार जिला कलक्टर्स द्वारा की व्यवस्था की स्वीकृति विभाग से होने पर ही उपभोक्ता संघ द्वारा डी.आई.जारी की जाती है।

अब भविष्य के लिये निर्देश दिये जाते हैं कि जिला कलक्टर द्वारा थोक विक्रेताओं को परिवर्तन करने पर विभाग द्वारा स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होगी। जिला कलक्टर ऐसे परिवर्तन की सूचना विभाग व उपभोक्ता संघ को सूचनार्थ भिजवायेंगे। उपभोक्ता संघ उसी के अनुसार डी.आई. जारी करेंगे।

उसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

ह/.

विशिष्ट सचिव, (खाद्य)

तहसील शिव के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

365. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के तहसील शिव के ग्राम-मतूओं की ढाणी, अन्तरा कालेका, गांव, संतोकानी, मेघवालों की ढाणी में पानी का संकट है?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम आन्तरा एवं काने का गांव में पेयजल वितरण सामान्य है, परन्तु संतोकानी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मेधवालों की ढाणी में निर्धारित मात्रा में से कम पानी पहुंच रहा है। मतुओं की ढाणी में वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा। मतुओं की ढाणी के 1.6 किमी. के दायरे में पानी का स्रोत उपलब्ध है, अत: समस्या नहीं है।

(2) जी, हां। संतोकानी मेधवालों की ढाणी में पेयजल व्यवस्था हेतु संवर्धन प्रस्ताव भूजल वैज्ञानित से सलाह प्राप्त कर बनाये जा रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक आवश्यकतानुसार जल परिवहन कर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कृषि विपणन द्वारा सड़क मरम्मत

366. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1995 से 2000 तक सड़कों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां किन गांवों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में विभाग की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है? यदि हां, तो उक्त सड़कों पर मरम्मत करने का प्रावधान क्या है? उक्त सड़कों पर मरम्मत/डामरीकरण कहां-कहां किया गया है? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार वर्ष 2000-2001 में और कितनी सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों को निर्माण के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किए जाने के आदेश हैं तथा तत्पश्चात् सम्पर्क सड़कों के रख-रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त क्षेत्र में निर्मित एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में 4 सम्पर्क सड़कें आर.आई.डी.एफ.-5 (नाबार्ड) द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत बनाया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनु. लागत
1.	स.स.बड़ावास	0.58	5.98 लाख
2.	स.स.जयपुरा	1.00	9.65 लाख
3.	स.स.बासगुढ़ारिया	1.60	12.85 लाख
4.	स.स.गादरवाला गुजरान	1.60	25.49 लाख

परिशिष्ट "अ"

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-2000 तक स्वीकृत सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित
1.	स.स. देलाड़ी से धनावढ	हस्तान्तरित
2.	स.स. स्टेट हाईवे नं. 25 से हरिनाथपुरा	" "
3.	स.स. करनावर	" "
4.	स.स. गुल्लाना	" "
5.	स.स. अरनिया से गुढलिया	" "
6.	स.स. श्यालावास कलां	" "
7.	स.स. उनावड़ा गांव	" "
8.	स.स. लोटावाड़ा से बेजूपाड़ा	" "
9.	स.स. गोलारा मोड़	" "
10.	स.स. गुढाकटला से अरनिया	" "
11.	स.स. निहालपुरा	" "
12.	स.स. निहालपुरा से हिगोटा वाया ढिगारियाभीम एवं ढिगारिया कपूर, कोठिन	" "
13.	गुढाकटला रोड़ से रेहडिया	" "
14.	गुढाकटला रोड़ से ऐचेडी	" "
15.	आभानेरी से रानापाड़ा	" "
16.	रानापाड़ा रोड़ से पून्दरपाडा	" "
17.	बांदीकुई से भाण्डेडा	" "
18.	बडियाल लोटवाडा रोड से मोटूका	" "
19.	बडियाल लोटवाड़ा रोड से रलावता रूपवास	" "

स्थानीय निकाय चुनावों में दल-बदल के तहत रोक

367. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 2000 के मध्य में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में क्या सरकार दल बदल कानून लागू करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या आगामी निकाय चुनावों में सरकार अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से कराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या अप्रत्यक्ष पद्धति से महापौर/अध्यक्ष के चुनाव कराने से अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिला है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 2000 के मध्य होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों में दल-बदल कानून लागू करने के संबंध में राज्य सरकार के समक्ष वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। नगरपालिकाओं के लिए इसे उचित नहीं समझा जा रहा है।

(3) जी, नहीं। अप्रत्यक्ष चुनाव से किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां नहीं होती है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 मार्च, 2000)

कोटा शहर की सीमा क्षेत्र की कालोनियों का नियमन

43. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा की शहरी सीमा क्षेत्र में विभिन्न कालोनी/बस्तियां आबाद हैं? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी बस्ती/कालोनी नगर विकास न्यास कोटा के क्षेत्र में नहीं है? क्षेत्र के विवरण सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बस्ती/कालोनी में से कितनी नियमित की जा चुकी है एवं कितनी का नियमन किया जाना है तथा शेष बस्ती/कालोनी बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नगर विकास न्यास, कोटा के क्षेत्र में नहीं आने वाली कालोनी/बस्ती में अब तक क्या-क्या कार्य नगर विकास न्यास/नगर निगम, कोटा द्वारा करवाये गये हैं तथा जनहित के कौन-कौन से कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) नगर निगम/नगर विकास न्यास कोटा की सीमा में स्थित किन्तु न्यास क्षेत्र में नहीं आने वाली कालोनी/बस्ती के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी, हां। कोटा नगर निगम क्षेत्र में 35 कच्ची बस्तियों, 29 कालोनियों एवं 52 कृषि भूमि पर बनी कालोनियां स्थित हैं तथा कोटा नगर विकास न्यास क्षेत्र में 41 कच्ची बस्तियां व 52 कालोनियां स्थित है। सूची संलग्न है।

(2) उक्त में से 35 कच्ची बस्तियां व 23 कालोनियां एवं कृषि भूमि पर बनी 52 कालोनियां नगर विकास न्यास, कोटा के क्षेत्र में नहीं है। नामजद सूचियां प्रश्न के बिन्दु 1 के साथ संलग्न कर दी गई है।

(3) 35 कच्ची बस्तियों में से 26 कच्ची बस्तियां नगर विकास न्यास, कोटा की 41 कच्ची बस्तियों में से 12 नियमित की जा चुकी हैं एवं 29 का नियमन होना शेष है। नगर निगम क्षेत्र का नियमन कर दिया गया है। शेष 9 बस्तियां आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी। एवं 29 कोलोनियां नियमित हैं। 52 कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का भूमि रुपान्तरण शुल्क राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम संख्या 21 वर्ष 99 के संदर्भ में जारी किये गये आदेशों के अनुसार नगर विकास न्यास द्वारा जमा किया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावेगी।

(4) नगर विकास न्यास कोटा के क्षेत्र में नहीं आने वाली अर्थात् नगर निगम क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्ती/कालोनियां कृषि भूमि पर बनी कालोनियों में वर्ष 1998-99 व 99-2000 में जनहित में कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है। जनहित सुविधा

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

संबंधित विकास कार्यों का प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बजट बैठक में होना बाकी है।

(5) नगर विकास न्यास कोटा के क्षेत्र में नहीं आने वाली कालोनी/बस्ती के विकास के लिए नगर निगम में बजट की उपलब्धता के अनुसार जनहित के कार्य करवाये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन विभाग में रिक्त पदों पर आरक्षण

368. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में कई वर्षों से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पद रिक्त हैं।

(2) क्या उक्त पदों को भरने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का विचार है?

उत्तर

(1) वन विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रोस्टर बिन्दु इन जातियों से भरे हुये नहीं होने से रिक्त चल रहे हैं।

(2) रोस्टर प्रणाली के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो रिक्त रोस्टर बिन्दु चल रहे हैं उन्हें भविष्य में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरने की कार्यवाही की जावेगी।

रात्रिकालीन बस सेवाओं में निजी वाहनों पर रोक

369. श्री हेमन्त कुमार (टीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्डों से निजी बसें विडियोकोच/जीपों के खड़े करने के स्टेण्ड की दूरी 5 किलोमीटर दूर निर्धारित की थी? यदि हां, तो इसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है?

(2) रात्रिकालीन सेवाओं के आगे-आगे निजी विडियोकोच के संचालन पर प्रतिबंध लगाने एवं निगम को घाटे से उबारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) परिवहन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर्स को निजी वाहनों के स्टेण्ड (मंजिली वाहनों को छोड़कर) जहां तक सम्भव हो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड से दो से पांच किमी. की दूरी पर घोषित करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। इसकी पालना में जिला कलक्टर, बून्दी, श्री गंगानगर, बीकानेर, अलवर और धौलपुर ने निगम बस स्टेण्ड के आस-पास निजी बसों का नो-पार्किंग जोन घोषित कर दिया है, शेष जिला कलक्टर्स को पुनः निर्दिष्ट किया जा रहा है।

(2) निजी वाहनों को विडियोकोच के नाम से अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाते हैं, बल्कि कान्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। कान्ट्रेक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों के अनुसार बसों के संचालन पर नियमानुसार प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यदि यह बसें परमिट की शर्तों का उल्लंघन करती है तो इनके विरुद्ध

(यातायात मंत्री)

नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। निगम को घाटे के अनेक कारणों में से एक कारण निजी वाहनों का अवैध संचालन हो सकता है। वाहनों के अवैध संचालन को रोकने हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये हैं:—

(i) अवैध संचालन को रोकने के लिए समय-समय पर परिवहन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जांच अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) अवैध संचालन को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी प्रतिमाह अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु संयुक्त अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है।

(iii) बिना परमिट के यात्री वाहनों से पूर्व में एक दिन का टैक्स व संधारण राशि लेकर वाहनों को छोड़ दिया जाता था। इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन कर 10 सीट तक की क्षमता के यात्री वाहनों से एक वर्ष की अवधि के बराबर कर की राशि वसूल किये जाने तथा 10 सीट से अधिक क्षमता के सभी यात्री वाहनों से संविदा वाहनों द्वारा देय कर एक माह की अवधि के कर के बराबर राशि वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(iv) 12 सीट तक की बैठक क्षमता के यात्री वाहनों में बैठक क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर पूर्व में 30/- रुपये प्रति सवारी की दर से प्रशमन राशि वसूली जाती थी। इस सम्बन्ध में अब ऐसे वाहन के अन्दर क्षमता से अधिक बैठी पाई सवारियों के लिए 150/- रुपये प्रति सवारी तथा वाहन के बाहर लटकते एवं छत पर बैठकर यात्रा करने वाली सवारियों के लिए 300/- रुपये प्रति सवारी की दर से प्रशमन राशि वसूले जाने का प्रावधान किया गया है।

(v) निजी वाहनों के स्टेण्ड परिवहन निगम के स्टेण्ड के पास नहीं रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(vi) निगम को बिना टिकिट यात्रा को सख्ती से रोकने तथा बसों के करटेलमेन्ट को कम करने तथा ज्यादा से ज्यादा किराये पर लेने के निर्देश दिये हैं।

एस.एस.आई. कम्पनी कोटा द्वारा अवैध खनन

370. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला कोटा में एस.एस.आई. कम्पनी द्वारा कोटा स्टोन खनन करने हेतु कितनी लीज ली हुई है? कुल माप व नक्शा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जी.टी.सीट पर यह दर्शाने के पूर्व भी इनको दी हुई लीज पर ही खनन कर रहे थे? यदि हां, तो वह नाप कितनी थी?

(3) उक्त कम्पनी की लीज देने की क्या-क्या शर्तें/आदेश है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या चारागाह, शमशान, कब्रिस्तान की भूमि या जहां जनसामान्य रहता है वहां

(श्री जगन्नाथ)

भी खनन किया जा सकता है? यदि हां, तो ऐसे आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त जिले में शमशान, कब्रिस्तान या बस्ती के नजदीक अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कितने-कितने माप का तथा उस खनन से बस्ती की कितनी दूरी है?

उत्तर

(1) जिला कोटा तहसील रामगंज मंडी में मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड के पक्ष में खनिज लाइमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) अर्थात् कोटा स्टोन-खनन करने हेतु एक खननपट्टा स्वीकृत होकर चालू है, जो - 7 ब्लोक्स में निकट-ग्राम लक्ष्मीपुरा, सातलखेड़ी, कुम्भकोट, नया गांव, सुकेत-पायली, अंतरालिया, हिरियाखेड़ी, तहरावदा आदि क्षेत्रफल 9.99 वर्ग किलोमीटर का है। नक्शा एवं विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्तमान अवधि तृतीय नवीनीकरण पर 1.10.1989 से 30.9.2009 तक है।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1959 लागू होने पर इन नियमों के अन्तर्गत प्रथम स्वीकृति 1.10.1959 को 4810.16 एकड़ भूमि के लिए दी गई थी जिसकी अवधि 1.10.59 से 30.9.69 तक थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण 1.10.1969 से 30.9.1979 की अवधि के लिए 4810.16 एकड़ भूमि के लिए किया गया जबकि द्वितीय नवीनीकरण 1.10.1979 से 30.9.1989 की अवधि के लिए 14.146 वर्ग कि.मी. के लिए किया गया। वर्तमान में खनन पट्टा तृतीय नवीनीकरण पर चल रहा है जिसकी अवधि 30.9.2009 तक है और क्षेत्रफल 9.991 वर्ग कि.मी. है। जो जी.टी. सीट पर दर्ज है।

1.10.1959 के पहले पार्टी के पक्ष में चेचट व रामगंजमण्डी तहसील में जहां-जहां भी कोटा स्टोन उपलब्ध था वहां-वहां खनन कार्य करने का ठेका दिया हुआ था जिसकी अवधि 1.10.44 से 15 वर्ष के लिए अर्थात् 30.9.1959 तक की थी जो तहसील सीमा में होने से जी.टी. सीट पर दर्ज नहीं था।

(3) लीज कम्पनी को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत नवीनीकृत की हुई है। जिसकी संविदा तथा स्वीकृति आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं जिनमें शर्तें अंकित हैं।

(4) चारागाह भूमि में नवीनीकरण से पूर्व ब्रोकन-अप क्षेत्र में खनन कार्य किया जा सकता है परन्तु नवीन चारागाह क्षेत्र में खनन कार्य करने से पूर्व राजस्व/जिला कलक्टर की अनुमति आवश्यक है। श्मशान, कब्रिस्तान या जहां जन सामान्य रहता है वहां अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम एवं संविदा के अन्तर्गत 45 मीटर की परिधी में खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में शासन के परिपत्र क्रमांक प. 9 (11) खान/ग्रुप-2/91 दिनांक 23.6.1993 एवं दिनांक 16.6.1995 संलग्न है।

(5) जी, नहीं।

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : एफ.9 (11) खान/ग्रुप-2/91 परिपत्र जयपुर, दिनांक 23.6.93

विषय : चरागाह भूमि में खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस आदि स्वीकृत एवं नवीनीकरण करने के संबंध में।

चारागाह भूमि में खनन-पट्टा/क्वारी लाइसेंस आदि स्वीकृत एवं नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी निर्देशों को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 के नियम 7 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक-प. 6 (13) रेवे/6/92/10 दिनांक 19 मई, 1993 के अनुसार खनन कार्य के प्रयोजनार्थ चरागाह भूमि का आवंटन राज्य-सरकार के राजस्व विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाये। चरागाह भूमि का खनन कार्य हेतु उपयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव इस विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।

कृष्णा भटनागर
शासन सचिव,
खान विभाग

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

प.9 (11) खान/ग्रुप-2/91 परिपत्र जयपुर, दिनांक 16 जून,95

विषय : चरागाह भूमि में खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस आदि के नवीनीकरण के संबंध में।

चरागाह भूमि में खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस आदि के संबंध में वन विभाग के सम संख्यक परिपत्र दिनांक 23.6.93 एवं 12.8.94 में आंशिक संशोधन किया जाकर यह निर्देश दिये जाते हैं कि खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस का नवानीकरण करने से पूर्व चारागाह भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

2. पट्टाधारी/लाइसेंसधारी पूर्व में ब्रोकन-अप चरागाह भूमि यदि कोई हो तो उसमें ही खनन कार्य सीमित रखेगा।

3. पट्टाधारी/लाइसेंसधारी द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वह नये चरागाह क्षेत्र में राजस्व विभाग/जिला कलक्टर की अनुमति के बिना खनन कार्य नहीं करेगा।

(दिनेश कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव

थाना सदर, सीकर में दर्ज प्रकरण संख्या 360/98

371. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर के थाना सदन की प्राथमिक रिपोर्ट संख्या 360/98 में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(2) उक्त मुल्जिमों को अब तक गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण हैं तथा भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही करके मुल्जिमों को पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया जावेगा?

(3) उक्त मुकदमें में अनावश्यक देरी के क्या कारण है?

उत्तर

(1) थाना सदर जिला सीकर की प्रथम रिपोर्ट संख्या 360/98 धारा 302, 364, 34 भा.द.सं. में दर्ज की जाकर प्रारम्भ में जिला पुलिस सीकर द्वारा अनुसंधान किया गया। दिनांक 27.1.1999 को प्रकरण सी.आई.डी. (सीबी) में अनुसंधान हेतु स्थानान्तरित किया गया। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

(2) इस प्रकरण का अनुसंधान सी.आई.डी. (सीबी) द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में शीघ्र अन्वेषण पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(3) इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। परिवादी एवं मुलजिम पक्ष द्वारा बार-बार परिवाद देने से उनका सत्यापन करने के कारण अनुसंधान पूर्ण करने में देरी हुई।

कुम्भानगर गृह निर्माण सहकारी समिति उदयपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

372. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुम्भानगर गृह निर्माण सहकारी समिति, उदयपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट नं. 487 दिनांक 16.3.1998 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुम्भानगर गृह निर्माण सहकारी समिति में जांच के दौरान लाखों रुपयों के गबन का प्रकरण उजागर हुआ है? यदि हां, तो अब तक उक्त गबन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। कुम्भानगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. उदयपुर के सम्बन्ध में शिकायत पत्र प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच करवाई गई थी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट की उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर के कार्यालय में आवक संख्या 487 दिनांक 16.3.1998 है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में गबन/दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आने पर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर ने आदेश दिनांक 27.5.1998 को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के तहत जांच के आदेश जारी किये। धारा 70 की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 21.11.1998 को अधिनियम की धारा 70 (6) के तहत जांच परिणाम जारी किये। वर्तमान में धारा 70 (6) के अन्तर्गत जारी आदेश के क्रम में अधिनियम की धारा 128 के तहत न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में प्रकरण निगरानी में विचाराधीन है।

(3) प्रकरण अधिनियमान्तर्गत धारा 128 के तहत न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है। जैसे ही प्रकरण का निस्तारण होगा, तद्नुरूप आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के स्वीकृत ट्यूब वैल/हैण्ड पम्प

373. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में गत 5 वर्षों में पेयजल व्यवस्था हेतु कितने ट्यूब वैल एवं हैण्ड पम्प कब-कब स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत ट्यूब वैल एवं हैण्ड पम्पों में से कितने ट्यूब वैल एवं हैण्ड पम्प स्थापित कर उपयोग में लिये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में गत् 5 वर्षों में पेयजल व्यवस्था हेतु 16 नलकूप एवं 102 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये। नलकूपों की सूची प्रपत्र "अ" पर व हैण्ड पम्पों की सूची प्रपत्र "बी" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत नलकूप व हैण्ड पम्पों में से क्रमशः 15 नलकूप व 99 हैण्ड पम्प उपयोग में लिए जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत कोशलू (बाड़मेर) से सिणधरी तक सड़क निर्माण

374. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड ने ग्राम पंचायत कोशलू को निम्बलकोट से सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी की है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत कोशलू की जनता को सरकारी/गैर सरकारी कार्यों के लिए सिणधरी जाना पड़ता है? यदि हां, तो कोशलू को सिणधारी सड़क से नहीं जोड़ने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) सड़क नीति अनुसार ग्राम पंचायत कोशलू को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क कोशलू के नाम से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

(2) जी, हां। स्वीकृति लम्बाई के अनुरूप ही ग्राम कोशलू को मुख्य सड़क से जोड़ा जाना है। कोशलू से निम्बलकोट की लम्बाई 9.00 कि.मी. है तथा निम्बलकोट मुख्य सड़क से डामर से पूर्व में ही जुड़ा हुआ है।

विधायक नगर पूर्व व पश्चिम में रोड लाइट/सफाई की व्यवस्था

375. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधायक नगर पूर्व-पश्चिम जयपुर में सफाई की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में रोड़ लाइट लगी हुई है? यदि हां, तो उनमें से कितनी चालू/खराब है?

(3) क्या सरकार इनको चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ठीक करवाकर स्थाई व्यवस्था करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधायक नगर पूर्व व पश्चिम में नियमित रूप से दोनों पारियों में उपलब्ध सफाई कर्मियों से सफाई की व्यवस्था करवाई जाती है।

(2) जी, हां। चालू व खराब लाइटों का विवरण निम्नानुसार है: —

विधायक नगर पूर्व

कुल संख्या	चालू	खराब
17	10	07

विधायक नगर पश्चिम : —

कुल संख्या	चालू	खराब
16	08	08
33	18	15

(3) जी, हां। विधायक नगर पूर्व व पश्चिम में भूमिगत केवल क्षतिग्रस्त होने के कारण (केबल शोर्ट) जो लाईटें बन्द पड़ी है, उनको आगामी तीन माह में चालू करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

रणथम्भौर स्थित जोगी महल में रात्रि ठहराव पर प्रतिबन्ध

376. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) रणथम्भौर टाइगर स्थित जोगी महल में ठहरने की कब से क्यों पाबन्दी है?

(2) क्या यह पाबन्दी रात्रि में जोगी महल में ठहरने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के उच्च अधिकारियों एवं मंत्रियों के लिए नहीं है?

(3) गत दो वर्षों में उक्त पाबन्दी के रहते हुए कौन-कौन अधिकारी/मंत्री उक्त महल में ठहरे हैं?

उत्तर

(1) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में स्थित जोगी महल वन विश्राम गृह को पर्यटकों के लिए दिनांक 21.12.92 से बंद किया हुआ है।

(2) रणथम्भौर बाघ परियोजना के प्रबंधन एवं रख-रखाव से संबंधित अधिकारियों को ही जोगी महल वन विश्राम गृह में ठहरने की अनुमति दी हुई है।

(3) गत दो वर्षों में जोगी महल वन विश्राम गृह में ठहरने वाले अधिकारी/व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

गत दो वर्षों में जोगी महल पर ठहरने वाले अधिकारियों की सूची

वर्ष 1998-99 एवं 99-2000

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	ठहरने की तिथि
1	2	3	4
1.	आर.जी.सोनी	मुख्य वन्य जीवप्रति.राज.	3.4.98 से 4.4.98
2.	पी.के.सेन	डाय.प्रो.टा.गर्वन.ऑफ इण्डिया	3.4.98 से 5.4.98
3.	सी.पी.ओबेराय	आ.जी.फो.गर्वन.ऑफ इण्डिया	9.4.98 से 11.4.98
4.	आर.सी.एल.मीणा	सी.एफ.एण्ड एफ.डी.टी.पी.स.मा.	9.4.98 से 11.4.98
5.	विट्टू सहवाल	मैम्बर सेटेंरिंग कमेटी	20.4.98 से 21.4.98
6.	वी.अस.गिल	एकाउन्टेन्ट जनरल	22.4.98 से 26.4.98
7.	डी.सी.सूद	पी.सी.सी.एफ, जयपुर	15.5.98 से 16.5.98
8.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू	15.5.98 से 16.5.98
9.	वाई.के.साहू	डी.सी.एफ.वफर	7.6.98 से 8.6.98
10.	एस.के.श्रीवास्तव	सी.एफ.(एफ.डी.पी.)	9.6.98 से 11.6.98
11.	अजय गुप्ता	डी.सी.एफ.प्ला.एण्ड मोनी	9.6.98 से 11.6.98
12.	जे.पी.मिश्रा	आई.जी.पी.(आरएसी)	23.6.98 से 26.6.98
13.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू.	10.10.98 से 12.10.98
14.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू.	23.10.98
15.	आनन्द मोहन	आई.एफ.एस.	2.11.98 से 7.11.98
16.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू	4.11.98 से 5.11.98

1	2	3	4
17.	वी.डी.शर्मा	मैम्बर ऑफ डब्लू.अल.बोर्ड	9.11.98
18.	अस.अहमद	सेक्रेटी वन	15.12.98
19.	उदयशंकर	आई.अफ.एस.	25.12.98 से 27.12.98
20.	डी.सी.सूद	पी.सी.सी.एफ.	7.1.99
21.	वी.एस.सिंह	एम.एल.ए. बदनो (वाईल्ड लाईफ मैम्बर)	13.1.99 से 14.1.99
22.	राजपालसिंह	मैम्बर आफ स्टेट वाईल्ड लाईफ एडवाईजरी बोर्ड	13.1.99 से 14.1.99
23.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू.	28.1.99 से 29.1.99
24.	जे.एस.पुनिया	डी.सी.एफ.	28.1.99 से 29.1.99
25.	एस.अहमद	फो.स., वन सचिव	30.1.99 से 1.2.99
26.	आर.एल.मल्होत्रा	सी.एफ.(ईको डवलपमेन्ट आफिस)	30.1.99 से 1.2.99
27.	एस.अहमद	फो.से.	5.3.99 से 7.3.99
28.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू.	6.3.99 से 7.3.99
29.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू	21.3.99 से 22.3.99
30.	ऐ.टोमर	डब्लू.पी.ओ.(वाइल्डलाइफ)	24.3.99 से 26.3.99
31.	ऐ.टोमर	डब्लू.पी.ओ.(वाइल्डलाइफ)	7.4.99 से 9.4.99
32.	एच.एम.भाटिया	सी.एफ.	12.5.99 से 13.5.99
33.	आर.जी.सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू.	20.5.99
34.	वी.पी.सिंह	पे.ऑफ स्टेट.वा.ला.एण्ड बोर्ड	20.5.99 से 22.5.99
35.	राजपाल सिंह	वाईल्ड लाईफ बोर्ड मैम्बर	20.5.99 से 22.5.99
36.	एम.एम.राजेश्वर	डा.टी.सी.पी.(वाइल्डलाइफ)	2.6.99 से 5.6.99
37.	जे.एस.पुनिया	डी.सी.एफ.वफर	7.6.99 से 8.6.99
38.	डी.राम सेवक	ज्यूलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया	30.11.99 से 10.12.99
39.	एम.वी.के.गोदा	डी.सी.एफ.	4.12.99 से 8.12.99
40.	के.सी.मीणा	ज्यूलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया	11.12.99 से 12.12.99

1	2	3	4
41.	अरुणप्रसाद	ज्यूलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया	11.12.99 से 12.12.99
42.	डा. गुप्ता	ज्यूलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया	11.12.99 से 12.12.99
43.	वानु वोकाडे सुनील बाल कृष्णा	डाय.वा.ला.इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया देहरादून	13.12.99 से 18.12.99
44.	प्रतापसिंह	—"—	13.12.99 से 18.12.99
45.	कर्नल श्यामसिंह	ओव.डब्लू.एल.डब्लू. भरतपुर	20.12.99 से 22.12.99
46.	राम चेलम कारतीकेयन वसुन्धरम	डब्लू.एल.इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया देहरादून	20.12.99 से 23.12.99
47.	जे.एस. पुनिया	डी.सी.एफ., वफर	25.12.99 से 26.12.99
48.	यशवीर	डब्लू.आई.आई. देहरादून	25.12.99 से 27.12.99
49.	श्रीमती बीनाकाक	ट्यूरिज्म मंत्री	29.12.99 से 1.1.2000
50.	एस. अहमद	फो.से.	29.12.99 से 1.1.2000
51.	शान्तनुकुमार	ऐडी.डी.जी.पी.	29.12.99 से 1.1.2000
52.	लालसिंह	ऐ.सी.एफ. करोली	9.1.2000 से 10.1.2000
53.	डी.के.कुल्हासकारन्त	मैम्बर आफ स्टेरिंगकमेटी	14.1.2000 से 17.1.2000
54.	वी. प्रभाकरण	डी.एफ.ओ.	18.1.2000 से 20.12.2000
55.	डा.डी.के. त्यागी	डी.सी.एफ.डब्लू.अल. नासिक	27.1.2000 से 28.1.2000
56.	वी.टी.पालकी	सी.एफ.अमरावली	27.1.2000 से 28.1.2000
57.	आनन्द मोहन	आई.एफ.एस.	30.1.2000 से 31.1.2000
58.	शान्तनु कुमार	आई.पी.एस.ऐडीसनल. डीजीपी	14.3.2000 से 5.3.2000
59.	आर.जी. सोनी	सी.डब्लू.एल.डब्लू.	9.3.2000 से 10.3.2000
60.	एस. अहमद	फो.से.	11, 12, 14, 15, 17 से 24.3.2000
61.	डी.पी. गोविल	सी.सी.एफ.	24.3.2000 से 26.3.2000

छबड़ा से छीपाबड़ौद तक बसों का संचालन

377. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा-छीपावड़ौद होकर या छबड़ा-छीपाबड़ौद तक कब से कब-कब कौन-कौनसी बसें कहां-कहां से कहां तक के लिए चलती है ?

(2) क्या वर्तमान में उक्त सभी बसें चल रही हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उन बसों को पुनः चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) छबड़ा-छीपाबड़ौद होकर या छबड़ा छीपाबड़ौद तक मार्ग के छबड़ा से बैजाजपुर पर तीन निजी बसों की प्रतिदिन 6 सिंगल सेवा तथा हरनावदा से छबड़ा मार्ग पर छः निजी बसों की प्रतिदिन 22 सिंगल सेवा संचालित है। इन मार्गों की बसों के पंजीयन नम्बर एवं समय सारणी का विवरण परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है। सालपुरा से छबड़ा मार्ग पर बारां से भोपाल वाया छबड़ा निगम की 2 सेवायें 15 अप्रेल, 91 से प्रारम्भ की गई थी तथा उक्त दोनों सेवायें निर्बाध रूप से संचालित हो रही हैं। बारां से छीपा बड़ौद होकर निगम के परिचक्र अप्रेल, 95 से संचालित किये गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में इन मार्गों की सभी निजी बसें मार्ग पर संचालित हैं। परन्तु निगम की उक्त सेवाओं में से अत्यन्त कम आय प्रति कि.मी. प्राप्त होने अर्थात् अलाभकारी संचालन होने से परिचक्रों की जनवरी, 1999 से कटौती की गई, का विवरण परिशिष्ट "3" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

मार्ग छबड़ा से बैजाजपुर

बैजाजपुर	छीपाबड़ौद	छबड़ा
	वाहन सं. आर. एस.बी. 256	
प्र.8.00 ए.एम.	आगमन 10.00 ए.एम.	आ.11.15 ए.एम.
	प्रस्थान 10.15 ए.एम.	
आ.4.30 पी.एम.	आगमन 2.20 पी.एम.	प्र.1.20 पी.एम.
	प्रस्थान 2.30 पी.एम.	
	वाहन सं. आर.जे.जी. 3815	
प्र.7.00 ए.एम.	आगमन 9.00 ए.एम.	आ.10.00 ए.एम.
	प्रस्थान 9.15 ए.एम.	

आ.5.05 पी.एम.	आगमन 2.45 पी.एम. प्रस्थान 3.05 पी.एम.	प्र.2.00 पी.एम.

वाहन सं. आर.जे.पी. 5195

प्र.6.30 ए.एम.	आगमन 8.30 ए.एम. प्रस्थान 8.45 ए.एम.	आ.9.30 ए.एम.
आ.7.00 पी.एम.	आगमन 4.45 पी.एम. प्रस्थान 5.00 पी.एम.	प्र.4.00 पी.एम.

मार्ग हरनावदा से छबड़ा

वाहन सं. आर.जे.17/पी 0149

हरनावदा	छीपाबड़ौद	छबड़ा
प्रस्थान 7.00 ए.एम.	—	आगमन 9.30 ए.एम.
आगमन 12.30 पी.एम.	—	प्रस्थान 10.00 ए.एम.
प्रस्थान 1.10 पी.एम.	—	आगमन 3.30 पी.एम.
आगमन 6.10 पी.एम.	—	प्रस्थान 3.40 पी.एम.

वाहन सं. आर.जे.ओ. 4651

आगमन 10.45 ए.एम.	—	प्रस्थान 8.15 ए.एम.
प्रस्थान 4.25 पी.एम.	—	आगमन 6.45 पी.एम.

वाहन सं. आर.जे. 28/पी 0005

प्रस्थान 8.25 ए.एम.	—	आगमन 10.55 ए.एम.
आगमन 2.35 पी.एम.	—	प्रस्थान 12.05 पी.एम.
प्रस्थान 2.50 पी.एम.	—	आगमन 5.25 पी.एम.
आगमन 8.10 पी.एम.	—	प्रस्थान 5.30 पी.एम.

वाहन सं. आर.जे. 28पी/0044

प्रस्थान 6.00 ए.एम.	—	आगमन 8.15 ए.एम.
आगमन 11.15 ए.एम.	—	प्रस्थान 8.45 ए.एम.
प्रस्थान 11.30 ए.एम.	—	आगमन 2.00 पी.एम.
आगमन 5.15 पी.एम.	—	प्रस्थान 3.00 पी.एम.

वाहन सं. आर.जे. 17/पी 0072

प्रस्थान 7.30 ए.एम.	—	आगमन 10.00 ए.एम.
आगमन 1.50 ए.एम.	—	प्रस्थान 11.20 ए.एम.
प्रस्थान 2.10 पी.एम.	—	आगमन 4.40 पी.एम.
आगमन 7.20 पी.एम.	—	प्रस्थान 4.45 पी.एम.

वाहन सं. आर.जे. 17/पी 0306

हरनावदा	छीपाबड़ौद	छबड़ा
आगमन 9.45 ए.एम.	आगमन 8.15 ए.एम. प्रस्थान 8.30 ए.एम.	प्र.7.30 ए.एम.
प्रस्थान 10.20 ए.एम.	आगमन 11.35 ए.एम. प्रस्थान 11.45 ए.एम.	आ.12.35 पी.एम.
आगमन 3.05 पी.एम.	आगमन 1.45 पी.एम. प्रस्थान 2.00 पी.एम.	प्र.12.50 पी.एम.
प्रस्थान 3.30 पी.एम.	आगमन 4.45 पी.एम. प्रस्थान 5.30 पी.एम.	आ.6.15 पी.एम.

परिशिष्ट-2

1.	कोटा मनोहर थाना वाया छीपाबड़ौद	2
2.	कोटा-हरनावदाशाहजी वाया छीपाबड़ौद	2
3.	बारां-छीपाबड़ौद	9
4.	इकलेरा-सालपुरा वाया छीपाबड़ौद	9
5.	बारां-अकलेरा वाया छीपाबड़ौद	3
6.	छीपाबड़ौद-कोटा	2
7.	छीपाबड़ौद-अलवर वाया बारां-कोटा-जयपुर	1
8.	बारां-सरडा वाया छीपाबड़ौद-अकलेरा	2
9.	सालपुरा-छीपाबड़ौद	5
10.	छीपाबड़ौद-उदयपुर	1
11.	बारां-इन्दौर वाया छीपाबड़ौद	2

इसके अतिरिक्त बारां-भोपाल वाया छीपाबड़ौद-मनोहरथाना सेवा दिनांक 1.5.1996 से संचालित की गई थी तथा औसत आय प्रति किमी. (माह अप्रेल, 1997 से मार्च, 1998 एक वर्ष की औसत) मात्र 6.52 रु. प्रति किमी. व यात्रीभार मात्र 44 प्रतिशत प्राप्त होने के कारण अगस्त, 1998 में संचालन हानिप्रद होने से बन्द की गई थी।

परिशिष्ट-3

1. छीपाबड़ौद	2 परिचक्र कम
2. इकलेरा-सालपुरा	3 परिचक्र कम
3. बारां-अकलेरा	1 परिचक्र कम
4. छीपाबड़ौद-अलवर	1 परिचक्र कम कर उक्त सेवा को छीपा बड़ौद से अलवर के स्थान पर बारां से अलवर संचालित किया जा रहा है।
5. सालपुरा-छीपाबड़ौद	5 परिचक्र कम

6. बारां-इन्दौर वाया छीपाबड़ौद-अकलेरा अप्रेल, 1994 में संचालित की गई थी किन्तु आय व यात्रीभार अत्यन्त कम प्राप्त होने से अप्रेल, 1997 से मार्च, 1998 तक एक वर्ष की औसतआय मात्र 7.29 प्रति किमी. व यात्रीभार केवल 49 प्रतिशत प्राप्त होने अर्थात् हानिप्रद अन्तर्राज्यीय सेवा होने के कारण नवम्बर, 1998 में संचालन बन्द किया गया।

इस प्रकार वर्ष 1995 की तुलना में वाया छीपाबड़ौद होकर संचालित की जाने वाली बसों के कुल 12 परिचक्र की आय संचालन लागत 9.76 रु. प्रति किमी. से अत्यन्त कम अर्थात् औसत 5.64 रु. प्रति किमी. व यात्रीभार मात्र 40 प्रतिशत प्राप्त होने के कारण ही कम किये गये हैं।

बारां से छीपाबड़ौद होकर अकलेरा मार्ग पर सर्वाधिक अनाधिकृत वाहन संचालन होने से निगम वाहनों की आय अत्यन्त कम प्राप्त होने से संचालित परिचक्रों में घाटे के कारण कम किये गये हैं।

बारां से वाया छबड़ा होकर अप्रेल, 1995 से दिसम्बर, 1995 तक निम्नलिखित सेवायें संचालित की गई थी: —

1. छबड़ा-जोधपुर	1 परिचक्र
2. छबड़ा-कोटा	4 परिचक्र
3. बारां-छबड़ा	4 परिचक्र
4. बारां-भोपाल वाया छबड़ा	2 परिचक्र

वर्तमान में उक्त 11 परिचक्रों में से 9 परिचक्रों की आय अत्यन्त कम मात्र 4.72 रु. प्रति किमी. प्राप्त होने के कारण संचालन बन्द किया गया क्योंकि सालपुरा से छबड़ा 22 किमी. अराष्ट्रीयकृत मार्ग है एवं उस पर निजी बसें, जीप जोंगा व किसान गाड़ियां संचालित हो रही है। इसके अतिरिक्त छबड़ा से बारां व कोटा सीधी 6 ट्रेन सेवाएं निगम बसों की तुलना में कम किराये में उपलब्ध होने से पर्याप्त यात्रीभार निगम वाहनों को प्राप्त नहीं होने से संचालन बन्द करना पड़ा।

वर्तमान में नवीन समय-सारिणी 2000 प्रगति पर है तथा उक्त समय सारिणी 20 अप्रेल, 2000 से लागू होने पर वाया छीपाबड़ौद पर बन्द किये गये परिचक्रों को पुनः आरम्भ किये जाने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों को सुविधाएं

378. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या एसीसी. सीमेन्ट फैक्ट्री लाखेरी (बून्दी) द्वारा खनिज विभाग से लाइम स्टोन की खदान क्षेत्र लीज पर लिया हुआ है? यदि हां, तो फैक्ट्री के नाम में कुल कितना क्षेत्र कहां-कहां लीज पर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्षों में स्वयं की लीज पर ली गई खदानों से कितना लाइम स्टोन निकाला गया एवं विभाग को कितनी रायल्टी फैक्ट्री से प्राप्त हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 3 वर्षों में स्वयं की लीज क्षेत्र पर खुदाई कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी-कितनी रही है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को फैक्ट्री द्वारा कोई सुविधाएं दी जा रही हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। एसीसी. सीमेन्ट फैक्ट्री लाखेरी (बून्दी) को खनिज विभाग द्वारा लाइम स्टोन खदान क्षेत्र के 3 पट्टे लीज पर दिए हुए हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है : —

(1) निकट ग्राम लाखेरी, चामोली, तहसील, केशवरायपाटन, जिला बून्दी में 3980 हैक्टेयर क्षेत्र का खननपट्टा दिनांक 1.8.43 से स्वीकृत होकर 31.7.93 तक नवीनीकृत होकर प्रभावी रहा। इस क्षेत्र का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन दिनांक 31.7.92 को प्राप्त हुआ लेकिन 3980 हैक्टयर क्षेत्र में से 2873 हैक्टेयर वन क्षेत्र में आने से गैर वन क्षेत्र एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डाईवर्शन क्षेत्र के नवीनीकरण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। वर्तमान में पट्टाधारी बढ़ी हुई अवधि में कार्य कर रहा है। नियमानुसार नवीनीकरण

(खनिज राज्य मंत्री)

आवेदन पत्र के लम्बित रहते पट्टाधारी गैर वन क्षेत्र में खनन कार्य कर सकता है।

(2) निकट ग्राम कोटरी, केमली, तहसील नैनवा, जिला बून्दी में खननपट्टा दिनांक 26.9.69 से 233.10 हैक्टेयर के लिए अवधि 13.5.90 तक स्वीकृत है। इसका नवीनीकरण आवेदन पत्र 12.5.89 को प्राप्त हुआ। इस खननपट्टे का सम्पूर्ण क्षेत्र वन क्षेत्र में आने से 28 हैक्टेयर के डाईवर्शन की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.5.97 से प्रदान की गई। सम्पूर्ण क्षेत्र वन क्षेत्र में आने के कारण खनन कार्य बन्द है।

3. निकट ग्राम लाखेरी (सांडलनाला), तहसील केशवरायपाटन, जिला बून्दी में खनन पट्टा आदेश दिनांक 10.5.78 से 137.68 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए स्वीकृत होकर दिनांक 12.4.99 तक रहा। इस क्षेत्र का प्रथम नवीनीकरण आवेदन-पत्र दिनांक 9.9.97 को प्रस्तुत हुआ। स्वीकृत क्षेत्र 137.68 हैक्टेयर में से 75.50 हैक्टेयर वन क्षेत्र में आता है। जिसमें से 13.50 हैक्टेयर के लिए डाईवर्शन की मंजूरी भारत सरकार के पत्र दिनांक 6.5.98 से प्राप्त हुई। नवीनीकरण की कार्यवाही वन क्षेत्र की पुष्टि आदि के कारण प्रक्रिया में है।

(2) गत तीन वर्षों का उत्पादन व रायल्टी का विवरण निम्नानुसार है: —

नि.ग्रा.	उत्पादन (टन में)			रॉयल्टी (लाख रु. में)		
	96-97	97-98	98-99	96-97	97-98	98-99
लाखेरी	2,07,286	4,07,873	5,07,400	51.82	134.890	164.050
कोटरी केमली	19,934	शून्य	शून्य	4.98	0.57	शून्य
लाखेरी (सांडलनाला)	17,485	शून्य	18,951	4.37	0.34	6.70
योग	2,44,705	4,07,873	5,26,351	61.17	135.80	170.750

(3) औसत श्रमिक संख्या प्रतिदिन

	96-97	97-98	98-99
1. लाखेरी	247	189	120
2. कोटरी (कमली)	1	—	—
3. लाखेरी (सांडलनाला)	1	—	39
योग	249	189	159

खान में कार्य करने वाले श्रमिकों को फैक्ट्री द्वारा चिकित्सा, आवास, बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा, कैन्टीन और श्रम-कल्याण केन्द्र के साथ श्रम अधिनियम के अन्तर्गत वांछित सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा का जैन हत्या प्रकरण

379. श्री जीतमल (बादोरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 की अवधि में कुल कितनी हत्याएं, डकैती, लूटपाट, आत्महत्या, बलात्कार, आगजनी आदि की घटनाएं हुई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं में अब तक कितने अपराधियों को पकड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या बागीदोरा कस्बे में जैन हत्या काण्ड में हत्यारों को ढूंढ़ने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? अब तक हत्यारों को पकड़ने में पुलिस असफल क्यों रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र जिला बांसवाड़ा में कंलिजरा, आनन्दपुरी, सल्लोपाट व गढ़ी थानों का क्षेत्र आता है। 1 दिसम्बर, 1998 से 29 फरवरी, 2000 के मध्य इन थानों में हत्या के 12, डकैती के 3, लूट के 2, आत्म-हत्या के शून्य, बलात्कारर के 15, तथा आगजनी के 13 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। थानेवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) प्रश्न के बिन्दु 1 में अंकित शीर्षकों की शीर्षकवार गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या : सूची निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) जी, हां। श्री मनोज जैन की हत्या के संबंध में दर्ज अभियोग संख्या : 183/99 थाना कलिंजरा में अनुसंधान के दौरान मौके से चांस प्रिन्ट उठवाकर संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिन्ट से मिलान करवाया गया। जासूसी कुत्तों की मदद से अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न किये गये। मृतक के परिवार की दुश्मनी सम्बन्धी जांच करवाई गई।

इस घटना के घटित होते ही लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो जाने से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जाने के कारण एवं अभियुक्त अज्ञात होने के कारण अभी तक इस प्रकरण में सफलता नहीं मिल सकी है। अनुसंधान जारी है।

परिशिष्ट-अ

बागीदोरा विधा सभा क्षेत्र में 1 दिसम्बर, 98 से फरवरी, 2000 दर्ज हत्या, डकैती, लूटपाट, आत्म हत्या, बलात्कार व आगजनी की संख्या सूची

क्र.सं.	नाम थाना	हत्या	डकैती	लूट	आत्महत्या	बलात्कार	आगजनी
1.	कलिंजरा	2	2	—	—	—	1
2.	आनन्दपुरी	4	1	—	—	7	3
3.	सल्लोपाट	3	—	—	—	1	5
4.	गढी	3	—	2	—	7	4
5.	योग	12	3	2	—	15	13

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में 1 दिसम्बर, 98 से फरवरी, 2000 तक दर्ज हत्या, डकैती, लूट, आत्महत्या, बलात्कार व आगजनी के निस्तारण व गिरफ्तार अभियुक्तों की सूची

क्र. सं.	अपराध की प्रकृति	कुल दर्ज अपराध	चालान	एफ आर अदम वकू	एफ अदम पता	जैर तफतीश	गिर. अभि. की संख्या	अदम गिर. अभि. की संख्या	गिर. ना होने का कारण
1.	हत्या	12	11	—	—	1	19	—	—
2.	डकैती	3	3	—	—	—	16	20	सकनत से फरार होने के कारण
3.	लूट	2	1	1	—	—	1	—	
4.	आत्महत्या	—	—	—	—	—	—	—	
5.	बलात्कार	15	12	2	—	1	19	1	प्रकरण अनुसंधा-नाधीन होने के कारण
6.	आगजनी	13	9	1	1	2	32	—	

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 अप्रेल, 2000)

विशिष्ट न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों की नियुक्ति

207. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) एवं **श्री देवीलाल बैरवा** (शाहपुरा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति / जनजाति के लोगों पर अत्याचारों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? गत पांच वर्षों में घटित ऐसे अपराधों की संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989 के पालनार्थ विशिष्ट न्यायालय सभी जिलों में अभी तक स्थापित नहीं किये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे विशिष्ट न्यायालय में अनुसूचित जाति / जनजाति के विशिष्ट लोक अभियोजकों के अभाव में पीड़ित पक्ष को सही न्याय नहीं मिल पाता है?

(4) क्या विधि मंत्रालय द्वारा ऐसे विशिष्टि न्यायालयों में अनुसूचित जाति/ जनजाति के विशिष्ट लोक अभियोजकों की बजाय गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोक अभियोजकों को नियुक्तियां दी गई हैं? फरवरी-मार्च, 1999 में जारी नियुक्तियों की सूची नाम, जाति एवं जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विशिष्ट न्यायालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार-निवारण) में अनुसूचित जाति/जनजाति के विशिष्ट लोक अभियोजकों को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सूचना रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से चाही गई थी जिनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस प्रश्न का संबंध उच्च न्यायालय से नहीं है।

(2) जी, हां। यह सही है कि राज्य के सभी जिलों में अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विशिष्ट न्यायालय अभी तक स्थापित नहीं है, लेकिन निम्न 17 जिलों अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, मोटा, मेड़ता (जिला नागौर), पाली, प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़गढ़) सवाईमाधोपुर, टोंक तथा उदयपुर में उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय स्थापित किये जा चुके हैं, जो वर्तमान में कार्यरत है।

शेष जिलों में इस अधिनियम के अंतर्गत अन्वीक्षा (ट्रायल) हेतु संबंधित सैशन्स न्यायालय को अधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को अधिक संख्या होने पर उच्च न्यायालय से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होने पर ऐसे न्यायालयों का सृजन किया जाता है।

(विधि मंत्री)

(3) यह सही नहीं है। विशिष्ठ न्यायालयों में विशिष्ठ लोक अभियोजक की नियुक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला कलक्टर के द्वारा प्रस्तुत पैनल के आधार पर ही की जाती है। जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा योग्यता के आधार पर अभिभाषकों के नाम अंकित किये जाते हैं।

(4) लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्तियां जो कि अभिभाषकों में से की जाती है, वे नियमित सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। अतः इन नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं होता है। फरवरी-मार्च, 1999 में जारी नियुक्तियों की सूची परिशिष्ठ "क" संलग्न है।

(5) जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि ये नियुक्तियां नियमित सेवा में नहीं मानी जाती है तथा इन पदों पर नियुक्तियां जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से प्रेषित अभिभाषकों के पैनल के आधार पर की जाती है। इन पर आरक्षण लागू नहीं होता है।

फरवरी-मार्च, 1999 में अभिभाषकों में से की गयी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्तियों की जिलेवार सूची

जिला—अजमेर

क्र.सं.	नाम व पद	जाति
1	2	3
1.	श्री टहल जे. बुलानी, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री राजेश जैन, अपर लोक अभियोजक सं.-1	सामान्य
3.	श्रीमती इन्द्रा राठौड़, अपर लोक अभियोजक सं.-2	सामान्य
4.	सुश्री गंगा अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक, ब्यावर	सामान्य
5.	श्री हीरालाल चौधरी, अपर लोक अभि. किशनगढ़	ओ.बी.सी.
6.	श्री मंजूर अली, विशिष्ठ लोक अभियोजक (एस.सी/एस.टी.)	ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक

जिला—अलवर

1.	श्री चैन नारायण गुप्ता, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री बद्री सिंह जागृत, अपर लोक अभियोजक सं.-1	ज्ञात नहीं
3.	श्री भूपसिंह यादव, अपर लोक अभि.सं.-1, किशनगढ़बास	ओ.बी.सी.
4.	श्री पूर्णचन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक सं.-2	सामान्य

1	2	3
5.	श्री पल्टू खां, अपर लोक अभियोजक (सिविल)	अल्पसंख्यक
6.	श्री प्रभूसिंह, अपर लोक अभियोजक, बहरोड़	ओ.बी.सी.
7.	श्री सीताराम वशिष्ट, अपर लोक अभियोजक, राजगढ़	सामान्य
8.	श्री सुबेसिंह यादव, अपर लोक अभि.सं.-2, किशनगढ़बास	ओ.बी.सी.
जिला—उदयपुर		
1.	श्री चांदमल सांखला, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री सुरेश चन्द द्विवेदी, अपर लोक अभियोजक सं.-2	सामान्य
3.	श्री नवनीत लाल वर्मा, अपर लोक अभियोजक सं.-1	एस.सी.
4.	श्री नकुल देव शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.)	सामान्य
जिला-कोटा		
1.	श्री सुरेश चन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक सं.-3	सामान्य
2.	श्री दिनेश कुमार पारीक, अपर लोक अभि. सं.-2	सामान्य
3.	श्री आबिद हुसैन अब्बासी, अपर लोक अभि. सं.-1	अल्पसंख्यक
4.	श्री अशोक कालरा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.)	सामान्य
जिला—श्री गंगानगर		
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार सिहाग, अपर लोक अभि. सं.-1	ओ.बी.सी.
2.	श्री रामचन्द्र विश्नोई, अपर लोक अभि. सं.-2	ओ.बी.सी.
3.	श्री जरनैल सिंह टूरना, अपर लोक अभि. (सिविल)	ज्ञात नहीं
4.	श्री राजेन्द्र कुमार बत्रा, अपर लोक अभियोजक सं.-3, श्रीकरणपुर	ज्ञात नहीं
5.	श्री मदनसिंह चारण, अपर लोक अभि. रायसिंहनगर	ओ.बी.सी.
6.	श्री अमरप्रीत सिंह बाजवा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.)	ज्ञात नहीं
7.	श्री हरबन्स लाल मिगलानी, विशिष्ट लोक अभियोजक (महिला उत्पीड़न)	सामान्य
8.	श्री मिलकीयत सिंह नन्दा, विशिष्ट लोक अभि. (एन.डी.पी.एस. एक्ट)	ज्ञात नहीं
9.	श्री कश्मीरी लाल चांवला, अपर लोक अभियोजक, अनूपगढ़	सामान्य

1	2	3
जिला—चूरू		
1.	श्री अनवर खां, लोक अभियोजक	अल्प संख्यक
2.	श्री काशीराम शर्मा, अपर लोक अभियोजक	सामान्य
3.	श्री नौरंग लाल पील, अपर लोक अभि. रतनगढ़	ओ.बी.सी.
4.	श्री फतेह चन्द पूनियां, अपर लोक अभि. राजगढ़	ओ.बी.सी.
जिला—चित्तौड़गढ़		
1.	श्री ललित कुमार भावसर, लोक अभियोजक, प्रतापगढ़	ज्ञात नहीं
2.	श्री मदन लाल जैन, अपर लोक अभि. संख्या-1	सामान्य
3.	श्री श्याम लाल शर्मा, अपर लोक अभि. निम्बाहेड़ा	सामान्य
4.	श्री रामेश्वर लाल झंवर, अपर लोक अभियोजक सं.-2	ज्ञात नहीं
5.	श्री यशवन्त कुमार गुप्ता, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.), प्रतापगढ़	सामान्य
6.	श्री सुरेश चन्द शर्मा, विशिष्ट लोक अभि. (एन.डी.पी.एस. एक्ट)	सामान्य
जिला—जालौर		
1.	श्री सोहन सिंह देवड़ा, लोक अभियोजक	ओ.बी.सी.
जिला—जयपुर		
1.	श्री शिवचन्द साहू, लोक अभियोजक, जयपुर शहर	ओ.बी.सी.
2.	श्री हरिनारायण गुप्ता, लोक अभियोजक, जयपुर जिला	सामान्य
3.	श्री मोहम्मद इकबाल खां, अपर लोक अभि. सं.-1, जयपुर शहर	अल्प संख्यक
4.	श्री बुनियाद मोहम्मद, विशिष्ट लोक अभियोजक (सती निवारण न्यायालय), जयपुर	अल्प संख्यक
5.	श्री हनुमान सहाय पारीक, अपर लोक अभि. सांभर	सामान्य
जिला—जोधपुर		
1.	श्री नन्द किशोर व्यास, अपर लोक अभियोजक संख्या-3 (सिविल)	सामान्य
2.	श्री दिनेश मल भण्डारी, अपर लोक अभियोजक संख्या-1 (सिविल)	सामान्य
3.	श्री लूणकरण पुरोहित, अपर लोक अभियोजक सं.-1	सामान्य
4.	श्री आसूसिंह, अपर लोक अभियोजक, फलौदी	सामान्य
5.	सुश्री शान्ता ओझा, अपर लोक अभि. सं.-2	सामान्य

1	2	3
जिला—जैसलमेर		
1.	श्री जालम सिंह सोढ़ा, लोक अभियोजक	सामान्य
जिला—झालावाड़		
1.	श्री रमेश चन्द शर्मा, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री मनोहर सिंह, अपर लोक अभियोजक	सामान्य
3.	श्री आरिफ हुसैन कुरेशी, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी/एस.टी.)	अल्प संख्यक
4.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट)	सामान्य
जिला—झुन्झुनूं		
1.	श्री बीरबल सिंह गजराज, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री बनवारी लाल ढाका, अपर लोक अभियोजक (सिविल) संख्या-1	सामान्य
3.	श्री महावीर प्रसाद जांगिड़, अपर लोक अभियोजक खेतड़ी	ओ.बी.सी.
जिला—टोंक		
1.	श्री शांति प्रकाश मून्दड़ा, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री जगदीश प्रसाद टांक, अपर लोक अभि. मालपुरा	ज्ञात नहीं
3.	श्री मेहन्दी अब्बास, विशिष्ट लोक अभियोजक (साम्प्रदायिक दंगा)	अल्प संख्यक
4.	श्री नाथूलाल पारीक, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी/एस.टी.)	सामान्य
जिला—डूंगरपुर		
1.	श्री राजेश कुमार सक्सैना, लोक अभियोजक	सामान्य
जिला—दौसा		
1.	श्री ताराचन्द गुप्ता, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री रामकिशन मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी/एस.टी.)	एस.टी.
3.	श्री रामराय शर्मा, अपर लोक अभि. बांदीकुई	सामान्य

1	2	3
जिला—धौलपुर		
1.	श्री वीरेन्द्र सक्सैना, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री लक्ष्मण सिंह बैंसला, अपर लोक अभियोजक	ज्ञात नहीं
जिला—नागौर		
1.	श्री दौलतराम मिर्धा, लोक अभियोजक, मेड़तासिटी	सामान्य
2.	श्री आईदाना राम, अपर लोक अभि. नागौर	ओ.बी.सी.
3.	श्री हेमाराम बेडा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.) मेड़ता सिटी	ओ.बी.सी.
जिला—पाली		
1.	श्री राधाकिशन बोहरा, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री भभूताराम, अपर लोक अभियोजक	ज्ञात नहीं
3.	श्री कमल श्रीमाली, अपर लोक अभि., बाली	सामान्य
4.	श्री आत्माराम टांक, अपर लोक अभि. सोजत	ज्ञात नहीं
5.	श्री गणपत सिंह, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.)	सामान्य
जिला—बून्दी		
1.	श्री अनिल शर्मा, लोक अभियोजक	सामान्य
जिला—बारां		
1.	श्री मोहम्मद असलम, अपर लोक अभि. सं.-2	अल्पसंख्यक
जिला—बीकानेर		
1.	श्री रईस अहमद कादरी, अपर लोक अभि. सं.-1	अल्पसंख्यक
2.	श्री शिवलाल पुरोहित, अपर लोक अभि. सं.-2	सामान्य
3.	श्री किशोर सिंह शेखावत, विशिष्ठ लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.)	सामान्य
जिला—बांसवाड़ा		
1.	श्री गम्भीर चन्द पाटीदार, लोक अभियोजक	ज्ञात नहीं
2.	श्री सुरेश कुमार दोसी, अपर लोक अभियोजक	सामान्य

1	2	3
जिला—बाड़मेर		
1.	श्री मानाराम विश्नोई, लोक अभियोजक, बालोतरा	ओ.बी.सी.
2.	श्री सोहन लाल चौधरी, अपर लोक अभि., बाड़मेर	ओ.बी.सी.
जिला—भरतपुर		
1.	श्री बृजेन्द्र प्रसाद शर्मा, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री धर्मप्रिय शर्मा, अपर लोक अभि. बयाना	सामान्य
3.	श्री सुरेश चन्द पाण्डे, अपर लोक अभि. (सिविल)	सामान्य
जिला—भीलवाड़ा		
1.	श्री अरुण व्यास, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री विनोद कुमार बाफना, अपर लोक अभि. सं.-1	सामान्य
3.	श्री कृष्ण चन्द सारस्वत, अपर लोक अभि. सं.-2	सामान्य
4.	श्रीमती नीलम बसंल, विशिष्ट लोक अभियोजक (महिला उत्पीड़न)	सामान्य
5.	श्री श्यामलाल आगाल, विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट)	ज्ञात नहीं
6.	श्री मथुरा प्रसाद बोहरा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एस.सी./एस.टी.)	सामान्य
7.	श्री कैलाश पाराशर, अपर लोक अभि. गुलाबपुरा	सामान्य
जिला—राजसमन्द		
1.	श्री राधाकिशन दाधीच, लोक अभियोजक	सामान्य
जिला—सिरोही		
1.	श्री किशन सिंह देवड़ा, लोक अभियोजक	ओ.बी.सी.
2.	श्री महेन्द्र शर्मा, अपर लोक अभि. आबूरोड	सामान्य
जिला—सवाईमाधोपुर		
1.	श्री बृजराज सिंह राजावत, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अपर लोक अभियोजक, गंगापुर सिटी	सामान्य

1	2	3
जिला—सीकर		
1.	श्री किशन सिंह पिलानिया, लोक अभियोजक	ओ.बी.सी.
2.	श्री दशरथ सिंह, अपर लोक अभियोजक	सामान्य
जिला—हनुमानगढ़		
1.	श्री विजय शर्मा, लोक अभियोजक	सामान्य
2.	श्री मनसाराम झोरड़, अपर लोक अभि. सं.-1	ओ.बी.सी.
3.	श्री मोतीलाल कन्दोई, अपर लोक अभि. (सिविल)	सामान्य
4.	श्री प्रहलाद सिंह आर्य, अपर लोक अभि., नौहर	ओ.बी.सी.
5.	श्री श्यामलाल नागपाल, अपर लोक अभियोजक सं.-2	ज्ञात नहीं
6.	श्री तेजसिंह राठौड़, विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट)	सामान्य
जिला—करौली		
1.	श्री कन्हैया लाल गुर्जर, अपर लोक अभियोजक, हिण्डौन सिटी	ओ.बी.सी.

राज्य में अकाल के कारण सहकारी ऋणों की वसूली पर रोक

380. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत वर्ष और इस वर्ष अकाल है और सहकारी ऋण की वसूली काश्तकारों से की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल की स्थिति होने के कारण नाबार्ड भी ऋण वसूली पर छूट देती आ रही है? यदि हां, तो राज्य सरकार ऋण वसूली स्थगित क्यों नहीं कर रही है?

(3) क्या सरकार काश्तकारों से ऋण वसूली स्थगित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अकाल के कारण कभी सहकारी ऋण वसूली स्थगित की गई? यदि हां, तो कब-कब और अब क्यों नहीं की जा रही है?

उत्तर

(1) अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दी गई है एवं अन्य ऋणों की वसूली की जा रही है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां। अकाल की स्थिति में नाबार्ड की सहमति से अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा कर वसूली स्थगित की जाती है। दिनांक 16.3.2000 के द्वारा सभी बैंकों को पत्र लिख कर वसूली स्थगित कर दी है।

(3) जी, हां। अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन के निर्देश बैंकों को दिनांक 16.3.2000 को दे दिये गये हैं।

(4) जी, हां। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में निम्नानुसार वर्षों में ऋणों को परिवर्तित कर स्थगन किया गया था: —

1993-94

1995-96

1997-98

1998-99

अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन के निर्देश बैंकों को दे दिये गये हैं।

कोटा शहर के उद्योगों से वसूली जा रही राशि

381. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चम्बल नदी में पर्याप्त पानी है? यदि हां, तो फिर नलकूप क्यों खोदे गये?

(2) उक्त शहर में कितने नलकूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गत 3 वर्षों में कब-कब खोदे तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

(3) उक्त शहर में नलकूपों से जो पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त शहर में खोदे गये नलकूपों में से कितने नलकूप क्यों बन्द है?

(5) कोटा शहर में पानी उपलब्ध कराने हेतु उद्योगों से किस हिसाब से राशि ली जाती है? क्या सामान्य दर से लगभग 10 गुना धन वसूला जाता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। पाईप लाईनों के अंतिम छोर वाले क्षेत्रों में एवं ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में जल दबाव की समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीक सस्ते उपाय के रूप में नलकूप खोदे गये ताकि संबंधित क्षेत्रों में पानी के कम दबाव की समस्या का ग्रीष्मकाल में समाधान हो सके।

(2) कोटा शहर में गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार नलकूप खोदे गये: —

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्ष	खोदे गये नलकूपों की सं.	व्यय	डिपोजिट कार्य के तहत खोदे गये
1	2	3	4
1997-98	11	17.92 लाख	6
1998-99	17	27.95 लाख	4
1999-2000	24	28.07 लाख	—

(3) जी, नहीं। नलकूपों से प्राप्त जल स्वीकृत प्रचलित मापदण्डों के अनुरूप होने के कारण सीधे ही स्वच्छ जलाशय अथवा पाईप लाईनों में लेकर वितरित किया जा रहा है।

(4) शहर में स्थापित कुल 81 नलकूपों में से 32 नलकूप निम्न कारणों से बन्द किये गये:—अकेलगढ़ हैण्ड वर्क्स से शहर के विभिन्न भागों में नवनिर्मित उच्च जलाशयों/स्वच्छ जलाशयों से जल वितरण प्रारम्भ करने के पश्चात हुए जब दबाव में सुधार के कारण 21 नलकूपों को उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। पानी की क्वालिटी खराब हो जाने के कारण 3 नलकूपों को बन्द कर दिया गया है। नकारा होने पर 2 नलकूपों को बन्द कर दिया गया है। पानी की आवक कम हो जाने के कारण 6 नलकूपों को बन्द कर दिया गया है।

(5) कोटा शहर में भी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.99 द्वारा निर्धारित दर से उद्योगों से जल राजस्व वसूली की जाती है। विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। उद्योगों की जल राजस्व वसूली दर 10 गुना से काफी कम है। सामान्य घरेलू दर जल उत्पादन लागत से काफी कम मूलभूत आवश्यकता एवं सामुदायिक सेवा को ध्यान में रखते हुए रखी गई है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	खपत	औद्योगिक दर प्रति हजार लीटर (रुपये)	
		ग्रोस	नेट
1.	0 से 15000 लीटर	11.00	8.80
2.	15000 से 40000	13.75	11.00
3.	40000 से अधिक	16.25	13.20
4.	कम से कम	120.00	96.00

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की कृषि उपज मंडी द्वारा सड़कों की मरम्मत पर व्यय

382. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर में गेहूं, सरसों, बाजरा,

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

आलू, मटर, टमाटर व मिर्च इत्यादि के मुख्य बाजार होने से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर का माल धौलपुर मण्डी में वर्ष भर आता रहता है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की मुख्य सड़कों का धौलपुर मण्डी द्वारा डामरीकरण व मरम्मत कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि मण्डी समिति धौलपुर में ओडेला कौलारी, सरानी खेड़ा, मोरोली, खेड़ नीम वसई, सिघावली, लज्जा की गढ़ी, सुन्दरपुर रजौरा कला, सालेपुर, रमागढा, रोड चगौरा खुर्द सड़क से भी माल आता है। क्या उक्त सड़कों की मरम्मत मण्डी समिति द्वारा की जानी चाहिए? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी?

(3) सरकार ने उक्त सड़कों की मरम्मत के लिये वर्ष 1999-2000 के बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की है? यदि हां, तो अब तक कार्य क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। मंडी समिति के पास वित्तीय संसाधन के अभाव के कारण नवीन सम्पर्क सड़कें स्वीकृत नहीं की गई है तथा मण्डी समिति धौलपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में किसी सम्पर्क सड़क का निर्माण भी नहीं करवाया गया है। अतः मरम्मत कर प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) वर्णित सड़कों से मण्डी समिति धौलपुर में वर्ष पर माल आता है परन्तु प्रश्नांकित सड़कों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पन्न नहीं कराया गया है, अतः मरम्मत का दायित्व निर्माणकर्ता विभाग का है।

(3) वर्ष 1999-2000 में उक्त सड़कं की मरम्मत हेतु कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

आवासन मंडल द्वारा विज्ञापन पर व्यय

383. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन वितरण करने की क्या नीति है? गत दो वर्षों में उक्त संस्थाओं द्वारा जयपुर, जोधपुर, कोटा से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र व स्मारिकाओं को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल में ज्योतिनगर स्थित मुख्यालय भवन के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ शाखा में कार्यरत कर्मी कितने वर्षों से समाचार वितरण का कार्य देख रहे हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन, विज्ञापन ऐजेन्सियों के माध्यम से वितरण किया

(नगरीय विकास एवं आवास मंत्री)

जाता है। मण्डल द्वारा राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर व स्थानीय समाचार पत्रों को विज्ञापन सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात् जारी किये जाते हैं।

मण्डल द्वारा विगत दो वर्षों में जयपुर, जोधपुर, कोटा से प्रकाशित समाचार पत्र व स्मारिकाओं को निम्नानुसार धनराशि के विज्ञापन जारी किये गये : —

वर्ष 1998-99 (समाचार पत्र)	**राशि रुपयों में**
जयपुर	86,23,606.20
जोधपुर	1,55,828.00
कोटा	70,064.80
वर्ष 1999-2000	
जयपुर	92,17,010.30
जोधपुर	1,87,480.80
कोटा	1,93,094.40
स्मारिकाओं (सजावटी विज्ञापन)	
वर्ष 1998-99	1,32,286.00
वर्ष 1999-2000	6,31,500.00

प्राधिकरण की विज्ञापन नीति सम्बन्धी स्थाई आदेश संख्या 2/98 दिनांक 5.3.98 के अनुसार ही विज्ञापन जारी किये जाते हैं एवं निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर द्वारा जयपुर से मान्यता प्राप्त दैनिक स्थानीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों को ही विज्ञापन जारी किये जाते हैं। राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के अतिरिक्त जोधपुर एवं कोटा से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी नहीं किये गये हैं। स्थाई आदेश संख्या 2/98 दिनांक 5.3.98 की छाया प्रति "अ" संलग्न है।

वर्ष 1997-98 में समाचार पत्रों में विज्ञापन पर 63,92,350.80 रुपये की राशि स्मारिकाओं में विज्ञापन पर 17,500.00 राशि तथा वर्ष 1998-99 में समाचार पत्रों पर विज्ञापन पर 39,94,789.00 राशि तथा स्मारिकाओं में विज्ञापन 18,000.00 राशि व्यय की गयी। विवरण की छाया प्रति "ब" संलग्न है।

(2) जन सम्पर्क प्रकोष्ठ में निम्नलिखित कर्मी कार्यरत हैं जो उनके नाम के आगे अंकित वर्षों से समाचार वितरण का कार्य देख रहे हैं: —

1. श्रीमती शशि जैन (सहायक)	अगस्त, 1992
2. श्री सुरेश पारीक (सहायक)	18.10.97
3. श्री रमेश जाटावत (क. सहायक)	3.3.1997
4. श्री भवानीशंकर (जमादार)	5.2.1994
5. श्री नवल किशोर (हैल्पर)	27.10.1994

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कजरिया सेरेमिक्स उद्योग अलवर द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट

384. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तिजारा (अलवर) स्थित कजरिया सेरेमिक्स उद्योग द्वारा ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं लगाया गया है? क्या उक्त उद्योग की प्रदूषित मिट्टी एवं

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पानी से प्राकृतिक नाला एवं सरकारी रास्ता जाम हो गया है?

(2) उक्त उद्योग में जिला अलवर के कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कुल कितने लोग इस उद्योग में कार्यरत हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं। तिजारा (अलवर) स्थित कजारिया सेरमिक्स इकाई ने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा रखा है।

जी, नहीं। दिनांक 27.3.2000 को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योग का निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त उद्योग की प्रदूषित मिट्टी एवं पानी से प्राकृतिक नाला एवं सरकारी रास्ता जाम होना नहीं पाया गया।

(2) उक्त उद्योग में अलवर जिले के 275 व्यक्ति लगे हुए हैं एवं कुल 479 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

जालौर आगार के वाहन चालक/परिचालकों के बकाया मानदेय का भुगतान

385. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वाहन चालक/परिचालकों को मानदेय का भुगतान किस वित्तीय वर्ष तक किया जा चुका है और किस वित्तीय वर्ष से भुगतान किया जाना शेष है?

(2) उक्त निगम में उक्त कर्मियों के मानदेय का समय पर भुगतान हो जाय इसके लिए क्या कोई रीति नीति या दिशा निर्देश तय किये हुए हैं?

(3) यदि हां, तो जालोर आगार के उक्त कर्मियों का मानदेय कितने समय से किस-किस का शेष है?

(4) उक्त भुगतान में देरी किन कारणों से की गई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है?

(5) अब उक्त शेष रही राशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं। निगम के चालक/परिचालकों को किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं है।

(2) निगम में किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होने से इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी, नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) देय राशि का निगम में प्रावधान नहीं है। अतः भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील नोहर (हनुमानगढ़) में अकाल राहत कार्य

386. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

(1) क्या सरकार तहसील नोहर (हनुमानगढ़) के अकालग्रस्त 179 ग्रामों में राहत कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) अकाल प्रभावित क्षेत्र के पशुओं के भरण-पोषण एवं अकाल मौत से बचाव हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के आवारा गौधन पशुओं के लिए गौशाला खोलने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के तहत पक्के निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार गौशालाओं को राहत कार्य हेतु अनुदान देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों हेतु सम्पूर्ण जिले के लिए श्रमिक सीमा आवंटित की जाती है तथा नियोजित श्रमिकों के अनुसार राशि का आवंटन किया जाता है। आवश्यकतानुसार जिले की श्रमिक सीमा में वृद्धि किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा डिपो खोलने तथा आवारा व असहाय पशुओं के लिए पशुशिविर खोलने तथा गौशालाओं के पशुओं को अनुदान दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) नोहर क्षेत्र की चार गौशालाओं द्वारा अनुदान स्वीकृत करने हेतु जिला कलक्टर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी, हां।

(5) पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये हुए हैं।

श्रीगंगानगर काटन काम्प्लैक्स का पुनर्संचालन

387. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) एवं **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर में काटन काम्प्लेक्स मिल स्थापित है? क्या यह भी सही है कि उक्त मिल लगातार लाभ में रहते हुए भी जनवरी, 2000 में बंद कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मिल के बन्द होने से मशीनें बेकार होने जा रही हैं तथा करीब 700 श्रमिक/कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल को चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मिल में करीब 75 लाख रुपये का एसी. प्लांट लगा होने के बावजूद भी उसका उपयोग

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

प्रारम्भ से ही नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार का उक्त संस्था को राजस्थान स्पिन फेड में विलय करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त मिल कब से प्रारम्भ हुई तथा उसका अब तक का वर्षवार लाभ-हानि कितना रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त मिल लाभ में रही तो उसे बन्द क्यों किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त उपक्रम में किसी प्रकार की अनियमितता होने संबंधी शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1996-97 के लाभ 18.92 लाख को छोड़कर संस्था शेष वर्षों में हानि में रही है। जनवरी, 2000 तक संस्था की शुद्ध हानि 1858.64 लाख रुपये की हो गई है। इसलिए संस्था के वित्तीय संसाधनों में कमी आने के कारण बन्द कर दी गई है।

(2) जी, हां। मिल में वित्तीय संसाधनों में कमी होने के कारण दिनांक 4.1.2000 से मिल में बजरिया छुट्टी लागू (काम बन्दी) होने से मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है तथा 605 श्रमिक/कर्मचारियों में से कामबन्दी के दौरान स्थायी कर्मचारियों को 45 दिन तक वेतन का 50% भाग प्रावधानुसार दिया गया, परन्तु वर्तमान में 605 श्रमिक/कर्मचारी बेरोजगार हैं। मिल को पुनः चालू करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय होने पर सक्षमता के आधार पर संस्था को चलाने पर पुनः विचार किया जायेगा।

(3) जी, हां। सक्षमता एवं लागत के आधार पर इसका उपयोग नहीं किया गया है। ए.सी.प्लान्ट को ट्रायल पर चलाने पर यह पाया गया कि विद्युत बिल एवं इसके उपयोग में ली जाने वाली गैस पर प्रतिवर्ष 80 लाख रुपये व्यय होने के कारण इसको अधिक व्ययशील मानते हुए इसे अनुपयोगी माना है।

(4) जी, नहीं। विलय से संबंधित बिन्दु का अध्ययन राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम), जयपुर से कराया गया। जिसके अध्ययन के आधार पर संस्था का स्पिनफैड में विलीनीकरण आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं माना है।

(5) उक्त मिल की स्थापना दिनांक 18.10.86 को हुई है तथा दिसम्बर, 1991 में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हुआ है। अब तक का वर्षवार लाभ/हानि का लेखा-जोखा निम्नांकित हैं: —

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष	(राशि लाखों में) लाभ/हानि
1991-92	- 81.05
1992-93	- 396.98
1993-94	- 120.79
1994-95	- 169.07
1995-96	- 152.61
1996-97	+ 18.92
1997-98	- 323.20
1998-99	- 535.49
1999-2000 (जनवरी,2000 तक)	- 514.15
	- 2274.42
(मार्च तक के आंकड़ें तैयार किये जा रहे हैं।)	
डेयपरीसिएशन रिटर्न बैंक 97-98	415.78
योग	- 1858.64

(6) वर्ष 96-97 में लाभ 18.92 लाख रुपये को छोड़कर संस्था हमेशा शुद्ध हानि में रही है। अब तक संस्था की शुद्ध हानि 1858.64 लाख रुपये की हो गई है। संस्था के आर्थिक संसाधनों में कमी आने के कारण दिनांक 4.1.2000 से संस्था को बन्द करना पड़ा है।

(7) जी, हां। एक प्रकरण में रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग जयपुर के आदेश क्र.फा. 1 (6) सविरा/प्रोसे/89 II दिनांक 6.6.98 द्वारा संस्था की आर्थिक अनियमितताओं की जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियां, राज., जयपुर से करवाई जा रही है। दूसरे प्रकरण में श्रीगंगानगर टैक्सटाईल लैबर यूनियन (एटक) श्री गंगानगर से प्राप्त शिकायतों पर पत्र क्रमांक फा. 1 (6) सविरा/प्रोसे/89 II दिनांक 11.5.99 द्वारा जांच संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर से करवाई जा रही है।

जिला बाड़मेर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान

388. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में पेयजल की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड/मात्रा के अनुसार नहीं की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शहर का मुख्य स्रोत भाडल में निर्मित नलकूप है जिसमें पानी की कमी के साथ गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही है?

(3) क्या उक्त मुख्य स्रोत उक्त शहर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अविश्वसनीय/अपर्याप्त है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु तथा जिला बाड़मेर के 410 गांव एवं जिला जैसलमेर के 147 गांवों एवं जिला जैसलमेर के 147 गांवों की पेयजल समस्या के भी स्थायी समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नहर को जल स्रोत मानकर मोहनगढ़ से बाड़मेर लाने की योजना बनाई है? यदि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हां, तो कब? विवरण मय नक्शों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार विस्तृत सर्वेक्षण करने एवं प्रोजेक्ट बनाने में बड़ा विलम्ब कर रही है?

(6) उक्त योजना की स्वीकृति का क्रियान्वयन सरकार कब तक करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त योजना का जब तक क्रियान्वयन हो, तब तक की अल्प अवधि में बाड़मेर शहर के पेयजल समाधान के लिये सरकार क्या वैकल्पिक योजना तैयार कर राहत पहुंचायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। बाड़मेर शहर में वितरित किया जा रहा पेयजल गुणवत्ता में विभागीय प्रचलित मानदण्डों के अनुकूल है। वर्तमान वितरण जल स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जो मानदण्डों से कम है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। वर्तमान स्रोत विश्वसनीय एवं पर्याप्त है।

(4) जी, नहीं। बाड़मेर शहर बाड़मेर ज़िले के 410 गांव व जैसलमेर जिले के 147 गांवों के पेयजल हेतु दीर्घकालीन व्यवस्था के संदर्भ में इन्दिरा गांधी नहर को जल स्रोत मानकर योजना बनाने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन के पश्चात् वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनाना प्रस्तावित है।

(5) जी, नहीं। इस कार्य को प्राथमिकता पर करवाया जा रहा है।

(6) वर्तमान में चल रहे अध्ययन के आधार पर व तदनुसार योजना बनने पर योजना पर विचार हो सकेगा। वर्तमान में बाड़मेर में पेयजल वितरण संतोषप्रद है।

(7) बाड़मेर शहर हेतु 6 नये नलकूप बनाने की स्वीकृति दे दी गई है, जिन्हें इसी वर्ष चालू करना प्रस्तावित है।

कृषि उपज मण्डी नवलगढ़ (झुन्झुनूं) की आय/व्यय

389. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनूं में नवलगढ़ कृषि उपज मण्डी तथा उसकी गौण मंडियों से वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 की अवधि में कितनी-कितनी आय हुई?

(2) क्या यह सही है कि मण्डियों से होने वाली आय का कुछ प्रतिशत उस क्षेत्र के सड़क आदि तथा अन्य स्थानीय विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्यों पर इस क्षेत्र में राशि व्यय की गई?

(3) गुढा गौण मण्डी क्षेत्र में कितनी राशि सड़कों के बनाने तथा मरम्मत पर व्यय की गई?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। मंडी समितियों अपनी आमदनी में से संस्थापन, प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य व्यय दायित्वों को घटाने के पश्चात् शेष रही राशि का 60 प्रतिशत भाग मंडी के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण एवं 40 प्रतिशत भाग मंडी यार्ड के विकास पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। नीति के अनुसार ही व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नांकित अवधि में व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) गौण मंडी क्षेत्र गुढ़ा में वर्ष 1998-99 में निम्नांकित संपर्क सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई है।

1. शेष कार्य सम्पर्क सड़क छावसेरी से केड खटखट 3.90 लाख
2. छापोली से गिरावड़ी (मरम्मत) 11.62 लाख
3. छापोली से कोटड़ी (मरम्मत) 4.40 लाख

वर्ष 99-2000 में गौण मण्डी गुढ़ा क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	मुख्य मंडी/गौण मंडियों का नाम	वर्ष 1998-99 में प्राप्त आय			वर्ष 1999-2000 में प्राप्त आय (माह फरवरी 2000 तक)		
		मंडी शुल्क	अन्य आय	योग	मंडी शुल्क	अन्य आय	योग
1.	मुख्य मंडी नवलगढ़	9.06	7.39	16.45	9.62	1.71	11.33
2.	गौण मंडी मुकन्द गढ़	16.80	0.65	17.45	16.59	0.20	16.79
3.	गौण मंडी गुढा गोडजी	17.43	0.45	17.88	17.75	0.62	18.37
4.	गौण मंडी उदयपुर वाटी	2.46	0.20	2.66	2.54	0.04	2.58
		45.75	8.69	54.44	46.50	2.57	49.07

परिशिष्ट "ब"

कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़ द्वारा वर्ष 1998-99 एवम् 1999-2000 में विभिन्न विकास कार्यों पर किया गया व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 1998-99		1999-2000 (माह फरवरी) 2000 तक)	
		व्यय राशि	मद पर किया व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	व्यय राशि	मद पर किया व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत
सम्पर्क सड़क विकास :					
1.	सं. स. मुकन्दगढ झुंझुनूं रोड़ से देवगांव (नुआ)	10.77		5.81	
		10.77	85.27%	5.81	100.00%
मण्डी प्रांगण विकास :					
1.	नई चारदीवारी निर्माण कार्य	0.78			
2.	निलामी चबूतरे का विस्तार	0.85			
3.	भवनों की वार्षिक मरम्मत	0.23			
	योग	1.86	14.73%	निल	निल
	महा योग	12.63	100.00%	5.81	100.00%

नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द में सड़क निर्माण

390. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका क्षेत्र राजसमंद में पेरलल सड़क निर्माण की स्वीकृति हो गई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क की कब तथा उसकी वर्तमान में निर्माण की क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सड़कों का निर्माण अब तक भी नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं ? अब उक्त सड़क का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो कर पूर्ण हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे गये हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही विधिवत् प्रक्रिया अपना कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा कर पूर्ण कराया जा सकेगा।

भीलवाड़ा शहर की प्रदूषण समस्या का समाधान

391. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा शहर में बढ़ती प्रदूषण की स्थिति बाबत सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने शहर के आसपास प्रोसेसर्स हाऊस लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये हैं? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में कितने प्रकरण आये और उन पर अनुमति नहीं दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा शहर की उक्त कारण से गम्भीर स्थिति बन रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या नीति/नियम बनाये हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1999-2000 में नये प्रोसेसर्स हाउस हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अनापत्ति पत्रों में कोई नियम/नीति का अतिक्रमण कर ढिलाई दी गई है? यदि हां, तो कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा शहर में प्रदूषण के बाबत राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सामान्य प्रकृति की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मण्डल द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है: —

(i) मण्डल के पत्र दिनांक 7.1.2000 द्वारा जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, प्रबन्ध निदेशक, रीको, निदेशक, उद्योग विभाग, भूजल विभाग एवं कृषि विभाग से प्रदूषण के निवारण हेतु सुझाव आमंत्रित किये गये।

(ii) मण्डल द्वारा प्रदूषित भूमिगत जल के प्रभाव क्षेत्र का आंकलन किया गया।

(iii) प्रोसेस हाउस से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने हेतु कोई तकनीकी शर्तों से 23 इकाईयों को पाबन्द किया गया।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 में मंडल द्वारा 6 प्रोसेसर्स इकाईयों की स्थापना संबंधी सम्मति प्रदान की गई।

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

(3) भीलवाड़ा शहर में प्रदूषण की समस्या विद्यमान है। इस समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही खण्ड प्रथम पर अंकित है।

(4) जी, हां। वर्ष 1999-2000 में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 6 प्रोसेसर्स इकाईयों की स्थापना संबंधी सम्मति प्रदान की गई है।

(5) जी, नहीं। उपरोक्त सम्मति नियमानुसार दी गई है।

जिला हनुमानगढ़ के निजी बस मालिकों में बकाया कर राशि

392. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में निजी बसों के संचालन के लिए परमिट जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो कितने? उनमें से तहसील भादरा के किन-किन बस मालिकों को उक्त परमिट जारी किये हुए हैं? नाम, पते, सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस मालिकों की तरफ सरकार की कर के रूप में लाखों रुपये की राशि बकाया है? यदि हां, तो परमिटधारी का नाम, व बस नम्बर एवं बकाया राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि के अब तक बकाया रहने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। हनुमानगढ़ जिले में निजी बसों के संचालन के लिए 540 परमिट जारी किए हुए हैं। इनमें से तहसील भादरा के 121 परमिट जारी किए हुए हैं। नाम व पते की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। 47 बस मालिकों की तरफ रुपये 21.75 लाख का कर बकाया है। बाकीदार का नाम, पता एवं बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) कर की बकाया वसूली हेतु विभाग सतत् प्रयासरत है। मंजिली वाहनों की दिनांक 31.3.97 तक की बकाया वसूली दिनांक 30.6.2000 तक कराये जाने पर विशेष पथकर पर देय शास्ति एवं ब्याज की छूट हेतु एमेनेस्टी योजना लागू की गई है। जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़

(यातायात मंत्री)

एवं उनके स्टाफ द्वारा किसी प्रकरण विशेष में बकाया वसूली में जानबूझकर विलम्ब करने अथवा लापरवाही बरतने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ को बकाया वसूली के प्रकरणों में शीघ्रातिशीघ्र वसूली करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर में चारे पर अनुदान

393. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) अकाल से प्रभावित जिलों में गौवंश को बचाने के लिए सरकार ने घास के कहां-कहां डिपो खोले हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर में प्रत्येक पंचायत समितिवार कितने-कितने चारा डिपो खोले हैं तथा चारे पर सरकार की तरफ से अभी तक कुल कितनी राशि की सब्सिडी दी गई है? एक मवेशी पर कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के अकालग्रस्त जिलों में अभी तक चारे के अभाव में गौवंश कितने काल के गाल में गये? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभावग्रस्त जिलों में कलक्टर्स को दिनांक 14.10.99 को ही आवश्यकतानुसार चारा डिपो खोलने के निर्देश दे दिये थे, जिला कलक्टर्स द्वारा उनके जिले में स्वीकृत एवं चालू हुए चारा डिपोज सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी है। (परिशिष्ट-1)

(2) बाड़मेर जिले में पंचायत समितिवार स्वीकृत व खोले गये चारा डिपोज की संख्या संलग्न है। (परिशिष्ट-2) राज्य सरकार द्वारा बिना लाभ बिना हानी के आधार पर डिपो संचालन करने वाली संस्था को चारे पर परिवहन अनुदान स्वीकृत किया जाता है। बाड़मेर जिले में 20 मार्च, 2000 तक 12.38 लाख रुपये की अनुदान राशि संस्थाओं को भुगतान की गई है। परिवहन अनुदान राशि प्रति मवेशी नहीं दी जाती है वरन् संस्था द्वारा परिवहन की गई चारे का मात्रा पर स्वीकृत की जाती है।

(3) किसी भी जिले में चारे की कमी के कारण अभी तक किसी भी पशु की मौत होने की सूचना नहीं है।

POSITION OF FODDER DEPOTS
(SAMVAT 2056)

S. No.	Districts	Fodder Depots Sanctioned	Fodder Depots Started
1.	AJMER	150	36
2.	ALWAR	Not Required	
3.	BANSWARA	20	9
4.	BARMER	266	154
5.	BHILWARA	177	66
6.	BIKANER	158	129
7.	BUNDI	Not Required	
8.	CHITTORGARH	Not Required	
9.	CHURU	138	88
10.	DAUSA	82	
11.	DUNGARPUR	31	25
12.	GANGANAGAR	3	2
13.	HANUMANGARH	Not Required	
14.	JAIPUR	1	1
15.	JAISALMER	29	5
16.	JALORE	26	21
17.	JHUNJHUNU	1	1
18.	JODHPUR	201	65
19.	NAGAUR	110	60
20.	PALI	86	45
21.	RAJSAMAND	132	13
22.	S.MADHOPUR	Not Required	
23.	SIKAR	26	9
24.	SIROHI	63	63
25.	TONK	NIL	NIL
26.	UDAIPUR	116	19
	TOTAL	1742	813

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	पंचायत समिति	स्वीकृत डिपा की संख्या	चालू डिपा की संख्या
1.	चौहटन	35	12
2.	धोरीमना	31	19
3.	सिवाना	21	13
4.	बालोतरा	37	27
5.	बाड़मेर	57	35
6.	शिव	20	7
7.	सिणधरी	35	25
8.	बायतु	30	16
योग		266	154

राजस्थान भूमि विकास बैंक द्वारा ट्रेक्टर ट्रॉली हेतु ऋण

394. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) उदयपुर स्थित राजस्थान भूमि विकास बैंक में कृषकों को नकद भुगतान के तहत ट्रेक्टर ट्रोली खरीदने हेतु योजना कब लागू हुई?

(2) उक्त योजना के तहत जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा कितने कृषकों को ट्रेक्टर ट्रोली खरीदने हेतु नकद भुगतान किया गया? काश्तकारों के क्रय किये गये ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं काश्तकारों के नाम की सूची पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिस दिन ट्रोली का भुगतान हुआ उसी दिन ट्रेक्टर खरीदे गये और ट्रोली की राशि ट्रेक्टर के मार्जिन में जमा कर ली गई? यदि हां, तो बैंक द्वारा इस काण्ड में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक में नकद ऋण वितरण योजना दिनांक 18.9.98 से लागू हुई है।

(2) उक्त योजना के तहत उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 31.3.2000 तक 26 कृषकों को ट्रेक्टर की ट्रोली खरीदने हेतु नकद भुगतान किया गया है। वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

परिशिष्ट "अ"

उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर

सूची—नकद ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत 30.3.2000 तक दिये गये ट्रेक्टर ट्रोली की सूचना

क्र.सं.	नाम ऋणी	पता	भुगतान दिनांक		ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन नहीं
			ट्रेक्टर	ट्रोली		
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री धुलिया/रामा मीणा	माना गांव, धरियावद	21.01.1999	17.02.1999	आरज़े27/आर-2366	—
2.	देवा, भगजी, बाबरिया/भेरा मीणा	चरी, धरियावद्	07.11.1998	12.11.1999	आरज़े27/आर-2358	—
3.	महिपाल/नाथू कमला/नाथू कलाल	आड, धरियावद्	07.11.1998	13.11.1998	आरज़े27/आर-2363	—
4.	जालमा/कीकीया,गांगा/उदा कालिया/केसा मीणा	देवला, धरियावद्	03.10.1998	27.10.1998	आरजे27/आर-2254	—
5.	रंगजी/बदीया, मोतीया/भेरीया मीणा	जगलावदा, धरियावद्	24.02.1999	20.04.1999	आरजे27/आर-2341	—
6.	धूलिया/कानिया, रामलाल/गंगाराम	बिल्कावास, धरियावद्	29.05.1999	21.07.1999	आरजे27/आर-2498	—
7.	कालू/पूंजा, भेरा, रामा/मावला मीणा	घाटा, धरियावद्	09.06.1999	12.08.1999	आरजे27/आर-2490	—

1	2	3	4	5	6	7
8.	खानिया, बंशी/देवजी सोहनी बाई/देवजी कलाल	नाड, धरियावद्	09.06.1999	03.08.1999	आरजे27/आर-2514	—
9.	केसरिया, भगवाना/गेबा मीणा	खोखरी कलां, धरियावद्	03.11.1999	31.12.1999	आरजे27/आर-2579	—
10.	जेतींग/नानजी मीणा	कुमारी, धरियावद्	25.11.1999	26.11.1999	आरजे27/आर-2594	—
11.	मालिया/रामा, हीरजी/रामला	उलटन, धरियावद	11.03.2000	25.03.2000	—	आर.टी.ओ. आफिस में आवेदित
12.	लीलाराम/हीरालाल	भीमपुर, सलुम्बर	22.12.1998	22.12.1998	आरजे27/आर-2421	—
13.	वीरजी/नाथू डांगी	सेदड़ी, सलुम्बर	28.10.1998	12.11.1998	आरजे27/आर-2280	—
14.	बेहता/जीवा गमेती	मामेर, कोटडा	30.10.1999	11.01.2000	आरजे27/आर-2588	—
15.	रेशा, घाघारिया, हमीरा/राजा गमेती	म्यारा, कोटडा	30.10.1999	30.11.1999	आरजे27/आर-2589	—
16.	किशनसिंह/अजयसिंह	भूरा, झाडोल	25.05.1999	20.06.1999	आरजे27/आर-2468	
17.	मोहनलाल/धूला ब्राह्मण	गोगला, झाडोल	01.12.1999	21.02.2000	आरजे27/आर-2673	—
18.	थावरा/हगरामा	कारछाकेला, खेरवाडा	27.08.1999	03.04.1999	आरजे27/आर-2500	—

1	2	3	4	5	6	7
19.	डाया/लाला डांगी	थाना, खेरवाड़ा	18.06.1999	18.06.1999	आरजे२७/आर-2505	—
20.	धनेश्वर/लालाजी	सारोली, खेरवाड़ा	09.07.1999	26.07.1999	आरजे२७/आर-2499	—
21.	थावरा/दोला मीणा	सामदर, खेरवाड़ा	26.07.1999	29.07.1999	आरजे२७/आर-2573	—
22.	बदना/नाथु गराया	फुटाला, खेरवाड़ा	31.10.1998	27.11.1998	आरजे२७/आर-2698	—
21.	थावरा/दोला मीणा	सामदर, खेरवाड़ा	26.07.1999	29.07.1999	आरजे27/आर-2573	—
22.	बदना/नाथु गराया	फुटाला, खेरवाड़ा	31.10.1998	27.11.1998	आरजे२७/आर-2698	—
23.	खीमा/धूला मीणा	धनोल, खेरवाड़ा	20.10.1998	23.12.1998	आरजे२७/आर-2497	—
24.	धूला/जीवा मीणा	रोबिया, खेरवाड़ा	12.07.1999	29.07.1999	आरजे२७/आर-2687	—
25.	रामा/रूपा जाट	जेवाणा, मावली	28.09.1998	15.10.1998	आरजे२७/आर-2606	—
26.	उदयनाथ/माननाथ	टिलौरा, मावली	12.03.1999	26.03.1999	आरजे२७/आर-2365	—

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-357 का विवरण)

प्रपत्र "अ"

परियोजना का विवरण

चम्बल नदी से धौलपुर एवं भरतपुर जिले की शहरी एवं ग्रामीण आबादी हेतु सन् 2016 की पेयजल मांग के अनुरूप प्रथम चरण की यह लिफ्ट परियोजना बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के प्रथम चरण के प्रथम भाग का विवरण इस प्रकार है : —

भरतपुर जिले के सम्मिलित ग्रामों की संख्या	930
धौलपुर जिले के सम्मिलित ग्रामों की संख्या	69
भरतपुर जिले के कस्बों की संख्या	5
भरतपुर जिले के सम्मिलित ग्रामों की अभिकल्पित जनसंख्या	लगभग 15.88 लाख
धौलपुर जिले के सम्मिलित ग्रामों की अभिकल्पित जनसंख्या	लगभग 1.66 लाख
भरतपुर जिले के सम्मिलित कस्बों की अभिकल्पित जनसंख्या	लगभग 5.68 लाख
ग्रामीण पेयजल मांग	लगभग 793.15 लाख लीटर प्रतिदिन
शहरी पेयजल मांग	लगभग 572.27 लाख लीटर प्रतिदिन
कुल पेयजल मांग	लगभग 1365.42 लाख लीटर प्रतिदिन
भरतपुर शहर को प्रस्तावित पेयजल वितरण स्तर	150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
भरतपुर जिले के कस्बों में प्रस्तावित पेयजल वितरण स्तर	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
ग्रामीण आबादी में प्रस्तावित पेयजल वितरण स्तर	40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
परियोजना की कुल लागत	रुपये 166.50 करोड़
परियोजना का क्रियान्वयन काल	1999-2000 से 2004-2005

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या-358 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के नवीन मण्डी यार्ड निर्माण के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा विवरण

1. भूमि जहां स्थित है : ग्राम कैलाश नगर तहसील हिण्डौन
2. क्षेत्रफल : 9.41 हैक्टेयर

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा है.	धारा 23(1ए) के तहत राशि (1 वर्ष 4 माह)	धारा 23 (2) के तहत 30% राशि	कुल मुआवजा राशि	भुगतान की गई राशि	शेष देय राशि	राशि भुगतान हेतु तहसीलदार को भेजा	
									चैक नं.	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नन्दकिशोर हरीचरण पि. सुखराम	24	0.45	1952	36604	178141	94700	83441		
	नरेशचंद पुत्र सुखराम नाबालिग	21	0.03	1. नन्दकिशोर		44535	23675	20860	254365	10.4.2000
	संरक्षक माता सम्पत्ति, सम्पत्ति बेवा	18	0.15	2. हरीचरण		44535	23675	20860	254366	10.4.2000
	सुखराम चमार निवासी मण्डावरा	8		3. सम्पत्ति		44535	23675	20860	254369	10.4.2000
		3	0.63	4. नरेश चंद		44535	23675	20860	254370	10.4.2000
						178141	94700	83441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	बत्तो बेवा नत्थी चमार निवासी मण्डावरा	23	0.38							
		25	0.08							
		20	0.17							
		खसरा नं. 25 में स्थित चाह की मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा राशि								
				28368	53191	258861	94700	164161	254501	
3.	कल्याण प्रसाद पुत्र बिहारी लाल महाजन नि. मण्डावरा	22	0.35	14874	27889	135726	72100	63626	254502	10.4.2000
		19	0.11							
		144	0.02							
		3	0.48	हैक्टेयर						
4.	नादौली पुत्र झामोली, विशंन्या पुत्र बुधराम चमार नि. मण्डावरा	16	1.20	37186	69723	339319	195000	144319		
				हिस्सा	नकोली	169660	97500	72160	254503	10.4.2000
				हिस्सा	विशन्या	169659	97500	72159	254504	10.4.2000
5.	नन्दकिशोर हरिचरण पि. सुखराम, नरेश चन्द पुत्र सुखराम नाबालिग माता सम्पत्ति, सम्पत्ति बेवा सुखराम, बत्तो बेवा नत्थी चमार निवासी मण्डावरा				2905	14138	7500	6638		10.4.2000
					नंदकिशोर	1767	937	830	254505	10.4.2000
					हरीचरण	1767	938	829	254506	10.4.2000
					सम्पत्ति	1769	937	830	254509	10.4.2000
					नरेशचन्द	1768	938	830	254507	10.4.2000
					बत्तो	7069	3750	3319	254508	10.4.2000
						14138	7500	6638		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	यादराम, ग्यारसी पि. जयराम	14	1.00	38735	72628	353457	18800	165457		10.4.2000
	जैराम पुत्र सरवन, सिया पुत्र	15	0.25		यादराम	88364	47000	41364	254510	10.4.2000
	रामकिशन, नकोली पुत्र जीवन	2	1.25		ग्यारसी	88364	47000	41364	254511	10.4.2000
	चमार निवासी मण्डावरा				जयराम	88364	47000	41364	254512	10.4.2000
					सिया	88365	47000	41364	254513	10.4.2000
					नदोली					
7.	रामखिलाड़ी पुत्र सुक्का धोबल	11	0.56							
	नि. साहिडा तहसील महवा	12	0.70							
		2	1.26							
			हैक्टेयर							
				44975	84327	410393	—	410393	254514	10.4.2000
8.	पार्वती बेवा चौथी चमार हि. 4/5	2	1.25	38735	72628	353457	150400	203057		
	दुर्गालाल पुत्र चौथी नि. मण्डावरा				पार्वती	282766	150400	132366	254515	"
	हि. 1/5				दुर्गालाल	70691	—	70691	254516	"
						353457	150400	203057		
9.	सांवरे पुत्र भुरसंडी चमार निवासी	5	0.85	54229	101679	494839	—	494839	254517	"
	मण्डावरा	4	0.40							"
		2	1.21							

है. खं. नं. 4 में स्थित मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा राशि।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	गजेन्द्र सिंह यदुराज सिंह पि. रामाधार जाट हि. 3/4 कल्याण प्रसाद पुत्र बिहारी महाजन हि. 1/4 नि. मण्डावरा	10	1.21	37495	70304	342146	—	342146		
					गजेन्द्र सिंह	128305	—	128305	254518	"
					यदुराज सिंह	128305	—	128305	254519	"
					कल्याण प्रसाद	85536	—	85536	न्यायालय का स्थगन है।	
						342146	—	342146		
11.	रघुनन्दन लखन सिब्बो पि. गिर्राज महाजन नि. मण्डावरा	6	0.20	6198	11621	56554	30000	26554	254520	10.4.2000
	योग	9.41 है.	321866	603499	2937031	832400	2104631			

परिशिष्ट-"ब"

कृषि उपज मण्डी यार्ड हिण्डौन में दुकानों का प्रस्तावित निर्माण का विवरण

क्र.सं.	दुकानों का प्रकार			संख्या
1.	दुकानें मय गोदाम	20.6	55	30
2.	दुकानें मय गोदाम	13.3	40	50
3.	दुकानें मय गोदाम	20.6	65	30

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-434 का विवरण)

शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	शिकायत संख्या व दिनांक	पता	शिकायत निवारण का विवरण
1	2	3	4
1.	73 व 76/7.3.2000	Pole No. 17/811 17/815 व 15/807 पर T/L	शिकायत निवारण हेतु लाइन मैन द्वारा निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि राड खराब है। राड उपलब्ध होते ही 30.3.2000 को ठीक करवा दी गई।
2.	94/23.3.2000	C-50 (ट्यूब लाइट)	शिकायत निवारण हेतु लाइन मैन द्वारा निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि राड खराब है। राड उपलब्ध होते ही 30.3.2000 को ठीक करवा दी गई।
3.	70/3.3.2000	C-16 व C-29 सोडियम लाइट	सोडियम बल्ब निशान स्टोर के उपलब्ध न होने के कारण लम्बित दिनांक 10.4.2000 को उपलब्ध होते ही चालू करवा दी गई।
4.	77/7.3.2000	C-16	सोडियम बल्ब निशान.स्टोर के उपलब्ध न होने के कारण लम्बित दिनांक 10.4.2000 को उपलब्ध होते ही चालू करवा दी गई।
5.	78/9.3.2000	C-76	चालू कर दी गई

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-435 का विवरण)

कार्यालय नगरपालिका सादड़ी (पाली) राज.

क्रमांक : न.पा.सा./विकास/44　　　　दिनांक 13.4.2000

श्रीमान् अवर शासन सचिव महो.

स्वायत्त शासन विभाग,

राज. जयपुर

विषय : तारांकित प्रश्न संख्या 2644 द्वारा श्री

प्रसंग : श्रीमान् का टेलीफोन दिनांक 8.4.2000 के संदर्भ में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक टेलीफोन के जरिये श्रीमान् द्वारा अपेक्षित तारांकित प्रश्नों के प्रत्योत्तर निम्नानुसार प्रेषित है: —

तारांकित प्रश्न संख्या 2644 द्वारा श्री

प्रश्न सं. 1.　गत 5 वर्षों में विकास योजनाओं के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये गये। और उन पर कितनी राशि व्यय की गई। संख्या व विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर :　नगरपालिका सादड़ी (पाली) में विभिन्न योजनाओं में गत 5 वर्षों में किये गये विकास कार्यों का वर्ष 1995 से विवरण निम्नानुसार है: —

वर्ष 1995-96

	योजना का नाम 1	कार्य का नाम 2	स्वीकृत राशि 3	व्यय राशि 4
1.	एन.आर.वाई	बन्दोरियावास में शौचालय निर्माण	30500/-	22,136/-
2.	एन.आर.वाई	राणकपुर रोड पर नाली निर्माण	62,700/-	49,159/-
3.	निबन्ध योजना			
4.	निबन्ध योजना	रा. मा. वि. में मूत्रालय निर्माण	6,300/-	6,300/-
5.	विभागीय	विशेष अनुदान से प्रत्येक वार्ड में 20-20 हजार के पत्थर सड़क	5,00,000/-	5,00,000/-
6.	विभागीय	एवं ग्रेवल सड़क निर्माण शहर में मरम्मत कार्य	29,000/-	29,015/-

वर्ष 1996-97

	1	2	3	4
1.	नेहरू रोजगार योजना	चांदकालोनी नाली निर्माण	29,700/-	28,667/-
2.	नेहरू रोजगार योजना	मेघवालो का वास में नाली निर्माण	19,100/-	16,277/-
3.	निबन्ध योजना सीमा	स्तम निर्माण मालगढ़	37,000/-	29,900/-
4.	सांसद कोष योजना :	वार्ड सं. 7 में पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य	22,600/-	उक्त कार्य जलदाय विभाग द्वारा करवाया गया।
5.	विभागीय कार्य	मरम्मत कार्य शहर में	50,000/-	50,000/-
6.	विभागीय कार्य	नये निर्माण कार्य	4,00,000/-	50,804/-

वर्ष 1997-98

1.	एन.आर.वाई.	वार्ड सं. 3 में पत्थर सड़क निर्माण कार्य	45,102/-	47,106/-
2.	एन.आर.वाई.	नाली निर्माण कार्य (विद्युत विभाग के पास)	7,686/-	7,360/-
3.	एन.आर.वाई.	फर्श निर्माण सब्जी मण्डी	33,000/-	25,524/-
4.	एन.आर.वाई.	दिवाल निर्माण मण्डी	7,456/-	8,768/-
5.	एन.आर.वाई.	नाली निर्माण कार्य (पब्लिक पार्क से सुनारों की बगीची	21,018/-	7,927/-
6.	एन.आर.वाई.	नाली निर्माण (घांचियो का वास)	34,003/-	28,077/-
7.	विभागीय कार्य	सड़क निर्माण (मालियों का वास)	25,400/-	21,800/-
8.	विभागीय कार्य	सड़क निर्माण (खाड़िया वास)	30,000/-	23,586/-
9.	विभागीय कार्य	सड़क निर्माण (भाटी होटल के सामने)	28,300/-	9,827/-
10.	विभागीय कार्य	नाली निर्माण कार्य (बारली सादडी रोड साइड)	24,300/-	17,847/-
11.	विभागीय कार्य	प्रतापगढ़ टांका निर्माण	6,600/-	4,590/-
12.	विभागीय कार्य	देवधड़ा चबूतरी निर्माण	14,800/-	12,817/-
13.	विभागीय कार्य	चुंगी नाका निर्माण कार्य (आखरिया)	5,000/-	4,476/-

1		2	3	4
14.	विभागीय कार्य	बलियाढाल बाड़ा निर्माण	16,300/-	11,435/-
15.	विभागीय कार्य	सड़क निर्माण (महिलावास)	53,200/-	25,898/-
16.	विभागीय कार्य	रोड मरम्मत कार्य (बाजार)	37,900/-	53,240/-
17.	विभागीय कार्य	पालिका भवन रंग कार्य	15,000/-	14,827/-
18.	विभागीय कार्य	सड़क निर्माण कार्य (भादरास)	23,600/-	30,087/-
19.	विभागीय कार्य	महिलावास सड़क	50,000/-	60,140/-
20.	विभागीय कार्य	गरवानृत्य में मरम्मत कार्य	11,000/-	11,301/-
21.	विभागीय कार्य	महिलावास मरम्मत कार्य	5,000/-	4,550/-
22.	विभागीय कार्य	रामधुन चौक में मरम्मत	5,000/-	4,188/-
23.	विभागीय कार्य	नई आबादी सड़क मरम्मत	8,000/-	7,360/-
24.	विभागीय कार्य	चुंगी नाका तोड़ने का कार्य	1,275/-	1,275/-
		वर्ष 1998-99		
1.	विभागीय कार्य	नाली निर्माण रोड साइड	50,000/-	15,374/-
2.	विभागीय कार्य	देवाराम सैन के मकान से नाली निर्माण भादरास	18,000/-	17,560/-
3.	विभागीय कार्य	परसूराम के मकान से हनुमान मंदिर पत्थर नाली निर्माण	43,000/-	41,512/-
4.	विभागीय कार्य	पत्थर सड़क निर्माण	56,960/-	45,246/-
5.	विभागीय कार्य	मीणों का झूपा नाली निर्माण	23,000/-	27,025/-
6.	विभागीय कार्य	भादरास मेघवालों का वास सड़क निर्माण	17,000/-	16,715/-
7.	निबन्ध योजना	आर.एस.ई.बी. से जाटों की डोरण ग्रेवल सड़क निर्माण	1,00,000/-	75,273/-

वर्ष 1999-2000

	1	2	3	4
1.	विभागीय कार्य	वार्ड सं. 9 में सड़क निर्माण	19,100/-	11,525/-
2.	विभागीय कार्य	नई आबादी जनानावाड़ा दिवाल मरम्मत कार्य	26,600/-	5,218/-
3.	विभागीय कार्य	वार्ड सं. 3 में पीएचडी द्वारा तोड़ी गई सड़क मरम्मत कार्य	22,300/-	11,004/-
4.	विभागीय कार्य	हनुमान कोलोनी में नाली निर्माण	50,000/-	25,846/-
5.	विभागीय कार्य	गरासियावास महिला वास सड़क निर्माण	15,900/-	15,721/-
6.	विभागीय कार्य	प्रतापगढ़ में नाली निर्माण	30,000/-	29,152/-

प्रश्न सं.2: उक्त नगरपालिका में गत 5 वर्षों में कितने भू-खण्ड किन कि व्यक्तियों को कितनी राशि लेकर दिये गये। सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर: नगर पालिका सादडी में गत 5 वर्षों में कोई भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है। सूचना शून्य में प्रेषित है।

अतः श्रीमान द्वारा अपेक्षित सूचना वांछित प्रतियों में प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका, सादड़ी

कार्यालय नगरपालिका, रानी, जिला पाली (राजस्थान)

विभिन्न योजनाओं का गत वर्षों का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि				व्यय राशि			
			वैतनिक	सुमे स्वरोजगार	प्रशिक्षण	प्रशासनिक	वैतनिक	सुमे स्वरोजगार	प्रशिक्षण	प्रशासनिक
1.	नेहरू रोजगार योजना	94-95	61,000/-	28,000/-	5,009/-	—	1,03,607/-	32,500/-	—	—
		95-96	1,67,000/-	16,000/-	—	10,000/-	—	30,450/-	—	—
		96-97	1,17,000/-	15,000/-	—	5,000/-	63,728/-	20,500/-	—	17,510/-
		97-98	2,35,137/-	—	—	—	3,05,817/-	9,546/-	—	—

2. स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना

वर्ष	स्वीकृत राशि	शहरी रोजगार	स्वरोजगार	सा. कार्यकलाप	यू.एस.इ.पी.	डीडब्ल्यूसीयूपी	प्रशासनिक
98-99		2,03,000/-	48,000/-	64,000/-	26,000/-	13,000/-	—
	रुपये राशि	1535.00	19562/-	1282.75	—	—	13050/-

नोट : राज्य सरकार के आदेशानुसार एन.आर.वाई. के स्थान पर स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना में परिवर्तित

3.	सहभागी	वर्ष	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
		94-95	—	—	—
		95-96	—	—	—
		96-97	1. पेवर सड़क पुलिस थाना से हनुमान मंदिर	722230/-	72230/-
			2. पेवर सड़क हायर सैकण्डरी स्कूल मार्ग	52519/-	52519/-
			3. पेवर सड़क धर्मवीर मार्ग	41287/-	41287/-
			नोट : स्वीकृत राशि के अनुरूप राशि पालिका कोष से व्यय की गई।		

		वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
4.	सुलभ शौचालय योजना	94-95	2,03,000/-	—
		95-96	4,35,000/-	—
		96-97	2,03,000/-	6,70,905/-

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, रानी (पाली)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-439 की प्रति)

RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR

No.:F.2(6)FC/Adv.Increment/93/48/374 Dated : 14.10.99

OFFICE ORDER

In pursuance of the decision taken by the Board on item No. 164.16 of its 164th meeting held on 13.07.93, the board is pleased grant two advance annual grade increments to the employees of the Board who acquires qualification of CA/ICWA while in the service of the Board.

(S.C.Vyas)
FA & CAO

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-441 का विवरण)

क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
1.	जल योजना रामगढ़	योजना का समस्त कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तथा उपभोक्ताओं को जल वितरित किया जा रहा है। नये पंप हाउस को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।
2.	जल योजना गूजरपुर	योजना समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा उपभोक्ताओं को जल वितरित किया जा रहा है।
3.	पंप एवं टैंक योजना रघुनाथगढ़	योजना का समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा उपभोक्ताओं को जल वितरित किया जा रहा है।
4.	जल योजना खोह वारिसपुर	योजना का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन योजना के गांव वान्दोलीवास 1995 की बाढ़ के कारण अपने मूल स्थान से हट जाने के कारण पेयजल योजना से लाभान्वित नहीं है। योजना के 2 नलकूपों में से एक का चालू कर दिया गया है, तथा एक नलकूप चालू किया जा रहा है, जिसे बान्दोली का बास लाभान्वित किया जावेगा।
5.	जल योजना गोविन्दगढ़	योजना पर एक नलकूप जिसका निर्माण अभी हुआ है, विद्युत संबंध प्रक्रिया चालू है। योजना पर 4 नये नलकूप निर्माण, पाइप लाइन डालने एवं चालू करने, पंप हाउस उच्च जलाशय, भूतल जलाशय निर्माण एवं चालू करना आदि कार्य पूर्ण हो चुके हैं, एवं उपभोक्ताओं को जल वितरित किया जा रहा है।
6.	संवर्धन जलयोजना मुबारिकपुर	योजना का समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं उपभोक्ताओं को जल वितरित किया जा रहा है।
7.	जलयोजना डूंगरी सलारपुर	योजना पर विद्युत संबंध एवं भूतल जलाशय का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। पाईप लाईन बिछा दी गई है। वर्तमान में योजना के रामबास एवं सलारपुर गांवों में जल वितरित किया जा रहा है। विद्युत संबंध एवं भूतल जलाशय मरम्मत कार्य पूर्ण होने पर योजना के 6 गांवों को पानी पहुंचा दिया जावेगा।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-450 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम जिला करौली में दर्ज अभियोग

क्र. सं.	प्रकरण	पंजीबद्ध अभियोग	न्यायालय में चालान पेश किया गया	अनु-संधानाधीन	अंतिम प्रतिवेदन	गिरफ्तार किये गये एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	चोरी	91	12	7	72	14
2.	डकैती	—	—	—	—	—
3.	अपहरण	12	—	1	11	—
4.	लूट	4	2	2	—	4
5.	हत्या	8	6	2	—	10

नोट : गुण्डा एक्ट के तहत कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-452 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

जिला कोटा में थानेवार बलात्कार के प्रकरण दर्ज होने का विवरण

क्र. सं.	नाम थाना	अभियोग संख्या मय दिनांक	धारा	बलात्कार का कारण	निस्तारण
1	2	3	4	5	6
कोटा नगर					
1.	महावीर नगर	83/2000 15.2.2000	363, 366, 376, 34 भा.द.स.	अपहरण का हवस पूर्ति के लिए बलात्कार किया	आरोप पत्र सं. 59 दिनांक 29.2.2000
2.	नयापुरा	113/2000 9.3.2000	341, 376, 34 भा.द.स.	बहला-फुसला कर हवस पूर्ति के लिए मुलजिमान ने बारी-बारी से बलात्कार किया।	अंतिम रिपोर्ट सं. 27 दिनांक 31.3.2000 अदमवकु (झूंठा)
3.	किशोरपुरा	18/2000 2.2.2000	366, 376, 307, 34 भा.द.स. व 3एस.सी/ एस.टी एक्ट	मजदूरी के बहाने मुलजिमान पीड़िता को जंगल में ले गये व सामुहिक बलात्कार किया।	अन्वेषणाधीन
4.	किशोरपुरा	20/2000 8.2.2000	376, 354 भा.द.स.	आपसी रंजिश के कारण झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई	अंतिम रिपोर्ट सं. 1 दिनांक 15.2.2000 अदमवकु
5.	उद्योग नगर	14/2000 18.1.2000	376, 392 भा.द.स. व 3एस.सी/ एसटी एक्ट	हवस पूर्ति के लिए बलात्कार कर 2000 रु. छीन लिये।	अंतिम रिपोर्ट संख्या 3 दिनांक 23.2.2000 अदमवकु (झूंठा)
6.	उद्योग नगर	79/2000 27.3.2000	376, 201 भा.द.स.	हवस पूर्ति के लिए बलात्कार किया	अन्वेषणाधीन

1	2	3	4	5	6
7.	विज्ञान नगर	6/2000 1.1.2000	363, 376 भा.द.स.	मुलजिमान लड़की रूपा को बहला-फुसला कर ले गये व बलात्कार किया।	आरोप पत्र संख्या 52 दिनांक 8.3.2000
कोटा ग्रामीण					
8.	मोड़क	222/99 19.12.99	376 भा.द.स.	पिता ने हवस पूर्ति के लिए अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया।	आरोप पत्र संख्या 175 दिनांक 31.12.99
9.	सांगोद	2/2000 1.1.2000	376 भा.द.स.	हवस पूर्ति के लिये।	आरोप पत्र स.27 दि.30.3.2000
10.	बपावर	14/2000 26.1.2000	376, 323 भा.द.स.व 3एससी/एसटी एक्ट	हवस पूर्ति के लिए	अन्वेषणाधीन
11.	अयाना	19/2000 6.2.2000	376, 323, 34 भा.द.स.	हवस पूर्ति के लिए	अंतिम रिपोर्ट सं. 2 दिनांक 23.2.2000 अदमवकु का नाकाबिल दस्तंदाजी
12.	बूढ़ादीत	16/2000 17.2.2000	376, 354, 341 भा.द.स.	हवस पूर्ति के लिए	आरोप पत्र सं. 12 दि. 2.3.2000
13.	चेचट	29/2000 20.2.2000	376, 456, भा.द.स.	घर में घुस कर हवस पूर्ति के लिए बलात्कार किया।	आरोप पत्र सं. 74 दि. 23.3.2000
15.	सुल्तानपुर	29/2000 1.2.2000	376 भा.द.स.	हवस पूर्ति के लिए बलात्कार किया	आरोप पत्र सं. 32 दि. 29.2.2000
16.	बुढ़ादीत	30/2000 15.3.2000	376, 450 भा.द.स.	बहला-फुसला कर अपराध करने की नीयत से बलात्कार किया	अन्वेषणाधीन

परिशिष्ट "ब"

अपहरण के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं की बरामदगी का विवरण

क्र. सं.	अपहरण का स्थान	अपहरण की दिनांक	मु.नं., दिनांक व पुलिस थाना	अपहरण का कारण	पीड़िता का नाम-पता	बरामद हुई या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
कोटा नगर						
1.	इन्दिरागांधी नगर	16.12.99	376/99 17.12.99 उद्योग नगर	शादी करने की नीयत से बहका-फुसला कर ले गया	श्रीमती रेखाबाई पत्नी श्री नारायण बैरवा नि. इन्दिरा गांधी नगर, कोटा	हां
2.	कनसुआ	17.12.99	377/99 18.12.99 उद्योग नगर	शादी करने की गरज से भगाकर ले गया।	सुश्री आरती पुत्री भंवर सिंह राजपूत नि. कनसुआ, कोटा	हां
3.	कनसुआ	8.3.2000	60/2000 9.3.2000 उद्योगनगर	शादी करने की नियत से भगाकर ले गया।	सुश्री रेखा पुत्री बुद्धराम चोरसिया नि. कनसुआ, कोटा	नहीं
4.	अजय आहूजा नगर	13.11.99	444/99 3.12.99 महावीर नगर	पत्नी बनाने की नियत से भगाकर ले गया।	श्रीमती भरीबाई पत्नी हीरालाल मीणा नि. रंगबाड़ी कोटा	हां
5.	2जे2 महावीर नगर विस्तार योजना	10.12.99	467/99 24.12.99 महावीर नगर	मुल्जिमान शादी करने की नियत से भगाकर ले गये।	कु. संतोष पुत्री प्रेम चंद धोबी निवासी 2जे2 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा	हां
6.	418, केशवपुरा, कोटा	6.1.2000	14/2000 6.1.2000 महावीर नगर	शादी करने की नियत से भगाकर ले गया।	कमलेश पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा नि. 418, केशवपुरा, कोटा	हां.

1	2	3	4	5	6	7
7.	रंगबाड़ी कोटा	18.1.2000	43/2000 19.1.2000 महावीर नगर	शादी करने की नियत से घर में घुस कर जबरदस्ती भगा कर ले गये।	प्रेमभाई पुत्री नारायण मेघवाल नि. रंगबाड़ी, कोटा	हां
8.	258 तलवंड़ी कोटा	20.2.2000	95/2000 20.2.2000	शादी करने की नियत से भगाकर ले गया।	इन्द्रा उर्फ बबली, पुत्री दिवान सिंह राजपूत नि. 258 तलवंडी कोटा	हां
9.	कोटड़ी	25.11.99	768/99 1.12.99 गुमानपुरा	अवैध संबंध होने के कारण भगाकर ले गया	श्रीमती मुमताज पत्नी अब्दुलरहमान नि.फकिरों का मौहल्ला, कोटड़ी, कोटा	हां
10.	बंगाली कालोनी	16.12.99	798/99 16.12.99 गुमानपुरा	प्रेम-प्रसंग की वजह से बहला फुसलाकर ले गया।	सुश्री नूरी उर्फ नूरजहां पुत्री रसीदुल्लाह खां नि. बंगाली कालोनी कोटा	हां
11.	रामा कालोनी	18.12.99	808/99 18.12.99 गुमानपुरा	जबरन शादी करने की नियत से स्कूटर पर बैठाकर ले गया।	बबली पुत्री चतुर्भुज भोई नि. मोती महाराज मंदिर के पास कोटा	हां
12.	गावड़ी	28.3.2000	64/2000 28.3.2000 रेल्वे कालोनी	शादी करने की नियत से बहका फुसला कर ले गया।	रेखा पुत्री माधो जाति मेहर नि. गावड़ी कोटा	नहीं
13.	खाई रोड	22.3.2000	57/2000 22.3.2000 कोतवाली	शादी करने की नियम से भगाकर ले गया।	संजू पुत्री तेजमल पटवा खाई रोड कोटा	नहीं
14.	बंजारा कालोनी	13.10.99	259/99 4.12.99 किशोरपुरा	प्रेम प्रसंग होने की वजह से स्वयं की इच्छा से।	जन्नत बेगम पत्नी अयूब हुसैन नि. साजीदेहड़ा कोटा	हां

1	2	3	4	5	6	7
15.	सकतपुरा बजरंगपुरा कच्चीबस्ती	17.12.99	1/2000 1.1.2000 कुन्हाड़ी	प्रेम प्रसंग होने की वजह से स्वयं की इच्छा से	रामकल्या पत्नी मोतीलाल जोगी नि. बजरंगपुरा कच्ची बस्ती कोटा	हां
16.	गोरधनपुरा	12.2.2000	58/2000 13.2.2000 कुन्हाड़ी	प्रेम प्रसंग होने की वजह से स्वयं की इच्छा से	राधादेवी पत्नी चन्द्र सिंह उर्फ पप्पू राजपूत नि.तेलघर नेहरू नगर कोटा	हां
17.	नान्ता	22.2.000	77/2000 26.2.2000 कुन्हाड़ी	प्रेम प्रसंग होने की वजह से स्वयं की इच्छा से	भूलीबाई पुत्री घनश्याम माली नि. नान्ता कोटा	हां
18.	बापू कालोनी	12.3.2000	102/2000 14.3.2000 कुन्हाड़ी	प्रेम प्रसंग होने की वजह से स्वयं की इच्छा से	आरती पुत्री भीगी लाल जाति कटरिया नि. बापू काहोनी, कुन्हाड़ी	हां
19.	अनन्तपुरा	3.12.99	594/99 3.12.99 विज्ञान नगर	बहका फुसला कर भगा ले गया	हाजरा पुत्री अब्दुल गफर नि. अनन्तपुरा कोटा	हां
20.	अनन्तपुरा	15.1.2000	43/2000 15.1.2000	डेढ़ साल के बच्चे सहित जबरन उठा कर ले गया।	श्रीमती ममता पुत्री मांगीलाल बंजारा नि. अनन्तपुरा कोटा	हां
21.	संजयनगर	28.1.2000	76/2000 31.1.2000 विज्ञाननगर	बहका फुसला कर ले गये।	सुनिता पुत्री ताराचंद राठौड़ नि. सूर्यनगर चौराहा कोटा	हां

कोटा ग्रामीण 1 से 7 तक—

1	2	3	4	5	6	7
22.	इटावा	10.12.99	423/99 26.12.99 इटावा	नाते से पत्नी बनाने के लिए	घीसी बाई पत्नी धनपाल बैरवा नि. इटावा	हां

1	2	3	4	5	6	7
23.	गैतारोड इटावा	11.2.2000	32/2000 13.2.2000 इटावा	जबरन नाते बिठाने के लिए	चंद्र कला बाई पुत्री कस्तूर चन्द राव नि. इटावा	हां
24.	अयाना	1.1.2000	3/2000 4.1.2000 अयाना	जबरन नाते बिठाने के लिए	रुकमणी पुत्री सीताराम बैरवा नि. अयाना	नहीं
25.	खेडली टोडा खेतसे	3.3.2000	2/2000 7.1.2000 खातोली	जेवरात हड़पने की नियत से	श्रीमती हीरा बाई पत्नी रघुनाथ नि. खेडली टोडा	नहीं
26.	चंबलढीबरी स्वयं के घर से	26.12.99 26.12.99	11/2000 10.1.2000 खातोली	नाते बैठाने की नियत से	धर्मा बाई पत्नी हजारी लाल बैरवा नि. चंबल ढीबरी	हां
27.	लक्ष्मीपुरा स्वयं के घर से	4.3.2000	44/2000 5.2.2000 खातोली	अपराध करने की नियत से	जुमा पुत्री ग्यारसी राम मोग्या	हां
28.	मियाना स्वयं के घर से	19.3.2000	53/2000 20.3.2000 खातोली	नाते बैठाने की गरज से	श्रीमती राजंती बाई पत्नी छीतर लाल गुर्जर नि. मीयाना	नहीं
29.	कुतेपुर स्वयं के घर से	12.1.2000	14/2000 21.1.2000 मोडक	बहका फुसलाकर अपराध करने की गरज से	निर्मला बाई पुत्री बाबू लाल बैरवा नि. कुतेपुर	नहीं
30.	खैराबाद	7.2.2000	41/2000 9.2.2000 रामगंज मण्डी	बहका फुसलाकर अपराध करने की गरज से	प्रेमलता पुत्री शिवराज मीणा खैराबाद	हां
31.	रामगंज मंडी बाजार	9.2.2000	42/2000 9.2.2000 रामगंजमण्डी	बहका फुसलाकर अपराध करने की गरज से	लीला बाई पुत्री शंकर लाल सिंधी नि. रामगंजमंडी	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
32.	काल्या खेड़ी स्वयं के घर से	29.2.2000	41/2000 11.3.2000 चेचट	औरत बनाने की गरज से	कैलाश बाई पत्नी रघुनाथ बनजारा नि. काल्याखेड़ी	हां
33.	सांगोद	23.1.2000	14/2000 25.1.2000	बहका फुसलाकर अपराध करने की नियत से	जुलेखां पुत्री बसीरशाह नि. डाबरी खुर्द	हां
34.	कनवास	5.2.2000	50/2000 23.2.2000 कनवास	बहका फुसलाकर अपराध करने की नियत से	तंजुम पुत्री अब्दुल हनीफ नि. कनवास	हां
35.	कैथून	24.3.2000	79/2000 25.3.2000	नाते बैठाने की गरज से	अनार बाई पुत्री कन्हैया लाल बैरवा डडवाड़ा	हां
36.	कुटक्या	12.1.2000	8/2000 17.1.2000 सुकेत	अपराध करने की नियत से बहला फुसलाकर	सुगना उर्फ गुड्डी पुत्री कंवर लाल धाकड़ नि. कोटक्या	हां
37.	काल्या खुर्द स्वयं के घर से	19.1.2000	10/2000 22.1.2000 सुकेत	अपराध करने की नियत से बहला फुसलाकर	शांतिबाई पुत्री मन्नालाल मेघवाल नि. काल्या खुर्द	हां
38.	खान सातल खेड़ी	22.1.2000	11/2000 23.1.2000 सुकेत	अपराध करने की नियत से बहला फुसलाकर	कंचनबाई पुत्री भंवर लाल चमार नि. नापाहेड़ा	हां
39.	नाड़ी	31.1.2000	24/2000 9.2.2000 सुकेत	अपराध करने की नियत से बहला फुसलाकर	अंजु पुत्री दुल्लेसिंह राजपूत नि. हडानिया थाना सुनेल हा.नाड़ी	हां
40.	सातल खेड़ी स्वयं के घर से	27.3.2000	59/2000 27.3.2000 सुकेत	अपराध करने की नियत से बहला फुसलाकर	बिंदु पुत्री छगनलाल जैन नि. कसार नि.हालसातल खेड़ी	नहीं

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-456 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

जयपुर शहर में दुर्घटना के दर्ज मुकदमात माहवार जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक व जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक जयपुर शहर, जयपुर

क्र.सं.	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
तफसील												
1 जनवरी,99 से 31 दिसम्बर,99 तक माहवार												
1.	171	170	167	174	175	189	168	186	210	198	193	189
जनवरी,2000 से मार्च,2000 तक												
·	186	205	223									

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-458 की प्रति)

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ.74 (7) खावि/साविप्र/87-II जयपुर, दिनांक : 10.5.99

समस्त
जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय : उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं: —

(अ) आवंटन की प्राथमिकताएं

1. शिक्षित बेरोजगार नवयुवक
2. महिला संगठन
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक हो / उपभोक्ता संस्थान।
4. भूतपूर्व सैनिक
5. सामान्य नागरिक।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में उक्त प्राथमिकता क्रम को अपनाते समय सभी वर्गों में अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उपयुक्त व्यक्तियों को तथा विशेषकर नवयुवकों को योग्य पाये जाने पर प्राथमिकता दी जावेगी, किन्तु किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होगा अर्थात् प्राथमिकता के अनुसार सुयोग्य प्रार्थियों का चयन किया जा सकेगा, और उसी क्रम में अमुक श्रेणी के प्रार्थी के न होने या सुयोग्य न पाये जाने पर अन्य श्रेणी उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। सभी वर्गों के आवेदकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं उचित मूल्य दुकान चलाने के लिए वित्तीय दृष्टि से सक्षम हो तथा दुकान किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु नहीं देवें।

(ब) आवंटन प्रक्रिया

1. उचित मूल्य दुकानों के आवंटन से पूर्व रिक्त दुकानों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में विज्ञापन अथवा समाचार प्रकाशित कर इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जावें। आवेदकों से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक से आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की जांच करवाकर दुकान

आवंटन करने अथवा नहीं करने बावत स्पष्ट रिपोर्ट ली जावें। जांच में सही पाये जाने वाले आवेदन-पत्रों के आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाकर साक्षात्कार के समय चयनित व्यक्ति का छायाचित्र अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रमाणित (अटैस्टैड) किया जावें, जिसके आधार पर आवेदन को अधिकार पत्र जारी किया जायेगा। संविक्षा में खारिज किये जाने वाले आवेदन-पत्र भी आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिन पर अन्तिम निर्णय समिति द्वारा लिया जायेगा।

2. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र मों होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छायाचित्र लगाया जायेगा।

3. उचित मूल्य दुकानों का आवंटन विभाग द्वारा निम्नानुसार गठित आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंसा पर जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(अ) नगरीय क्षेत्रों हेतु आवंटन सलाहकार समिति:—

1. जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
2. नगर निगम / पालिका / परिषद के अध्यक्ष / प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधि / अधिकारी	सदस्य
3. तहसीलदार	सदस्य
4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यगण: —	
(1) सामाजिक कार्यकर्ता — एक	सदस्य
(2) उपभोक्ता — एक	सदस्य
(3) महिला उपभोक्ता — एक	सदस्य

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आवंटन सलाहकार समिति

1. जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
2. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच / प्रशासक	सदस्य
3. तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र)	सदस्य
4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यगण: —	
(1) सामाजिक कार्यकर्ता — एक	सदस्य
(2) उपभोक्ता — एक	सदस्य
(3) महिला उपभोक्ता — एक सदस्य	

आवंटन समितियों का गठन विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग किया जावे और ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार किया जावें। जो तीन सदस्य मनोनीत किये जायेंगे

वे संबंधित क्षेत्र के निवासी होने चाहिये, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में दुकान चाहने वाले प्रार्थिगणों के बारे में समुचित जानकारी हों।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आवंटन सलाहकार समितियों में क्रमांक 4 पर अंकित सामाजिक कार्यकर्ता, उपभोक्ता, महिला उपभोक्ता का मनोनयन जिला कलक्टर की सिफारिश से राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा, जिसके लिये प्रस्ताव संबंधित जिला कलक्टर, द्वारा इस विभाग को भेजे जायेंगे तथा मनोनयन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। उचित मूल्य दुकानों हेतु समस्त विचाराधीन प्रस्तावों पर भी दुकान आवंटन हेतु विचार उक्त नवगठित आवंटन समिति द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त दोनों आवंटन सलाहकार समितियों के मनोनीत सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति अथवा सहकारी समिति की पात्रता के बारे में मतभेद हो तो जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। आवेदन हेतु अन्तिम तिथि से 30 दिन के भीतर दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करना वांछनीय है।

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर सदस्यों को हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार / जिला कलक्टर को होगा।

4. एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावें।

5. आवंटित की जाने वाली उचित मूल्य दुकानों की संख्या का यथा संभव दस प्रतिशत अतिरिक्त पैनल तैयार किया जावें, जिससे प्राथमिकता क्रम से पैनल में से तात्कालीन आवश्यकता (किसी कार्यरत दुकान का निलम्बन, निरस्तीकरण अथवा अन्य अस्थाई व्यवस्था) होने पर कार्य लिया जा सकेगा।

6. सहकारी समितियों के संबंध में सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां की अभिशंषा प्राप्त की जायेगी।

(स) आवेदन की योग्यताएं

1. आवेदनकर्ता वालिग, स्वस्थचित्त एवं स्थिर बुद्धि हो, जिसका चाल चलन ठीक हो तथा वह दिवालिया घोषित नहीं हुआ हो।

2. आवेदनकर्ता आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित नहीं हुआ हो तथा उसका प्राधिकार पत्र पूर्व में गत सात वर्ष की अवधि में दोषी पाये जाने के कारण निरस्त नहीं किया हो।

3. आवेदनकर्ता आवेदित उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र का निवासी हो तथा उसके पास उचित मूल्य दुकान चलाने हेतु उस क्षेत्र में स्वयं की अथवा किराये पर दुकान/व्यावसायिक परिसर उपलब्ध कराने में सक्षम हो।

4. आवेदनकर्ता की वित्तीय स्थिति ठीक हो जिस बाबत संबंधित तहसीलदार का हैसियत प्रमाण-पत्र मांगा जावे (न्यूनतम 25,000/- की हैसियत वांछनीय है)

5. आवेदनकर्ता पढ़ा लिखा हो।

6. आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें असत्य पायी जाने पर / नियम विरुद्ध आवंटन पर/1976 के आदेश की अवहेलना पर आवंटन रद्द किया जा सकेगा।

उचित मूल्य दुकान को संचालित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात् उसके आश्रितों को यदि वे उचित मूल्य दुकान संचालित करने के लिए आवेदन करें और उसके लिये पात्रता एवं योग्यता रखते हो तो उन्हें उचित मूल्य दुकान का आवंटन करने में निम्नप्रकार से प्राथमिकता क्रम अपनाये हुये दुकान आवंटित की जावें: —

(1) प्राधिकृत विक्रेता की विधवा पत्नी

(2) बालिग पुत्र

(3) अविवाहित पुत्री

(4) विधवा पुत्री

मृतक प्राधिकृत विक्रेता की दुकान जिस आश्रित को आवंटित की जायेगी वे स्वयं दुकान का संचालन करेंगे।

अन्य

(वर्तमान कार्यरत एवं भविष्य में आवंटित की जाने वाली सभी दुकानों के लिये)

1. आवंटन के पूर्व दुकान के स्थान और पड़ौस की स्वच्छता को महत्व दिया जावें। दुकान किसी अन्य दुकान का भाग न हो, ऐसी जगह अवस्थित हो जिसका सबको सहज रूप से पता चल सके और आसानी से पहुंचा जा सके। उपभोक्ताओं को खड़े रहने के लिए पर्याप्त स्वच्छ स्थान हो।

2. जिस क्षेत्र के लिये दुकान स्थापित की जावें वह यथा संभव केन्द्रीय स्थल हो।

3. आटे की चक्की, परचून दुकान अथवा होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबे इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं आदि से दुकान स्थान सुरक्षित दूरी पर हो।

4. यह भी ध्यान रखा जावें कि स्थापित उचित मूल्य दुकान पर पहुंचने के लिये उपभोक्ता को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े।

5. प्रत्येक दुकान पर शिकायत पुस्तिका एवं निरीक्षण पुस्तिका रखा जाना अनिवार्य होगा जिससे प्रत्येक कार्डधारी अपनी शिकायत दर्ज कर सके। प्रवर्तन निरीक्षक/ प्रवर्तन अधिकारी जब भी अपने क्षेत्र में किसी उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करेंगे तो उनके लिए अनिवार्य होगा कि वे शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायत बाबत समुचित कार्यवाही कर निवारण करें। उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

ह/-

शासन सचिव, (खाद्य)

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-462 की सूचना)

परिशिष्ट-1

सहकारी विभाग में ऐसे मामलों की सूचना जिनमें धारा 68 की आडिट के उपरान्त भी धारा 70 की जांच कराई जा रही है

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति / संस्था	प्रकरण जिनकी धारा 70 के अन्तर्गत जांच कराई जा रही है	जांच कब से पैंडिंग है
1	2	3	4
1.	अजान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	समित की आडिट रिपोर्ट वर्ष 91-92 के आधार पर 10350/- रु. के दर्ज प्रकरण, पर न्यायालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.5.96 की अनुपालना में जांच कराई जा रही है।	20.9.96
2.	अडाइंमर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	समिति आडिट रिपोर्ट वर्ष 97-98 के आधार पर अर्द्ध शासकीय पत्र में अंकित गबन / दुरुपयोग की राशियों में आडिट रिपोर्ट में विरोधाभास होने के कारण जांच कराई जा रही है।	25.8.99
3.	चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि.,	भण्डार की आडिट रिपोर्ट वर्ष 97-98 में भण्डार के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से 10.60 लाख के गबन का मामला दर्ज किया गया किन्तु आडिट रिपोर्ट में गबन राशि का स्पष्ट उत्तरदायित्व नामजद नहीं ठहराये जाने के कारण धारा 70 की जांच कराई जा रही है।	1.7.99
4.	नीम का थाना क्रय - विक्रय सहकारी समिति लि.	अवधि जून-1988 से मई 1993 तक की विशेष आडिट में पशु आहार योजना के अन्तर्गत प्राप्त पशु आहार की राजफैड को विक्रय में हुई 1.31 लाख रुपये की हानि के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय दिनांक 28.2.97 की अनुपालना में जांच कराई जा रही है।	15.12.98
5.	न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	समिति आडिट रिपोर्ट वर्ष 89-90 में भूखण्ड विक्रय में 18 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता व गबन के मामले पर न्यायालय, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर के निर्णय दिनांक 28.2.97 के अनुसरण में जांच कराई जा रही है।	12.5.97

1	2	3	4
6.	चिड़ावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चिड़ावा	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनूं की आडिट रिपोर्ट वर्ष 92-93 के आधार पर चिडावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज 1.38 लाख रुपये के गबन पर दर्ज मामले में न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार, स.स. जयपुर के निर्णय दिनांक 8.9.97 पर दर्ज अपील के न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) द्वारा निर्णय दिनांक 7.11.98 की अनुपालना में जांच कराई जा रही है।	27.1.99
7.	चान्दराई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जालौर	समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 88-89 में पूर्व व्यवस्थापक श्री शैतानसिंह के विरुद्ध 46600.27 रुपये के गबन प्रकरण पर दर्ज मामले में धारा 74 (1) की जांच पर गबन की अधिक राशि के निकलने के कारण राशि के स्पष्ट निर्धारण हेतु धारा 70 की जांच कराई जा रही है।	7.4.97
8.	जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., जोधपुर	भण्डार की आडिट रिपोर्ट वर्ष 84-85 में पूर्व विक्रेता श्री गोपीकिशन द्वारा किये 89275.02 रुपये के गबन के मामले पर निगरानी संख्या 33/95 में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) के निर्णय पर धारा 70 की जांच कराई जा रही है।	29.1.97
9.	सुवानिया लैम्प्स	धारा 74 (2) के निर्णय दिनांक 4.7.98 के निर्णयानुसार कतिपया बिन्दुओं पर धारा 70 की जांच कराई जा रही है।	4.1.99
10.	धापा का बड़ा आदिवासी खनिज उद्योग सहकारी समिति	धारा 74 (2) के निर्णय दिनांक 20.10.97 के अनुसार कतिपय बिन्दुओं की जांच धारा 70 में कराई जा रही है।	12.2.98
11.	भीण्डर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भण्डार	धारा 74 (2) के निर्णय दिनांक 31.12.96 की अनुपालना में धारा 70 की जांच कराई जा रही है।	6.9.99
12.	बेगू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बैगूं।	धारा 74 के निर्णय दिनांक 8.9.98 की पालना में धारा 70 की जांच कराई जा रही है।	7.1.99

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-463 की सूची)

(विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में इस वर्ष पेयजल की समस्या से ग्रसित ग्रामों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम	कोड नं.	तहसील
1	2	3	4
1.	ओडवाडीया	004	बड़ी सादड़ी
2.	सेमलिया	096	बड़ी सादड़ी
3.	बड़वल	126	बड़ी सादड़ी
4.	चैनपुरिया	036	बड़ी सादड़ी
5.	उण्ठेल	007	बड़ी सादड़ी
6.	खानपुरा	106	बड़ी सादड़ी
7.	जीयाखेड़ा	101	बड़ी सादड़ी
8.	करमदीयाखेड़ा	088	बड़ी सादड़ी
9.	देवड़ा	060	बड़ी सादड़ी
10.	सरथला	050	बड़ी सादड़ी
11.	बालीकाखेड़ा	037	बड़ी सादड़ी
12.	सिरोड़	018	बड़ी सादड़ी
13.	चन्द्रखेड़ी	057	बड़ी सादड़ी
14.	भाटोली ब्राम्हणान	023	बड़ी सादड़ी
15.	रतनपुर	014	बड़ी सादड़ी
16.	संगरिया	027	बड़ी सादड़ी
17.	घोड़ाकाखेड़ा	017	डूंगला
18.	बिलोट	047	डूंगला
19.	ईडरा	034	डूंगला
20.	तीतरड़ा	030	डूंगला
21.	सेमलिया पीलाखेड़ा	086	डूंगला

1	2	3	4
22.	खेड़ा अहिरान	088	डूंगला
23.	भाटोली गुजरान	019	डूंगला
24.	सरीपीपली	012	प्रतापगढ़
25.	पानमोड़ी	112	प्रतापगढ़
26.	सेमलोप	113	प्रतापगढ़
27.	कड़ियावद	149	प्रतापगढ़
28.	रतनीयाखेड़ी	092	प्रतापगढ़
29.	कोरिया	090	प्रतापगढ़
30.	चमलावदा	054	प्रतापगढ़
31.	ढलमू	123	प्रतापगढ़
32.	रठॉजना	093	प्रतापगढ़
33.	थड़ा	095	प्रतापगढ़

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-464 की सूची)

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में स्वीकृत एनिकट्स का विवरण

(1999-2000)

क्र. सं.	नाम अभिकरण	स्वीकृत एनिकट का नाम	भौतिक उपलब्धि		अपूर्ण कार्य की वर्तमान स्थिति	वि. वि.
			पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंचायत समिति बेगूं	मक्खनपुरा एनिकट, बरनियास	पूर्ण	–	–	–
2.		मक्खनपुरा एनिकट, बिछोर	पूर्ण	अपूर्ण	–	–
3.		कुलाटिया एनिकट, धामंचा	पूर्ण	–	–	–
4.		चौमूं एनिकट, दुगार	पूर्ण	–	–	–
5.		तोरणिया एनिकट, गोपालपुरा	पूर्ण	–	–	–
6.		अपूर्ण एनिकट गुणता को पूर्ण करना	पूर्ण	–	–	–
7.		उमरथुना एनिकट, माधोपुर	पूर्ण	–	–	–
8.		सांगा की बड़ी एनिकट मेघनिवास	पूर्ण	–	–	–
9.		नाहरगढ़ी खाल पर एनिकट मण्डावरी	पूर्ण	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
10.		अपूर्ण एनिकट मेघनिवास को पूर्ण करना, मेघनिवास	पूर्ण	—	—	—
11.		मोतीपुरा से सारण के बीच रूपारेल नदी पर एनिकट, मोतीपुरा	पूर्ण	—	—	—
12.		ओडियावड एनिकट की ऊंचाई बढ़ाना, पारसोली	पूर्ण	—	—	—
13.		खोखरा खाल पर एनिकट रावड़दा	पूर्ण	—	—	—
14.		तुरकड़ी खाल पर एनिकट रायला	पूर्ण	—	—	—
15.		अपूर्ण एनिकट सामरिया का पूर्ण करना, सामरिया	पूर्ण	—	—	—
16.		सकडी नदी पर एनिकट जोधा पटेल की खेड़ी मेघपुरा	पूर्ण	—	—	—
17.	पंचायत समिति भैसरोड़गढ़	देवरी एनिकट	—	—	कार्य चालु नहीं हुआ	
18.	भैसरोड़गढ़	फुल तालाब एनिकट	—	—	कार्य चालु नहीं हुआ	
कार्यपालक इंजीनियर सिंचाई खण्ड-II (तहसील बेगूं में)						
19.		लीरड़ी नाका	पूर्ण	—	—	—
20.		कंवरपुरा	—	अपूर्ण	0.5 मी. ऊंचाई बढ़ाना शेष	

1	2	3	4	5	6
21.		कोसलानाका कम काजवे	—	अपूर्ण	काजवे का खरंजा लगाना शेष
22.		पचारे तालाव	पूर्ण	—	—
23.		ठेकराई चौराहा पर एनिकट का कार्य	—	अपूर्ण	एनिकट में नींव तक का कार्य पूर्ण शेष कार्य बकाया
24.		आवंलहेड़ा मदावदा में साथ का डोरी के पास ब्राह्मणी नदी पर एनिकट	—	अपूर्ण	एनिकट में नींव तक का कार्य पूर्ण शेष कार्य बकाया
25.		बाघपुरा के नाले पर एनिकट	—	अपूर्ण	0.5 मी. ऊंचाई बढ़ाना शेष है
(तहसील रावतभाटा)					
26.		गणेशपुरा नाका	—	अपूर्ण	एनिकट की नींव तक का कार्य पूर्ण शेष कार्य बकाया
27.		हमीरगंज एनिकट	—	अपूर्ण	
28.		सेमलिया एनिकट	—	अपूर्ण	

जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-465 की प्रति)

Annexure-A

Guidelines for Establishment of Hotels near Lakes—Other Water Bodies at Udaipur

I. No Hotel should be allowed to be set up within the catchment area of the water body or lake as the case may be.

II. As far as possible, as a principle, no hotel/industry should be allowed to be establish within the drainage zone of the lake or other water body even if for some reasons like close proximity to lakes etc. A distance of 200 mt. from high flood level of the lake should preferably be kept for setting up hotels, but in no case the distance shall be less than 100 mt. The distance criteria so prescribed shall be specifically fixed on case to case basis for reasons to be recorded on the basis of environmental impact assessment and management plan. This minimum distance of 100 mt. is primarily prescribed in view of its being within the drainage zone, agro-dynamic offsets, providing provision for sewar line around the lake, parking space, walking space and space for recreational facilities like boating and so on.

III. The ETP should be built above the ground in order to ensure that leakages/spillages etc. may not join the subsoil water which happens to be too shallow and to ensure the overflow of water during rainy season in view of moderate to steep slopes towards lake.

IV. To take care of run off or even waste water discharge under accidental situation there should be a peripherial drainage channel on the down slope to intercept such runoff or discharge and this channel should be connected to a sumpwell from where the collected waste water should be

effectively pumped into the city sewar or in the area which does not fall either under the catchmant or drainage zone of the lake or water body.

V. The Hotels proposed to be set up should be asked to prepare ETA/EMP studies to set an overall insite of environmental problems and to have a clear vision of managing such problems in well organised and systematic manner.

VI. The Hotels authorities shall periodically monitor the quality of lake water and should report the monthly results to the Pollution Control Board.

VII. Under no circumstances untreated or even treated waste water shall be allowed to be discharged into the lake either directly or Indirectly which will further add to the problem of eutrofication and stratification.

VIII. In order to ensure the concept of reuse of treated water and draw a minimum water from the lake, it is proposed to utilise the treated water for raising greenary under prescribed hydraulic loading and after achieving discharge standards of IS : 2490 (Stream Standards). The hydraulic loading shall be as under:—

S. No.	Soil Texture Class	Dosage of treated Sewage (in accordance with stream standard's Applied M^3/hect/day)
1.	Sandy	115—140
2.	Sandy Loam	85—115
3.	Loam	60—85
4.	Clay Loam	30—60
5.	Clayey	20—30

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	होटल का नाम
1.	होटल लेक पैलेस, बंसी घाट, उदयपुर
2.	होटल कारवां सराय, लाल घाट, उदयपुर
3.	होटल फतेह प्रकाश पैलेस, सिटी पैलेस, उदयपुर
4.	होटल लेक पिछोला, चांदपोल बाहर, उदयपुर
5.	होटल गणगौर पैलेस, गणगौर घाट, उदयपुर
6.	होटल ट्राइडेण्ट, हरिदास जी की मगरी, उदयपुर
7.	होटल राजदर्शन, पन्नाधाय मार्ग, उदयपुर
8.	होटल शिव निवास पैलेस, सिटी पैलेस, उदयपुर
9.	होटल लेक स्टार, नागा नगरी, उदयपुर
10.	होटल जगत निवास, लाल घाट, उदयपुर
11.	होटल लेक घाट एण्ड रेस्तरां, लाल घाट, उदयपुर
12.	होटल लेक शोट, चांदपोल बाहर, उदयपुर
13.	होटल मिनर्वा एण्ड रेस्तरां, गडिया देवरा, उदयपुर
14.	होटल नेचुरल, रंग सागर, उदयपुर
15.	होटल सवशांती, स्वरूप सागर, उदयपुर
16.	होटल लेक एण्ड, फतेह सागर, उदयपुर
17.	होटल लक्ष्मी विलास, फतह सागर, उदयपुर
18.	होटल रामप्रताप, अल्कापुरी, उदयपुर
19.	होटल हिलटोप पैलेस, अम्बावगढ़, उदयपुर
20.	होटल गुलाब निवास, फतह सागर, उदयपुर
21.	होटल हेरीटेज रिसोर्ट, नागदा, उदयपुर
22.	होटल झील पेइंग गेस्ट हाउस, गणगौर घाट, उदयपुर
23.	होटल झील गेस्ट हाउस, गणगौर घाट, उदयपुर

क्र.सं.	होटल का नाम
24.	होटल कांकरवा हवेली, लालघाट, उदयपुर
25.	होटल लेक हिल पेइंग गेस्ट हाउस, नाव घाट, उदयपुर
26.	लाल घाट गेस्ट हाउस, लाल घाट, उदयपुर
27.	नई हवेली पेइंग गेस्ट हाउस, गणगौर घाट, उदयपुर
28.	नुक्कड़ पेइंग गेस्ट हाउस, गणेश घाट, उदयपुर
29.	श्री करणी गेस्ट हाउस, लाल घाट, उदयपुर
30.	सांई निवास, नाव घाट, उदयपुर
31.	वण्डरव्य पैलेस, चांदपोल बाहर, उदयपुर
32.	एवरग्रीन गेस्ट हाउस, लाल घाट, उदयपुर
33.	सुधा पेइंग गेस्ट हाउस, नागा नगरी, उदयपुर
34.	होटल अन्जनी, गणगौर घाट, उदयपुर
35.	रेनबो पेइंग गेस्ट हाउस, लाल घाट, उदयपुर
36.	रानी विलेज रेस्टोरेन्ट, फतहसागर, उदयपुर
37.	होटल बड़ी हवेली, गणगौर घाट, उदयपुर
38.	पहाड़ी पेइंग गेस्ट हाउस, स्वरूप सागर, उदयपुर
जयपुर	
39.	रामगढ़ लोज, जयपुर
40.	होटल ट्राइडेंट, जयपुर
अजमेर	
41.	होटल पुष्कर पैलेस, पुष्कर, अजमेर

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-466 का विवरण)

विज्ञापन का शीर्षक : राज्य सरकार की कर्मचारियों से अपील
पत्रावली संख्या : डी-163/164
जारी करने की तिथि : 11.1.2000

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	शहर का नाम	साइज	दर	योग	15% कमीशन कटौती	शुद्ध देय राशि	प्रकाशन की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दै. राजस्थान पत्रिका	जयपुर	20 × 3	231.00	13860	2079	11781	12.1.2000	
2.	दै. राजस्थान पत्रिका	जोधपुर	20 × 3	89.30	5358	804	4554	12.1.2000	
3.	दै. राजस्थान पत्रिका	उदयपुर	20 × 3	89.30	5358	804	4554	12.1.2000	
4.	दै. राजस्थान पत्रिका	कोटा	20 × 3	62.90	3720	558	3162	12.1.2000	
5.	दै. राजस्थान पत्रिका	बीकानेर	20 × 3	61.20	3672	551	3121	12.1.2000	
6.	दैनिक नवज्योति	जयपुर	20 × 3	89.30	5358	804	4554	12.1.2000	
7.	दैनिक नवज्योति	अजमेर	20 × 3	84.50	5070	761	4310	12.1.2000	
8.	दैनिक नवज्योति	कोटा	20 × 3	89.30	5358	804	4554	12.1.2000	
9.	दैनिक सीमा संदेश	जयपुर	25 × 2	33.40	1670	251	1419	12.1.2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	दैनिक सीमा संदेश	श्रीगंगानगर	25 × 2	51.20	2560	384	2176	12.1.2000	
11.	दैनिक समाचार जगत	जयपुर	25 × 2	89.30	4465	670	3795	12.1.2000	
12.	दैनिक भास्कर	जयपुर	20 × 3	268.60	16116	2417	13699	13.1.2000	
13.	दैनिक भास्कर	अजमेर	20 × 3	59.50	3570	536	3034	13.1.2000	
14.	दैनिक भास्कर	जोधपुर	20 × 3	93.90	5634	845	4789	13.1.2000	
15.	दैनिक भास्कर	उदयपुर	20 × 3	61.20	3672	551	3121	13.1.2000	
16.	दैनिक भास्कर	बीकानेर	20 × 3	46.80	2808	421	2307	13.1.2000	
17.	दैनिक राष्ट्रदूत	जयपुर	20 × 3	102.40	6144	922	5222	13.1.2000	
18.	दैनिक राष्ट्रदूत	अजमेर	20 × 3	42.40	2544	382	2162	13.1.2000	
19.	दैनिक राष्ट्रदूत	बीकानेर	20 × 3	59.50	3570	536	3035	13.1.2000	
20.	दैनिक राष्ट्रदूत	कोटा	20 × 3	59.50	3570	536	3034	13.1.2000	
21.	दैनिक राष्ट्रदूत	उदयपुर	20 × 3	46.80	2808	421	2387	13.1.2000	
22.	दैनिक प्रातःकाल	जयपुर	25 × 2	46.80	2340	351	1989	13.1.2000	
23.	दैनिक प्रातःकाल	उदयपुर	25 × 2	65.70	3285	493	2792	13.1.2000	
24.	दैनिक जलतेदीप	जोधपुर	25 × 2	46.80	2340	351	1989	14.1.2000	
						योग	97,620		

विज्ञापन का शीर्षक : "राज्य कर्मचारियों की हड़ताल–कुछ विचारणीय बिन्दु"

पत्रावली संख्या : डी-165 एवं 166

जारी करने की तिथि : 13.1.2000

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	शहर का नाम	साइज	दर	योग	15% कमीशन कटौती	शुद्ध देय राशि	प्रकाशन की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दै. राजस्थान पत्रिका	जयपुर	15 × 3	231.00	10395	1559	8836	14.1.2000	
2.	दै. राजस्थान पत्रिका	जोधपुर	15 × 3	89.30	4019	603	3416	14.1.2000	
3.	दै. राजस्थान पत्रिका	बीकानेर	15 × 3	61.20	2754	413	2341	14.1.2000	
4.	दै. राजस्थान पत्रिका	कोटा	15 × 3	62.90	2831	425	2406	14.1.2000	
5.	दै. राजस्थान पत्रिका	उदयपुर	15 × 3	89.30	4019	603	3416	14.1.2000	
6.	दैनिक नवज्योति	जयपुर	15 × 3	89.30	4019	603	3416	14.1.2000	
7.	दैनिक नवज्योति	अजमेर	15 × 3	84.50	3803	570	3233	14.1.2000	
8.	दैनिक नवज्योति	कोटा	15 × 3	89.30	4019	603	3416	14.1.2000	
9.	दैनिक सीमा संदेश	जयपुर	15 × 2	33.40	1002	150	852	14.1.2000	
10.	दैनिक सीमा संदेश	श्रीगंगानगर	15 × 2	51.20	1536	230	1306	15.1.2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	दैनिक समाचार जगत	जयपुर	15 × 2	89.30	2679	402	2277	14.1.2000	
12.	दैनिक भास्कर	जयपुर	15 × 3	268.60	12087	1813	10274	15.1.2000	
13.	दैनिक भास्कर	अजमेर	15 × 3	59.50	2678	402	2276	15.1.2000	
14.	दैनिक भास्कर	जोधपुर	15 × 3	93.90	4226	634	3592	15.1.2000	
15.	दैनिक भास्कर	उदयपुर	15 × 3	61.20	2754	413	2341	15.1.2000	
16.	दैनिक भास्कर	बीकानेर	15 × 3	46.80	2106	316	1790	15.1.2000	
17.	दैनिक राष्ट्रदूत	जयपुर	15 × 3	102.40	4608	691	3917	15.1.2000	
18.	दैनिक राष्ट्रदूत	अजमेर	15 × 3	42.40	1908	286	1622	15.1.2000	
19.	दैनिक राष्ट्रदूत	बीकानेर	15 × 3	59.50	2678	402	2276	15.1.2000	
20.	दैनिक राष्ट्रदूत	कोटा	15 × 3	59.50	2678	402	2276	15.1.2000	
21.	दैनिक राष्ट्रदूत	उदयपुर	15 × 3	46.80	2106	316	1790	15.1.2000	
22.	दैनिक प्रातःकाल	जयपुर	15 × 2	46.80	1404	211	1193	15.1.2000	
23.	दैनिक प्रातःकाल	उदयपुर	15 × 2	65.70	1971	296	1675	15.1.2000	
24.	दैनिक जलतेदीप	जोधपुर	15 × 2	46.80	1404	211	1193	15.1.2000	
						योग	71,130		

विज्ञापन का शीर्षक : "राज्य कर्मचारियों के एक वर्ग की हड़ताल बाबत मुख्य मंत्री राजस्थान द्वारा घोषणा"

पत्रावली संख्या : डी-179 एवं 180

जारी करने की तिथि : 7.2.2000

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	शहर का नाम	साइज	दर	योग	अतिरिक्त सरचार्ज 100% मुख्य पृष्ठ का	कुल योग	15% कमीशन कटौती	शुद्ध देय राशि	प्रकाशन की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	दैनिक भास्कर	जयपुर	40 × 4	268.60	42976	—	42976	6446	36530	8.2.2000	
2.	दैनिक भास्कर	जोधपुर	40 × 4	93.90	15024	—	15024	2254	12770	8.2.2000	
3.	दैनिक भास्कर	अजमेर	40 × 4	59.50	9520	—	9520	1428	8092	8.2.2000	
4.	दैनिक भास्कर	बीकानेर	40 × 4	46.80	7488	—	7488	1123	6365	8.2.2000	
5.	दैनिक भास्कर	उदयपुर	40 × 4	61.20	9792	—	9792	1469	8323	8.2.2000	
6.	दैनिक राष्ट्रदूत	जयपुर	40 × 4	102.40	16384	16384	32768	4915	27853	8.2.2000	
7.	दैनिक राष्ट्रदूत	अजमेर	40 × 4	42.40	6784	6784	13568	2036	11532	8.2.2000	

1	2	3	4	5	6	7	.8	9	10	11	12
8.	दैनिक राष्ट्रदूत	उदयपुर	40 × 4	46.80	7488	7488	14976	2246	12730	8.2.2000	
9.	दैनिक राष्ट्रदूत	कोटा	40 × 4	59.50	9520	9520	19040	2856	16184	8.2.2000	
10.	दैनिक राष्ट्रदूत	बीकानेर	40 × 4	59.50	9520	9520	19040	2856	16184	8.2.2000	
11.	दैनिक राष्ट्रदूत	जयपुर	40 × 4	46.80	7488	7488	14976	2246	12730	8.2.2000	
12.	दैनिक प्रातःकाल	उदयपुर	40 × 4	65.70	10512	10512	21024	3154	17870	8.2.2000	
13.	दैनिक जलतेदीप	जोधपुर	40 × 4	46.80	7488	7488	14976	2246	12730	8.2.2000	
14.	दै. राजस्थान पत्रिका	जयपुर	40 × 4	231.00	36960	36960	73920	11088	62832	8.2.2000	
15.	दै. राजस्थान पत्रिका	जोधपुर	40 × 4	89.30	14228	50%7144	21432	3215	18217	8.2.2000	
16.	दै. राजस्थान पत्रिका	बीकानेर	40 × 4	61.20	9792	9792	19584	2938	16446	अनुमानित व्यय (बिल प्राप्त नहीं)	
17.	दै. राजस्थान पत्रिका	कोटा	40 × 4	62.90	10064	10064	20128	3019	17109	9.2.2000	
18.	दै. राजस्थान पत्रिका	उदयपुर	40 × 4	89.30	14288	50%7144	21432	3215	18217	8.2.2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	दैनिक नवज्योति	कोटा	40 × 4	89.30	14288	—	14288	2143	12145	8.2.2000	
20.	दैनिक नवज्योति	अजमेर	40 × 4	84.50	13520	—	13520	2028	11492	8.2.2000	
21.	दैनिक नवज्योति	जयपुर	40 × 4	89.30	14288	—	14288	2143	12145	8.2.2000	
22.	दैनिक सीमा सन्देश	जयपुर	40 × 4	33.40	5340	—	5340	801	4542	8.2.2000	
23.	दैनिक सीमा सन्देश	श्रीगंगानगर	40 × 4	51.20	—	—	—	—	—	प्रकाशित नहीं किया गया।	
24.	दैनिक समाचार जगत	जयपुर	40 × 4	89.30	14288	—	14288	2143	12145	8.2.2000	
								योग	3,85,183		

पृ. सं. 1 का योग :	97,620.00
पृ. सं. 2 का योग :	71,130.00
पृ. सं. 3 का योग :	3,85,183.00
कुल योग :	5,53,933.00

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-472 की प्रति)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक : एफ3/मु.याता/पी-2/98/1513 दिनांक : 7.11.98

कार्यालय-आदेश

निम्नलिखित परिचालकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है अतः इन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बितकाल में इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बितकाल में इनका मुख्यावास उनके सम्मुख अंकित आगारों में रहेगा जीवन निर्वाह भत्ता उसी आगार द्वारा देय होगा जिस आगार से उनका वेतन उठ रहा है :

क्र.सं.	नाम परिचालक	आगार का नाम	मुख्यावास
1.	श्री लाल सिंह	उदयपुर	कोटा
2.	श्री लोकेश	उदयपुर	कोटा
3.	श्री बाबूलाल	दौसा	हिण्डौन
4.	श्री छैल सिंह	फालना	बाड़मेर
5.	श्री दुर्गा शंकर	जयपुर आगार	सीकर

यह आदेश न्यायालय से स्थगन/दैनिक वेतन भोगी की स्थिति में यदि पूर्व में संबंधित मुख्य प्रबन्धक द्वारा निलम्बित कर दिया गया हो तो मान्य नहीं होंगे। लेकिन परिचालक का मुख्यावास मुख्यालय से प्रसारित आदेशों में उल्लेखित स्थान पर परिवर्तित होगा।

कार्यकारी निदेशक, (याता.)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांक : एफ3/मु/याता/पी-2/99/ दिनांक : 21.1.99

कार्यालय आदेश

श्री छैल सिंह निलम्बित परिचालक फालना आगार को श्री मांगीलाल कुमावत निवासी देसुरी द्वारा शिकायत प्रेषित करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1513 दिनांक 7.11.98 के द्वारा निलम्बित किया गया था। उक्त प्रकरण की वाद न्यायालय में दायर किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 13.1.99 के द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पाली द्वारा किया गया जिसमें परिचालक को दोषमुक्त किया गया है।

अतः उक्त न्यायालय निर्णय को मध्य नजर रखते हुए निलम्बित आदेश को निरस्त किया जाता है। तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उप प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)